



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव
1947-2022

सामाजिक विज्ञान

पाठ्यपुस्तक

वेद-भूषण - V वर्ष / पूर्वमध्यमा - II वर्ष / कक्षा दसवीं

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एवं मान्यता प्राप्त)

पूर्वीरस्य निष्पिधो मर्त्येषु पुरू वसुनि पृथिवी विभर्ति।
इन्द्राय द्याव ओषधीरुतापो रयिं रक्षन्ति जीरयो वनानि ॥
निष्पिध्वरीस्त ओषधीरुतापो रयिं त इन्द्र पृथिवी विभर्ति।
सखायस्ते वामभाजः स्याम महद्देवानामसुरत्वमेकम् ॥
यथा-व्वनस्पतयेस्वाहामरुतामोजसेस्वाहेन्द्रस्येन्द्रियायस्वाहा।
पृथिविमातर्म्मांमाहि ६ सीम्मोऽअहन्त्वाम् ॥
आपोहृददृहृतीर्विश्वमायद्गर्भान्दधानाजनयन्तीरग्निम् ॥
ततोदेवानां समवर्त्ततासुरेकः कस्मैदेवायहविषाव्विधेम ॥
इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्यं रोहयदिवि । वि गोभिरद्विमैरयत् ॥
मित्र ६ हुवे । पूतदक्षंवरुणञ्चरिशादसम् ॥
धियद्दुतार्चां साधन्ता ॥



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (म.प्र.)

(शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार)

Phone : (0734) 2502266, 2502254, E-mail : msrvvpujn@gmail.com, website - www.msrvvp.ac.in

सामाजिक विज्ञान

पाठ्यपुस्तक

वेद-भूषण - V वर्ष / पूर्वमध्यमा - II वर्ष / कक्षा दसवीं

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एवं मान्यता प्राप्त)



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (म.प्र.)

(शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार)

वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण, पो. ऑ. जवासिया, उज्जैन - 456006 (म.प्र.)

Phone : (0734) 2502266, 2502254, E-mail : msrvvpunj@gmail.com, website - www.msrvvp.ac.in

- लेखकगण :-
1. डॉ. प्रकाश प्रपन्न त्रिपाठी
राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, उज्जैन (मध्यप्रदेश)
 2. श्री रविन्द्र कुमार शर्मा
श्री वीर हनुमान ऋषिकुल वेद विद्यालय, ग्रा. नांगल भरडा, चौमू,
जयपुर (राजस्थान)
 3. श्री विजेन्द्र सिंह हाडा
श्री कर्णेश्वर वेद विद्यालय, कनवास, कोटा (राजस्थान)
 4. श्री विक्रम कुमार बासनीवाल
श्री मुनिकुल ब्रह्मचर्याश्रम वेद संस्थानम्, बरुन्दनी (राजस्थान)
 5. श्री आयुष शुक्ला
राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, उज्जैन (मध्यप्रदेश)

आवरण एवं सज्जा :- श्री शैलेन्द्र डोडिया

चित्राङ्कन :-

तकनीकी सहयोग, टङ्कण

- एवं संशोधन :-
1. श्रीमती किरण परमार
 2. श्री अनिल चौहान
 3. श्री नरेन्द्र सोलंकी

अक्षरविन्यास :-

पुस्तक परामर्श :-

© महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रीयवेदविद्याप्रतिष्ठानम्, उज्जयिनी

ISBN :-

मूल्य :-

संस्करण :-

प्रकाशित प्रति :-

पेपर उपयोगः :- आर.सी.टी.बी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित

प्रकाशक :- महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान
(शिक्षामन्त्रालय भारत सरकार की स्वायत्तशासी संस्था)
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण, पो. ऑ. जवासिया, उज्जैन - 456006 (म.प्र.)

email : msrvvpujn@gmail.com,

Web : msrvvp.ac.in

दूरभाषा (0734) 2502255, 2502254

प्रस्तावना

(राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के आलोक में)

शिक्षा मन्त्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग), भारत सरकार ने माननीय शिक्षा मन्त्री जी (तत्कालीन मानव संसाधन विकास मन्त्री) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना दिल्ली में 20 जनवरी, 1987 को सोसायटी पञ्जीकरण अधिनियम, 1860 के तहत की थी। भारत सरकार ने वेदों की श्रुति परम्परा का संरक्षण, संवर्धन, प्रसार और विकास के लिए प्रतिष्ठान की स्थापना का संकल्प संख्या 6-3/85-SKT-IV दिनांक 30-3-1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया था। वेदों के अध्ययन की श्रुति परम्परा (वेद संहिता, पद पाठ से घनपाठ तक, वेदाङ्ग, वेद भाष्य आदि), वेदों का पाठ संरक्षण, वैदिक स्वर तथा वैज्ञानिक आधार पर वेदों की व्याख्या का दायित्व वेद विद्या प्रतिष्ठान को दिया गया था। वर्ष 1993 में राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के कार्यालय को उज्जैन में स्थानान्तरित करने के पश्चात् संगठन का नाम महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान कर दिया गया। वर्तमान में यह संगठन मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त भूमि- परिसर, महाकाल नगरी, उज्जैन में स्थित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के संशोधित नीति-1992 और कार्यप्रणाली (प्रोग्राम ऑफ एक्शन)-1992 में भी वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान को उत्तरदायित्व दिया गया था। भारत के प्राचीन ज्ञान कोष, मौखिक परम्परा और इस तरह की शिक्षा के लिए पारम्परिक गुरुओं को संयोजित करने के उद्देश्य को 1992 के कार्यप्रणाली (प्रोग्राम ऑफ एक्शन) में उल्लेखित किया गया था।

राष्ट्र की आकांक्षाओं के अनुरूप, राष्ट्रीय स्तर पर वेद और संस्कृत शिक्षा के लिए एक बोर्ड की स्थापना के पक्ष में राष्ट्रीय सहमति, जनादेश, नीति, विशिष्ट उद्देश्य और कार्यान्वयन रणनीतियों के अनुरूप, भारत सरकार के माननीय शिक्षा मन्त्रीजी की अध्यक्षता में महासभा और शासी परिषद के समावेश में "महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड" की स्थापना 2019 में हुई है। MSRVVP का वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड भी वैदिक शिक्षा का एक भाग है और MSRVVP के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है जैसा कि MoA और नियमों में संकल्पना की गई है। महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड को शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय विश्वविद्यालय संघ,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय द्वारा वर्ष 2015 में श्री एन. गोपालस्वामी (पूर्व चुनाव आयुक्त) की अध्यक्षता में गठित समिति “संस्कृत के विकास के लिए विजन और रोडमैप - दस वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना” की रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है कि माध्यमिक विद्यालय स्तर तक वेद संस्कृत शिक्षा के पाठ्यक्रम मानकीकरण, संबद्धता, परीक्षा मान्यता, प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रस्तर पर वेद संस्कृत परीक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। समिति की अनुशंसा थी कि प्राथमिक स्तर का वैदिक एवं संस्कृत अध्ययन अभिप्रेरक, सम्प्रेरक एवं आनन्ददायी होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा के विषयों को वैदिक और संस्कृत पाठशालाओं में सन्तुलित रूप से सम्मिलित करना भी आवश्यक है। इन पाठशालाओं की पाठ्यक्रम सामग्री को समकालीन समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप और प्राचीन ज्ञान का उपयोग करते हुए आधुनिक समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रारूपित किया जाना चाहिए।

वेद पाठशालाओं के सम्बन्ध में समिति ने यह संस्तुति की है कि संस्कृत और आधुनिक विषयों की श्रेणीबद्ध सामग्री के परिचय के साथ-साथ वेद पाठ कौशल संवर्धन और वेद उच्चारण में मानकीकरण की आवश्यकता है ताकि वेद छात्र अन्ततः वेद भाष्य के अध्ययन तक पहुंच सकें और छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए मुख्यधारा में लाया जा सके। उचित स्तर पर वेदों के विकृति पाठ के अध्ययन पर बढावा दिया जाना चाहिए। समिति के सदस्यों ने यह भी चिन्ता व्यक्त की है कि वैदिक सस्वर पाठ पूरे भारत में समान रूप से नहीं फैला है, इसलिए वैदिक सस्वर पाठ की शैलियों और शिक्षण पद्धति की क्षेत्रीय विविधताओं में हस्तक्षेप किए बिना स्थिति में सुधार के लिए उचित कदम उठाया जाना है।

यह भी अनुभव किया गया कि वेद और संस्कृत अविभाज्य हैं और एक दूसरे के पूरक हैं और देश भर में सभी वेद पाठशालाओं और संस्कृत पाठशालाओं के लिए परीक्षा मान्यता और सम्बद्धता की समस्याएँ समान हैं, इसलिए दोनों के लिए एक साथ वेद संस्कृत हेतु एक बोर्ड का गठन किया जा सकता है। समिति ने यह पाया कि बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं को कानूनी रूप से वैध मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, जो शिक्षा की आधुनिक बोर्ड प्रणाली के साथ समानता रखे। समिति ने पाया कि महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन को “महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत विद्या परिषद्” के नाम से

परीक्षा बोर्ड का दर्जा दिया जाये, जिसका मुख्यालय उज्जैन में रहे। परीक्षा बोर्ड होने के अतिरिक्त अब तक जो सभी वेद कार्यक्रम और वेद पर गतिविधियाँ हैं, वे सभी प्रतिष्ठान में जारी रहेंगे।

वैदिक शिक्षा का प्रचार भारत की गौरवशाली ज्ञान परम्परा का एक व्यापक अध्ययन है और इसमें वैदिक अध्ययन (वेद संहिता, पद पाठ से घनपाठ तक, स्वर का सम्यक् प्रयोग ज्ञान आदि), सस्वर पाठ कौशल, मन्त्र उच्चारण और संस्कृत ज्ञान प्रणाली सामग्री की बहुस्तरीय श्रुति परम्परा सम्मिलित है। प्रतिष्ठान में NEP 2020 अनुरूप 3 + 4 (सात साल तक) के वेद अध्ययन की योजना में पारम्परिक छात्रों को मुख्य धारा में लाने की नीति के परिप्रेक्ष्य में अन्य विभिन्न आधुनिक विषयों जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, मातृभाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, दर्शन, योग, वैदिक कृषि आदि पाठ्यक्रम के अनुसार तथा वैदिक शिक्षा पर केन्द्रित नीति निर्धारक निकायों में राष्ट्रीय सहमति, समय की उपलब्धता के आधार पर सभी अध्ययन संयोजित हैं। अध्ययन की यह योजना NEP 2020 के परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान प्रणाली पर ध्यान केन्द्रित करने वाले पाठ्यक्रम सामग्री में आधुनिक ज्ञान के साथ एवं भारतीय ग्रंथों से तैयार वैदिक ज्ञान के उपयुक्त सामग्री के साथ है।

प्रतिष्ठान बोर्ड की वेद पाठशालाओं, गुरु शिष्य ईकाइयों और गुरुकुलों में, पाठ्यक्रम मुख्य रूप से सम्पूर्ण सस्वर कण्ठस्थीकरण के साथ संपूर्ण वेद शाखा का अध्ययन होता है तथा संस्कृत, अंग्रेजी, मातृभाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, दर्शन, योग, वैदिक कृषि और SUPW जैसे अतिरिक्त सहायक विषयों के साथ वेद अध्ययन होता है।

यह सर्वविदित तथ्य है कि वेदों की 1131 शाखाएँ सस्वर पाठ के साथ थे, अर्थात् 21 ऋग्वेद में, 101 यजुर्वेद में, 1000 सामवेद में और 9 अथर्ववेद में। समय के साथ इन शाखाओं की एक बड़ी संख्या विलुप्त हो गई और वर्तमान में केवल 10 शाखाएँ, अर्थात् ऋग्वेद में एक, यजुर्वेद में 4, सामवेद में 3 और अथर्ववेद में 2 सस्वर पाठ के रूप में विद्यमान हैं, जिन पर भारतीय ज्ञान प्रणाली आधारित है, इन 10 शाखाओं के संबंध में भी बहुत कम प्रतिनिधि वेदपाठी पंडित हैं जो श्रुति परम्परा/पाठ/वेद ज्ञान परम्परा को उसके प्राचीन और पूर्ण रूप में संरक्षित किये हुए हैं। जब तक श्रुति परम्परा के अनुसार वैदिक शिक्षा पर मूलरूप से ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक यह व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पायेगी। वैदिक श्रुति परम्परा की श्रुति अध्ययनों के पहलुओं को सामान्य/अध्ययन में स्कूल में न तो पढ़ाया जाता है

और न ही किसी स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है, और न ही स्कूलों/बोर्डों के पास उन्हें आधुनिक स्कूल पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने और सञ्चालित करने की विशेषज्ञता है।

वैदिक छात्र जो श्रुति परम्परा / वेद का पाठ सीखते हैं, वे दूर-दराज के गाँवों, सीमावर्ती गाँवों आदि में वेद गुरुकुलों में, वेद पाठशालाओं में, वैदिक आश्रमों में हैं, और वेद अध्ययन के लिए उनका समर्पण लगभग 1900 - 2100 घण्टे प्रतिवर्ष है। जो अन्य स्कूल बोर्ड की सीखने की प्रणाली के समय से दोगुना है और वैदिक छात्रों को "गुरु-मुख-उच्चारण अनुच्चारण" - वेद गुरु के सामने बैठकर शब्दशः उच्चारण सीखना होता है, संपूर्ण वेद, शब्दशः उच्चारण (उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि) के साथ कण्ठस्थ करना होता है और स्मृति के बल पर बिना किसी पुस्तक/पोथी को देखे।

ज्ञात हो कि इस प्रकार के वैदिक अध्ययन, वेद मन्त्रपाठ की रीति, गुरु शिष्य की अखण्ड मौखिक परम्परा से प्रचलित क्रम के कारण वेदों के मौखिक प्रसारण को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत रूप में यूनेस्को-विश्व मौखिक विरासत सूची में मान्यता प्राप्त हुई है। इसलिए, सदियों पुरानी वैदिक शिक्षा (श्रुति परम्परा/सस्वर पाठ/वेद ज्ञान परम्परा) की प्राचीनता और सम्पूर्ण अखण्डता को बनाए रखने के लिए सुयोग्य कार्यनीति की आवश्यकता है। इसलिए, प्रतिष्ठान और इस बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 द्वारा निर्धारित कौशल और व्यावसायिक विषयों के साथ-साथ आधुनिक विषयों जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, मातृभाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, दर्शन, योग, वैदिक कृषि आदि के साथ विशिष्ट प्रकार के वेद पाठ्यक्रम को अपनाया है।

कोई भी व्यक्ति तब सुखी होकर जी सकता है जब वह परा-विद्या और अपरा-विद्या दोनों का अध्ययन करता है। वेदों में से भौतिक ज्ञान, उनकी सहायक शाखाएँ और भौतिक रुचि के विषय अपरा-विद्या कहलाते थे। सर्वोच्च वास्तविकता का ज्ञान, उपनिषदों की अंतिम खोज, परा-विद्या कहलाती है। वेद और उसके सहायक के रूप में अध्ययन किए जाने वाले विषयों की कुल संख्या 14 है। विद्या की 14 शाखाएँ ये हैं - चार वेद, छह वेदांग, मीमांसा (पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा), न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्ववेद और अर्थशास्त्र सहित चौदह विद्याएं अठारह हो जाते हैं। सदियों से भारत उपमहाद्वीप में सभी शिक्षा संस्कृत भाषा में ही थी, क्योंकि इस उपमहाद्वीप में लम्बे समय तक संस्कृत बोली जाने वाली भाषा रही। इसलिए वेद भी सुलभता से समझे जाते थे।

तक्षशिला के विद्यालयों के सम्बन्ध में अठारह शिल्प-या औद्योगिक और तकनीकी कला और शिल्प का उल्लेख किया गया है। छान्दोग्य उपनिषद् तथा नीति ग्रन्थों में भी इन का विवरण है। निम्नलिखित 18 कौशल/व्यावसायिक विषय अध्ययन के विषय बताए गए हैं- (1) गायन सङ्गीत (2) वाद्य सङ्गीत (3) नृत्य (4) चित्रकला (5) गणित (6) लेखाशास्त्र (7) इञ्जीनियरिङ्ग (8) मूर्तिकला (9) प्रजनन (10) वाणिज्य (11) चिकित्सा (12) कृषि (13) परिवहन और कानून (14) प्रशासनिक प्रशिक्षण (15) तीरंदाजी, किला निर्माण और सैन्य कला (16) नये वस्तु या उपज का निर्माण । उपर्युक्त कला और शिल्प में तकनीकी शिक्षा के लिए प्राचीन भारत में एक प्रशिक्षु प्रणाली विकसित की गई थी। विद्या और अविद्या मनुष्य को इस प्रपञ्च में सन्तुष्ट जीवन व्यतीत करने के लिए समर्थ और परलोक में मुक्ति योग्य सिद्ध करती है ।

दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में सर्व प्रथम भारतीय सभ्यता में शास्त्रों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सीखने की एक विशाल एवं सुदृढ परम्परा रही है। भारत प्राचीन काल से ही ऋषियों, ज्ञानियों और संतों की भूमि के साथ-साथ विद्वानों और वैज्ञानिकों की भूमि भी रही है। शोध से पता चला है कि भारत सीखने सिखाने (विद्या-आध्यात्मिक ज्ञान और अविद्या- भौतिक ज्ञान) के क्षेत्र में विश्व गुरु तो था ही, सक्रिय रूप से भी सम्पूर्ण प्रपञ्च में योगदान दे रहा था और भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों जैसे सीखने के विशाल केन्द्र स्थापित किए गए थे, जहाँ हजारों शिक्षार्थी आते थे। प्राचीन ऋषियों द्वारा खोजी गई कई विज्ञान और प्रौद्योगिकी तकनीकी, सीखने की पद्धतियाँ, सिद्धान्तों और तकनीकों ने कई पहलुओं पर हमारे विश्व के ज्ञान के मूल सिद्धान्तों को बनाया और प्रबल किया है, खगोल विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, ध्वन्यात्मकता, व्याकरण आदि पर दुनिया में भारत का योगदान समझा जाता है। प्रत्येक भारतीय बालक, बालिका द्वारा इस महान् देश का गौरवान्वित नागरिक होने के कारण इन विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये। भारत की संसद के प्रवेश द्वार पर उद्धृत "वसुधैव कुटुम्बकम्" जैसे भारत के विचार और विभिन्न अवसरों पर संवैधानिक प्राधिकरणों द्वारा उद्धृत कई वेद मंत्र के अर्थ वेदों के अध्ययन से ही ज्ञात होते हैं और उन पर मनन करके ही वास्तविक प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है। वेदों और सम्पूर्ण वैदिक साहित्य में "सत्, चित, आनन्द" के रूप में सभी प्राणियों की अन्तर्निहित समानता पर जोर दिया गया है।

यह भी उल्लेख किया गया है कि वेद वैज्ञानिक ज्ञान के स्रोत हैं और हमें आधुनिक समस्याओं के समाधान के लिए वेदों और भारतीय शास्त्रों के स्रोतों की ओर पुनः निष्ठा से देखना होगा। जब तक छात्रों को वेदों का पाठ, शुद्ध वैदिक ज्ञान सामग्री और वैदिक दर्शन को आध्यात्मिक ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में नहीं पढाया जाता है, तब तक आधुनिक भारत की आकांक्षा को पूरा करने के लिए वेदों के सन्देश का प्रसार पूर्ण रूप से सम्भव नहीं है।

वेद की शिक्षा (वैदिक मौखिक एवं श्रुति परंपरा/वेद पाठ/वेद ज्ञान परम्परा) केवल धार्मिक शिक्षा नहीं है। यह कहना अनुचित होगा कि वेदों का अध्ययन केवल धार्मिक निर्देश है। वेद केवल धार्मिक ग्रन्थ नहीं हैं और इनमें केवल धार्मिक सिद्धान्त ही नहीं हैं, बल्कि वेद शुद्ध ज्ञान के कोष है, मानव जीवन की कुञ्जी वेदों में है इसलिए, वेदों में निर्देश या शिक्षा को केवल "धार्मिक शिक्षा/धार्मिक निर्देश" के रूप में नहीं माना जा सकता है।

2004 की सिविल अपील संख्या 6736 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय (AIR 2013: 15 SCC 677); (निर्णय की दिनांक- 3 जुलाई 2013), जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में यह स्पष्ट है कि वेद केवल धार्मिक ग्रन्थ नहीं हैं। वेदों में गणित, खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान, रसायन विज्ञान, हाइड्रोलिक्स, भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, दर्शन, योग, शिक्षा, काव्यशास्त्र, व्याकरण, भाषा विज्ञान आदि के विषय सम्मिलित हैं, जिन्हें माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुपालन में प्रतिष्ठान एवं बोर्ड के माध्यम से वैदिक शिक्षा -

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में भारतीय ज्ञान प्रणाली 'संस्कृत ज्ञान प्रणाली' के रूप में भी जाना जाता है, उनके महत्त्व और पाठ्यक्रम में उनका समावेश और विविध विषयों के संयोजन में लचीले दृष्टिकोण को मजबूती से प्रदर्शित किया गया है। कला एवं मानविकी के छात्र भी विज्ञान सीखेंगे, प्रयास करना होगा कि सभी व्यावसायिक विषय और व्यावहारिक कौशलों (सॉफ्ट स्किल्स) को प्राप्त करें। कला, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में भारत की गौरवशाली परम्परा इस तरह की शिक्षा की ओर बढ़ने में सहायक होगी। भारत की समृद्ध, विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों और परम्पराओं को संयोजित करने और उससे प्रेरणा पाने हेतु यह नीति बनायी गयी है। भारत की शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य के महत्त्व, प्रासङ्गिकता और सुन्दरता की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। संस्कृत,

संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित एक महत्त्वपूर्ण आधुनिक भाषा है यदि सम्पूर्ण लैटिन और ग्रीक साहित्य को मिलाकर भी इसकी तुलना की जाए तो भी वह संस्कृत शास्त्रीय साहित्य की बराबरी नहीं कर सकता। संस्कृत साहित्य में गणित, दर्शन, व्याकरण, सङ्गीत, राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, धातुविज्ञान, नाटक, कविता, कहानी, और बहुत कुछ (जिन्हें “संस्कृत ज्ञान प्रणालियों” के रूप में जाना जाता है) के विशाल भण्डार हैं। विश्व विरासत के लिए इन समृद्ध संस्कृत ज्ञान प्रणाली विरासतों को न केवल पोषण और भविष्य के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए बल्कि हमारी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शोध कराकर इन्हें बढ़ाते हुए नए उपयोगों में भी रखा जाना चाहिए। इन सबको हजारों वर्षों में जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों द्वारा, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के एक विस्तृत जीवन्त दर्शन के साथ लिखा गया है। संस्कृत को रूचिकर और अनुभावात्मक होने के साथ-साथ समकालीन रूप से प्रासङ्गिक विधियों से पढ़ाया जाएगा। संस्कृत ज्ञान प्रणाली का उपयोग विशेष रूप से ध्वनि और उच्चारण के माध्यम से है। फाउंडेशन और माध्यमिक स्कूल स्तर पर संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों को संस्कृत के माध्यम से संस्कृत पढ़ाने (एस्.टी.एस्.) और इसके अध्ययन को आनन्ददायी बनाने के लिए सरल मानक संस्कृत (एस्.एस्.एस्.) में लिखा जाना है। ध्वन्यात्मकता और उच्चारण वेदों की मौखिक परम्परा पर लागू होता है। वैदिक शिक्षा ध्वन्यात्मकता और उच्चारण पर आधारित है।

कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं, आदि के बीच कोई स्पष्ट विभेद नहीं किया गया है। सभी ज्ञान की एकता और अखण्डता को सुनिश्चित करने के लिए, एक बहु-विषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहु-विषयक (Multi-Disciplinary) एवं समग्र शिक्षा के विकास पर बल दिया गया है। नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे, सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतान्त्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक सम्पत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चिन्तन, स्वतन्त्रता, उत्तरदायित्व, बहुलतावाद, समानता और न्याय पर जोर दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिन्दु क्रं. 4.23 में अनिवार्य विषयों, कौशलों और क्षमताओं का शिक्षाक्रमीय एकीकरण के विषय में निर्देश है। विद्यार्थियों को अपने व्यक्तिगत पाठ्यक्रम को चुनने में बड़ी मात्रा में लचीले विकल्प मिलेंगे, लेकिन आज की तेजी से बदलती दुनिया में सभी विद्यार्थियों को

एक अच्छे, सफल, अनुभवी, अनुकूलनीय और उत्पादक व्यक्ति बनने के लिए कुछ विषयों, कौशलों और क्षमताओं को सीखना भी आवश्यक है। वैज्ञानिक स्वभाव और साक्ष्य आधारित सोच, रचनात्मकता और नवीनता, सौंदर्यशास्त्र और कला की भावना, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति और संवाद, स्वास्थ्य और पोषण, शारीरिक शिक्षा, शारीरिक दक्षता, स्वास्थ्य और खेल, सहयोग और टीम वर्क, समस्या को हल करने और तार्किक चिन्तन, व्यावसायिक एक्सपोजर और कौशल, डिजिटल साक्षरता, कोडिंग और कम्प्यूटेशनल चिन्तन, नैतिकता और नैतिक तर्क, मानव और संवैधानिक मूल्यों का ज्ञान और अभ्यास, लिङ्ग संवेदनशीलता, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता कौशल और मूल्य, भारत का ज्ञान, पर्यावरण सम्बन्धी जागरूकता, जिसमें पानी और संसाधन संरक्षण, स्वच्छता और साफ-सफाई, समसामयिक घटना और स्थानीय समुदायों, राज्यों, देश और दुनिया द्वारा जिन महत्त्वपूर्ण मुद्दों का सामना किया जा रहा है उनका ज्ञान, भाषाओं में प्रवीणता के अलावा, इन कौशलों में सम्मिलित है। बच्चों के भाषा कौशल संवर्धन के लिए और इन समृद्ध भाषाओं और उनके कलात्मक निधि के संरक्षण के लिए, सार्वजनिक या निजी सभी विद्यालयों में सभी छात्रों को भारत की एक शास्त्रीय भाषा और उससे सम्बन्धित साहित्य सीखने का कम से कम दो साल का विकल्प मिलेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिन्दु क्र. 4.27 में “भारत का ज्ञान” के विषय में महत्त्वपूर्ण निर्देश है। “भारत का ज्ञान” में आधुनिक भारत और उसकी सफलताओं और चुनौतियों के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान - भारतीय ज्ञान प्रणाली जैसे गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, योग, वास्तुकला, चिकित्सा, कृषि, इंजीनियरिंग, भाषा विज्ञान, साहित्य, खेल के साथ –साथ शासन, राजव्यवस्था, संरक्षण आदि जहाँ भी प्रासंगिक हो, विषयों में सम्मिलित किया जाएगा। इसमें औषधीय प्रथाओं, वन प्रबन्धन, पारम्परिक (जैविक) फसल की खेती, प्राकृतिक खेती, स्वदेशी खेलों, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में प्राचीन और आधुनिक भारत के प्रेरणादायक व्यक्तित्वों पर ज्ञानदायी विषय हो सकेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिन्दु क्र. 11.1 में समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की ओर प्रवृत्त करने के निर्देश हैं। भारत में समग्र एवं बहु-विषयक विधि से सीखने की एक प्राचीन परम्परा पर बल दिया गया है, तक्षशिला और नालन्दा जैसे विश्वविद्यालयों के उल्लेख सहित 64 कलाओं के ज्ञान के रूप में गायन और चित्रकला, वैज्ञानिक क्षेत्र जैसे रसायनशास्त्र और गणित, व्यावसायिक क्षेत्र जैसे बढई का काम और कपड़े सिलने का कार्य, व्यावसायिक कार्य जैसे औषधि तथा अभियान्त्रिकी और साथ ही साथ

सम्प्रेषण, चर्चा और वाद-संवाद करने के व्यावहारिक कौशल (सॉफ्ट स्किल्स) भी सम्मिलित है। यह विचार है कि गणित, विज्ञान, व्यावसायिक विषयों और सॉफ्ट स्किल सहित रचनात्मक मानव प्रयास की सभी शाखाओं को 'कला' माना जाना चाहिए, जिसका मूल भारत है। 'कई कलाओं के ज्ञान' या जिसे आधुनिक समय में प्रायः 'उदार कला' कहा जाता है (अर्थात्, कलाओं की एक उदार धारणा) की इस धारणा को भारतीय शिक्षा में वापस लाया जाना चाहिए, क्योंकि यह ठीक उसी तरह की शिक्षा है जो 21वीं सदी के लिए आवश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिन्दु क्रं. 22.1 में भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन हेतु निर्देश हैं। भारत संस्कृति का समृद्ध भण्डार है – जो हजारों वर्षों में विकसित हुआ है, और यहाँ की कला, साहित्यिक कृतियों, प्रथाओं, परम्पराओं, भाषायी अभिव्यक्तियों, कलाकृतियों, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के स्थलों इत्यादि में परिलक्षित होता हुआ दिखता है। भारत में भ्रमण, भारतीय अतिथि सत्कार का अनुभव होना, भारत के आकर्षक हस्तशिल्प एवं हाथ से बने कपड़ों को खरीदना, भारत के प्राचीन साहित्य को पढ़ना, योग एवं ध्यान का अभ्यास करना, भारतीय दर्शनशास्त्र से प्रेरित होना, भारत के अनुपम त्यौहारों में भाग लेना, भारत के वैविध्यपूर्ण सङ्गीत एवं कला की सराहना करना और भारतीय फिल्मों को देखना आदि ऐसे कुछ आयाम हैं जिनके माध्यम से दुनिया भर के करोड़ो लोग प्रतिदिन इस सांस्कृतिक विरासत में सम्मिलित होते हैं, इसका आनन्द उठाते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं।

यही सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सम्पदा है भारत की इस सांस्कृतिक सम्पदा का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रसार, देश की उच्चतर प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि इस देश की पहचान के साथ-साथ इसकी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्त्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिन्दु क्रं. 22.2 में कलाओं के विषय में निर्देश हैं। भारतीय कला एवं संस्कृति का संवर्धन राष्ट्र एवं राष्ट्र के नागरिकों के लिए महत्त्वपूर्ण है। बच्चों में अपनी पहचान और अपनेपन के भाव तथा अन्य संस्कृतियों और पहचानों की सराहना का भाव पैदा करने के लिए सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति जैसी प्रमुख क्षमताओं को बच्चों में विकसित करना जरूरी है। बच्चों में अपने सांस्कृतिक इतिहास, कला, भाषा एवं परम्परा की भावना और ज्ञान के विकास द्वारा ही एकता,

सकारात्मक सांस्कृतिक पहचान और आत्म-सम्मान निर्मित किया जा सकता है। अतः व्यक्तिगत एवं सामाजिक कल्याण के लिए सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति का योगदान महत्त्वपूर्ण है।

प्रतिष्ठान की मुख्य वैदिक शिक्षा (वेदों की श्रुति या मौखिक परम्परा/वेद पाठ/वैदिक ज्ञान परम्परा) सहित अन्य आवश्यक आधुनिक विषय- संस्कृत, अंग्रेजी, मातृभाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, दर्शन, योग, वैदिक कृषि, भारतीय कला, SUPW आदि महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तकों की नींव/ स्रोत भारतीय ज्ञान परम्परा (IKS) विषयों की अनुप्रविष्टि (इनपुट) पर आधारित हैं। ये सभी निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के शैक्षिक चिन्तकों, प्राधिकरणों के परामर्श एवं नीति को ध्यान में रखते हुए प्रारूप पुस्तकें पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करायी गयी हैं। इन पुस्तकों को भविष्य में NCF के अनुरूप अद्यतन किया जाएगा और अन्त में प्रिन्ट रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के राष्ट्रीय आदर्श वेदविद्यालय के अध्यापक महानुभावों ने, वेद अध्यापन (वैदिक मौखिक एवं श्रुति परम्परा/वेद पाठ/वेद ज्ञान परम्परा) में समर्पित आचार्यों ने, सम्बद्ध वेद पाठशालाओं के संस्कृत एवं आधुनिक विषयों के अध्यापकों ने, आधुनिक विषय पाठ्यपुस्तकों को इस रूप में प्रस्तुत करने में पिछले दो वर्षों में अथक परिश्रम किया है। उन सभी को हृदय की गहराई से धन्यवाद समर्पण करता हूँ। राष्ट्र स्तर के विविध विशेषज्ञों ने समय-समय पर पधार कर पाठ्यपुस्तकों में गुणवत्ता लाने में विशेष सहायता प्रदान की है। उन सभी विशेषज्ञों एवं विद्यालयों के अध्यापक महानुभावों को भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ। अक्षर योजना हेतु, चित्राङ्कन हेतु, पेज सेटिंग हेतु मेरे सहयोगी कर्मचारियों ने कार्य किया है, उन सभी को हृदय की गहराई से कृतज्ञता समर्पण करता हूँ।

पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए रचनात्मक आलोचना सहित सभी सुझावों का स्वागत है।

आपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्।

बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्यप्रत्ययं चेतः ॥

(अभिज्ञानशाकुन्तलम् १.०२)

(जब तक विद्वानों को पूर्ण सन्तुष्टि न हो जाए तब तक विशिष्ट प्रयोग को सब तरह से सफल नहीं मानता क्योंकि प्रयोग में विशेष योग्यता प्राप्त विद्वान भी पहले प्रयोग के सफलता में आश्वस्त नहीं रहता है।)

प्रो. विरूपाक्ष वि जड्डीपाल्

सचिव

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड



पाठ्यपुस्तक के आलोक में

राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के आलोक में राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, भारत सरकार द्वारा संस्थापित महर्षि सान्दीपनि वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड, उज्जैन (म.प्र.) द्वारा देश भर में मान्यता प्राप्त वेद पाठशालाओं/गुरु शिष्य इकाइयों में अध्ययनरत वेद भूषण प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम एवं वेद विभूषण प्रथम और द्वितीय वर्ष तथा स्कूली शिक्षा में छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं, ग्याराहवीं एवं बाराहवीं कक्षा के छात्रों के लिए एन.सी.ई.आर.टी. एवं राज्य शिक्षा बोर्डों तथा भारतीय ज्ञान परम्परा विषयक विविध प्रकाशित स्रोतों के मानक अनुसार सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित विषय यथा भूगोल, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र आदि हमें, समाज को समझने में बहुविध सहायता प्रदान करते हैं। इसी समझ के आधार पर हम अपने भविष्य को व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से उत्कृष्टतम बनाने का प्रयत्न करते हैं। यह सम्पूर्ण विश्व हजारों-लाखों वर्ष पूर्व से समयानुरूप विविध घटनाओं और परिवर्तनों का परिणाम है। इन घटनाओं परिवर्तनों और परिणामों को जानने व समझने में सामाजिक विज्ञान की यह पाठ्यपुस्तक निश्चित ही सहायक है।

सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में अधिकांश विषयों को वैदिक वाङ्मय के सैद्धान्तिक स्वरूप और उपयोगिता को दृष्टि में रखकर जोड़ा गया है, जिससे अध्येताओं को भारतीयता और सांस्कृतिक गौरव का निश्चय ही अनुभव होगा। इस पुस्तक में विविध मानचित्रों, चित्रों एवं अद्यतन आँकड़ों को समाहित कर छात्रों के लिए अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है। पाठ्यपुस्तक निर्माण कार्य में समय समय पर माननीय सचिव महोदय का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक के विषय सङ्कलन, मन्त्र सङ्कलन, शब्द विन्यास, त्रुटि सुधार आदि की दृष्टि से राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय के समस्त आचार्यों एवं अध्यापकों का योगदान रहा है, विशेषतया श्री आयुष शुक्ला एवं श्री अभिजीत सिंह राजपूत जी का साथ ही विविध विद्यालयों के सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों श्री विजेन्द्र सिंह हाड़ा, श्री विक्रम बासनीवाल, श्री अनिल शर्मा, श्री मुकेश कुशवाहा, श्री लक्ष्मीकान्त मिश्र, श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री नरेन्द्र सिंह, श्रीमती अनुपमा त्रिवेदी, श्रीमती नेहा मैथिल जी का भी अभूतपूर्व सहयोग

प्राप्त हुआ है। इन सब के साथ टङ्कण कार्य में श्रीमती किरण परमार का कार्य अति सराहनीय रहा है। इस सहयोग के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद अर्पित करते हैं।

हमारा प्रयास सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक को वैदिक विद्यार्थियों के लिए सतत् अधिकतम उपयोगी बनाने का रहा है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक गतिशील विषय होने के कारण सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में पाठ्य सामग्री के संशोधन एवं परिवर्धन की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। इस सन्दर्भ में सम्मानित शिक्षकों, विषय विशेषज्ञों तथा सामाजिक विज्ञान में अभिरुचि रखने वाले विद्वानों के सुझावों का सदैव स्वागत है।

सादर धन्यवाद

दिनाङ्क-

डॉ. प्रकाश प्रपन्न त्रिपाठी
रविन्द्र कुमार शर्मा



विषयानुक्रमणिका

क्रम संख्या	अध्याय का नाम	पृष्ठ संख्या
	भूगोल	1
अध्याय-1	भारत के प्रमुख संसाधन भाग-1 (मृदा एवं जल)	2 - 12
अध्याय-2	भारत के प्रमुख संसाधन भाग- 2 (वन एवं वन्य जीव)	13 - 23
अध्याय-3	भारत के प्रमुख संसाधन भाग- 3 (खनिज एवं ऊर्जा)	24 -34
अध्याय-4	भारत में विनिर्माण उद्योग	35 - 47
	इतिहास	48
अध्याय- 5	औद्योगिक क्रान्ति	49 - 58
अध्याय- 6	भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन एवं स्वतन्त्रता प्राप्ति	59 - 69
अध्याय- 7	भूमण्डलीकृत विश्व का निर्माण	70 - 77
अध्याय- 8	स्वतन्त्रोत्तर भारत के 50 वर्ष	78 - 89
	राजनीति खण्ड	90
अध्याय- 9	लोकतन्त्र	91 - 98
अध्याय-10	भारतीय संविधान (संघवाद, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य)	99 - 109
अध्याय-11	भारत में लोक कल्याणकारी योजनाएँ	110 - 118
	अर्थशास्त्र खण्ड	119
अध्याय-12	भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एवं उसकी अधः संरचना	120 -131
अध्याय-13	विकास और उपभोक्ता जागरूकता	132 - 138
अध्याय-14	भारत में वैश्वीकरण और वित्तीय प्रणाली	139 - 148
अध्याय-15	भारत की वर्तमान समस्याएँ एवं निदान के प्रयास	149 – 156
	आदर्श प्रश्न पत्र	157 - 165



अध्याय-1

भारत के प्रमुख संसाधन भाग-1

(मृदा एवं जल)

इस अध्याय में- संसाधन से आशय, संसाधन का महत्त्व, संसाधनों के प्रकार, संसाधनों के अति दोहन से प्रभाव, संसाधनों का विकास, नियोजन, संरक्षण, मृदा संसाधन, जल संसाधन, जलसंसाधन की समस्याएँ व संरक्षण।

संसाधन से आशय- हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी है और जिसका उपयोग सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। जैसे- भूमि, जल, वायु, वन, खनिज आदि सभी संसाधनों के रूप हैं। संसाधन मानवीय जीवन एवं विकास के लिए आवश्यक है। बिना संसाधनों के कोई भी उद्योग व कृषि का विकास नहीं कर सकता। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से मनुष्य ने आवास, परिवहन एवं सञ्चार के साधनों, उद्योगों आदि का निर्माण एवं विकास किया है। ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधन मानव के विकास के लिए आवश्यक हैं। अथर्ववेद के निम्न मन्त्र में प्राकृतिक संसाधन के अन्तर्गत निवास करने योग्य भूमि का उल्लेख है। गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोरण्यं ते पृथिवि स्योनमस्तु। बभ्रुं कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपां ध्रुवां भूमिं पृथिवीमिन्द्रगुप्ताम्। अजीतोऽहतो अक्षतोऽध्यष्टां पृथिवीमहम्॥ (अथर्ववेद, 12/1/11) अर्थात् निवास योग्य तथा विभिन्न कार्यों में प्रयोग होने वाली भूमि का संरक्षण करने से वह सुखद होती है। हे भूमि! आपकी पहाड़ियाँ, हिमाच्छादित पर्वत, वन, पुष्टि देने वाली भूरे रङ्ग की मिट्टी, कृषि-योग्य काली मिट्टी, उपजाऊ लाल रङ्ग की मिट्टी अनेक रूपों वाली, सबका आश्रय स्थान, स्थिर भूमि पर अजेय, अवध्य और अक्षत रहकर हम निवास करें।

संसाधन का महत्त्व- संसाधन मानव जीवन को सरल व सुखद बनाते हैं। प्राचीन समय से ही मनुष्य पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति का कोई भी तत्व संसाधन तब ही माना जाता है, जब वह किसी मानवीय आवश्यकता की पूर्ति में सहायक हो। प्रायः संसाधन प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक साधनों को संसाधन बनाने का कार्य मानव द्वारा किया जाता है। मानव स्वयं भी एक संसाधन है। किसी भी देश के लिए शिक्षित, कुशल एवं स्वस्थ मनुष्य एक मूल्यवान संसाधन है। आज विश्व के वह देश जिनके पास अधिक संसाधन हैं उन्हें अधिक उन्नत एवं सम्पन्न माना जाता है। इसीलिए संसाधनों का हमारे जीवन में बड़ा महत्त्व है।

इस अध्याय में हम संसाधनों के प्रकारों को समझकर प्राकृतिक संसाधनों के अन्तर्गत मृदा एवं जल संसाधन का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे।

संसाधनों के प्रकार - संसाधन निम्न प्रकार के होते हैं-

1. उत्पत्ति के आधार पर
2. स्वामित्व के आधार पर
3. समाप्यता के आधार पर
4. विकास के स्तर के आधार पर

1. उत्पत्ति के आधार पर- उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं-

- **जैविक संसाधन-** वे संसाधन जिनमें जीव (जीवन) होता है या जीवमण्डल से प्राप्त होते हैं, जैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे- मानव, वनस्पति, पशुधन, पक्षी, मछली, कोयला आदि।
- **अजैविक संसाधन-** वे संसाधन जिनमें जीव (जीवन) नहीं होता है अर्थात् जो निर्जीव होते हैं, अजैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे- धातुएँ, वायु, पानी, पत्थर, भूमि आदि।

2. समाप्यता के आधार पर - समाप्यता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं-

- **नवीकरण योग्य संसाधन-** जिन संसाधनों को भौतिक, रासायनिक या यान्त्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे- जीव-जन्तु, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल आदि।
- **अनवीकरण योग्य संसाधन-** जिन संसाधनों को एक बार काम में लेने के बाद दूसरी बार काम में नहीं ले सकते तथा जिन्हें नवीकृत या पुनः उत्पन्न नहीं किया सकता है, उन्हें अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे- चट्टान, मिट्टी, खनिज, जीवाश्म ईंधन, धातुएँ आदि। इन संसाधनों के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए इनको नवीकृत करना सम्भव नहीं होता है। इनमें से कुछ संसाधन पुनः चक्रिय हैं। जैसे- धातुएँ तथा जीवाश्म ईंधन जैसे संसाधन अचक्रिय हैं।

3. स्वामित्व के आधार पर- स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं-

- **व्यक्तिगत संसाधन-** वे संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति का अधिकार या स्वामित्व होता है, उन्हें व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे- व्यक्ति की सम्पत्ति, स्वास्थ्य, दक्षता आदि।
- **सामुदायिक संसाधन-** वे संसाधन जिन पर समाज का अधिकार या स्वामित्व होता है, उन्हें सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे- कुआँ, बावड़ी, पार्क, श्मशान, चारागाह, तालाब आदि।
- **राष्ट्रीय संसाधन-** जिन संसाधनों पर सरकार का अधिकार या स्वामित्व होता है, उन्हें राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे- राष्ट्र की सम्पदा, सैन्य शक्ति, नागरिकों की देशभक्ति आदि।

- **अन्तर्राष्ट्रीय संसाधन-** जिन संसाधनों का नियन्त्रण अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है, उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे- समुद्र पर किसी भी देश का अधिकार उसकी तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी तक ही होता है। 200 समुद्री मील के आगे समुद्री क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय संसाधन है।

4. **विकास के स्तर के आधार पर-** विकास के स्तर के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं-

- **सम्भावी संसाधन-** वे संसाधन जिनका तकनीकी एवं योजना के अभाव में उपयोग नहीं हो पा रहा है परन्तु भविष्य में उपयोग की सम्भावना है, सम्भावी संसाधन कहते हैं। जैसे- बाँध बन जाने के बाद विद्युत उत्पादन करना, सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा ।
- **विकसित संसाधन-** जिन संसाधनों का सर्वेक्षण हो चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुकी है, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं।
- **भण्डार-** वे संसाधन जो उपलब्ध तो हैं परन्तु उनके सही तरीके से उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी का अभाव है, उन्हें भण्डार कहते हैं। जैसे- हाइड्रोजन ईंधन।
- **सञ्चित कोष-** जब तक किसी पदार्थ के गुण और मानवीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवश्यक प्रयोग ज्ञात न हों, तब तक वह पदार्थ गुप्त संसाधन कहलाता है, जैसे- पेट्रोलियम पदार्थ के गुण व प्रयोग जब तक मनुष्य को ज्ञात न थे, तब तक यह गुप्त संसाधन की श्रेणी में था। परन्तु आज पेट्रोलियम पदार्थों का प्रयोग अत्यधिक बढ़ा है।

संसाधनों के अति दोहन से प्रभाव- संसाधन मानव के अस्तित्व एवं जीवनयापन के लिए अति आवश्यक है। परन्तु मानव द्वारा संसाधनों के अति दोहन से कई समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं। जिन्हें हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं -

1. **संसाधनों का हास-** मानव जाति में बढ़ती भौतिकता एवं आर्थिक समृद्धि की होड़ के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन किया जा रहा है, जिससे संसाधनों का हास हुआ है।
2. **संसाधनों का केन्द्रीकरण-** संसाधनों पर समाज के कुछ ही लोगों का अधिकार हो गया है, जिससे समाज गरीब व अमीर दो भागों में बँट गया।
3. **वैश्विक पारिस्थितिकी संकट-** संसाधनों के अतिदोहन के कारण विश्व स्तरीय (वैश्विक) पारिस्थितिकी (पर्यावरणीय) समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं। जैसे- मृदा निम्नीकरण, पृथिवी के तापमान में वृद्धि, ओजोन परत का क्षय, पर्यावरण प्रदूषण आदि।

संसाधनों का विकास, नियोजन, संरक्षण- जीवन में सभी प्रकार के अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। पर्यावरण को बिना हानि पहुँचाए तथा वर्तमान से

भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर किये जाने वाले विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। भारत में प्रथम पञ्चवर्षीय योजना से ही देश के संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य रहा। संसाधनों के विवेकहीन उपयोग या अति दोहन के कारण कई आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। विश्व में संसाधन सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं। यदि इन संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग पर रोक नहीं लगी, तो भविष्य के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। जिसके प्रभाव से मानव जाति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि हम संसाधनों का संरक्षण करें।

मृदा संसाधन- पृथिवी पर पायी जाने वाली मृदा की ऊपरी परत जो चट्टानों तथा वनस्पति के योग से बनती है, उसे मृदा कहते हैं। मृदा मूल चट्टानों और जैव पदार्थों का सम्मिश्रण है जिसमें उपयुक्त जलवायु होने पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ उगती हैं। मृदा या मिट्टी सबसे महत्त्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। उच्चावच, जनक शैल, जलवायु, वनस्पति व अन्य जैव पदार्थ मृदा बनने की प्रक्रिया के मुख्य कारक हैं। कुछ सेन्टीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा पारिस्थितिकी तन्त्र का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। भारत की भूमि का लगभग 43% भाग मैदान है, जो उद्योगों एवं कृषि के विकास के लिए सुविधाजनक है। 30% भू-भाग पर पर्वत फैले हुए हैं। इन पर्वतों से सततवाही नदियाँ निकलती हैं जो कृषि, उद्योगों, पेयजल एवं घरेलू उपयोग के लिए जलापूर्ति करती हैं। देश के 27% भू-भाग पर पठार है। यह पठारी क्षेत्र खनिजों का भण्डार है। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से ही प्राप्त करते हैं।

मृदा के प्रकार- मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, मृदा का रङ्ग, गठन, गहराई, आयु तथा रासायनिक एवं भौतिक गुणों के आधार पर भारत में निम्नलिखित 6 प्रकार की मृदा पायी जाती है-

1. **जलोढ मृदा-** इस मृदा का निर्माण हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद और बालू के निक्षेपों से हुआ है। जलोढ मृदा में रेत, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। आयु के आधार पर जलोढ मृदा दो प्रकार की होती है- 1. खादर एवं 2. बांगर। नदियों द्वारा लाई गई नवीन मृदा को खादर कहते हैं। वहीं दूसरी ओर जहाँ नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता या नवीन मृदा का निक्षेप नहीं होता है उसे बांगर कहते हैं। जलोढ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। जलोढ मृदा गेहूँ, चावल, गन्ने, दलहन, तिलहन आदि के लिए उपयुक्त होती है। यह मृदा गङ्गा, यमुना, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों के विस्तृत घाटी क्षेत्रों और दक्षिणी प्रायद्वीप के सीमावर्ती क्षेत्रों में पायी जाती है। यह मृदा बहुत उपजाऊ होती है इसलिए इन क्षेत्रों जन घनत्व अधिक होता है।

2. **काली या रेगुर मृदा-** इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन के कारण हुआ है। इस मृदा का काला रङ्ग इसमें उपस्थित एल्युमीनियम और लोहे के यौगिकों के कारण होता है। मृदा के कण बहुत महीन होते हैं इसलिए इसकी नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ग्रीष्म ऋतु में इसकी नमी खत्म होने पर इसमें चोड़ी व गहरी दरारें पड़ जाती हैं जिससे इसमें वायु अच्छी तरह से मिश्रित हो जाती है। काली मृदा कपास के लिए उपयुक्त होती है। यह गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आदि राज्यों में पायी जाती है।
3. **लाल-पीली मृदा-** इस मृदा का लाल रङ्ग रवेदार आग्नेय और रूपान्तरित चट्टानों में लोहे के कारण और पीला रङ्ग इनमें जलयोजन के कारण होता है। इसका विकास रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। इस मृदा में जैविक पदार्थों की कमी होने के कारण कम उपजाऊ होती है। यह मृदा चावल, मक्का, मूंगफली, तम्बाकू एवं फलों के लिए उपयुक्त है। यह मृदा तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिणी-पूर्वी, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, मेघालय के पठारी भाग में पायी जाती है।
4. **लेटेराइट मृदा-** लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्ण एवं आर्द्र जलवायु दशाओं में होता है। यह अम्लीय होने कारण पौधों के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। केरल, तमिलनाडु एवं आंध्रप्रदेश की लाल लेटेराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त यह कर्नाटक, मध्यप्रदेश, असम, उड़ीसा और मेघालय के ऊँचे एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पायी जाती है।
5. **मरुस्थलीय मृदा-** यह मृदा लवणीय होती है। जैव पदार्थों (ह्यूमस) की कमी, बलुई एवं पथरीली मृदा, आर्द्रता की कमी आदि मरुस्थलीय मृदा की विशेषताएँ हैं। मरुस्थलीय मृदा की सतह के नीचे चूने के कारण इसमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है। इसके कण मोटे होने के कारण इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है। सिंचाई की उपलब्ध न होने पर यह बंजर पड़ी रहती है, इसमें मूंग, मोठ, बाजरा आदि की फसल की जाती है। मरुस्थलीय मृदा पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी पंजाबी क्षेत्रों में पायी जाती है।
6. **वन मृदा या पर्वतीय मृदा-** इस मृदा में वन अधिक होते हैं, जिससे इस मृदा में ह्यूमस की अधिकता होती है। ह्यूमस की अधिकता के कारण यह मृदा अम्लीय होती है। इस मृदा को पूर्ण विकसित मृदा नहीं माना जाता है लेकिन नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में यह मृदा उपजाऊ होती है। यह मृदा चाय, सेब, नाशपाती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड में यह मृदा पायी जाती है।

मृदा अपरदन - वनस्पति तथा कृषि के लिए पोषक तत्व मृदा में ही पाये जाते हैं। जल, वायु, मानव, पशु आदि के क्रियाकलापों से मिट्टी की ऊपरी परत (मृदा) का अपने मूल स्थान से हटाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। जब मृदा अपरदित हो जाती है, तो भूमि निम्नीकृत हो जाती है।

मृदा अपरदन के कारण : मृदा अपरदन के उक्त कारण हैं- मानव द्वारा वनों का विनाश, अत्यधिक पशु चारण, आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि करना, पवन अपरदन अवैज्ञानिक तरीके से कृषि इत्यादि।

मृदाक्षरण से हानियाँ-

1. मृदा अपरदन होने से वनस्पति नष्ट हो जाती है जिससे सूखे की लम्बी अवधि होती है।
2. जल के अतिरिक्त स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव तथा सिंचाई में कठिनाई आती है।
3. उच्चकोटि की मृदा के अपरदन से कृषि उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ना साथ ही कृषि योग्य भूमि में कमी आती है।

मृदा संरक्षण- वैदिक वाङ्मय के अन्तर्गत ऋग्वेद के निम्न मन्त्र में भू-संरक्षण का उल्लेख मिलता है।
पूर्वीरस्य निषिधो मर्त्येषु पुरू वसूनि पृथिवी विभर्ति। इन्द्राय द्याव ओषधीरुतापो रयिं रक्षन्ति जीरयो वनानी ॥ (ऋ. 3.51.5) अर्थात् राजा को धन, औषधि, जल आदि को धारण करने वाली पृथिवी की सुरक्षा करनी चाहिए।

बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। जिसमें अनेक प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने की समस्या पैदा हो गयी है। इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश रोकना आवश्यक है। मृदा संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं-

1. पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों में फसल उगाना।
2. खेतों में बाँधिकाएँ बनाकर नालीदार अपरदन को रोकना।
3. पवन की गति को पेड़ पौधों लगाकर मृदा अपरदन को रोकना।
4. पर्वतीय ढालों एवं ऊँचे-नीचे क्षेत्रों में बहते हुए जल का संग्रह करना।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों का विकास करना।

जल संसाधन- जल एक मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है। जल हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है। पृथिवी पर जीवन का आधार जल ही है। वनस्पति एवं जीव-जन्तुओं के शरीर में जल का अंश प्रधान होता है। मनुष्य के शरीर में 70 प्रतिशत जल होता है। जल के चार प्रमुख स्रोत हैं -

वैदिक वाङ्मय के अन्तर्गत ऋग्वेद के निम्न मन्त्र में चार प्रकार के जलों का उल्लेख हुआ है- या आपो दिव्या उत वा स्रवन्ति खनित्रिमा उत वा याः स्वयंजाः। समुद्रार्था याः शुचयः पावकास्ता आपो देवीरिह मामवन्तु। ऋग्वेद (7/49/2)

1. दिव्याः आप - आकाश से प्राप्त होने वाला जल।
2. समुद्रार्था आप - नदियों एवं जलधाराओं में बहने वाला जल।
3. खनित्रिमा आप - खनन द्वारा प्राप्त जल।
4. स्वयंजा आप - भूमि से रिसकर निकलने वाला भूजल।

बृहत्संहिता में भूमिगत जल जानने सूत्र दिये गये हैं, जो समाज के लिए उपयोगी हैं। इन सूत्रों में बेंत वृक्ष की मदद से भूजल का ज्ञान प्राप्त करने का सूत्र दिया है- यदि वेसतोऽम्बुरहिते देशे हस्तैस्त्रिभिस्ततः पश्चात्। सार्धं पुरुषे तोयं वहति शिरा पश्चिमा तत्र॥ चिह्नमपि चार्धपुरुषे मण्डूकः पाण्डुरोऽथ मृत् पीता। पुटभेदकश्च तस्मिन् पाषाणो भवति तोयमधः॥ (बृहत्संहिता 54/6-7) अर्थात् जलविहीन क्षेत्र में बेंत वृक्ष के पश्चिम में तीन हाथ (4.5 फीट या 53 इंच) दूर डेढ़ पुरुष (एक पुरुष बराबर पांच हाथ या 7.5 फीट) की गहराई पर पानी मिलेगा। इस निष्कर्ष का आधार पश्चिमी शिरा है, जो जमीन के नीचे के पानी के मिलने वाले स्थान से बहती है। आगे कहा गया है कि एक पुरुष खुदाई करने पर हल्के पीले रङ्ग का मेंढक मिलता है, तो उसके बाद पीले रङ्ग की मिट्टी, तत्पश्चात् सपाट स्तरों वाला पत्थर मिलेगा। इस सपाट परतदार पत्थर के नीचे जल मिलेगा। इन दोनों सूत्रों के अनुसार 11.25 फीट की गहराई पर पानी मिलता है।

1. **पृथ्वीय जल-** भूपृष्ठ पर जल वर्षा व बर्फ के पिघलने से प्राप्त होता है। ऋग्वेद में जल चक्र हाइड्रॉलॉजिकल साइकिल का संकेत मिलता है। इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्य रोहयद्विवि। विगोभिरद्रिमैरयत॥ ऋग्वेद (1/7/3) अर्थात् ईश्वर ने सूर्य उत्पन्न किया जिससे संसार प्रकाशित हुआ और इसी सूर्य के ताप से जल वाष्प बनकर ऊपर मेघों में परिवर्तित होकर फिर पृथिवी पर वर्षा के रूप में आता है। वर्षा का कुछ जल बहकर तालाबों व झीलों में एकत्रित हो जाता है। अधिकांश जल बहकर नदियों में चला जाता है जो बाद में सागर व महासागर में पहुँचता है पृथ्वीय जल कहलाता है। भारत में कुल पृथ्वीय जल का लगभग 60 प्रतिशत भाग तीन प्रमुख नदियों सिंधु, गङ्गा और ब्रह्मपुत्र में से होकर बहता है। संसार की बड़ी नदियों में ब्रह्मपुत्र और गङ्गा का क्रमशः आठवा तथा दसवाँ स्थान है।
2. **भौम जल-** वर्षा जल का कुछ अंश भूमि द्वारा सोख लिया जाता है जिसे हम भूमिगत जल या भौम जल कहते हैं। सोखा हुआ जल धरातल के नीचे अभेद्य चट्टानों तक पहुँचकर एकत्रित हो जाता है। अथर्ववेद में- शंनः खनित्रिमा आपः अर्थात् खोदकर निकाला गया जल अर्थात् भौम जल हमें सुख दे। यह जल कुओं व ट्यूबवेलों के द्वारा भूपृष्ठ पर लाया जाता है जिसका उपयोग हम कृषि भूमि की सिंचाई, बागवानी, उद्योग आदि करते हैं। प्रायः देश में भौम जल का वितरण बहुत असमान है।

समतल मैदानी भागों में भौम जल की मात्रा अधिक है। महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि दक्षिणी राज्यों में अभेद्य चट्टानों के कारण बहुत कम मात्रा में वर्षा का जल भूमि सोख पाती है।

3. वायुमण्डलीय जल- वर्षा जल का कुछ अंश भाप बनकर वायुमण्डल में लौट जाता है जिसे वायुमण्डलीय जल कहते हैं। जल वाष्प रूप में होने के कारण इस जल का उपयोग नहीं हो पाता।

4. महासागरीय जल- देश के पश्चिम, पूर्व व दक्षिण में क्रमशः अरब सागर, बङ्गाल की खाड़ी और हिन्द महासागर है। इस जल का उपयोग मुख्यतः जलपरिवहन और मत्स्योद्योग में होता है।

जल के उपयोग- जल का उपयोग मुख्य रूप से पीने, भोजन बनाने, सफाई हेतु तथा सिंचाई, जलविद्युत उत्पादन, उद्योग, परिवहन, मनोरंजन आदि के लिए होता है। जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। देश में सिंचाई की प्रथा प्राचीनकाल से चली आ रही है। सिंचाई के तीन प्रमुख साधन हैं- 1. नहरें, 2. कुँए और नलकूप, 3. तालाब।

जलसंसाधन की समस्याएँ व संरक्षण- जल संसाधन की समस्या का सम्बन्ध संसाधन की उपलब्धता,



उपयोग, गुणवत्ता तथा प्रबन्धन से है। भारत में स्वतन्त्रता के समय सिंचाई व उद्योगों के लिए जल पर्याप्त रूप से उपलब्ध था परन्तु अब देश में जनसंख्या वृद्धि के कारण सभी क्षेत्र में जल में कमी हो रही है। ग्रीष्म ऋतु में जल संसाधन का अभाव प्रायः सम्पूर्ण दक्षिण भारत में होता है, जबकि वर्षा ऋतु में जल की कमी नहीं है। विद्युत प्रदाय की स्थिति भी जल संसाधन की

चित्र- 1.1 जोहड

उपलब्धता निर्भर है। इन कारणों से जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संरक्षण और प्रबन्धन आवश्यक है। जल संसाधनों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित तीन कदम आवश्यक हैं-

- वर्षा जल संग्रहण तथा इसके अपवाह को रोकना।
- छोटे - बड़े सभी नदी जल संग्रहण क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबन्ध करना।
- जल को प्रदूषण से बचाना

वर्षा जल का उचित प्रबन्ध कर संग्रह करना वर्षा जल संरक्षण कहलाता है। मानसून काल में जल को बांधो, तालाबों, झीलों अथवा छोटे जल स्रोतों में एकत्रित करके शेष अवधि में प्रयोग लिया जा सकता है। भारतीय संस्कृति में जल को अमृत एवं जीवन भी कहा गया है।


जिसके प्रति संवेदनशीलता के कारण देश के शासकों, सेठ-साहूकारों तथा स्थानीय नागरिकों ने गाँवों तथा नगरों में कुएँ, तालाब तथा झीलों का निर्माण कराया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार

चन्द्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, जो गुजरात के जुनागढ़ में है। दक्षिण भारत के चालुक्य शासकों द्वारा विभिन्न आणेकटों तथा बांधों का निर्माण कराया गया। जिनमें वर्षा जल को एकत्रित करके बाद में उससे सिंचाई की जाती थी।



प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ-साथ जल संरक्षण एवं संग्रहण के ढाँचे भी पाये जाते हैं। उस समय लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकीय

चित्र- 1.2 टांका



चित्र- 1.3 छत वर्षा जल संरक्षण

परिस्थितियों और उनकी आवश्यकतानुसार वर्षा जल, भूमिजल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेकों युक्ति विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने 'गुल' अथवा 'कुल' (पश्चिमी हिमालय) जैसी वाहिकाएँ नदी की धारा को मोड़कर कर खेतों में सिंचाई के संसाधन बनाये हैं। पश्चिमी बङ्गाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएँ बनाते थे। शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संरक्षित करने के लिए गडढे बनाये जाते थे, ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए

उपयोग में लाया जा सके। कई राज्यों में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण/संरक्षण का ढग आज भी अपनाया जाता है।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

- निम्न में से..... प्राकृतिक संसाधन है।

अ. जल	ब. भूमि	स. वन	द. ये सभी
-------	---------	-------	-----------
- काजू की फसल के लिए..... उपयुक्त मृदा है।

अ. लेटराइट	ब. मरुस्थली	स. काली	द. जलोढ़
------------	-------------	---------	----------

3. निम्न में सेभूमि निम्नीकरण का कारण है।
 अ. खनन ब. अत्यधिक पशुचारण स. मृदा अपरदन द. ये सभी
4.अनवीकरण योग्य संसाधन है।
 अ. सौर ऊर्जा ब. पवन ऊर्जा स. जीवाष्म ईंधन द. जल

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. भारत की सबसे महत्त्वपूर्ण मृदा है। (जलोढ/रेगुर)
 2. वनस्पति, पशुधन संसाधन है। (जैविक/अजैविक)
 3. जिन संसाधनों पर सरकार का अधिकार है, संसाधन है। (सामुदायिक/राष्ट्रीय)

सत्य/असत्य बताइए-

1. संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन कहलाता है। (सत्य/असत्य)
 2. कम्प्यूटर प्राकृतिक संसाधन है। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| 1. जलोढ मृदा | क. तमिलनाडु, कर्नाटक |
| 2. लाल पीली मृदा | ख. पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र |
| 3. मरुस्थलीय मृदा | ग. उत्तरी राजस्थान, पञ्जाब |

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. संसाधन किसे कहते हैं ?
2. मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है ?
3. मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं ?
4. भारत का कितना % क्षेत्र मैदानी है ?
5. मरुस्थलीय मृदा कहाँ-कहाँ पायी जाती है ?
6. भौम जल पाने के स्रोत क्या है ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? वर्णन कीजिए।


2. काली मृदा की क्या-क्या विशेषताएँ हैं?
3. संसाधनों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? वर्णन कीजिए।
4. संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? भारत में संसाधन नियोजन को समझाइए।
5. वर्षा जल का संग्रहण क्यों आवश्यक है ?
6. जल संसाधन की समस्याएँ व संरक्षण पर प्रकाश डालिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. मृदा किसे कहते हैं? भारत में पायी जाने वाली मृदाओं का वर्णन कीजिए।
2. जल संसाधन के प्रमुख स्रोत क्या है? जल संसाधन का मानव जीवन में क्या महत्त्व है ?
3. जल संरक्षण क्यों आवश्यक है ? इसके उपायों का वर्णन कीजिए।

परियोजना कार्य-

1. अपने आस-पास के क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों की सूची बनाइये।



अध्याय-2

भारत के प्रमुख संसाधन भाग - 2

(वन एवं वन्य जीव)

इस अध्याय में- वन संसाधन, भारत में वनों के प्रकार, भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का महत्त्व, भारत में वनों का संरक्षण, वन्य संसाधन का संरक्षण, विलुप्त हो रहे वन्यप्राणी के लिये परियोजना, भारत में वन्य जीव, बाघ परियोजना।

वैदिक विद्यार्थियो ! पृथिवी पर मनुष्यों के अतिरिक्त भी अनेक प्रकार जीव निवास करते हैं। इनमें सूक्ष्म जीवों से लेकर विशाल हाथी और हेल मछली तक सम्मिलित हैं। विविध जातियों के आवासों के रूप में यह पृथिवी जैव विविधताओं से युक्त है। ये सभी मिलकर एक परिपूर्ण एवं जटिल पारिस्थितिकी तन्त्र का निर्माण करते हैं, और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्त्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं और मृदा जो अनाज उत्पन्न करती है। पौधे, पशु और सूक्ष्मजीवी इनका पुनः सृजन करते हैं। वन प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। इनकी पारिस्थितिकी तन्त्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

वन संसाधन- पृथिवी का वह विस्तृत क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक वनस्पति के रूप में वृक्षों की प्रधानता है वन कहलाते हैं। वन प्रकृति की अमूल्य देन है। वैदिक वाङ्मय में अन्तर्गत ऋग्वेद के निम्न मन्त्र में वन संसाधन को मानव जीवन के लिए मूल्यवान बताया है।

शतंवोअम्बधामानिसहस्रमुतवोरुहः। अधाशतकत्वोयूयमिममेअगदंकृत॥

ओषधीःप्रतिमोदध्वंपुष्पावतीःप्रसूवरीः। अश्वाइवसजित्वरीर्वीरुधःपारयिष्णवः॥ (ऋ.10.97.2-3)

अर्थात् सोम वनस्पति को ऊर्जावान, स्फूर्तिदायक और बलवर्धक माना गया है तथा वनस्पतियों को देवतुल्य माना है। अर्थात् यह महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं।

पर्यावरण मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा सन् 2019 में जारी की गई रिपोर्ट में वन क्षेत्र, वृक्षावरण, मैंग्रोव क्षेत्र, वन क्षेत्रों के अन्दर और बाहर बढ़ते स्टॉक, वनों में उत्सर्जित कार्बन, वन प्रकार और जैव विविधता और विभिन्न ढलानों एवं ऊँचाई पर वन क्षेत्र की जानकारी दी गई है। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में वनक्षेत्र या वृक्षावरण 8,07,276वर्ग किलोमीटर हैं, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 24.56 % हैं। जबकि भारत में कुल भू-भाग के 33 % क्षेत्र में वन होने चाहिये। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र

वाले राज्य महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिसा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड हैं।

भारत में वनों के प्रकार- भारत में जलवायु की विविधता एवं धरातलीय असमानताओं के कारण विभिन्न प्रकार के वन पाये जाते हैं। वनों की इतनी विविधता विश्व के किसी अन्य देश में नहीं मिलती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में पेड़-पौधों की लगभग 47,000 प्रजातियाँ हैं 5000 प्रजातियाँ तो ऐसी है जो केवल भारत में ही मिलती हैं। भारत में वितरण के आधार पर निम्न प्रकार के वन पाये जाते हैं -

1. **सदाबहार वन-** ये वन देश के उन भागों में मिलते हैं, जहाँ औसत वर्षा 200 से.मी. से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 240 से.ग्रे. के लगभग रहता है। इन वनों में मुख्य रूप से रबर, महोगनी, एबोनी, लौह काष्ठ, जङ्गली आम, ताड़ आदि वृक्ष या बांस तथा कई प्रकार की लताएँ पायी जाती हैं। वृक्षों की सघनता अधिक होती है। ये वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तरी-पूर्वी भारत में बङ्गाल, असम, मेघालय और तराई प्रदेश आदि क्षेत्रों में पाये जाते हैं।
2. **पतझड़ी या मानसूनी वन-** ये वन उन क्षेत्रों में पाये जाते हैं, जहाँ 100 से.मी. से 200 से.मी. तक औसत वार्षिक वर्षा होती है। इन वनों के प्रमुख वृक्ष साल, सागवान, नीम, चन्दन, रोजवुड, आंवला, शहतूत, एबोनी, आम, शीशम, बाँस आदि हैं। भारत में ये वन उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के निचले भाग, विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वत, छोटा नागपुर व असम की पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट के दक्षिणी भाग एवं पश्चिम घाट के पूर्वी भाग में पाये जाते हैं।
3. **शुष्क वन-** ये वन उन क्षेत्रों में पाये जाते हैं, जहाँ वर्षा का वार्षिक औसत 50 सेमी से 100 सेमी तक होता है। इन वनों के प्रमुख वृक्ष बबूल, नीम, आम, महुआ, करील, खेजड़ी आदि हैं। इन वृक्षों में जल की कमी सहन करने की क्षमता अधिक होती है। ये वन पश्चिमी पञ्जाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान व दक्षिणी-पश्चिमी उत्तरप्रदेश आदि में पाये जाते हैं।
4. **मरुस्थलीय वन -** ये वन 50 सेमी से कम वर्षा वाले भागों के पाये जाते हैं। इन वनों के वृक्षों में पत्तियाँ कम, छोटी तथा काँटेदार होती हैं। बबूल, नागफनी, रामबांस, खेजड़ी, कैर, खजूर आदि यहाँ की प्रमुख वनस्पति हैं। ये वन दक्षिणी-पश्चिमी पञ्जाब, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा आदि राज्यों में पाये जाते हैं।

5. **ज्वारीय वन-** ज्वार-भाटे के समय समुद्र का अग्रसित जल वृक्षों की जड़ों को सींचता है इसलिए इन्हें ज्वारीय वन या दलदली वन कहते हैं। इन वनों के सुन्दरी वृक्ष गङ्गा-ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में विशेष रूप से पाए जाते हैं। अन्य वृक्ष ताड़, नारियल, हैरोटीरिया, राइजोफोरा, सोनेरेशिया आदि हैं। ये वन महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रायद्वीपीय नदियों के मुहानों पर पाये जाते हैं।
6. **पर्वतीय वन-** इन वनों में वृक्षों की पत्तियाँ घनी व सदाबहार तथा टहनियों पर लताएँ छाई रहती हैं। अधिक ऊँचे भागों में यूजेनियाँ, मिचेलिया व रोडेनड्रॉस आदि वृक्ष मिलते हैं। 1000 से 2000 मीटर ऊँचाई पर चौड़ी पत्ती वाले ओकत तथा चेस्टनट, 1500 से 3000 मीटर की ऊँचाई पर शंकुधारी वृक्ष जैसे देवदार, स्पूस, चीर इत्यादि तथा 3500 से अधिक ऊँचाई पर अल्पाइन वनस्पति जैसे- बर्च, जूनiper इत्यादि पाए जाते हैं। ये वन दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र के महाबलेश्वर तथा मध्यप्रदेश के पञ्चमढी तथा हिमालय के ऊँचे भागों में पाए जाते हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का महत्त्व- वन एक राष्ट्रीय सम्पत्ति है। वनों से हम आवसीजन, पानी, भोजन, जलवायु, भूक्षरण को रोकने की क्षमता और लकड़ी प्राप्त करते हैं। वृक्ष लगाना न केवल आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है, अपितु पर्यावरण की शुद्धि के लिए भी आवश्यक है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वनों के महत्त्व को दो भागों में बाँट सकते हैं- 1. प्रत्यक्ष लाभ 2. अप्रत्यक्ष लाभ

वन से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ- लकड़ी की प्राप्ति वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है जो कि ईंधन का महत्त्वपूर्ण साधन है। वनों से सहायक उपजों के रूप में लाख, गोंद, शहद, कत्था, मोम, छालें, बाँस, अनकों जड़ी-बूँटियाँ एवं जानवरों के सींग आदि मिलते हैं ये लाभकारी उद्योगों के आधारभूत तत्व हैं। वनों से कच्चे पदार्थ से कई उद्योग चल रहे हैं जिससे करोड़ों व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। वनक्षेत्र एक उत्तम चारागाह स्थल है जहाँ जानवरों के लिए घास व पत्तियों मिलती हैं। वनों से प्राप्त लाख, तारपीन का तेल, चन्दन का तेल, लकड़ी से बनी वस्तुओं को निर्यात करने से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। वनों से प्राप्त वस्तुओं जैसे तेंदूपत्ता, बेंत, शहद, मोम आदि से कई लघु उद्योग चल रहे हैं। वनों से सरकार को राजस्व रूप में करोड़ों रुपये की प्राप्ति होती है।

वनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ- वनों के अप्रत्यक्ष के पोषक तत्वों में कमी नहीं होती एवं मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। मिट्टी के कटाव में कमी वनों के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह नहीं तेज वर्षा में भी नहीं बह पाती है। जलवायु को सम बनाये रखता है। वन पानी के वेग को कम कर देते जो बाढ़ नियन्त्रण में सहायक होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि “यदि रेगिस्तान के बढ़ते हुए प्रसार को रोककर मानव सभ्यता की रक्षा करनी है तो वन सम्पदा के क्षय को अवश्य रोकना होगा।” वन बादलों को अपनी ओर आकर्षित करने से वर्षा होती है जिससे भू-जलस्तर में वृद्धि होती है। यदि वृक्षों के कटाव की वर्तमान

स्थिति बनी रही तो वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जायेगी। विद्यार्थियों ! क्या आप जानते हैं कोरोना महामारी में ऑक्सीजन के अभाव में मानव समुदाय कैसा संकट में पड़ था ?

भारत में वनों का संरक्षण- स्वतन्त्रता के पूर्व भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1894 में वन नीति के अनुसार वनों की देखरेख एवं विकास हेतु हर राज्य में वन विभाग की स्थापना की गई। इस नीति के दो मुख्य उद्देश्य थे- राजस्व प्राप्ति और वनों का संरक्षण।

स्वतन्त्रता के बाद भारत में वन संरक्षण-

1. भारत में सन् 1950 को एक केन्द्रीय वन बोर्ड की स्थापना की गई। जिसमें वनों के सम्बन्ध में नवीन नीति की मुख्य चार बातें थीं-
 - वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 33.3 प्रतिशत करना
 - नये वनों को लगाना
 - वनों को सुरक्षित करना
 - वनों के सम्बन्ध में अनुसंधान करना।
2. 7 दिसम्बर, 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गई। जिसके तीन लक्ष्य थे –
 - पर्यावरण में स्थिरता लाना
 - जीव-जन्तुओं व वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण करना
 - लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करना।
3. वर्ष 1988 की घोषित राष्ट्रीय वन नीति को क्रियाशील बनाने के लिए 1999 में एक 20 वर्षीय राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना लागू की गई।

भारत में वन संरक्षण के अन्तर्गत चल रहे कार्यक्रमों समय-समय पर सर्वेक्षण किया जाता है हाल ही में 13 जनवरी, 2022 को पीआईबी दिल्ली द्वारा वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जारी कि गई जिसमें बताया-

- पिछले दो वर्षों में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2,261 वर्ग किमी की बढ़ोतरी हुई है।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है।
- वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी आंध्र प्रदेश (647 वर्ग किमी) में दर्ज की गई, इसके बाद तेलंगाना (632 वर्ग किमी) और ओडिशा (537 वर्ग किमी) का स्थान है।
- 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का 33 प्रतिशत से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनों से पटा है।
- देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 79.4 मिलियन टन की बढ़ोतरी के साथ 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है।

➤ देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र 4,992 वर्ग किमी है, इसमें 17 वर्ग किमी क्षेत्र की वृद्धि दर्ज की गई।

वन सर्वेक्षण के निष्कर्षों को साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने बताया कि देश का कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62 प्रतिशत है। वर्ष 2019 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2,261 वर्ग किमी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

वन्य संसाधन- वनों के साथ-साथ वन्य जीव भी मानव के लिए महत्वपूर्ण संसाधन हैं। वन्य जीवों से मांस, खाल, हाथीदाँत आदि प्राप्त होते हैं। वनों के साथ-साथ मानव ने वन्य प्राणियों का भी विनाश किया है। इससे वन के जीवों का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। बाघ, सिंह, हाथी, गेंडे आदि की संख्या में निरन्तर कमी आ रही है। आने वाले कुछ ही वर्षों में वन्य प्राणियों की कुछ प्रजातियाँ पूर्णतः विलुप्त हो जाने की सम्भावना है। इन्हें पर्यावरण संतुलन के लिए वन्यप्राणियों का संरक्षण आवश्यक है। वनों रहने वाले इन जीव किस स्थान पर रहते हैं, इस विषय में ऋग्वेद के निम्न मन्त्र में मिलता है- **अश्विना हरिणाविव गौराविवानु यवसम्।** (ऋ. 5.78.2) अर्थात् हिरण-मृग आदि पशुओं का निवास स्थान हरा घास का जंगल होता है।

वन्य प्राणियों के संरक्षण के उपाय- वनों में वन्य प्राणियों के दुर्दशा को बचाने हेतु निम्नलिखित प्रयास किये जा सकते हैं-

- वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना नुकसान पहुँचाए प्रबन्धन इत्यादि कार्य करना।
- वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाना।
- वन्य क्षेत्रों में जैव मण्डल रिजर्व की स्थापना।
- भारत जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध देश है।
- वन्य जीवों के प्रति लोगों के रवैये में परिवर्तन हेतु शिक्षा एवं जागरूकता विकास करना।
- वन्य जीव प्रबन्धन की योजनाओं को ईमानदारी से लागू करना।
- राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य लुप्त हो रहे जीवों का पुनर्विस्थापन के लिए राष्ट्रीय पार्क, अभयारण्यों की स्थापना करना।

अन्तर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार भारत में पाये जाने वाले वन्यप्राणियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है-

सामान्य जातियाँ- वे जातियाँ जो मानव के क्रिया कलापों में सहायक होती हैं, सामान्य जातियाँ कहलाती हैं। इसके अन्तर्गत पालतु पशु आते हैं।

संकटग्रस्त जातियाँ- वे जातियाँ, जिन पर निकट भविष्य में विलुप्त होने का संकट होने सम्भावना है। संकटग्रस्त जातियाँ कहलाती हैं। जैसे- काला हिरण, शेर, गेंडा आदि।

सुभेद्य जातियाँ- वे जातियाँ जिनकी संख्या कम हो रही है, उन्हें सुभेद्य जातियाँ कहते हैं। यदि इनकी विपरीत परिस्थितियों को नहीं बदला गया तो ये जातियाँ भी संकटग्रस्त जातियाँ बन जाएँगी जैसे- एशियाई भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी, हिमालय के भूरे भालू, गङ्गा नदी की डाल्फिन आदि।

दुर्लभ जातियाँ- जिन जातियों की संख्या बहुत कम है, उन्हें दुर्लभ जातियाँ कहते हैं। गङ्गा डाल्फिन, हार्नबिल आदि।

स्थानिक जातियाँ- क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली जातियों को स्थानिक जातियाँ कहते हैं, जैसे- राजस्थान का चिंकारा, निकोबारी कबूतर, जङ्गली सुअर और अरुणाचल के मिथुन आदि।

लुप्त जातियाँ- वे जातियाँ जो पृथिवी से ही समाप्त हो चुकी हैं, उन्हें लुप्त जातियाँ कहते हैं, जैसे- एशियाई चीता, गुलाबी सिरवाली बतख आदि।

भारत में वन्य जीव- भारत में विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी बड़ी संख्या में पाये जाते हैं। यहाँ प्राणियों की लगभग 75,000 प्रजातियाँ पायी जाती हैं। उनमें 350 स्तनधारी, 1313 पक्षी, 408 सरीसृप, 197 उभयचर, 2546 मछलियाँ, 50,000 कीट, 40,000 मोलस्क तथा अन्य बिना रीढ़ वाले प्राणी हैं। यह विश्व का कुल 13 % हैं। स्तनधारी जीवों में हाथी सबसे विशाल काय प्राणी है। एक सींग वाले गैंडे पश्चिमी बङ्गाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। भारत, विश्व का एकमात्र देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात में गिर के जंगल हैं।

विलुप्त हो रहे वन्यप्राणी के लिये परियोजना- वैदिक वाङ्मय में वन्य जीव संरक्षण के प्रति जनमानस की जागरूकता का विशद(स्पष्ट) विवेचन है। आज यह मुद्दा भले ही प्रवर्तन के कारण नया मालुम पडता है परन्तु इसकी जड़ें हमारी संस्कृति के प्राचीनतम् धरोहर वेदों में व्याप्त है। हमारे पर्यावरण के सभी जीव परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। इनकी उपयोगिता के कारण समस्त जीवों का संरक्षण हमारी संस्कृति का अभिन्न अङ्ग है। जब कहा जाता है कि- **तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः** (ऋ. 1/89/4) अर्थात् जब पृथिवी माता और आकाश पिता है, तो निश्चय ही वे हमें सम्पूर्ण पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए प्रेरित करते हैं। अथर्ववेद में इस तथ्य को और पुष्ट किया गया है- **सर्वो वै तत्र जीवति गौरश्च पुरुषः पशुः। यत्रेदं ब्रह्म क्रियते परिधिर्जीवनाय कम्॥ (8/2/25)** इस मन्त्र में ईश्वर द्वारा सभी प्राणियों को जीवन जीने का समान अधिकार प्रदत्त है। अतः इनकी हिंसा नहीं की जानी चाहिए। भारत में वन्य जीव संरक्षण की दृष्टि से राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों को वरीयता दी गई। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1905 ई. में असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। स्वतन्त्रता के बाद भारत में सन्

1970 तक पाँच राष्ट्रीय उद्यान थे। 1972 ई. में भारत ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और टाइगर परियोजना को संरक्षण के लिए अधिनियम पारित किया गया और इसी समय 1972 ई. में शेर परियोजना आरम्भ की गई। बाघ परियोजना 1973 ई. में आरम्भ की गई। घड़ियाल परियोजना 1974 ई. में आरम्भ की गई। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक पाण्डा है।

बाघ परियोजना (Project Tiger)- सन् 1973 में हमें पता चला की देश में 1827 बाघ ही बचे हैं। बाघों का व्यापार आदि के लिए शिकार करना, प्राकृतिक आवासों की कमी होना, भोज्य पदार्थों की कमी होना एवं जनसंख्या में वृद्धि आदि से इनकी संख्या में कमी हुई। बाघों की संख्या बढ़ाने (वृद्धि करने) तथा संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। बाघों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना (प्रोजेक्ट टाइगर) की शुरुआत की गई। अखिल भारतीय बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार आज भारत में बाघों की संख्या 2967 हैं।

जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान- इसकी स्थापना 1936 में बङ्गाल बाघ की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप उत्तराखण्ड राज्य के नैनीताल जिले में की गई थी। इस उद्यान का नाम प्रसिद्ध शिकारी एवं लेखक जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था। इनकी 'माई इण्डिया' पुस्तक बहुत चर्चित हुई।

सुन्दरवन राष्ट्रीय उद्यान- सुन्दरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बङ्गाल राज्य में गङ्गा नदी के सुन्दरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र मेन्ग्रोव के घने जङ्गलों से घिरा हुआ है। यहाँ पक्षियों, सरीसृपों तथा रीढ़विहीन जीवों की कई प्रजातियाँ भी पायी जाती हैं। 14 मई, 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यहाँ बाघ भी पाये जाते हैं।



चित्र- 2.1 रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान

रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान- रणथम्भौर को भारत सरकार द्वारा 1955 में राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में खेल अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। रणथम्भौर को टाइगर रिजर्व 1 नवम्बर, 1980 को रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया

था। इस उद्यान में बाघों की संख्या बढ़ोत्तरी हुई है।

सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान- सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यह अभयारण्य 1958 में बनाया गया था और 1979 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अधीन लाया गया।



चित्र- 2.2 सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान

अरावली पहाड़ियों में 800 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला सरिस्का मुख्य रूप से टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है।

पेरियार राष्ट्रीय उद्यान- पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य के पश्चिमी तटों के मैदानी क्षेत्रों में स्थित है। इस उद्यान की स्थापना 1950 में की गई थी। 1978 में टाइगर रिजर्व शुरू किया गया और वर्ष 1998 में हाथी संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत भी



चित्र- 2.3 पेरियार राष्ट्रीय उद्यान



चित्र- 2.4 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान

लाया गया है। यहाँ हाथी, नील गाय, साम्भर, भालू, चीता, तेन्दुआ आदि जङ्गली जानवर भी पाये जाते हैं।

कान्हा राष्ट्रीय उद्यान- कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मध्यप्रदेश के बालाघाट जिला का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह बाघ आदि जङ्गली जानवरों के आवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना 1955 में की गई थी और वर्ष 1977 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के अन्तर्गत लिया गया था। इस अभयारण्य में दुर्लभ बारहसिंगा भी पाया जाता है, जो सम्पूर्ण विश्व में यहाँ के अलावा कहीं भी नहीं मिलते हैं।

बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान- यह राष्ट्रीय उद्यान मध्यप्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा है। बाघों का गढ़ (बांधवगढ़) 448 वर्ग किलोमीटरके क्षेत्र में फैला है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी और 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के अन्तर्गत लिया गया है। इसमें सफेद शेर पाये जाते हैं।

मानस राष्ट्रीय उद्यान- यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में हिमालय की तलहटी में स्थित है। यह पार्क अपने दुर्लभ और लुप्तप्राय स्थानिक वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जङ्गली भैंसों,



चित्र- 2.5 मानस राष्ट्रीय उद्यान

एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1928 में एक अभयारण्य के रूप

में की गई थी और 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के अन्तर्गत लिया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा 1985 में विश्व धरोहर घोषित किया गया है।

सारणी 2.1

भारत के प्रमुख वन्य जीव एवं अभयारण्य

क्र.	राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य	राज्य	प्रमुख वन्य जीव
1	गिर राष्ट्रीय उद्यान	गुजरात	शेर, जङ्गलीसुअर, तेन्दुआ, साम्भर
2	हजारीबागजीव अभयारण्य	झारखण्ड	चीतल, साम्भर, बाघ, नीलगाय
3	पलामु अभयारण्य	झारखण्ड	हाथी, हिरणसाम्भर, तेन्दुआ,
4	जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान	उत्तराखण्ड	हाथी, बाघ, चीता, हिरण, भालू, साम्भर, नीलगाय, जङ्गली सुअर
5	चन्द्रप्रभा अभयारण्य,	उत्तरप्रदेश	चीता, नीलगाय, तेन्दुआ, भालू
6	दूधवा राष्ट्रीय उद्यान	उत्तरप्रदेश	हाथी, बाघ, हिरण, चीता, , नीलगाय, तेन्दुआ
7	वादीपुर उद्यान	कर्नाटक	हाथी, चीता, तेन्दुआ, हिरण, चीतल, साम्भर
8	काजीरङ्गा राष्ट्रीय उद्यान	असम	एक सींग वाला गैण्डा, जङ्गली सुअर, भैंसा, चीता
9	घानापक्षी विहार	राजस्थान	साम्भर, काला हिरण, जङ्गली सुअर, घड़ियाल, साइबेरियन क्रेन, चीता, बाघ, शेर
10	बान्धवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान	मध्यप्रदेश	बाघ, तेन्दुआ, साम्भर, भालू, चकोर।
11	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान	मध्यप्रदेश	बाघ, चीतल, तेन्दुआ, साम्भर, बारहसिंगा
12	सुन्दरवन राष्ट्रीय उद्यान	पश्चिम बङ्गाल	बाघ, चीता, हिरण, मगरमच्छ
13	नागर होल राष्ट्रीय उद्यान	कर्नाटक	हाथी, चीता, तेन्दुआ, साम्भर, भालू, चकोर, तीतर
14	डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान	जम्मू-कश्मीर	तेन्दुआ, कालाभालू, लालभालू, हिरण
15	पञ्चमढी अभयारण्य	मध्यप्रदेश	नीलगाय, चीतल, हिरण, भालू, जङ्गली भैंसा।
16	पेरियार अभयारण्य	केरल	साम्भर, हिरण, भालू, नीलगाय, जङ्गली सुअर, चीता, हाथी, तेन्दुआ आदि।
17	नल सरोवर अभयारण्य	गुजरात	जल-पक्षी

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

- पर्यावरण मन्त्रालय के अनुसार भारत में कुल भू-भाग का वन होना चाहिए।
अ. 50% ब. 75% स. 66% द. 33%
- भारत के सदाबहार वनों में औसत वर्षा होती है।
अ. 200 से.मी. ब. 100 से.मी. स. 50 से.मी. द. 300 से.मी.

3. वे जातियाँ जिनके लुप्त होने का खतरा हो कहलाती हैं -
अ. दुर्लभ जातियाँ ब. सुभेद्य जातियाँ
स. सामान्य जातियाँ द. संकटग्रस्त जातियाँ
4. सुन्दरवन राष्ट्रीय उद्यान राज्य में स्थित है।
अ. राजस्थान में ब. केरल में
स. पश्चिम बङ्गाल में द. झारखण्ड में
5. बाघ परियोजना (प्रोजेक्ट टाइगर) की शुरूआत गई थी।
अ. 1990 में ब. 1947 में
स. 1950 में द. 1973 में

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

- मानस राष्ट्रीय उद्यान में है। (मिजोरम/असम)
- ज्वारीय वनों को वन भी कहा जाता है। (पर्वतीय/ज्वारीय)
- शुष्क वनों में वर्षा का % होता है। (100-50 सेमी./200-100 सेमी.)

सत्य/असत्य बताइए-

- भारत में प्राणियों की लगभग 75000 प्रजातियाँ पायी जाती है। (सत्य/असत्य)
- बाघ को 1975 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। (सत्य/असत्य)
- भारतीय शेरों का प्राकृतिक आवास गिर (गुजरात) है। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान | क. उत्तराखण्ड |
| 2. जिम कार्बेट उद्यान | ख. केरल |
| 3. पेरियार उद्यान | ग. राजस्थान |

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

- वन्य संसाधन से आप क्या समझते हैं ?
- वनस्पति किसे कहते हैं ?
- भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है ?

4. ज्वारीय वन किन-किन क्षेत्रों में पाये जाते हैं ?
5. हमारे देश में नवीन वन नीति कब घोषित की गई ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. मानव जीवन के लिए वन एवं वन्यप्राणी क्यों महत्त्वपूर्ण हैं ?
2. मानस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप क्या जानते हैं ?
3. विलुप्त हो रहे वन्यप्राणी के लिये भारत में कौन-कौन सी परियोजना चल रही है ?
4. भारत में चल रही वन नीति की प्रमुख विशेषताएँ लीखिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. भारत की अर्थ व्यवस्था वनों से होने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ कौन-कौन से हैं ? वर्णन कीजिए।
2. वैदिक वाङ्मय में उल्लेखित वन और वन्य-जीवों के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए।
3. भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान पर प्रकाश डालिए।
4. वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है? वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय बताइए।

परियोजना-

1. आपके आस-पास के क्षेत्रों के ऐसे रीति-रिवाजों का उल्लेख करें, जो पर्यावरण संरक्षण का सन्देश देते हैं।

अध्याय-3

भारत के प्रमुख संसाधन भाग- 3

(खनिज एवं ऊर्जा)


इस अध्याय में- खनिज संसाधन, खनिजों का वर्गीकरण, भारत के प्रमुख खनिज, खनिजों का संरक्षण, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन के प्रकार, ऊर्जा संरक्षण, वैदिक वाङ्मय में ऊर्जा संरक्षण।

मानव जीवन पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति ने मानव को संसाधन के रूप में अनेक उपहार दिये हैं, जिनमें खनिज तथा ऊर्जा संसाधन भी महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन समय से ही हमारी सभ्यताओं के विकास में खनिज एवं ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

वैदिक वाङ्मय के अन्तर्गत निम्न वेद मन्त्रों जीवनोपयोगी मूल्यवान धातुओं का उल्लेख मिलता है। यह पृष्ठ प्रयसा सप्तधातु। (ऋ. 4/5/6), अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मेऽयश्च मे श्यामञ्च मे लौहञ्च मे सीसंश्च मे त्रपु च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्॥ (यजु. 18/13) उपर्युक्त ऋग्वेद के मन्त्र में सात प्रकार की जीवनोपयोगी मूल्यवान धातुओं का उल्लेख है एवं यजुर्वेद के मन्त्र में समस्त प्रकार के हीरे, मिट्टियाँ, पर्वत (इनसे प्राप्त उत्पाद), बालुकामय क्षेत्र, वनस्पतियाँ, सुवर्ण, श्याम लौह, ताँबा, लाल लौह (टिन व रांगा) और सीसा ये धातुएँ हमें यज्ञ अर्थात् रसायन, शिल्प, भूगर्भ विद्या के प्रयोग से प्राप्त हों। इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय धातुओं को अग्नि में निष्कर्षण कर प्राप्त किया जाता था। स्वर्ण का क्षरण व आक्सीकरण नहीं होने के कारण लम्बे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। कदाचित्त इसलिए इसे हिरण्य कहा गया है। रस रत्नाकर में भी कहा गया है- क्रमेण कृत्वाम्बुधरेण रंजितः, करोति शुल्वं त्रिपुटेन काञ्चनम्। सुवर्णं रजतं ताम्रं तीक्ष्णवंग भुजङ्गमा लौहकं। षड्विधं तच्च यथापूर्वं तदक्षयम्। इस श्लोक में धातु अक्षय रहने का क्रम बताने के साथ सोने को सर्वाधिक अक्षय बताया है।

खनिज संसाधन- भूपृष्ठ के नीचे बहुत गहराई तक खोदकर बहुत से पदार्थ प्राप्त किये जाते हैं जिन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। परन्तु कहीं-कहीं ये पदार्थ भूमि के कटाव के कारण धरातल पर ही मिल जाते हैं। प्रकृति ने खनिज पदार्थों को पृथिवी के गर्भ में बहुत नीचे एकत्रित कर रखा है। अधिकतर खनिज पदार्थ पुरानी चट्टानों में ही पाये जाते हैं। पृथिवी पर हजारों खनिज विद्यमान हैं। कोई खनिज संसाधन कब बनता है? आइये उदाहरण से समझते हैं। पृथिवी पर कोयला अत्यन्त प्राचीन काल से ही विद्यमान था। परन्तु भाप

शक्ति के आविष्कार के बाद यह खनिज संसाधन बना। उसके बाद बड़े पैमाने पर कोयले का खनन तथा उपयोग किया जाने लगा। खनिज संसाधन से सम्पन्न देशों में भारत की गणना की जाती है। भारत में लगभग सभी प्रकार के खनिज मिलते हैं। जैसे- लोहा, मैंगनीज, ताँबा, सोना, चाँदी, अभ्रक, चूना पत्थर,



चित्र- 3.1 खनिजों का वर्गीकरण

संगमरमर, जिप्सम, हीरा यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल (पेट्रोलियम) आदि।

खनिजों का वर्गीकरण- खनिजों को दो वर्गों में बांटा गया है।

धात्विक खनिज- धात्विक खनिज के अन्तर्गत वे खनिज पदार्थ आते हैं जिनमें धातु की मात्रा पर्याप्त रूप से मिलती है। सामान्य रूप से यह खनिज कठोर होता है तथा इन्हें अयस्क के रूप में प्राप्त करते हैं। इन खनिजों में लौह अंश के आधार पर दो प्रकार की होती है।

1. **लौह धातु-** वे धातुएँ जिसमें लौहे का अंश प्रमुखता से पाया जाता है, उन्हें लौह धातु कहते हैं। जैसे- लोहा, टंगस्टन, कोबाल्ट, क्रोमाईट आदि।
2. **अलौह धातु-** वे धातुएँ जिनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, उन्हें अलौह धातु कहते हैं। जैसे- सोना, चाँदी, ताँबा, जस्ता, सीसा, टिन, मैग्नीशियम आदि।

अधात्विक खनिज- अधात्विक खनिज के अन्तर्गत वे खनिज पदार्थ आते हैं जिनमें किसी धातु का अंश नहीं होता है। जैसे- संगमरमर, चूना पत्थर, रॉक फास्फेट, जिप्सम, अभ्रक, डोलोमाइट आदि।

भारत में धातुओं के विकास का इतिहास निम्न सारणी से समझ सकते हैं।

भारत के प्रमुख खनिज- भारत में खनिज संसाधन के सुरक्षित भण्डार हैं। हमारे देश में प्रायः सभी प्रकार के खनिज पदार्थ पाये जाते हैं। छोटा नागपुर के पठार में खनिज पदार्थों अधिक मात्रा में मिलने के कारण इसे 'विश्व का खनिज आश्चर्य' कहा जाता है। भारत का लगभग 40% खनिज पदार्थ यहीं पाया जाता है। भारत कुछ खनिज पदार्थों में आत्मनिर्भर है। कुछ खनिज पदार्थ की आवश्यकता की पूर्ति के बाद

निर्यात किया जाता है। खनिज तथा अन्य पदार्थों के मिश्रण (जो जमीन से प्राप्त किया जाता है) को अयस्क कहते हैं। रासायनिक क्रियाओं द्वारा धातुओं को अयस्क से अलग किया जाता है।

लौह अयस्क- संसार के लौह उत्पादक देश में भारत का आठवाँ स्थान है परन्तु उत्कृष्ट लोहे की प्राप्ति में भारत का रूस के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत में प्रमुख 4 प्रकार (मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट) के लौह अयस्क मिलते हैं।

सारणी 3.1

काल	धातुएँ	संस्कृति/ सभ्यता
6000 ईस्वी पूर्व	स्वर्ण एवं ताँबा	हडप्पा पूर्व
2500 ईस्वी पूर्व	चाँदी, सीसा, आर्सेनिक व ताँबे की मिश्र धातु	सिन्धु घाटी सभ्यता
2000-1500 ईस्वी पूर्व	इस्पात और उसके निष्कर्षण की विधि	वैदिक युगीन
600 ईस्वी पूर्व	कलई, पारे की मिश्र धातु	मगधकालीन सभ्यता
500 ईस्वी पूर्व	वुत्ज स्टील	बौद्धकाल
321-184 ईस्वी पूर्व	शुद्धिकरण तकनीक	मौर्यकाल
319-606 ईस्वी	जस्ता व पीतल का व्यवसायिक उत्पादन	गुप्तकाल
600- 710 ईस्वी	इस्पात, लोहा, पारा आदि का प्रचुर उत्पादन	हूण आक्रमण
1300-1572 ईस्वी	पीतल व काँसा की ढलाई	मुगल काल

1. मैग्नेटाइट में लौह 70-80% होता है तथा यह आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है।
2. हेमेटाइट में लौह 60-70% होता है तथा यह जलज चट्टानों से प्राप्त होता है।
3. लिमोनाइट में लौह 40-60% होता है तथा यह अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है।
4. सिडेराइट में लौह 10-48% होता है तथा यह लोहे और कार्बन के मिश्रण से प्राप्त होता है। यह एक मूल्यवान लौह खनिज है, क्योंकि इसमें कोई सल्फर या फॉस्फोरस नहीं होता है।

उपर्युक्त लौह अयस्क में मैग्नेटाइट सर्वोत्तम लौह अयस्क है, जिसमें अच्छे चुम्बकीय गुण होते हैं। इसलिए मैग्नेटाइट लौहे का उपयोग विशेष रूप से विद्युत उद्योग में किया जाता है।

ताँबा- भारत में ताँबा कायान्तरित चट्टानों में सल्फाइड और चारकापाइराइट के अयस्क के रूप में मिलता है। भारत में ताँबे का विश्व का 0.1% भण्डार है। देश में ताँबे का उत्पादन मांग की अपेक्षा कम होता है इसलिए भारत विदेशों से ताँबे का आयात करता है। ताँबा, विद्युत का सुचालक है अतः इसका सर्वाधिक उपयोग विद्युत उद्योग में होता है। इसके अलावा प्रशीतलक उद्योग तथा विभिन्न उद्योगों में भी ताँबे का उपयोग होता है। राजस्थान, आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, झारखण्ड तथा कर्नाटक ताँबा उत्पादक राज्य हैं। खेतड़ी, कोलिहान, मंधान, मोसाबानी में प्रसिद्ध ताँबे की खान हैं।

बॉक्साइट- बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। इसके शोधन से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम अत्यधिक हल्का, मजबूत एवं विद्युत का सुचालक होता है इसलिए इसका उपयोग विद्युत उद्योग, बर्तन उद्योग, मशीनरी उद्योग तथा वायुयान निर्माण में किया जाता है। भारत में बॉक्साइट के कुल भण्डार का 95% भाग उड़ीसा, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा तथा तमिलनाडु में स्थित हैं। उड़ीसा का भारत में बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान है।

मैंगनीज अयस्क - लोहे में मैंगनीज को मिलाकर उसे कठोरता प्रदान की जाती है। मैंगनीज का उपयोग मुख्यरूप से इस्पात (स्टील) बनाने के साथ-साथ पेण्ट, कीटनाशक दवाइयाँ और ब्लीचिंग पाउडर आदि बनाने में किया जाता है। मैंगनीज उत्पादन में उड़ीसा का भारत में प्रथम स्थान है। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश, कर्नाटक, गोवा में भी इसका उत्पादन होता है।

अभ्रक- अभ्रक प्लेटों अथवा पत्रण, आग्नेय व कायान्तरित चट्टानों में पाया जाता है। यह लाल, काला, पीला, हरा, भूरा अथवा पारदर्शी तथा चमकीला होता है। अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है तथा इसकी ताप सहन करने के शक्ति बहुत अधिक होती है इसलिए इसका उपयोग विद्युत कार्य, वायुयान उद्योग, सैन्य साज सामान आदि में किया जाता है। अभ्रक उत्पादन में देश में आन्ध्र प्रदेश का प्रथम राजस्थान का द्वितीय तथा झारखण्ड का तृतीय स्थान है। इनके अलावा बिहार, तमिलनाडु तथा मध्यप्रदेश भी अभ्रक उत्पादक राज्य हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में अभ्रक द्वारा ईट बनाई जाती है, जो पूरे देश में प्रसिद्ध हैं।

सीसा व जस्ता- भारत में अरावली पर्वतमाला की अवसादी व परतदार चट्टानों से गैलेना अयस्क के रूप में 95% सीसा व जस्ता का उत्पादन किया जाता है। सीसे का उपयोग सैन्य सामग्री, रेल इंजन आदि में तथा जस्ते का उपयोग रसायन उद्योग, शुष्क बैटरी, जंग रोधक कार्यों, पीतल बनाने आदि में किया जाता है। राजस्थान का सीसा व जस्ता के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। इसके अतिरिक्त आन्ध्रप्रदेश, झारखण्ड, उड़ीसा तथा तमिलनाडु भी सीसा-जस्ता उत्पादक राज्य हैं।

चूना पत्थर- अवसादी चट्टान है, जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$) के विभिन्न क्रिस्टलीय रूपों से मिलकर बनी होती है में पाया जाता है। इसका उपयोग सीमेन्ट उद्योग तथा लौह-प्रगलन में किया जाता है। प्रमुख चूना पत्थर उत्पादक राज्य आन्ध्रप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आदि हैं।

खनिजों का संरक्षण- खनिजों के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं हम जानते हैं कि उद्योग एवं कृषि दोनों ही खनिजों पर निर्भर हैं इसलिए हमें खनिजों का संरक्षण अत्यन्त आवश्यक है।

- उपलब्ध खनिज संसाधनों का सतत पोषणीय विकास एवं सुनियोजित उपयोग के लिए समन्वित प्रयास करने चाहिए।
- प्रत्येक राष्ट्र यह समझे कि प्रकृति की यह संसाधन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। इसलिए आर्थिक विकास की दौड़ में खनिज पदार्थों का दोहन सीमित कर विश्वबन्धुत्व की भावना रखकर सभी देश खनिजों के वैकल्पिक साधन का अनुसंधान करें।
- वातावरण प्रदूषित करने वाले पदार्थों का उपयोग बन्द किया जाना चाहिए। खनिज पदार्थों के विकल्प की खोज की जानी चाहिए।
- संयुक्त राष्ट्र हर देश द्वारा खनिज पदार्थों के दोहन व उपयोग पर निगरानी रखें।

ऊर्जा संसाधन- वे खनिज जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे- कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, यूरेनियम, थोरियम आदि। मानव अपनी विविध क्रियाओं हेतु ऊर्जा के जिन स्रोतों का उपयोग करता है, वे ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। प्रकृति के आधार पर ऊर्जा के साधन दो प्रकार के होते हैं।


1. **क्षयशील साधन-** वे साधन, जो कि भूगर्भ में सीमित अवस्था में हैं तथा उपयोग के साथ समाप्त हो रहे हैं। जैसे- कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि।
2. **नव्यकरणीय साधन-** वे साधन, जिनके समाप्त होने का भय नहीं है। जैसे- विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि।

भारत में ऊर्जा के साधनों का स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद तीव्र गति से विकास हुआ है। सरकार देश को ऊर्जा के साधनों की दृष्टि से अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु सतत प्रयत्नशील है। इसके बिना देश की औद्योगिक उन्नति एवं राष्ट्रीय सुरक्षा असम्भव है।

ऊर्जा संसाधन के प्रकार- भारत में ऊर्जा के साधनों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है।

परम्परागत ऊर्जा संसाधन- ऊर्जा संसाधन के ऐसे संसाधन जिनका उपयोग प्राचीन समय से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं परम्परागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं।

जैसे- विद्युत, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि।



चित्र- 3.2 ऊर्जा संसाधन के प्रकार

कोयला - कोयले का निर्माण लाखों वर्ष तक पेड़ पौधों के जमीन में दबे रहने से हुआ है इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयले में कार्बन की मात्रा उपलब्ध होती है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला चार प्रकार का होता है-

- **एन्थ्रेससाइट-** यह सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है जिसमें 80 से 90% तक कार्बन होता है। यह कम धुआँ छोड़ता है।
- **बिटुमिनस-** इसमें 75 से 80 % तज कार्बन होता है।
- **लिग्नाइट-** इसमें 40 से 55% तक कार्बन होता है।
- **पीट-** यह निम्न किस्म का कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है। यह सबसे ज्यादा धुआँ छोड़ता है।

कोयले से देश की ऊर्जा आवश्यकताओं के बहुत बड़े भाग की पूर्ति होती है। इसका उपयोग तापीय ऊर्जा संयंत्रों, धातुशोधन तथा उद्योगों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भारत का विश्व में कोयला उत्पादन की दृष्टि से चीन व अमेरिका के बाद तीसरा स्थान है। सन् 1774 में रानीगंज (पश्चिम बङ्गाल) से भारत में सर्वप्रथम कोयला प्राप्त किया गया था। कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत में झारखण्ड प्रथम, उड़ीसा द्वितीय तथा छत्तीसगढ़ तृतीय स्थान पर है। इसके अतिरिक्त अन्य कोयला उत्पादक राज्यों में बिहार, पश्चिम बङ्गाल, मध्यप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि हैं।

पेट्रोलियम (खनिज तेल)- पृथिवी के गर्भ से निकालकर प्राप्त किया जाने वाला तेल खनिज तेल कहलाता है। इसे पेट्रोलियम भी कहते हैं। यह तेल पृथिवी के गर्भ में यह नमकीन जल और गैसों के साथ मिला रहता है। जिसमें सबसे नीचे जल रहता है इसके ऊपर नमकीन तेल और सबसे ऊपर गैस होती है। खनिज तेल सदैव अवसादी चट्टानों में मिलता है। कोयले के बाद ऊर्जा प्राप्ति का दूसरा प्रमुख स्रोत पेट्रोलियम है। भारत में खनिज तेल (पेट्रोलियम) सर्वप्रथम असम में खोजा गया था। उत्पादित पेट्रोलियम को शोधन कर पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, मोम, तारकोल आदि को बनाया जाता है। पेट्रोलियम का उपयोग वाहनों में ईंधन, मशीनों में स्नेहक के रूप में तथा रसायन उद्योगों में किया जाता है। देश में महाराष्ट्र (बॉम्बे हाई) में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त असम, गुजरात तथा राजस्थान आदि में भी पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है।

प्राकृतिक गैस- प्राकृतिक गैस, ऊर्जा का महत्त्वपूर्ण व प्रदूषण रहित संसाधन है। प्राकृतिक गैस को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है क्योंकि इसका उपयोग करने पर कार्बनडाई-ऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम कुआँ से निकलती है। इसमें 95 प्रसिद्ध हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मिथेन रहता है। घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस को द्रवित पेट्रोलियम गैस

(L.P.G.) कहते हैं। यह ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेण्डरों में भर लिया जाता है। त्रिपुरा प्राकृतिक गैस उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। कृष्णा- गोदावरी नदी बेसिन, बॉम्बे हाई, गुजरात, राजस्थान, असम में प्राकृतिक गैस के विशाल भण्डार हैं।

विद्युत ऊर्जा- ऊर्जा के प्रारम्भिक स्रोतों कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस की तुलना में विद्युत अनेक विशेषताओं के कारण अधिक उपयोगी ऊर्जा संसाधन है। कम उत्पादन लागत, वितरण सुविधा, प्रदूषण रहित होना, आसान प्रयोग और उचित रख-रखाव का कम खर्च इसकी प्रमुख विशेषताएँ इन विशेषताओं के कारण आज बिजली आम आदमी की जरूरत बन गई है। कृषि, उद्योग और परिवहन के साथ घरेलू ऊर्जा के लिए इसकी सर्वाधिक मांग है। विद्युत उत्पादन के प्रधानतः चार स्रोत हैं-

1. **ताप विद्युत-** भारत में ताप विद्युत, मुख्यतः कोयला व गैस से प्राप्त की जाती है। जिसमें पानी को गर्म करके प्राप्त उच्च दाब पर बनी भाप के द्वारा विद्युत बनाने के लिए टरबाइन द्वारा यान्त्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
2. **जल विद्युत-** जल विद्युत ऊर्जा का स्थाई स्रोत है। पृथिवी पर जब तक जल धाराएँ प्रवाहित हैं जल विद्युत प्राप्त होती रहेगी। जल विद्युत, जल के बहाव से टरबाइन चलाकर उत्पन्न की जाती है।
3. **आणविक विद्युत-** परमाणु ऊर्जा प्लांटों के माध्यम से आणविक खनिजों (यूरेनियम, थोरियम, वेरीलियम एवं जिरकोनियम) से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को 'आणविक ऊर्जा' कहा जाता है। आणविक ऊर्जा का उपयोग विद्युत बनाने में किया जाता है और इससे बनने वाली विद्युत, कोयले से बनने वाली विद्युत की अपेक्षा सस्ती होती है। भारत में 1948 ई. में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया है, जिसके द्वारा 17 परमाणु ऊर्जा संयन्त्रों की स्थापना की गई है। तारापुर (महाराष्ट्र) में देश के प्रथम परमाणु ऊर्जा संयन्त्र की स्थापना की गई।
4. **गैस एवं खनिज तेल विद्युत-** गैस एवं खनिज तेल का ईंधन के रूप में प्रयोग कर ताप-विद्युत के उत्पादन में गैस एवं खनिज तेल प्रयोग किया जाता है।

गैर परम्परागत ऊर्जा संसाधन- ऊर्जा के ऐसे संसाधन जिनका विकास पिछले कुछ दशकों में हुआ हो अथवा वर्तमान में उनका विकास किया जा रहा है उन्हें गैर परम्परागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। ऊर्जा के इन संसाधनों नवीकरणीय अथवा अक्षय ऊर्जा (जो कभी समाप्त न हो) स्रोत भी कहते हैं। गैर परम्परागत ऊर्जा संसाधन के अन्तर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है।

सौर ऊर्जा- वैदिक वाङ्मय में ऋग्वेद के अन्तर्गत सौर ऊर्जा के सन्दर्भ में निम्न मन्त्र मिलता है- "विद्युतद्वस्ता अभिद्यण" (ऋ. 8/7/5) उपर्युक्त मन्त्र में ऋग्वेद के काण्व ऋषि कहते हैं कि सूर्य से निरन्तर ऊर्जा मिलती रहती है। अर्थात् सूर्य की किरणें निरन्तर सर्वत्र व्याप्त होती हैं।

सूर्य से प्राप्त ताप से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। फोटो वोल्टैइक तकनीक द्वारा सौर ऊर्जा (धूप) को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर ऊर्जा एक ऐसा ऊर्जा संसाधन है जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। सौर ऊर्जा का उपयोग पानी गर्म करने, भोजन बनाने, सौर कूकर, सौर तापक, विद्युत उत्पादन आदि में किया जाता है। भारत ऊष्णकटिबन्धीय क्षेत्र में स्थित है इसलिए यहाँ सौर ऊर्जा के उपयोग की व्यापक संभावनाएँ हैं।

पवन ऊर्जा- पवन ऊर्जा से तात्पर्य पवन चक्कियों को चलाकर विद्युत उत्पादन करने से है। भारत में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान तथा तटीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के विकास की अधिकांश सम्भावनाएँ हैं। देश में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में नगर कोइल से मदुरई तक स्थित है। पश्चिमी राजस्थान में भी पवन चक्कियों की स्थापना की गई है, जो विद्युत उत्पादन का कार्य कर रही हैं। इनके अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश तथा लक्ष्यद्वीप में भी पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है।

बायोगैस- गोबर, पैड़-पौधों की पत्तियों, झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट आदि जैविक पदार्थों के अपघटन से जो गैस बनाई जाती है, उसे बायोगैस कहते हैं। इसकी तापीय क्षमता केरोसीन से अधिक होती है। गाँवों में बायोगैस संयन्त्र को गोबरगैस प्लांट के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें पशुओं के गोबर का उपयोग अधिक किया जाता है। गोबर गैस प्लांट से किसानों को बायोगैस के साथ-साथ उन्नत श्रेणी का उर्वरक (जैविक खाद) भी प्राप्त होता है। बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में तथा घरेलू व कृषि कार्यों में ऊर्जा के रूप में किया जाता है।

भू-तापीय ऊर्जा- वह विद्युत जो भूमि के आन्तरिक तापमान से उत्पन्न की जाती है, भू-तापीय ऊर्जा कहलाती है। जहाँ भूमि का तापमान अधिक होता है वहाँ भूमिगत जल इतना गर्म हो जाता है कि वाष्प बनकर पृथिवी की सतह से ऊपर की ओर उठता है। इसी वाष्प से टरबाइन चलाकर, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। लद्दाख में पूगा घाटी में तथा हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के पास पार्वती घाटी में भू-तापीय ऊर्जा के दोहन के लिए दो परियोजनाएँ प्रायोगिक तौर पर भारत में प्रारम्भ की गई हैं।

गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों में उपर्युक्त साधनों के अतिरिक्त भारत में ज्वारीय ऊर्जा का भी प्रयोग किया जाता है।

ऊर्जा संरक्षण- वैदिक वाङ्मय के अन्तर्गत अथर्ववेद के निम्न मन्त्र में ऊर्जा संसाधनों को नष्ट करने वालों के लिये दण्ड देने बताया गया है। "अग्ने यते तपस्तेन प्रतितप" (अथर्व. 2/19/1) अर्थात् अग्नि (ऊर्जा) संरक्षण के महत्त्व का बताते हुए, संसाधन को नष्ट करने वाले के लिए दंड का विधान किया गया है। हे अग्नि जो आपको क्षति पहुँचाये, उसे आप तपाओ और पीडित कीजिए।

वर्तमान अर्थव्यवस्था में शक्ति के संसाधन 'प्राणवायु' की भूमिका में माने जाते हैं। जैसे मनुष्य का शरीर प्राण वायु के अभाव में मृत हो जाता है, ठीक वैसे ही अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटक-कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि भी ऊर्जा संसाधनों के बिना संचालित नहीं हो सकते। अतः देश में उपलब्ध ऊर्जा के संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है जिससे मानव की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति सदैव होती रहे, ऊर्जा के संसाधन का समुचित उपयोग हो, ऊर्जा के स्रोतों से भविष्य में भी ऊर्जा मिलती रहे तथा ऊर्जा संसाधनों से पर्यावरण प्रदूषित न हो। ऊर्जा के संसाधनों के संरक्षण हेतु निम्न उपाय आवश्यक हैं-

1. क्षयशील स्रोतों पर आधारित ऊर्जा का उत्पादन सीमित किया जाए।
2. ऊर्जा के नव्यकरणीय स्रोतों का तीव्रता से विकास किया जाए।
3. देश में उत्पादित होने वाली ऊर्जा का समुचित वितरण सुनिश्चित हो ताकि ऊर्जा का हास न हो सके।
4. ऊर्जा संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाए तथा इस हेतु जन जागृति को प्राथमिकता दी जाना चाहिए।
5. प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन विकसित किया जाए।

अतः हम समझ सकते हैं कि संसाधन वैयक्तिक आवश्यकता की पूर्ति के लिये साधन मात्र नहीं है अपितु यह सम्पूर्ण राष्ट्र के चहुँमुखी समृद्धि का आधार भी है। अतः हमें संसाधनों संरक्षण करना चाहिये। संक्षेप में कहा जा सकता है कि किसी भी देश या क्षेत्र में औद्योगिक विकास वहाँ पाए जाने वाले खनिज तथा ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर करता है। खनिज व खनन क्रियाएँ न केवल रोजगार के अवसर उत्पन्न करती हैं बल्कि वे उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराते हैं। दूसरी तरफ ऊर्जा की उपलब्धता विकास को गति प्रदान करती है। हमें यह समझना आवश्यक है कि अधिकांश संसाधन अनवीकरणीय है। अतः हमें विवेकपूर्ण तथा न्यायसंगत उपयोग करते हुए गैर-परम्परागत नवीन संसाधनों की खोज करनी चाहिए।

वैदिक वाङ्मय में ऊर्जा संरक्षण- वैदिक चिन्तन परम्परा में ऊर्जा को अग्नि (वैश्वानर) कहा गया है अर्थात् वह ऊर्जा, जो विश्व को कार्य में संलग्न रखने वाली है। यही सृष्टि के निर्माण का मुख्य कारक है। ऋग्वेद

की प्रथम ऋचा में वैश्वानर अग्नि (ऊर्जा) की उपासना की गई है। अग्निमीळे पुरोहितम् । (ऋ. 1/1/1), अग्निर्जागार तमृचः कामयन्तेऽग्निर्जागार तमु सामानि यन्ति। अग्निर्जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥ (ऋ. 5/44/15) उपर्युक्त मन्त्र में अग्नि के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए, अग्नि को जागृत रखने वाले को सामवेद का ज्ञान, विद्या तथा सुखों की प्राप्ति होती है और सोम उसे अपना बन्धु मानता है। वैदिक चिन्तन में अग्नि के तीन रूप बताये गये हैं। पार्थिव अग्नि अर्थात् पृथिवी की अग्नि, अन्तरिक्ष अग्नि अर्थात् स्थानीय विद्युत अग्नि तथा द्यौस्थानीय अग्नि को सौर अग्नि कहा गया है। सूर्यो नो दिवस्पातु वातो अन्तरिक्षात्। अग्निर्नः पार्थिवेभ्यः। (ऋ.10/158/1) अर्थात् हे अन्तरिक्ष अग्नि तुम हमारी अन्तरिक्षीय उपद्रवों से रक्षा कीजिए।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

- निम्नलिखित में से.....अलौह धातु है।
 अ. टंगस्टन ब. कोबाल्ट स. लौहा द. चाँदी
- निम्न में से विश्व का खनिज आश्चर्य.....का कहा जाता है ?
 अ. उड़ीसा ब. कर्नाटक स. राजस्थान द. नागपुर का पठार
- बॉक्साइटधातु का अयस्क है।
 अ. ताँबा ब. एल्युमिनियम स. सोना द. सीसा
- भारत में सर्वप्रथम कोयलासे प्राप्त किया।
 अ. रानीगंज से ब. सिंहभूमि से स. हजारी बाग से द. राँची से
- निम्न में से..... गैर परम्परागत ऊर्जा संसाधन है।
 अ. विद्युत ब. प्राकृतिक गैस स. पवन ऊर्जा द. कोयला
- निम्न में सेपवन ऊर्जा है।
 अ. विकसित संसाधन ब. संभावी संसाधन स. भण्डार द. संचित कोष

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

- प्रथम परमाणु ऊर्जा संयन्त्र में स्थित है। (तारापुर/पोकरण)
- लोहे में अयस्क को मिलाकर कठोरता प्रदान करते हैं। (मैंगनीज/अभ्रक)
- अभ्रक की ईट में बनाई जाती है। (भीलवाडा/जमशेदपुर)

सत्य/असत्य बताइए-

1. एन्थ्रेससाइट कोयला सबसे अच्छी किस्म का कोयला है। (सत्य/असत्य)
2. बायोगैस गोबर, पेड़-पौधों की पत्तियों, कृषि अपशिष्ट से बनाई जाती है। (सत्य/असत्य)
3. विद्युत, परम्परागत ऊर्जा संसाधन है। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

- | | |
|----------|-----------------|
| 1. अभ्रक | क. झारखण्ड |
| 2. ताँबा | ख. आन्ध्रप्रदेश |
| 3. कोयला | ग. राजस्थान |

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. खनिज किसे कहते हैं ?
2. भारत में कितने प्रकार के लौह अयस्क मिलते हैं?
3. अघात्विक खनिज किसे कहते हैं?
4. किन्हीं दो ऊर्जा खनिजों के नाम लिखिए।
5. कोयले का निर्माण कैसे होता है ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. ऊर्जा खनिज से आप क्या समझते हैं इन्हें कितने वर्गों में विभक्त किया जाता है? वर्णन कीजिए।
2. धात्विक खनिज किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए।
3. गैर परम्परागत ऊर्जा संसाधन पर प्रकाश डालिये।
4. कोयला कितने प्रकार का होता है? संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
5. पवन ऊर्जा के बारे में बताइये ? भारत में पवन ऊर्जा फार्म कहाँ-कहाँ स्थित है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. खनिज किसे कहते हैं तथा कितने प्रकार के होते हैं? वर्णन कीजिए।
2. ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं? ऊर्जा संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।

परियोजना-

1. भारत के मानचित्र में ऊर्जा संयन्त्रों को दर्शाइये।
2. पवन चक्की का चित्र बनाइए।

अध्याय - 4

भारत में विनिर्माण उद्योग

इस अध्याय में- विनिर्माण, कौशल विकास, उद्योगों का वर्गीकरण, भारत में आधुनिक उद्योगों का आरम्भ, विनिर्माण का महत्त्व, औद्योगिक प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव।

विनिर्माण- हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कई वस्तुएँ प्रकृति से सीधे प्राप्त करते हैं तथा कई वस्तुओं के लिये मनुष्य कच्चे माल का उपयोग कर श्रम, शक्ति व तकनीक के माध्यम से आवश्यकतानुरूप पक्का माल तैयार करता है। जैसे- मिट्टी या धातु से बर्तन, गन्ने से गुड़ या चीनी आदि। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को **विनिर्माण** या **वस्तु निर्माण** कहते हैं तथा इन उत्पादन करने वाली इकाई को **उद्योग** कहते हैं। प्राचीन काल से ही भारत के उद्योग उन्नत अवस्था में चले आ रहे हैं। हमारे वैदिक वाङ्मय में धातु, वस्त्र, स्वर्ण आभूषण तथा जहाजरानी जैसे उद्योगों के विकसित स्वरूप का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में शिल्पियों, श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को उत्तम बताते हुए उन्हें **पुरुदमासः (7/73/1)** कहा है। वेदों में लगभग 140 प्रकार के छोटे-बड़े व्यवसायों की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के निम्न मन्त्र में विभिन्न प्रकार के कार्यों (उद्योगों) का उल्लेख है- **कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना। नानाधियो वसूयवोऽनु गा इव तस्थिमेन्द्रायेन्दो परि स्रव॥ (ऋ. 9/112/3)** अर्थात् मैं शिल्पी हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं तथा मेरी माँ चक्की चलाती है। इससे स्पष्ट है कि एक ही परिवार के अनेक सदस्य विभिन्न प्रकार के कार्य करते थे। सिन्धु सभ्यता की खुदाई से प्राप्त सूती कपड़े, मिट्टी के बर्तन तथा कांसे की मूर्तियाँ तथा महरौली (दिल्ली) में स्थित जंगरोधी लौह स्तम्भ भारतीय प्राचीन औद्योगिक विकास के द्योतक हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि भारत, सोने की चिड़ियाँ के नाम से विश्व में विख्यात था। परन्तु अंग्रेजों के आगमन तथा उनकी शोषण परक उत्पादक नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले कुटीर तथा लघु उद्योगों को नष्ट किया गया।

वर्तमान अर्थव्यवस्था के आधार स्तम्भों में उद्योग महत्त्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान युग में औद्योगिक विकास पर ही आर्थिक विकास निर्भर है। उद्योगों से रोजगार का सृजन होता है, उत्पादन से व्यापार तथा

सम्बन्धित आर्थिक घटकों का विकास होता है। तथा राष्ट्र मजबूत होता है। जिससे आधुनिक अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, किन्तु औद्योगिक प्रगति में तकनीकी एवं पूँजी के अल्पता के आ रही बाधाओं को भारत सरकार निरंतर सकारात्मक कदम उठा रही है।

कौशल विकास- वर्तमान में विद्यालय स्तर से ही विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू करने की योजना बनाई गई है। जिसे कौशल विकास योजना कहा जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि युवकों को शिक्षा ग्रहण कर लेने के तुरन्त बाद ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। इसके अन्तर्गत उद्यमिता कौशल विकास के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, खाद्य प्रसंस्करण आदि व्यवसायों से सम्बन्धित ऐसे विशिष्ट कौशल, जो प्रशिक्षणार्थियों को अपना स्वयं का उद्यम प्रारम्भ करने एवं रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। अतः सरकार द्वारा उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP), उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ESDP), व्यावसायिक कौशल विकास कार्यक्रम (BSDP), औद्योगिक प्रेरक अभियान (IMC), व्यावसायिक एवं शैक्षणिक प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम चलाये गए हैं।


उद्योगों का वर्गीकरण- उद्योगों को आकार, स्वामित्व एवं कच्चे माल के आधार पर कुछ विशिष्ट आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है-

1. आकार के आधार पर- उद्योगों के आकार से तात्पर्य उसमें लगाई गई पूँजी, श्रमिकों की संख्या, उत्पादन की मात्रा, बिजली का उपभोग आदि से है। आकार के आधार पर उद्योगों की निम्नलिखित श्रेणियाँ हैं-

कुटीर उद्योग- ऐसे उद्योग जो शिल्पकारों द्वारा अपने घर पर कम पूँजी व श्रम की सहायता से चलाये जाते हैं, कुटीर या घरेलु उद्योग कहते हैं। टोकरी बनाना, चटाई बनाना, स्वेटर बनाना, अचार बनाना, मिट्टी के बर्तन एवं मूर्तियाँ बनाना, लकड़ी के खिलौने व उपकरण बनाना, रस्सी बनाना आदि कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं।

लघु उद्योग- ऐसे उद्योग जिनमें 10 से 100 श्रमिक कुछ मशीनों, पूँजी, श्रम आदि से निर्माण कार्य करते हैं लघु उद्योग कहलाते हैं। माचिस उद्योग, फर्नीचर उद्योग, ईट उद्योग, रंगाई-छपायी उद्योग आदि लघु उद्योग के उदाहरण हैं।

वृहद् उद्योग- ऐसे उद्योग जिनमें अधिक पूँजी, श्रम, उच्चस्तरीय प्रौद्योगिकी व बिजली की आवश्यकता होती है उन्हें वृहद् उद्योग कहते हैं। सूती वस्त्र, सीमेंट, लौह-इस्पात, ऑटो मोबाईल, चीनी उत्पादन आदि उद्योग वृहद् उद्योग के उदाहरण हैं।



2. स्वामित्व के आधार पर- स्वामित्व के आधार उद्योगों को निम्नलिखित श्रेणियाँ में विभाजित किया जाता है-

निजी क्षेत्र के उद्योग- वे सभी उद्योग जिनका स्वामित्व एवं सञ्चालन एक या एक से अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है उन्हें निजी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। जैसे- अम्बूजा सीमेन्ट, बजरङ्ग दाल मिल, आदि।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग- जिन उद्योगों का स्वामित्व एवं सञ्चालन सरकार द्वारा होता है, उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। जैसे- हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (BHEL), स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (SAIL) आदि।

संयुक्त क्षेत्र के उद्योग- वे उद्योग जिन्हें सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाये जाते हैं उन्हें संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। जैसे-ऑयल इण्डिया लिमिटेड (OIL), मारूति उद्योग लिमिटेड आदि।

सहकारी क्षेत्र के उद्योग- वे उद्योग जिनका स्वामित्व एवं सञ्चालन कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता या श्रमिकों या दोनों के द्वारा होता है उन्हें सहकारी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। इन उद्योगों में संसाधनों का संयुक्त कोष होता है तथा लाभ-हानि का विभाजन भी आनुपातिक होता है। आनन्द मिल्क यूनियन लिमिटेड, सरस डेयरी आदि सहकारी क्षेत्र के उद्योगों के उदाहरण हैं।

3. कच्चे माल के आधार पर- कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है -

कृषि आधारित उद्योग- वे उद्योग जिनमें कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का उपयोग किया जाता है उन्हें कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे- खाद्य प्रसंस्करण, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, चमड़ा उद्योग, चीनी उद्योग आदि।

समुद्र आधारित उद्योग- वे उद्योग जिनमें कच्चे माल के रूप में सागरों एवं महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग किया जाता है उन्हें समुद्र आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे- समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मत्स्य तेल निर्माण उद्योग आदि।


खनिज आधारित उद्योग- वे उद्योग जिनमें कच्चे माल के रूप में खनिज अयस्कों का उपयोग किया जाता है उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे- लौह- इस्पात उद्योग, सीमेन्ट उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग आदि।

वन आधारित उद्योग- वे उद्योग जिनमें कच्चे माल के रूप में वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करते हैं उन्हें वन आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे- फर्नीचर, कागज, औषधी, झाड़ू, बीड़ी, माचिस उद्योग आदि।

भारत में आधुनिक उद्योगों का आरम्भ- औपनिवेशिक भारत में आधुनिक उद्योगों का आरम्भ सन् 1854 में मुम्बई में सूती वस्त्र उद्योग तथा सन् 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी घाटी में जूट उद्योग की स्थापना से हुआ था। स्वतन्त्र भारत में सन् 1948 में पहली औद्योगिक नीति जारी की गई, जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय असन्तुलन को कम करते हुए नवीन रोजगारपरक, कृषि व निर्यात आधारित उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। पूँजी, कच्चे माल तथा तकनीक की कमी को दूर करके उत्तम श्रेणी व कम लागत उत्पादों के निर्माण पर जोर दिया गया। योजना आयोग ने विभिन्न पञ्चवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लौह-इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेन्ट उद्योग, कागज उद्योग, चीनी उद्योग आदि का विकास किया। भारत के प्रमुख उद्योग निम्नलिखित हैं -

1. **लौह-इस्पात उद्योग-** लौह-इस्पात उद्योग को विश्व में औद्योगिक विकास का आधार स्तम्भ तथा अन्य उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। मानव उपयोग की छोटी से छोटी वस्तुएँ जैसे-सुई, कील, पिन आदि से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तुएँ, मोटर, रेल, कल-कारखानों की मशीनें आदि का निर्माण बिना लोहा- इस्पात के सम्भव नहीं है। अतः यह अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण उद्योग है जिस पर राष्ट्र का आर्थिक विकास निर्भर करता है। आधुनिक भारत में प्रथम लौह-इस्पात कारखाने की स्थापना पश्चिम बङ्गाल के कुल्टी नामक स्थान पर 1874 में बाराकर आयरन वर्क्स के नाम से हुई, जो 1889 में बङ्गाल लोहा एवं इस्पात कम्पनी में परिवर्तित हो गई थी। जमशेद जी टाटा ने 1907 में सांकची (झारखण्ड) में 'टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी' तथा 1909 में आसनसोल (पश्चिम बङ्गाल) के निकट हीरापुर में भारतीय लौह-इस्पात कम्पनी की स्थापना की गई। सन् 1936 में इन दोनों कारखानों को मिलाकर इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (IISCO इस्को) की स्थापना हुई। स्वतन्त्रता के बाद लौह इस्पात उद्योग का विकास विभिन्न पञ्चवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया। इसके अन्तर्गत ब्रिटिश सहयोग से दुर्गापुर (पश्चिम बङ्गाल) में, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला (ओडीशा) में तथा रूस के सहयोग से भिलाई (छत्तीसगढ़) में लौह-इस्पात कारखाने स्थापित किये गये। सन् 1964 ईस्वी में बोकारो (झारखण्ड) में लौह-इस्पात उद्योग स्थापित किया जो कि एशिया का सबसे बड़ा लौह-इस्पात उद्योग है। 1973 ईस्वी में इस उद्योग में गुणात्मक वृद्धि करने के उद्देश्य से स्टील ओथोरिटी ऑफ इण्डिया (SAIL सेल) की स्थापना की गई, जो देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कारखानों का प्रशासनिक कार्य करता है। इस्पात की खपत और उत्पादन को किसी भी देश के विकास का पैमाना माना जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत में कच्चे इस्पात का उत्पादन 102 करोड़ टन रहा था। विश्व में चीन के बाद भारत का इस्पात उत्पादन में दूसरा स्थान है।

2. **सूती वस्त्र उद्योग-** प्राचीनकाल से ही सूती वस्त्र उद्योग भारत का प्रमुख उद्योग रहा है। वैदिक वाङ्मय एवं सिन्धुघाटी सभ्यता में वस्त्र निर्माण का वर्णन मिलता है। जहाँ सूती वस्त्रों को वासस् (अथर्व. 9/5/26), गर्म कपड़ों को ऊर्गायु (यजु. 13/50) और रेशमी वस्त्रों को तार्य्य (अथर्व. 18/4/31) कहा जाता था। वस्त्र बनाने वालों को वासोवाय (ऋ. 10/26/6) कहा जाता था। वेदों में वस्त्र बुनाई सम्बन्धी कुछ शब्द इस प्रकार हैं- तन्न- करघा, तन्तु- ताना, ओतु- बाना, तसर-करघी, मयूघ- धागा खींचने की खूंटियाँ, प्राचीनातान- आगे खींचकर बाँधा गया ताना, प्र वय- आगे की ओर बुनना, अप वय- पीछे की ओर बुनना, तनुते-फैलता है, कृणत्ती- समेटना। वेदों में उल्लेख है कि



मानचित्र- 4.1 भारत लौह-इस्पात के प्रमुख संयंत्रों की अवस्थिति

वस्त्र बुनने का कार्य स्त्रियाँ एवं पुरुष करते थे। साध्वपांसी सनता न उक्षिते उषासानक्ता व्य्येव रणिवते। तन्तुं ततं संवयन्ती समीची यज्ञस्य पेशः सुदुघे पयस्वती ॥ (ऋ. 2/3/6), पुमान् एतद् वयति (अथर्व.)

10/7/43) उपर्युक्त ऋग्वेद एवं अथर्ववेद मन्त्रों में क्रमशः वस्त्र बुनने का कार्य स्त्रियाँ एवं पुरुष करते थे।

भारत का यह प्राचीन उद्योग आज भी विस्तार, उत्पादन तथा रोजगार की दृष्टि से देश में प्रथम हैं। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला सूती वस्त्र कारखाना सन् 1818 में कलकत्ता में स्थापित किया गया किन्तु यह विफल रहा। सन् 1854 में पहली भारतीय सूती वस्त्र मिल मुम्बई में कवास जी डाबर के द्वारा स्थापित की गई। भारत में सन् 1861 तक 12 सूती वस्त्र मिलें थीं जो सन् 1947 में बढ़कर 417 मिलें हो गईं। वर्तमान में 2000 से अधिक सूती वस्त्र मिल हैं, जिनमें 40 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। वर्तमान भारत में सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, पश्चिमी बङ्गाल, राजस्थान आदि प्रमुख राज्य हैं। विश्व में सूती वस्त्र उत्पादन में भारत, चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है।

3. **सीमेन्ट उद्योग-** सीमेन्ट उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। इसका आविष्कार सन् 1824 में इंग्लैण्ड के पोर्टलैण्ड में जोसेफ नामक व्यक्ति द्वारा किया गया था। इसलिए इसे पोर्टलैण्ड सीमेन्ट कहा जाता है। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला सीमेन्ट कारखाना सन् 1904 में तमिलनाडु के चेन्नई में स्थापित किया गया। इसके पश्चात सन् 1912 में भारतीय सीमेन्ट कारखाना गुजरात के पोरबन्दर में स्थापित किया गया जिसमें सन् 1914 में उत्पादन शुरू हुआ। भारत में स्वतन्त्रता के समय सीमेन्ट के 23 कारखाने थे जिसमें से 5 कारखाने पाकिस्तान में चले गये। वर्तमान में लगभग 130 बड़े तथा 300 छोटे कारखाने हैं, जिनमें 2250 लाख टन सीमेन्ट का उत्पादन हो रहा है। इस उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे माल की उपलब्धता तथा सस्ते परिवहन वाले क्षेत्रों में हुआ है। राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु आदि प्रमुख सीमेन्ट उत्पादक राज्य हैं। सीमेन्ट उत्पादन में भारत, विश्व का चीन के बाद दूसरा स्थान पर है।

4. **कागज उद्योग-** कागज उद्योग भारत का प्राचीन कुटीर उद्योग रहा है। भारतीय ऋषि-मुनियों के द्वारा दिये गये ज्ञान को भोजपत्रों, ताड़पत्रों तथा हस्तनिर्मित कागज पर संरक्षित किया गया। यह ऐसा उद्योग है, जिसमें कृषि तथा पेड़ों के अवशिष्ट से लुग्दी बनाकर कागज तैयार किया जाता है। भारत में 70% कागज गन्ने की खोई से बनता है। देश में पहली पेपर मिल सन् 1812 में सेरामपुर (बङ्गाल) में लगाई गई। सन् 1879 में भारतीय पेपर मिल लखनऊ में इण्डियन पेपर मिल के नाम से स्थापित की गई। सन् 1881 में टीटागढ़ (बङ्गाल) पेपर मिल की स्थापना हुई। स्वतन्त्रता के समय देश में 17 पेपर मिल थीं जिनकी उत्पादन क्षमता 19000 टन थी। वर्तमान में लगभग 800 बड़े एवं छोटे कारखाने हैं, जिनमें 128 लाख टन कागज का उत्पादन हो रहा है। इस उत्पादित

माल का 65% भाग अखबारी कागज तथा शेष अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। देश में इस उद्योग का स्थानीयकरण निर्माण सामग्री के प्राप्ति क्षेत्रों तथा सस्ते परिवहन वाले क्षेत्रों में हुआ। भारत में पश्चिमी बङ्गाल, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात आदि राज्यों में कागज उद्योग का विकास हुआ है। मध्यप्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज का कारखाना तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज का सरकारी कारखाना है।

5. **चीनी उद्योग-** चीनी कृषि आधारित उद्योग है। चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है क्योंकि इसके कच्चे माल(गन्ना) का उत्पादन विशेष मौसम में ही होता है। इसलिए चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में ही स्थापित की गई है। देश की प्रथम चीनी मिल सन् 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर नामक स्थान पर स्थापित की गई। देश में वर्तमान में 735 चीनी मिलें हैं। भारत में सर्वाधिक चीनी मिलें उत्तरप्रदेश में स्थापित है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, पञ्जाब, हरियाणा तथा राजस्थान में भी चीनी मिलें स्थापित है। भारत में चीनी उत्पादन में उत्तरप्रदेश का प्रथम तथा महाराष्ट्र का द्वितीय स्थान है। चीनी उत्पादन में विश्व में ब्राजील का प्रथम तथा भारत का दूसरा स्थान है। जबकि गुड़ व खांडसारी उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत में सन् 2021-22 में 20.90 लाख टन चीनी उत्पादन होने का अनुमान है।
6. **पटसन (जूट) उद्योग-** पटसन उद्योग भारत का पुराना पारम्परिक उद्योग है। भारत में आधुनिक प्रकार का पहला पटसन कारखाना कोलकाता के निकट रिसरा नामक स्थान पर 1859 में लगाया गया था। देश के विभाजन के पश्चात् पटसन मिलें तो भारत में रह गई लेकिन तीन-चौथाई जूट(पटसन) उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान (अब बाङ्गलादेश) में चले गये। आज भारत पटसन तथा पटसन निर्मित उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक तथा बाङ्गलादेश के पश्चात् दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। सन् 2019-20 तक भारत में लगभग 114 पटसन के कारखाने हैं। इनमें अधिकांश पश्चिम बङ्गाल में हुगली नदी के तट पर 98 किलोमीटर लम्बी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक सँकरी पट्टी में स्थित हैं। क्योंकि उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल परिवहन उपलब्ध होना, कच्चे माल को मिलों तक पहुँचने में आसानी एवं कच्चे पटसन को शोधन करने के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होना आदि कारणों से पटसन उद्योग हुगली नदी तट पर विकसित हुआ।
7. **रसायन उद्योग-** रसायन उद्योग का हमारे देश में तीव्र गति से विकसित हो रहा है। वर्तमान में यह भारत का चौथा बड़ा उद्योग है। इससे लौह इस्पात, वस्त्र, कागज, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक उर्वरक आदि उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति होती है। भारत में तमिलनाडु, गुजरात, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बङ्गाल झारखंड आदि रसायन उद्योग के केन्द्र हैं। भारत की G.D.P. में रसायन

उद्योग का लगभग 3% योगदान है। आकार की दृष्टि से यह उद्योग एशिया का तीसरा तथा विश्व का 6वाँ बड़ा उद्योग है।

8. **सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग-** भारत के वर्तमान विकास में सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा योगदान है। सन् 2009 में सकल घरेलू उत्पाद में 5.19% का योगदान था। आज इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो एवं सत्यम प्रमुख राष्ट्रीय आईटी कम्पनियाँ हैं। इसी प्रकार प्रमुख बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल आदि हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि से बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली(भारत की आई.टी. राजधानी) कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के अन्तर्गत टी.वी., कूलर, फ्रीज, वाशिंग मशीन, कम्प्यूटर, मोबाईल आदि उपकरण आते हैं। भारत में पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, नोयडा, लखनऊ, मुम्बई, चेन्नई तथा कोलकाता इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के केन्द्र हैं।
9. **मोटरगाड़ी उद्योग-** वर्तमान में भारत में यातायात, माल परिवहन के क्षेत्र में वृद्धि होने के कारण मोटर गाड़ी उद्योग का विकास हुआ है। इन उद्योगों के अन्तर्गत बाइक, कार, ट्रक, बस हैवी मशीनरी आदि का निर्माण सम्बन्धी उद्योग आते हैं। भारत में इन उद्योगों प्रमुख केन्द्र चेन्नई, पुणे, गुरुग्राम, दिल्ली, बेंगलुरु तथा हैदराबाद के आस-पास स्थित हैं। उदारीकरण के बाद नवीन मॉडल के वाहनों की मांग बढ़ी है। इस क्षेत्र की मारुति सुजुकी, महिन्द्रा, टाटा, फोर्ड एमजी, किया, हुण्डई, जेसीवी, एस्कार्ट, हीरो, होण्डा, आदि प्रमुख कम्पनियाँ हैं। वर्तमान में प्रदूषण की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए सरकारें ई (इलेक्ट्रिक) वाहनों के विकास पर कार्य कर रही हैं। आज भारतीय मोटर गाड़ी बाजार में इनका प्रवेश हो चुका है। ई-बस, ई-बाइक, ई-रिक्शा आदि का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है।

विनिर्माण का महत्त्व- विनिर्माण उद्योग सामान्यतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं-

1. विनिर्माण उद्योग से कृषि का आधुनिकीकरण हुआ है। जिससे द्वितीयक एवं तृतीयक सेवाओं का विस्तार होने से रोजगार के अवसर बढ़े हैं।
2. देश में औद्योगिक विकास से बेरोजगारी, गरीबी उन्मूलन, पिछड़ापन तथा क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में मदद मिली है।
3. विनिर्माण उद्योग से निर्मित वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। जिससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है।
4. वर्तमान में वे देश ही विकसित हैं, जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं।

कृषि तथा उद्योग एक-दूसरे से पृथक नहीं बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं। उदाहरणार्थ भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोत्तरी को प्रोत्साहित किया है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं। इन उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पाद-जैसे सिंचाई के लिए पम्प, उर्वरक, कीटनाशक दवाईयाँ, प्लास्टिक पाइप, मशीनें व कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर हैं। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पाद को बढ़ावा मिला है अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान-

- (1) उद्योगों से उत्पादन में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि एवं जीवन-स्तर उन्नत होता है।
- (2) उद्योगों से रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है तथा मानव संसाधन पुष्ट होते हैं।
- (3) राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा पूँजी का निर्माण होता है।
- (4) उद्योगों के बढ़ते योगदान से अर्थव्यवस्था के अन्य खण्ड- कृषि, खनिज, परिवहन आदि में प्रगति होती है।
- (5) अनुसंधानों को बल मिलता है तथा तकनीकी विकसित होती है।



चित्र 4.2 औद्योगिक प्रदूषण

देश में पिछले 18-20 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% में से 17% ही है वहीं शेष 10% योगदान खनन, गैस, विद्युत तथा ऊर्जा का है। उपयुक्त सरकारी नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोत्तरी के नए प्रयासों से अर्थ शास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले एक दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है।

औद्योगिक प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव- प्रदूषित वातावरण सम्पूर्ण पारिस्थितिकी तन्त्र को क्षति पहुँचाता है। जिससे भोजन शृङ्खला और समुद्री वनस्पति व जीव-जन्तुओं पर घातक असर होता है। मानव जीवन पर इसके मुख्य दुष्प्रभाव निम्नांकित हैं-

- प्रदूषित वायु, मानव की श्वसन क्रिया को क्षति पहुँचाती है। इससे दमा, निमोनिया, गले में खाँसी के साथ ही कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग जैसे घातक रोग होते हैं।
- प्रदूषित पेय जल, अनेक रोगों के कीटाणु, विषाणु मनुष्य के शरीर में पहुँचाकर रोगों को उत्पन्न कर देता है। प्रदूषित जल के सेवन से पेचिश, हैजा, अतिसार, टायफाइड, चर्मरोग, खाँसी, जुकाम, लकवा, अन्धापन, पीलिया व पेट के रोग हो जाते हैं।

- गन्दगी युक्त वातावरण में अनेक कीटाणु पैदा होते हैं जो मनुष्य के लिए पेचिश, तपेदिक, हैजा, आंतों के रोग, आँखों में जलन आदि रोगों हेतु उत्तरदायी होते हैं।
- ध्वनि प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव सुनने की शक्ति पर पड़ता है। अत्यधिक शोर से व्यक्ति बह हो जाता है। इसके अतिरिक्त इससे रक्तचाप, हृदयरोग, सिरदर्द, घबराहट आदि रोग भी मनुष्य में पनप जाते हैं।

देश में गङ्गा तथा उसकी सहायक यमुना के किनारे स्थित चमड़ा, कागज, खाद, रसायन तथा औषधि उद्योगों के अपशिष्ट के कारण बहुत अधिक प्रदूषित हो चुकी हैं। वायु प्रदूषण और गन्दे जल से अम्ल वर्षा और भूमि की उर्वरकता में कमी हो रही है। तापमान में वृद्धि से सतत वाहिनी व सदानीरा नदियों के जल स्रोत गङ्गोत्री, यमुनोत्री सुखने के कगार पर हैं। यदि औद्योगिकरण का यही रूप रहा तो, वो दिन दूर नहीं जब मानव अकाल, सूखे तथा बाढ़ जैसी आपदा से जूझता नजर आयेगा तथा आने वाली पीढ़ियों को देने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा।

औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण के उपाय- औद्योगिक प्रदूषण से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है जो भविष्य में आने वाले संकटों की आशंका व्यक्त करता है। पर्यावरण प्रदूषण के अनेक कारक हैं जिनमें औद्योगिकरण सबसे प्रमुख है। अतः हम यहाँ औद्योगिक प्रदूषण को रोक नहीं सकते अपितु औद्योगिक प्रदूषण के नियन्त्रण हेतु निम्नांकित उपाय किया जाना आवश्यक है –

वायु प्रदूषण नियन्त्रण के उपाय- कल कारखानों की चिमनियों की ऊँचाई बढ़ाकर उनसे निकलने वाली हानिकारक गैसों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। उद्योगों में कम प्रदूषण करने वाली प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना चाहिए। कारखाने की स्थापना से पूर्व ही प्रदूषण अनुमान लगाकर उसको नियंत्रित करने के साधन जैसे वनस्पति आवरण आदि कारखाना परिसर में विकसित किया जाना चाहिए। कारखानों में कम से कम प्रदूषण करने वाले ऊर्जा संसाधनों का उपयोग होना चाहिए, जैसे- सौर ऊर्जा।

जल प्रदूषण नियन्त्रण के उपाय- रासायनिक उद्योग जो कि जल को सर्वाधिक प्रदूषित करते हैं, को जलाशयों व नदियों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। उद्योगों में प्रयोग किए गए जल को जलाशय व नदियों में सीधे विसर्जित नहीं करना चाहिए। बल्कि इस जल का उपचार कर इसे सिंचाई के उपयोग में लाना चाहिए। सड़क के किनारे तथा कारखानों के निकट खाली स्थानों पर वृक्ष लगाए जाने चाहिए।

भू-प्रदूषण नियन्त्रण के उपाय- अपशिष्ट निक्षेपण खुले स्थानों में न फेककर अपशिष्टों को आधुनिक तकनीक से जलाकर उससे उत्पन्न ताप को ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इससे अपशिष्ट का लगभग 80 % भाग नष्ट हो जाता है तथा अपशिष्ट के जलने से उत्पन्न वायु प्रदूषण को भी नियंत्रित किया जा सकता है। अपशिष्ट से कम्पोस्ट खाद बनाकर उसे उपयोगी बनाया जा सकता है।

ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण के उपाय : उद्योगों द्वारा उत्पन्न शोर को कम करने के लिए नवीन तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। उद्योगों में मशीनों का रखरखाव सही करके, मशीनों का शोर कम किया जा सकता है। खराब मशीन शोर अधिक करती हैं। उद्योग विकास, आर्थिक विकास के लिये अनिवार्यता है तथा प्रदूषण रहित उद्योग होना असम्भव है। अतः प्रदूषण के रोका नहीं जा सकता केवल नियंत्रित ही किया जा सकता है।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

- निम्नलिखित में सेखनिज आधारित है।
अ. सूती वस्त्र उद्योग ब. सीमेन्ट उद्योग स. चीनी उद्योग द. कागज उद्योग
- निम्नलिखित में से आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है।
अ. आकार के ब. स्वामित्व के स. कच्चे माल के द. उपर्युक्त सभी
- दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक राज्य..... है।
अ. केरल ब. कर्नाटक स. तमिलनाडु द. तेलंगाना
- निम्न में से भारत की आई.टी. राजधानी शहर कहा जाता है।
अ. दिल्ली ब. पूणे
स. बैंगलुरु द. मुम्बई
- एशिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग..... है।
अ. रसायन उद्योग ब. पटसन उद्योग
स. लौह-इस्पात उद्योग द. उपरोक्त में से कोई नहीं
- सीमेन्ट उत्पादन में भारत का विश्व में..... स्थान है।
अ. प्रथम ब. द्वितीय स. तृतीय द. चतुर्थ

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

-अखबार कागज कारखाना है। (होशंगाबाद/नेपानगर)
- इलेक्ट्रॉनिक राजधानी को कहा जाता है। (हैदराबाद/बैंगलुरु)
- नोट छापने के कागज का कारखाना में है। (होशंगाबाद/नेपानगर)

(सत्य/असत्य) बताइए-

- कागज उद्योग भारत का प्राचीन कुटीर उद्योग रहा है। (सत्य/असत्य)

3. राउरकेला इस्पात कारखाना गुजरात में है।

(सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. प्रथम चीनी उद्योग | क. गुजरात |
| 2. प्रथम लौह इस्पात उद्योग | ख. उत्तरप्रदेश |
| 3. प्रथम सीमेंट कारखाना | ग. पश्चिम बङ्गाल |

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. देश की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई है?
2. नोट छापने के कागज का सरकारी कारखाना कहाँ है?
3. सीमेण्ट उत्पादक प्रमुख तीन राज्यों के नाम बताइये।
4. उद्योग किसे कहते हैं?
5. भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहते हैं?
6. भारत की पहली औद्योगिक नीति कब जारी की गई?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. कुटीर उद्योग किसे कहते हैं ? इसके अन्तर्गत कौन-कौन से उद्योग आते हैं।
2. लौह इस्पात उद्योग 'आधारभूत' उद्योग क्यों कहलाता है ?
3. औद्योगिक प्रदूषण को नियन्त्रण करने वाले उपाय लीखिए ?
4. विनिर्माण का महत्त्व बताइये ?
5. भारत में आधुनिक उद्योगों के प्रारम्भ को समझाइए।
6. कौशल विकास योजना को समझाइए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. भारत में उद्योग कितने प्रकार के हैं ? वर्णन कीजिए।
2. भारत में लौह-इस्पात उद्योग पर निबन्ध लिखिए।
3. उद्योगों को किन-किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है? वर्णन कीजिए।
4. औद्योगिक प्रदूषण पर प्रकाश डालिए।

परियोजना-

1. अपने क्षेत्र के कृषि आधारित उद्योगों में कच्चे माल, विनिर्माण प्रक्रिया, निवेश, परिवहन आदि की जानकारी का संग्रह करते हुए यह पता लगाइए कि क्या ये कारखाने पर्यावरण नियमों का पालन करते हैं ?



वेदभूषण पञ्चम वर्ष
इतिहास

अध्याय- 5

औद्योगिक क्रान्ति

इस अध्याय में- औद्योगीकरण का काल, औद्योगिकरण, औद्योगीकरण के सामाजिक प्रभाव, औद्योगीकरण के आर्थिक प्रभाव, कारखानों का प्रारम्भ, श्रमिकों के जीवन में परिवर्तन, भारत में कपड़ा उद्योग का युग, भारत में कारखानों की शुरूआत, शहरीकरण, महिलाओं की स्थिति, भारत में मुद्रण संस्कृति, भारत में शहरीकरण।

औद्योगीकरण का काल- अपने दैनिक जीवन में कई लोगों को अपने कार्य करने की पुरानी पद्धति को त्याग कर नए आधुनिक तकनीकों के अन्तर्गत संसाधनों का उपयोग करते हुए देखा होगा। इन संसाधनों का प्रयोग करने से कार्य सरल होता है तथा उत्पाद में वृद्धि होती है। औद्योगिकीकरण से आशय कारखानों के विकास, उनसे होने वाले उत्पादन तथा उनमें काम करने वाले श्रमिकों से लिया जाता है। विश्व में फैक्ट्रियों की स्थापना से पूर्व भी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था इसलिए इस काल को आदि औद्योगीकरण का काल कहते हैं।



चित्र- 5.1 डान ऑफ दी सेंचुरी

ई.टी. पॉल म्यूजिक कम्पनी ने सन् 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी जिसकी जिल्द पर दी गई तस्वीर में 'नयी सदी के उदय' (डॉन ऑफ द सेंचुरी) का ऐलान किया था। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, तस्वीर के मध्य में एक देवी जैसी तस्वीर है। यह देवी हाथ में नयी शताब्दी की ध्वजा लिए प्रगति का प्रतीक है। जिसका एक पाँव पंखों वाले पहिये पर टिका हुआ है। यह पहिया समय का प्रतीक है। उसकी उड़ान भविष्य की ओर है। उसके पीछे उन्नति के चिह्न तैर रहे हैं- रेलवे, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाना। आइये इस अध्याय में हम औद्योगिकी क्रान्ति के बारे में अध्ययन कर, औद्योगिकीकरण के प्रभाव को समझेंगे।

औद्योगिकरण- औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। जिसका उद्देश्य उत्पादन के साधनों में वृद्धि करना, मनुष्यों के श्रम की जगह मशीनों पर निर्भर करना और कम से कम मेहनत में जीवन स्तर को ऊपर उठाना होता है। इसके माध्यम से मनुष्यों की मशीन पर निर्भरता बढ़ती है और प्रकृति पर मनुष्यों के नियन्त्रण में वृद्धि होती है। औद्योगिकरण कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो कल-कारखानों तक ही सीमित रहती है बल्कि यह मूलतः एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत मशीनों के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि की जाती है।

औद्योगिकरण और नागरीकरण एक सिक्के के पहलू हैं अर्थात् औद्योगिकरण और नागरीकरण से उत्पन्न सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभावों में कोई भिन्नता नहीं है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया से नगरों का विकास तेजी से होता है। जिस स्थान पर औद्योगिकरण होता है वहाँ लोग रोजगार के लिए आने लगते हैं और जनसंख्या में बढ़ोत्तरी होने लगती है।

औद्योगिकरण के सामाजिक प्रभाव-

1. **अपराधों में वृद्धि-** औद्योगिकरण के प्रभाव स्वरूप अपराधों में वृद्धि होती है। क्योंकि ग्रामीण सामाजिक के लोग रोजगार के लिए औद्योगिक क्षेत्र में आने लगते हैं। यहां पर उन्हें जो वातावरण मिलता है उससे वह अनिर्विज्ञ होते हैं। जिसकी वजह से वह तनाव और चिन्ता से घिर जाते हैं। यहां पर उन्हें अनौपचारिक सम्बन्धों का अभाव मिलता है। इसलिए वह व्यसनो शराब जैसी आदितों से घिर जाते हैं।
2. **आधुनिकीकरण में वृद्धि-** औद्योगिकरण से आधुनिकीकरण में वृद्धि होती है। क्योंकि औद्योगिकरण में उत्पादन में नई तकनीक का प्रयोग, नया बजार, यातायात के साधन आदि आधुनिकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं।
3. **स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन-** नागरीकरण की तरह ही औद्योगिकरण से भी स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन होता है। औद्योगिकरण में स्त्रियों को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर प्रदान किए हैं। जिससे स्त्रियां सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो रही हैं।
4. **संयुक्त परिवारों का विघटन-** औद्योगिकरण के प्रभाव से संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। लोग रोजगार की तलाश में औद्योगिक क्षेत्रों में आ रहे हैं जिससे नगरों का विकास हो रहा है। फलस्वरूप संयुक्त परिवार एकल परिवारों में परिवर्तित हो रहे हैं।

औद्योगिकरण के आर्थिक प्रभाव-

1. औद्योगिकरण के फलस्वरूप पूँजीवाद में वृद्धि हो रही है। क्योंकि बड़े-बड़े कारखानों को पूँजीपति ही चला सकते हैं।


2. औद्योगीकरण के श्रम विभाजन और विशेषीकरण का महत्त्व समाज में बढ़ रहा है।
3. औद्योगीकरण ने बेरोजगारी की समस्या को भी जन्म दिया है।
4. बड़े-बड़े कारखानों में श्रमिकों के कार्य करने की दशाएं अभी भी असंतोष जनक हैं। जिससे विभिन्न प्रकार के रोग और शारीरिक दुर्घटनाएँ होती रहती हैं।
5. औद्योगीकरण से लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है।
6. औद्योगीकरण से कुटीर उद्योगों का पतन हो रहा है।

कारखानों का प्रारम्भ- इंग्लैण्ड में कारखानों का निर्माण सन् 1730 के दशक में शुरू हुआ और 18वीं सदी के अन्त तक पूरे इंग्लैण्ड में अनेक स्थानों पर कारखाने दिखाई देने लगे। परिणामस्वरूप उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। इस उत्पादन के बढ़ने का मुख्य कारण 18 वीं सदी में हुए कई मशीनी आविष्कार और कार्य कुशलता में वृद्धि था। कारखानों के खुलने से श्रमिकों की आय और कार्यकुशलता में वृद्धि हुई। मशीनीकरण से फैक्ट्रीयों-कारखानों में मजदूरों की निगरानी करना और उनसे काम लेना सरल हो गया। सबसे पहले औद्योगीकरण का असर मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग में हुआ।

औद्योगिक क्रान्ति के प्रारम्भ में मशीनें गुणवत्तायुक्त नहीं थी, जिसके कारण उनका रख-रखाव करना महंगा साबित होता था इसलिए कोई भी उद्योगपति नई मशीनों में निवेश करने से हिचकिचाता था। श्रमिकों की संख्या अधिक और मजदूरी की दर कम होने के कारण व्यवसायी और उद्योगपति श्रमिकों से काम लेना बेहतर समझते थे। हाथ से बनी चीजें परिष्कृत होने के कारण उनकी मांग अधिक होती थी। अमेरिका में श्रमिकों की कमी होने के कारण उनके पास मशीनीकरण ही एक मात्र विकल्प था।

श्रमिकों के जीवन में परिवर्तन- औद्योगिक क्रान्ति के कारण रोजगार की तलाश में गाँवों के लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। श्रमिकों को लम्बे समय तक काम मिलने का इंतजार करना पड़ता था। इन लोगों को फुटपथों, पुलों या रेन बसेरों में रातें बितानी पड़ती थी। गरीबों के लिए पूअर लॉ ऑथोरिटी बनी थी, जो बेघर लोगों के लिए केजुअल वार्ड की व्यवस्था करती थी। विभिन्न उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी होती थी इसलिए सीजन बीत जाने के बाद श्रमिक बेरोजगार हो जाते थे। उनमें से कुछ अपने गाँव लौट जाते थे और कुछ काम की तलाश में शहरों में ही रूक जाते थे। 19वीं सदी की शुरूआत में वेतन में थोड़ी सी वृद्धि हुई, जो महंगाई दर से बहुत कम थी, इसलिए मजदूरों के जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं हो पाया। 19वीं सदी के मध्य तक अर्थव्यवस्था के अच्छे दौर में भी शहरों की जनसंख्या का लगभग 10% भाग अत्यधिक गरीबी में रहता था। आर्थिक मंदी के दौरान बेरोजगारी दर 35% से 75% के बीच हो गई थी। श्रमिक प्रायः बेरोजगारी के डर से नई तकनीक और मशीनीकरण

का विरोध करते थे। सन् 1840 के दशक के बाद शहरों में भवन निर्माण में तेजी आने के कारण रोजगार



चित्र-5.2 सूरत में एक इंग्लिश कारखाना सत्रहवीं सदी

मांग थी। विभिन्न बन्दरगाहों पर भारतीय व्यापारियों का मजबूत तन्त्र बना हुआ था। 18वीं सदी के मध्य तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी के भारत में कारोबार विस्तार के कारण व्यापार के पुराने केन्द्रों (सूरत, हुगली) का पतन हो चुका था और नवीन केन्द्रों के रूप में कोलकत्ता, मुम्बई आदि का उदय हुआ। भारत में राजनैतिक प्रभुत्ता स्थापित करने के बाद ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने व्यापार पर अपने एकाधिकार कर लिया। कम्पनी ने भारतीय बुनकरों पर सीधा नियन्त्रण करने के उद्देश्य से कुछ लोगों (गुमास्ता) को वेतन पर रखना शुरू कर दिया। इसका कार्य बुनकरों पर निगरानी रखना, माल का संग्रहण करना व कपड़े की गुणवत्ता की जाँच करना था। गुमास्ता बाहरी व्यक्ति होता था। वह अपने सिपाइयों एवं सहयोगियों के बल पर बुनकरों को प्रताड़ित भी करता था। इसलिए बुनकरों एवं गुमास्ता के मध्य हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहती थी। अग्रिम कर्ज लेने के बाद बुनकर के पास इतना समय नहीं होता था कि वे अपने खेत पर काम कर सकें। इसलिए परेशानीओं वे अपनी जमीन काश्तकारों को खेती के लिए देते थे। कई बुनकर कर्ज के चक्कर में फंस जाते थे इसलिए वे अपने गांव से पलायन के लिए मजबूर हो आते थे। कुछ लोगों ने बुनाई का कार्य छोड़कर कृषि करना प्रारम्भ कर दिया।

मैनचेस्टर (विदेशी कपड़े) का भारत में आगमन- भारतीय सूती वस्त्र अपनी उच्च गुणवत्ता के कारण सम्पूर्ण विश्व में प्रसिद्ध थे। इन वस्त्रों की बाजारों में इतनी मांग थी कि तात्कालीन अंग्रेज अफसर हेनरी पतूलो (सन् 1772) ने कहा था कि दुनिया के किसी भी देश में भारत से अच्छा कपड़ा नहीं बनता है। इसलिए यह कपड़ा कभी बाजारों से खत्म नहीं होगा। फिर ऐसे क्या कारण थे कि भारत का इतना उन्नत

के नवीन अवसर प्रारम्भ हुए, सन् 1840 में परिवहन उद्योग में श्रमिकों की संख्या दोगुनी हो गई और आने वाले तीस वर्षों में फिर से दोगुनी हो गई।

भारत में कपड़ा उद्योग का युग- औद्योगीकरण से पहले अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के सूती कपड़े अच्छी गुणवत्ता होने के कारण बहुत

कपड़ा उद्योग पतन की ओर उन्मुख हुआ। उन्नीसवीं सदी की शुरूआत से ही भारत से कपड़ों का निर्यात घटने लगा। जहाँ सन् 1811-12 ई. में भारत से होने वाले निर्यात में 33% सूती कपड़ा होता था, जो सन् 1850-51 ई. में केवल 3% रह गया। इंग्लैण्ड के उद्योगपतियों के दबाव में वहाँ की सरकार ने इंग्लैण्ड में सीमा शुल्क लगा दिया। जिससे कपड़े का आयात रूक गया और ईस्ट इण्डिया कम्पनी पर इस बात के लिए दबाव डाला गया कि वह इंग्लैण्ड में बनी चीजों को भारत के बाजारों में बेचे। 18वीं सदी के अन्त तक भारत में सूती कपड़ों का आयात नगण्य था, जो सन् 1850 ई. तक 31% तक हो गया और सन् 1870 के दशक तक यह अंश बढ़कर 70% हो गया। इसका प्रमुख कारण था, मैनचेस्टर की मिलों में बना कपड़ा। यह भारत के हथकरघों से बने कपड़े की तुलना में सस्ता था। इस कारण बुनकरों का व्यवसाय गिरने लगा। इसके परिणामस्वरूप सन् 1850 के दशक तक भारत में सूती कपड़े के अधिकांश केंद्रों में भारी मंदी आ गई। सन् 1860 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध शुरू होने के कारण वहाँ से इंग्लैण्ड को मिलने वाली कपास की आपूर्ति बन्द हो चुकी थी। जिसके कारण भारत से कपास इंग्लैण्ड को निर्यात होने लगी। इसका असर यह हुआ कि भारत के बुनकरों के लिए कच्चे कपास की भारी कमी हो गई।

भारत में कारखानों की शुरूआत- 19वीं सदी के अन्त तक भारत में सूती कपड़े के कारखाने खुलने लगे। भारत में पहली कपड़ा मील सन् 1854 ई. में मुम्बई स्थापित की गई। इसके बाद भारत में अनेक सूती मिलों की स्थापना हुई और इस दौरान बङ्गाल में जूट मिल भी शुरू हो चुकी थीं। इन मिलों की स्थापना उन स्थानों पर हुई जहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता हो और सस्ते मजदूर मिल सकें। धीरे-धीरे मिलों की संख्या बढ़ने के कारण श्रमिकों की मांग भी बढ़ी। प्रायः ये श्रमिक आस-पास के क्षेत्रों से आते थे। फैक्ट्री मालिकों ने मजदूरों की भर्ती के लिए जाबर रखते थे, जो उनका विश्वस्त और वफादार होता था और यह मजदूरों की शहर में आवास आदि की व्यवस्था में सहयोग करता था। मिलों की स्थापना से श्रमिकों की मांग बढ़ी, जिससे शहरीकरण को बढ़ावा मिला।

शहरीकरण- जिस स्थान पर रोजगार का प्रमुख साधन कृषि न होकर कुछ और हो, तो उस स्थान को शहर कहते हैं। बड़े शहरों को महानगर कहा जाता है जो राजनैतिक सत्ता, संस्कृति तथा आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र होते हैं। शहरीकरण एक लम्बी प्रक्रिया है, लेकिन आधुनिक शहरों के उदय का इतिहास 200 वर्षों से अधिक पुराना नहीं है। औद्योगिक क्रान्ति के कारण नगरीकरण को बढ़ावा मिला जिसके प्रमुख परिणाम निम्न हैं-

आधुनिक शहरों का उदय- औद्योगिक क्रान्ति के कई दशक बाद भी अधिकांश पश्चिमी देश ग्रामीण परिवेश वाले ही थे। 18वीं सदी के अन्त में कपड़ा मिलों के खुलने से गाँवों से लोग पलायन करके शहरों

में आने लगे, जिससे धीरे-धीरे शहरीकरण बढ़ा। परिणामस्वरूप लीड्स एवं मैनचेस्टर जैसे नवीन शहरों का विकास हुआ। सन् 1851 में मैनचेस्टर में आबादी का तीन चौथाई से अधिक भाग गाँवों से आने वाले मजदूर का था। लंदन पहले से ही एक बड़ा शहर था। 18वीं सदी के मध्य तक इंग्लैण्ड एवं वेल्स के प्रत्येक 9 में से एक आदमी लंदन में रहता था। लंदन में कोई बड़ी फैक्ट्री या कारखाना नहीं था फिर भी यह शहर ग्रामीणों का मुख्य केन्द्र था। लंदन के डॉकयार्ड में रोजगार के अधिकांश अवसर थे। इसके अतिरिक्त लोगों को कपड़ा, जूते, लकड़ी, फर्निचर, मेटल, इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग और प्रेसिजन इंस्ट्रूमेन्ट में भी काम मिलता था। प्रथम विश्व युद्ध (सन् 1914 से 1919तक) के दौरान लंदन में कार और इलेक्ट्रिकल उत्पादों का निर्माण शुरू होने के साथ लंदन में बड़े कारखानों की शुरूआत हुई।

महिलाओं की स्थिति- औद्योगिकीकरण, तकनीकी विकास और प्रथम विश्व युद्ध के कारण बड़ी संख्या में महिलाओं की नौकरी चली गई। अब ऐसी महिलाओं को परिवार का पालन-पोषण करने के लिए घरेलू नौकर की तरह काम करना पड़ा तो कुछ महिलाएँ सिलाई-बुनाई जैसे छोटे-मोटे काम करने लगी। इस दौरान बाल मजदूरी भी एक बड़ी समस्या थी। गरीब परिवार के बच्चों को कम वेतन वाले कार्यों पर लगा दिया जाता था ताकि परिवार का पालन-पोषण हो सकें। बाल मजदूरी (बाल श्रम) को रोकने के उद्देश्य से दो कानून बने-

1. सन् 1870 का कम्पल्सरी एज्यूकेशन एक्ट।
2. सन् 1902 का फैक्ट्री एक्ट।


भारत में मुद्रण संस्कृति- भारत में प्राचीनकाल से ही भोजपत्र एवं ताड़ पत्र आदि कागज उद्योग एवं हस्त मुद्रण का स्वरूप थे। इन पर अनेक भाषाओं में पाण्डुलिपियाँ लिखी जाती थी। भारत के ऋषि-मुनि या साधु-सन्यासी जब कभी तीर्थ यात्रा या कुम्भ आदि में जाते थे, तो वहाँ के दृश्यों का वर्णन स्वयं या अपने अनुयायियों से पाण्डुलिपियों में करवाते थे। इस प्रकार वे जहाँ-जहाँ घूमते वहाँ की प्रकृति, इतिहास व



चित्र-5.3 पाण्डुलिपियाँ

विशेषताओं को पाण्डुलिपियों में लिखते थे। ये पाण्डुलिपियाँ बहुत मंहंगी व नरम होती थी इसलिए उनके रख-रखाव में अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ती थी।

आधुनिक भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस 6 दिसम्बर सन् 1556 को लगाई गई। यह प्रेस पुर्तगाल से ओबीसिनिया (वर्तमान इथोपिया) के लिए भेजी गई थी, किन्तु उन दिनों स्वेज नहर नहीं बनी थी।



चित्र- 5.4 आधुनिक भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस

इसलिए भारत होकर ही ओबीसिनिया जाना पड़ता था। लेकिन किन्हीं कारणों से यह प्रेस ओबीसीनिया न जाकर गोवा में ही रह गई और सन् 1557 में यहीं सेंट जेवियर ने 'दौक्रीना क्रिस्ताओं' नामक पुस्तक छपवाई। भारत में मुद्रण कला का व्यापक विस्तार बङ्गाल में हुआ। सन् 1778 में हुगली में बाङ्गला भाषा का व्याकरण

छपा था। भारतीय भाषाओं में सबसे पहले तमिल भाषा के टाइप बनाए गए। नागरी लिपि के टाइप सबसे पहले यूरोप में बने। अस्थानासी किंचेरी कृत चाइना इलस्ट्रेटा 1675 ई. में प्रकाशित पहली पुस्तक है, जिसे नागरी लिपि में मुद्रित किया गया था। 1771 ई. में एक पुस्तक रोम में प्रकाशित हुई और इसे ही खडी बोली की प्रथम वर्णमाला पुस्तक माना जाता है। भारत में बाङ्गला तथा नागरी टाइप के जनक दो व्यक्ति थे चार्ल्स विल्किंसन तथा पञ्चानन कर्मकार। चार्ल्स विल्किंसन, वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1778 ई. में पहली बार बाङ्गला भाषा का व्याकरण छापा। उसके बाद 1779 ई. में देवनागरी लिपि में पहली पुस्तक छपी हिन्दुस्तानी भाषा का व्याकरण इसे गिलक्राइस्ट ने छपवाया था।

भारत में शहरीकरण- भारत में शहरों का इतिहास कोई नवीन नहीं है। वैदिक वाङ्मय और नदी घाटी सभ्यताओं में भी अनेक शहरों के उदाहरण मिलते हैं। उस समय के शहरों में अयोध्या, इन्द्रप्रस्थ, हस्तिनापुर मोहनजोदड़ों व हडप्पा पाटिलपुत्र, पुरूषपुर (पेशावर) आदि प्रमुख थें। समय के साथ-साथ शहरों के आकार एवं जटिलताओं में परिवर्तन आते गये। इसी प्रकार आधुनिक शहर विशेष रूप से महानगर आकार एवं जटिलता के मामले में प्राचीन शहरों से बहुत अलग हैं। शहर हमेशा से कई गतिविधियों के केन्द्र होते हैं जैसे- राजनैतिक सत्ता, प्रशासनिक तन्त्र, उद्योग-धन्धे, धार्मिक संस्थाएँ, बौद्धिक गतिविधियाँ, बाजार आदि। भारत की राजधानी नई दिल्ली एक ऐसे ही शहर का उदाहरण है जहाँ राजनैतिक सत्ता, प्रशासनिक तन्त्र, उद्योग-धन्धे, धार्मिक संस्थाएँ, बौद्धिक गतिविधियाँ, बाजार आदि समस्त गतिविधियाँ होती हैं। परन्तु यदि हम दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो जैसे शहरों को देखे तो वहाँ मुख्य रूप से उद्योग धन्धे से संबंधित गतिविधियाँ होती हैं वहीं दूसरी ओर बनारस, मथुरा, उज्जैन,

तिरुपति आदि शहरों में मुख्य रूप से धार्मिक संस्थाओं की गतिविधियाँ होती हैं। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक शहर की अपनी विशेषता होती है।

भारत की स्वतंत्रता में मुद्रण संस्कृति का प्रयोग –

1. सरकारी गलत नियमों, प्रेस की स्वतंत्रता राष्ट्रवादी भावनाओं को रोकने आदि के प्रति उठाए गए इसके दमनकारी कदमों की जानकारी पत्र-पत्रिकाओं में छपी जाती थी।
2. भाषाई समाचार- पत्रों द्वारा औपनिवेशिक सरकार के शोषण के तरीकों की जानकारी जनता को दी जाती थी।
3. मुद्रण संस्कृति द्वारा क्रांतिकारी विचार भी फैलाए जाते थे।
4. राष्ट्रीय समाचार पत्र सदा भारतीय जनता के दृष्टिकोण को प्रचारित-प्रसारित करते रहते थे।
5. मुद्रण संस्कृति से यूरोप में फैल रहे 'स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व' के सिद्धान्तों की जानकारी मिली।
6. अंग्रेजी पुस्तकों के अध्ययन से भारतीयों को पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। हम यह सोचने पर विवश हो गए हैं कि जब इंग्लैंड में लोकतंत्र है तो भारत को भी स्वतंत्रता का अधिकार है।
7. प्रिंट संस्कृति से लोगों में संवाद की संस्कृति का विकास हुआ। समाज सुधार के नए विचारों को अब बहुत ही बेहतर तरीके से लोगों तक पहुँचाया जाता था।
8. गाँधी जी ने अखबारों के माध्यम से स्वदेशी के अर्थ को अधिक शक्तिशाली तरीके से व्यक्त करना शुरू किया। कई दमनकारी नीतियों के बावजूद प्रिंट संस्कृति एक ऐसा आंदोलन था जिसे रोक नहीं जा सकता था।

इस प्रकार हम समझते हैं कि औद्योगीकरण की शुरूआत से आधुनिक शहरों के विकास की शुरूआत हुई और बाद में इस प्रक्रिया पर लोकतंत्र और उपनिवेश के प्रसार का भी प्रभाव पड़ा। औद्योगिक पूँजीवाद का उदय, विश्व के बहुत बड़े हिस्से पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना और लोकतान्त्रिक आदर्शों का विकास, इन तीन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहरों का ढाँचा निश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभायी है।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. इंग्लैंड में कारखाने की सबसे पहले शुरूआत..... हुई थी।
 अ. 1860 के दशक में
 स. 1640 के दशक में
 ब. 1790 के दशक में
 द. 1730 के दशक में

4. महानगर किसे कहते हैं?
5. कपडा उद्योग के लिए प्रसिद्ध इंग्लैण्ड के दो शहरों के नाम बताइए।
6. बाल श्रम को रोकने के लिए कौन-कौन से कानून बनें?
7. पाण्डुलिपी किसे कहते हैं ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. औद्योगीकरण के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को समझाए।
2. कारखाने खुलने से क्या लाभ हुए।
3. मेनचेस्टर का भारत में क्या प्रभाव पडा?
4. लंदन ग्रामीणों का मुख्य केन्द्र क्यों हुआ करता था?
5. मुद्रण से आप क्या समझते हैं।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. भारत के कपडा उद्योग युग का वर्णन कीजिए।
2. श्रमिकों के जीवन पर निबन्ध लिखिए।
3. शहर किन-किन गतिविधियों के केन्द्र होते हैं ? समझाइए।
4. भारत की मुद्रण संस्कृति का विस्तार से वर्णन कीजिए।

परियोजना-

1. अपने क्षेत्र के किसी एक उद्योग को चुनकर उसके इतिहास का पता लगाये।

अध्याय - 6

भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन एवं स्वतन्त्रता प्राप्ति

इस अध्याय में- राष्ट्रवादियों के संघर्ष एवं आन्दोलन, बङ्ग भङ्ग और स्वदेशी आन्दोलन, रॉलेट एक्ट, जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड, खिलाफत आन्दोलन, असहयोग आन्दोलन, स्वराज्य दल की स्थापना, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आन्दोलन, गाँधी-इरविन समझौता, भारत छोड़ो आन्दोलन, भारत विभाजन एवं स्वतन्त्रता प्राप्ति।

सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत विश्व का समृद्धतम समृद्ध देश था जिस पर विदेशियों की गिद्ध दृष्टि हमेशा रहती थी। इसकी समृद्धि से लालायित होकर विदेशी यहाँ आए और उनके द्वारा भारत की एकता एवं अखण्डता को नष्ट किया गया किन्तु भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में अनगिनत व्यक्तियों, संस्थाओं और घटनाओं का योगदान रहा है। हमारे देश के क्रान्तिकारियों के देश प्रेम, बलिदान, त्याग के द्वारा स्वतन्त्रता आन्दोलन को एक नई दिशा और गति प्रदान कर अपने तरीकों से भारत देश को स्वतन्त्र किया। इस अध्याय में हम स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये किये गए प्रमुख आन्दोलनों का विस्तार अध्ययन करेंगे।

वैदिक वाङ्मय में राष्ट्रवाद की अवधारणा का उल्लेख हुआ है। राष्ट्र शब्द एक सुनिर्दिष्ट भावना का प्रतीक है। यजुर्वेद में राष्ट्र कल्याण की कामना का उल्लेख इस मन्त्र में अभिव्यक्त हुआ है- **राष्ट्रे राजन्यः शूर इष्व्योऽतिव्याधि महारथो जायताम्।** (यजु. 28/22), **अभि वर्धतां पयसाभि राष्ट्रेण वर्धताम्।** (अथर्व. 6/78/2) अर्थात् हमारे राष्ट्र में वीर, धनुर्धारी, महारथी आदि हों। अथर्ववेद में भी राष्ट्र के धन-धान्य, दुग्ध आदि से संवर्धित होने की प्रार्थना की गई है। वाल्मिकी रामायण का यह श्लोक- **अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ॥** राष्ट्रवाद की अवधारणा को प्रतिष्ठित करता है। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के भौगोलिक सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों में प्रेम, देश की विरासत पर गर्व एवं एकता की भावना है। वैदिक वाङ्मय में साम्राज्य, स्वराज्य, राज्य, महाराज्य आदि शब्द राष्ट्र के लिए प्रयुक्त हुए हैं। राष्ट्र से आशय उस भू खण्ड विशेष से है, जहाँ लोग किसी एक संस्कृति विशेष से आबद्ध होते हैं। वे देश जिनमें देशवासियों को भी आत्मसात करने की शक्ति होती है, वे राष्ट्र कहलाते हैं। राष्ट्र के आवश्यक तत्व हैं- भू-भाग, जनसंख्या, प्रभुसत्ता, सभ्यता और संस्कृति, भाषा और साहित्य राष्ट्रीय विरासत पर गर्व तथा राष्ट्रीय एकता। वैदिक वाङ्मय में राष्ट्रीय एकता और

अखण्डता का आधार मानवता और लोक कल्याण है और भारतीय संस्कृति का आदर्श वसुधैव कुटुम्बकम् है। भारतीय मनीषियों ने मानवता और लोक कल्याण की कामना करते हुए कहा है- सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग भवेत्। (पद्मपुराण) अर्थात् सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ रहें सभी एक-दूसरे को प्रसन्न मन से देखें तथा किसी को भी दुख नहीं हो। ऐसी ही समता का भाव (ऋ.5/60/5) में भी उल्लेख है।

राष्ट्रवादियों के संघर्ष एवं आन्दोलन- 19 सदी में भारतीय धर्म एवं समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए कई समाज धर्म सुधार आन्दोलन चले जैसे:- ब्रह्मसमाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, सिंह सभा इत्यादि। इन आन्दोलनों से भारतीयों में आत्मसम्मान, स्वाभिमान, आत्म गौरव एवं आत्मबलिदान को भावनाएँ उत्पन्न हुई तथा अपने राष्ट्र, धर्म एवं संस्कृति के प्रति गर्व की भावना ने जन्म लिया जिससे साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष बढ़ने लगा। इसके फलस्वरूप लाल, बाल, पाल जैसे जुझारू राष्ट्रवादियों ने सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रीयता, देश प्रेम एवं स्वराज्य की एक विशाल लहर उत्पन्न की। इसमें लाल, बाल, पाल व अरविन्द घोष ने मुख्य भूमिका निभाई। बंकिम चन्द्र चटर्जी के द्वारा रचित उपन्यास आनन्दमठ में 'वन्दे मातरम' का वह गीत रचा गया जिसने लाखों-करोड़ों भारतीयों में राष्ट्रीयता एवं स्वराज्य की भावना को जन्म दिया तथा उनमें क्रान्तिकारी विचारों एवं संघर्षों का बीज बोया। महर्षि अरविन्द घोष ने भारत को जीता जागता सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक राष्ट्र कहा। बङ्गाल में क्रान्ति की भावना का जन्म इन्हीं के प्रयासों से हुआ। राष्ट्रवादियों के संघर्ष एवं आन्दोलनों से देश स्वतन्त्र हुआ।

भारत के राजनीतिक क्षेत्र में महात्मा गाँधी का प्रवेश नवीन युग के प्रारम्भ का सूचक था। सन् 1919 ई. के बाद महात्मा गाँधी ने भारतीय राजनीति और राष्ट्रीय आन्दोलन को नया स्वरूप प्रदान किया। इसके बाद उनके नेतृत्व में अनेक आन्दोलन हुए।

बङ्ग भङ्ग और स्वदेशी आन्दोलन- लार्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे अविवेकपूर्ण निर्णय, बङ्गाल का विभाजन था। उस समय बङ्गाल में बङ्गाल, बिहार, असम और उड़ीसा सम्मिलित थे। यह भारत का एक विशाल प्रान्त था। लार्ड कर्जन का विचार था कि प्रशासनिक दृष्टि से ने विशाल प्रांत पर कुशलता पूर्वक शासन किया सम्भव नहीं है। इसे औचित्यपूर्ण सिद्ध करने के लिए कर्जन ने बङ्गाल को विभाजित करने की योजना बनायी।

व्यापक जन विरोध के बाद भी ब्रिटिश शासन ने 19 जुलाई 1905 को बङ्गाल-विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। बङ्गाल विभाजन के विरोध में 'स्वदेशी' और 'बहिष्कार' आन्दोलन का जन्म हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि पूरे बङ्गाल में जनसभाएँ की गयीं, जिसमें स्वदेशी अर्थात् भारतीय वस्तुओं

के उपयोग तथा ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के निर्णय किये गया। अनेक जगहों पर विदेशी कपड़ों की होली जलायी गयी और विदेशी कपड़े बेचने वाली दुकानों पर धरने दिए गये। स्वदेशी आन्दोलन पर्याप्त सफल रहा। विरोध में अब संघर्ष का दूसरा तरीका अपनाया गया और जगह-जगह विदेशी माल बहिष्कार की प्रतिज्ञा ली गई।

बङ्गाल विभाजन के विरोध का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक गहरा प्रभाव पड़ा। नरमपंथी और गरमपंथी राष्ट्रवादियों के बीच जमकर सार्वजनिक रूप से बहस एवं मतभेद हुआ। गरमपंथी स्वदेशी और बहिष्कार को बङ्गाल से बाहर पूरे देश में फैलाने तथा औपनिवेशिक सरकार के साथ किसी भी रूप में जुड़ने का बहिष्कार करना चाहते थे। नरमपंथी बहिष्कार को सिर्फ बङ्गाल तक और वहाँ भी केवल विदेशी मालों तक सीमित रखना चाहते थे। दोनों पन्थों के मतभेद बढ़ते ही गये और अंततः में 1907 में सूरत अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस के दो टुकड़े हो गये। नरमपंथी नेता कांग्रेस संगठन पर कब्जा करने तथा उससे गरमपंथियों को निष्कासित करने में सफल रहे। लेकिन अंततः बङ्गाल विभाजन का लाभ किसी भी दल को नहीं हुआ। नरमपंथियों का राष्ट्रवादियों की नयी पीढ़ी से सम्पर्क टूट गया। जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने भी 'फूट डालो और राज करो' की नीति को अपनाया तथा गरमपंथी राष्ट्रवादियों का दमन और नरमपंथियों को अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न किया।

रॉलेट एक्ट- भारत में क्रान्तिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश 'सर सिडनी रॉलेट' की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की एवं कमेटी ने 1918 ई. में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों के अन्तर्गत केन्द्रीय विधानमण्डल (फरवरी 1919 में) दो विधेयक पारित किए गए। इन विधेयकों को रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। भारतीयों द्वारा विरोध करने के बाद भी यह विधेयक 8 मार्च, 1919 ई. को लागू कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रान्तिकारियों के मुकदमों में जल्दी सुनवाई एवं अपील का अधिकार छीनने के उद्देश्य से रॉलेट एक्ट पास किया गया।

- इसके अन्तर्गत राजद्रोहात्मक गतिविधियों के सन्देह में किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बन्दी बनाने, उससे जमानत लेने व अन्य कार्यों पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार सरकार को प्राप्त हो गया।
- इसमें सरकार को बिना वारन्ट के क्रान्तिकारियों की तलाशी एवं गिरफ्तार करने की शक्तियाँ प्रदान की गईं। जिसके निर्णयों की अपील नहीं हो सकती थी। सरकार की दमन नीति के विरोध में पूरे देश में हड़तालें हुईं।

जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड- गाँधीजी तथा अन्य नेताओं के पं जाब प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगे होने के कारण वहाँ की जनता में बड़ा आक्रोश उत्पन्न हुआ। यह आक्रोश उस समय अधिक बढ़ गया जब पञ्जाब के दो लोकप्रिय नेता डॉ. सत्यपाल एवं डॉ. सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने बिना किसी कारण से गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में जनता ने एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। पुलिस ने जुलूस को आगे बढ़ने से रोका लेकिन रोकने में सफल न होने पर गोली चलाने का आदेश दिया गया।



चित्र 6.1 जलियावाला बाग हत्याकाण्ड

तत्पश्चात जुलूस ने उग्र रूप धारण किया, सरकारी समिति को नुकसान किया दी। अमृतसर की स्थिति को देख सरकार ने 10 अप्रैल सन् 1919 को शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ओ. डायर को सौंप दिया। सभा के आयोजनों एवं प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई। उक्त सूचना जनता को नहीं दी गई। अतः 13 अप्रैल, 1919 को करीब साढ़े चार बजे शाम को अमृतसर के जलियाँवाला बाग में एक आम सभा का आयोजन हुआ। जिसमें लगभग 10,000 लोग सम्मिलित हुए।

जनरल डायर लगभग 400 हथियार बन्द सैनिकों के साथ सभा स्थल पर पहुँचा और बिना पूर्व चेतावनी के भीड़ पर तब तक गोलियाँ चलाई जब तक गोलियाँ समाप्त नहीं हो गई, जिसमें हजारों लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। जनरल डायर को पद से हटाया गया। सन् 1919 से 1922 के मध्य अंग्रेजों के विरुद्ध दो आन्दोलन चलाए गए- खिलाफत आन्दोलन एवं असहयोग आन्दोलन

खिलाफत आन्दोलन- प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैण्ड ने तुर्की को पराजित कर वहाँ की जनता पर अत्याचार किए। खलीफा को उसके पद से हटाने का निर्णय लिया गया। तुर्की में किए गए ब्रिटेन के इस कार्य की भारत के मुसलमानों ने घोर निन्दा करते हुए अंग्रेजों की खिलाफत की। भारत में 1919 में मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आजाद के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों के द्वारा तुर्की के खलीफा को पद से हटाने तथा मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का विरोध करना था। गाँधीजी एवं कांग्रेस के सदस्यों ने खिलाफत आन्दोलन में मुसलमानों को पूर्ण सहयोग देने का वचन दिया।

असहयोग आन्दोलन- प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का पूर्ण सहयोग किया था। गाँधीजी द्वारा युद्ध के दौरान अंग्रेजों को दिए गए सहयोग के कारण उन्हें 'कैसर-ए-हिन्द' की उपाधि दी गई। गाँधीजी अंग्रेजों के साथ पूर्ण सहयोग के पक्षधर थे, परन्तु 1918 ई. के बाद घटित कुछ घटनाओं के कारण वह सहयोगी से असहयोगी बन गए :-

1. ब्रिटिश सरकार द्वारा युद्ध के दौरान किए गए वचनों से बदलना।
2. रॉलेट एक्ट के द्वारा भारतीय जनता पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्ध लगाए गए।
3. जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड।
4. प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की दयनीय आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी और वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि।
5. खिलाफत का प्रश्न।

दिसम्बर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में गाँधीजी के असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। आन्दोलन पूर्णतः शान्तिपूर्वक चलाया जाना था। प्रत्येक स्तर पर सरकार के साथ असहयोग करना था।



चित्र 6.2 असहयोग आन्दोलन

असहयोग आन्दोलन शीघ्र ही जनता के बीच लोकप्रिय हो गया। लगभग 10,000 छात्रों ने स्कूल-कॉलेज छोड़ दिए। काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ आदि संस्थाएँ स्थापित हुईं। सम्पूर्ण देश में असहयोग आन्दोलन को सफलता मिल रही थी बच्चे, युवा, वृद्धजन एवं महिलाओं में अपार जोश था। वकालत छोड़ने वाले लोगों में पं. मोतीलाल नेहरू, एम. आर. जयकर, सी.आर. दास, वल्लभ भाई पटेल आदि प्रमुख थे शराब की दुकानों पर धरने में महिलाओं ने प्रमुख रूप से भाग लिया। शान्तिपूर्ण आन्दोलन के दौरान सरकार का दमन चक्र भी चलता रहा। गाँधीजी के अतिरिक्त सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बन्दी बना लिया गया। प्रिन्स ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर प्रदर्शन किए गए।

गाँधीजी ने 1 फरवरी, 1922 को वायसराय के पास अल्टीमेटम भेजा कि यदि बन्दियों को तुरन्त रिहा नहीं किया व दमनचक्र बन्द न किया गया तो सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया जाएगा, किन्तु इसी बीच 5 फरवरी को उत्तरप्रदेश में चौरी-चौरा नामक स्थान पर पुलिस थाने को आग लगा दी

गई। इस घटना में एक थानेदार सहित 21 सिपाही जलकर मर गये। इस घटना को चौरी-चौरा काण्ड के नाम से जाना जाता है। इस आन्दोलन हिंसक रूप से दुःखी होकर 1922 में गाँधीजी ने यह आन्दोलन वापस ले लिया। अतः असहयोग आन्दोलन 1920 से लेकर 1922 तक चला।

स्वराज्य दल की स्थापना- स्वराज्य दल की स्थापना को असहयोग आन्दोलन के स्थगन की प्रतिक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। असहयोग आन्दोलनके बाद जनता में राष्ट्रीय चेतना चरमोत्कर्ष पर थी। चितरंजन दास एवं पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य दल का गठन किया। चितरंजन दास इसके अध्यक्ष बने। स्वराज्य दल के प्रमुख उद्देश्य - स्वराज्य प्राप्त करना, सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना। अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना, राष्ट्रीय चेतना का विकास करना। चुनाव लड़कर कौंसिलों में प्रवेश करना।

केन्द्रीय विधानसभा में स्वराज्य दल के सदस्यों (विठ्ठलभाई, चितरंजन दास, पण्डित मोतीलाल नेहरू) एवं अन्य सहयोगियों ने स्वतन्त्र दल के साथ मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाया और सरकार के समक्ष माँगें प्रस्तुत कीं। सरकार द्वारा इन्हें न माने जाने पर उनके कार्यों में अड़चनें डालीं। सन् 1926 ई. के पश्चात स्वराज्य दल का विघटन हो गया।

साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन- वर्ष 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह 10 वर्ष पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा करेगी। लेकिन नवम्बर 1927 में एक आयोग की नियुक्ति कर दी। सर जान साइमन इसके अध्यक्ष बनाए गए। इसके सभी सात सदस्य अंग्रेज थे। इसे 'साइमन 'आयोग' के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, इस आयोग से जिन बातों पर विचार करने को कहा गया, उनसे भारतीय जनता को स्वराज्य पा सकने की कुछ भी आशा नहीं हुई।

फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुँचा। एक देशव्यापी हड़ताल ने उसका स्वागत किया। केन्द्रीय विधानसभा के अधिकतर सदस्यों तक ने कमीशन का बहिष्कार किया। कमीशन के विरोध के लिए पूरे देश में कमेटीयाँ बनाई गईं इसलिए कि जहाँ भी वह जाए, उसके विरोध में प्रदर्शनों और हड़तालों का आयोजन किया जा सके। हड़तालियों का नारा था- 'साइमन वापस जाओ' अनेक जगहों पर पुलिस ने शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को पीटा। पञ्जाब में विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। अंग्रेजों के लाठीचार्ज के फलस्वरूप लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनका देहान्त हो गया। अन्त में साइमन कमीशन वापस चला गया।

नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आन्दोलन- गाँधी जी ने उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक की 11 माँगों को लेकर 31 जनवरी, 1930 को वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। इसके अनुसार गाँधी जी

ने नमक उत्पादन पर सरकारी नियन्त्रण और कर को अंग्रेजी शासन का सबसे बड़ा दमनकारी पहलू माना था। महात्मा गाँधी ने पत्र के द्वारा अंग्रेजी शासन को यह चेतावनी दी कि 11 मार्च 1930 तक उनकी सभी मांगें मान ली जाये अन्यथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ किया जायेगा। इरविन द्वारा इन मांगों पर ध्यान देने के कारण 12 मार्च, 1930 को गाँधी जी ने अपने 78 विश्वस्त अनुयायियों के साथ नमक यात्रा प्रारम्भ कर दी। जिसे दाण्डी मार्च या दाण्डी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह यात्रा साबरमती आश्रम (अहमदाबाद) से प्रारम्भ होकर दाण्डी नामक गाँव तक जाकर पूर्ण होनी थी। गाँधी जी ने 240 किलोमीटर लम्बी यह यात्रा 24 दिन में पूर्ण की। 6 अप्रैल, 1930 को गाँधी जी द्वारा दाण्डी नामक स्थान पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। नमक कानून तोड़ने के बाद सारे देश में सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ हुआ। सविनय अवज्ञा आन्दोलन के पहले दौर में सारे देश में नमक कानून तोड़ने की घटनाएँ हुईं। नमक कानून तोड़ना सरकार के विरोध का प्रतीक बन गया।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन जितना जोर पकड़ता जा रहा था, सरकारी दमन चक्र में भी वृद्धि होती जा रही थी। लाठीचार्ज और गोली चलाने की घटनाएँ अनेक स्थानों पर हुईं। लगभग 1,00,000 लोग जेलों में डाल दिए गए। बहुत से लोग पुलिस की गोली से मारे गए। इस आन्दोलन में प्रथम बार महिलाओं ने खुलकर भाग लिया।

गाँधी-इरविन समझौता- आन्दोलन की उग्रता को रोकने के लिए 5 मई 1930 ई. को गाँधीजी को बन्दी बना लिया गया। मगर आन्दोलन जारी रहा। सरकार ने गाँधीजी को 26 जनवरी, 1931 को जेल से मुक्त कर दिया और दोनों के बीच 5 मार्च 1931 ई. को गाँधी इरविन समझौता हुआ। समझौते के द्वारा आन्दोलन कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। गाँधीजी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होना स्वीकार किया। सरकार ने आन्दोलनकारियों को जेलों से मुक्त कर दिया।

गाँधीजी सितम्बर 1931 ई. में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लन्दन गए। ब्रिटिश सरकार की हठधर्मी के कारण सम्मेलन विफल रहा और गाँधीजी वापस भारत आ गए। गाँधीजी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन पुनः प्रारम्भ कर दिया।

प्रमुख घटनाएँ (सन् 1932-1942)-

- डॉ. बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट द्वारा साम्प्रदायिक पञ्चाट का हल खोजा गया। 1930 से 1934 ई. के बीच अनेक घटनाएँ घटित हो चुकी थीं। सविनय अवज्ञा आन्दोलन 1932 ई. तक तो ठीक प्रकार से चलता रहा। मगर उसके बाद वह लगभग समाप्त हो गया और 1934 ई. में उसको वापस लेने की घोषणा कर दी गई।

- 1935 ई. के एक्ट के अनुसार 1937 ई. में प्रान्तों में चुनाव कराए गए। 11 प्रान्तों में से 7 प्रान्तों में कांग्रेस को सफलता मिली और उसने प्रान्तीय सरकारों का गठन किया।
- 1 सितम्बर, 1939 ई. को जर्मनी के पोलेण्ड पर आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध आरम्भ हुआ।
- ब्रिटेन द्वारा बिना किसी कारण के, बिना भारतीयों की सहमति लिए भारत का युद्ध में सम्मिलित करने से कांग्रेस अत्यधिक नाराज हुई।
- भारतीयों की माँग की जगह लार्ड लिनलिथगों ने 8 अगस्त, 1940 ई. को एक प्रस्ताव रखा जो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव में फिर से दोहराया गया कि युद्ध के पश्चात भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना की जाएगी।
- 23 मार्च 1940 ई. को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। जिसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में बताया गया कि 'भौगोलिक स्थिति से एक-दूसरे से लगे हुए, प्रदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस प्रकार गठित किए जाएँ, ताकि मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक हो जाए।'

क्रिप्स मिशन- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज भारत के सक्रिय एवं पूर्ण सहयोग के लिए बेचैन थे। इस परिस्थिति में इंग्लैण्ड के युद्धकालीन मन्त्रिमंडल के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारतीयों के लिए वर्तमान में 'स्वशासन' और भविष्य के लिए कुछ ठोस आश्वासन के साथ भारत भेजा गया।

भारत छोड़ो आन्दोलन- अप्रैल 1942 ई. में क्रिप्स मिशन की असफलता और इसके फलस्वरूप निराशा ने एक बार फिर देश में कुण्ठा की स्थिति पैदा कर दी। 8 अगस्त, 1942 ई. को मुम्बई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश सरकार को जल्दी समाप्त करना अति आवश्यक हो गया है। गाँधीजी ने करो या मरो का नारा दिया जो हर जगह सुनाई देने लगा। 9 अगस्त, 1942 ई. को कांग्रेस के अधिकांश नेता गिरफ्तार कर देश की विभिन्न जेलों में बन्द कर दिया गया। परिणामस्वरूप आन्दोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया परन्तु सरकारी दमनचक्र के कारण भारत छोड़ो आन्दोलन अधिक समय नहीं चल सका।

भारत विभाजन एवं स्वतन्त्रता प्राप्ति- ब्रिटिश सरकार ने 1946 ई. में घोषणा की कि वह भारत में अपना शासन समाप्त करना चाहती है। ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल का एक दल जो कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है, वह सत्ता के हस्तान्तरण के बारे में भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए भारत आया।

सरकार ने अन्तरिम सरकार बनाने और संविधान सभा बुलाने का प्रस्ताव रखा। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी।

इस सरकार में आरम्भ में मुस्लिम लीग सम्मिलित नहीं हुई परन्तु बाद वह सम्मिलित हुई। संविधान सभा ने दिसम्बर 1946 ई. में संविधान निर्माण का कार्य आरम्भ किया। परन्तु मुस्लिम लीग ने उसमें भाग लेने से मना कर दिया। 21 फरवरी, 1947 को ब्रिटिश सरकार ने नीति सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण घोषणा करते हुए लार्ड माउण्टबेटन को भारत का नया वायसराय नियुक्त किया गया था। जिन्होंने 3 जून 1947 ई. को अपनी एक योजना प्रस्तुत की जिसे माउण्डबेटन योजना कहते हैं। इस योजना के अन्तर्गत भारत को दो राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में विभाजन को स्वीकृति मिल गई थी। माउण्डबेटन योजना में निर्णय लिया गया कि 15 अगस्त, 1947 ई. को भारत और पाकिस्तान को सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राष्ट्र के रूप में सत्ता का हस्तान्तरण कर दिया जाएगा। अन्तरिम सरकार की पंगुता, साम्प्रदायिक हिंसा का ज्वार, मुस्लिम लीग की हठधर्मिता, काँग्रेसी नेताओं की विवशता तथा ब्रिटिश कूटनीति के परिणामस्वरूप भारत का विभाजन हुआ।

18 जुलाई, 1947 को भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम स्वीकृत हुआ और देश भारत तथा पाकिस्तान दो राष्ट्रों में विभक्त हुआ। अन्ततः 15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतन्त्र हो गया। स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू बनाए गए।

भारत में राष्ट्रीय भावना के उदय के मूल में अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त संघर्ष तथा सांस्कृतिक प्रक्रियाएँ थीं। इतिहास, साहित्य, लोक कथाएँ, चित्र, आदि भी राष्ट्रवाद को साकार करने में बहुमूल्य योगदान दिया राष्ट्र की पहचान के रूप में भारत में भारत माता को सर्वप्रथम बंकिम चन्द्र चटोपाध्याय ने चित्रित किया। सन् 1870 के दशक में उनके द्वारा वन्दे मातरम् गीत लिखा गया। सन् 1905 में अवनीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा भारत माता को चित्रित किया गया। इस चित्र में भारत माता की छवि शान्त, गम्भीर, दैवीय और आध्यात्मिक गुणों से समन्वित रही। इन दोनों ही रचनाओं ने भारत में राष्ट्रवाद को जगाने में अहम भूमिका निभाई। राष्ट्रवादी नेताओं को एकजुट रखने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए चिह्नों और प्रतीकों का प्रयोग होने लगा। बङ्गाल में स्वदेशी आन्दोलन के दौरान तिरंगा झंडे का निर्माण हुआ। इसमें आठ कमल के फूल और अर्द्ध चन्द्र क्रमशः आठ राज्यों और हिन्दू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। इसके बाद गाँधी जी के चरखे को स्वावलम्बन का प्रतीक माना गया।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. निम्न में से गाँधी जी द्वारा किया गया..... आन्दोलन है।
अ. भारत छोड़ो आन्दोलन
ब. असहयोग आन्दोलन
स. सविनय अवज्ञा आन्दोलन
द. उपर्युक्त सभी
2. गाँधी जी ने 'करो या मरो' का नारा..... दिया था।
अ. नमक यात्रा में
ब. सविनय अवज्ञा आन्दोलन में
स. भारत छोड़ो आन्दोलन में
द. असहयोग आन्दोलन में
3. चौरी-चौरा काण्ड (घटना)..... हुआ था।
अ. 1942 में
ब. 1922 में
स. 1930 में
द. 1920 में
4. जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम पारित किया जिसके अनुसार दो स्वतन्त्र देशों..... का निर्माण हुआ।
अ. भारत-बाङ्गलादेश
ब. भारत-पाकिस्तान
स. भारत-श्रीलङ्का
द. भारत-नेपाल
5. गाँधी जी ने नमक कानून तोड़ा प्ररम्भ किया था।
अ. 19 अप्रैल, 1930
ब. 6 अप्रैल, 1930
स. 12 मार्च, 1930
द. 9 मार्च, 1930
6. निम्न में से रॉलेट एक्ट का उद्देश्य..... था।
अ. सभी हड़तालों को गैरकानूनी घोषित करना
ब. सभी में समानता स्थापित करना
स. आन्दोलनकारियों का दमन करना
द. उपर्युक्त सभी

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. रॉलेट एक्ट कानून की अध्यक्षता में बना। (सिडनी रॉलेट/जॉर्ज रॉलेट)
2. जलियावाला बाग में स्थित है। (लुधियाना/अमृतसर)
3. 1905 में बङ्गाल प्रान्त में बङ्गाल, , उड़ीसा सम्मिलित थे। (असम/झारखण्ड)
4. करो या मरो का नारा में दिया गया। (भारत छोड़ो आन्दोलन/ सविनय आन्दोलन)

सत्य/असत्य बताइए-

1. आधुनिक राष्ट्रवाद एक नई संकल्पना है। (सत्य/असत्य)
2. गाँधी-इरविन समझौता 1935 में हुआ। (सत्य/असत्य)

3. गाँधी जी के साथ दाण्डी यात्रा में 78 अनुयायी थे।

(सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1. असहयोग आन्दोलन | क. 1942 |
| 2. भारत छोड़ो आन्दोलन | ख. 1930 |
| 3. सविनय अवज्ञा आन्दोलन | ग. 1920 |

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. बङ्गाल विभाजन कब और क्यों किया गया था ?
2. राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं ?
3. भारत माता का किसने चित्रित किया।
4. रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं ?
5. जलियाँवाला बाग हत्याकांड कब हुआ ?
6. भारत छोड़ो आन्दोलन की शुरुआत कब हुई ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. रॉलेट एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं ?
2. सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाए जाने के क्या कारण थे।
3. क्रान्तिकारियों के बारे में आप क्या जानते हैं, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उन्होंने कौन से तरीके अपनाए ?
4. गाँधी-इरविन समझौता क्या है ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. गाँधीजी की नमक यात्रा व सविनय अवज्ञा आन्दोलन का वर्णन कीजिए।
2. गाँधीजी के असहयोग आन्दोलन के बारे में आप क्या जानते हैं?
3. भारत का विभाजन एवं स्वतन्त्रता प्राप्ति के बारे में प्रकाश डालिए ।
4. भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन एवं स्वतन्त्रता प्राप्ति विषय प निबन्ध लीखिए।

परियोजना-

1. भारत माता और राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बनाइये।
2. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन से सम्बन्धित चित्र एकत्रित कर शाला एलबम बनाए।

अध्याय- 7

भूमण्डलीकृत विश्व का निर्माण

इस अध्याय में- भूमण्डलीकरण या वैश्वीकरण का अर्थ, वैदिक वाङ्मय में वैश्वीकरण का चिन्तन, रेशम मार्ग (सिल्क रूट), आधुनिककाल में वैश्वीकरण, विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, रिडरपेस्ट या मवेशी प्लेग, भारतीय व्यापार, उपनिवेश और वैश्विक व्यवस्था, महामन्दी, महामन्दी और भारत।

भूमण्डलीकरण या वैश्वीकरण का अर्थ- वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपान्तरण की प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सम्पूर्ण विश्व के लोग एक समाज निर्माण करते हैं, जिसमें हम सभी एक साथ कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक एवं राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। आधुनिक वैश्वीकरण का प्रयोग आर्थिक वैश्वीकरण के सन्दर्भ में किया जाता है अर्थात् व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूँजी प्रवाह, प्रवास और औद्योगिकी के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एकीकरण है।

वैदिक वाङ्मय में वैश्वीकरण का चिन्तन- आज वर्तमान में जब ग्लोबल विलेज या विश्व ग्राम या वैश्वीकरण के बारे में चर्चा होती है, तो सामान्यता यह विचार पिछले 50-60 वर्षों उस आर्थिक व्यवस्था के बारे में होता है किन्तु भारत के लिए यह कोई नवीन अवधारणा नहीं है। वैदिक वाङ्मय के अन्तर्गत वैश्वीकरण का उल्लेख निम्न मन्त्रों में मिलता है। **यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्।** (यजु. 32/8) अर्थात् संसार रूपी घोंसले में रहते हुए हम अपनी हृदय गुहा में प्रभु के दर्शन करें। भूमण्डलीकरण के स्वरूप का परिचय देने के साक्ष्य केवल सामाजिक पृष्ठभूमि में ही नहीं मिलते अपितु आर्थिक स्वरूप का भी वेदों में उल्लेख है- **यदश्विना ऊहथुर्भुज्युमस्तं शतारित्रां नावमातस्थिवांसम्।** (ऋ. 1-116-5) अर्थात् भृज्यु का जहाज समुद्र में डूब जाने के पर सौ पतवारों से युक्त जहाज में अश्विनी कुमारों ने उसका उद्धार किया। इस प्रकार इस मन्त्र से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक वाङ्मय में वैश्वीकरण की नीति का सूत्रपात हो चुका था और भारत के विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध थे। **स्वश्वा सिन्धुः सुरथा सुवासा हिरण्ययी सुकृता वाजिनीवती। ऊर्णावती युवतिः सीलमाव त्युताधि वस्ते सुभगा मधुवृधम्॥** (ऋ. 10/75/8) **उपोप मे परा मृश मा मे दभ्राणी मन्यथाः। सर्वाहमस्मि रोमशा गन्धारीणाभिवाविका॥** (ऋ. 1-126-7) उपर्युक्त मन्त्रों से यह सिद्ध होता है कि सिन्धु प्रदेश के पानीदार घोड़े, शक्तिशाली रथ और ऊनी वस्त्र तथा गान्धार का स्निग्ध सुन्दर

उन जग विख्यात था। जनं बिभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम्। (अथर्व. 12/1/45) अर्थात् वैदिक मानव पृथिवी पर किसी एक जाति, भाषा, या संस्कृति का अधिकार न मानकर, वह पृथिवी को विश्व मानव की हितवाहा मानता है।

आदिकाल से ही भारत अपने ज्ञान-विज्ञान एवं मजबूत आर्थिक तन्त्र के कारण विश्व प्रसिद्ध रहा है। भारत निर्मित वस्तुओं की विदेशों में माँग रही है। हमारी वसुधैव कुटुम्बकम् की धारणा से वैश्वीकरण स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। भारतवर्ष लोग व्यापार, काम की तलाश, तीर्थ यात्रा, आध्यात्मिक शान्ति आदि के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपने कला-कौशल, विचार व ज्ञान का भी आदान प्रदान करते आए हैं। इससे विभिन्न मानव समाज एक-दूसरे के पास आये, जो वैश्वीकरण का ही एक रूप है।

रेशम मार्ग (सिल्क रूट)- ये मार्ग एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ साथ विश्व को जमीन और समुद्र मार्ग से जोड़ते थे। जिस मार्ग द्वारा चीन से पश्चिमी देशों को सिल्क का निर्यात किया जाता था उस मार्ग को सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य प्राचीन काल में व्यापारिक व सांस्कृतिक सम्बन्ध रेशम मार्ग द्वारा मजबूत हुए। स्थल व जल मार्ग न केवल एशिया के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ते थे अपितु एशिया को यूरोप व उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। इसी रेशम मार्ग द्वारा भारत व दक्षिण पूर्वी एशिया से कपड़े, मसालें तथा चीनी पॉटरी विश्व के अन्य देशों को भेजी जाती थी। इस मार्ग द्वारा व्यापार व सांस्कृतिक आदान-प्रदान दोनों होते थे तथा कुछ सदी उपरान्त ईसाई, इस्लाम और बौद्ध धर्म दुनिया के विभिन्न भागों में पहुँच पाए थे।

भोजन यात्रा - खाद्य पदार्थों के आदान-प्रदान द्वारा द्वारा भी वैश्वीकरण की भावना बढ़ती है। जब व्यापारी अपने देश से दूसरे देशों में व्यापार के लिए जाते थे, तो अपने देश से शीघ्र तैयार होने वाले खाद्य पदार्थ भी साथ में ले जाते थे। इसके बाद इन भोज्य सामग्रियों से उस देश के लोग परिचित होते थे। फिर धीरे-धीरे इन खाद्य पदार्थों का प्रचार-प्रसार सभी क्षेत्रों में हो जाता था। उदाहरण के लिए स्पैघेत्ती और नूडल। नूडल चीन से पश्चिमी देशों में गये और उससे ही स्पैघेत्ती का आविष्कार हुआ। पास्ता इटली के एक टापू का नाम है, वहाँ से यह विश्व के कई भागों में गया। इसी प्रकार आलू, मूंगफली, मक्का, सोयाबीन, टमाटर, मिर्च आदि विदेशों से आये हैं और कई खाद्य पदार्थ हमारे देश से विदेश गये हैं।

विजय, बीमारी और व्यापार- सोलहवीं सदी में यूरोप के नाविकों ने एशिया और अमेरिका के देशों के लिए समुद्री मार्ग खोज लिया था। नए समुद्री मार्ग की खोज ने न सिर्फ व्यापार को फैलाने में मदद की बल्कि विश्व के अन्य भागों में यूरोप की विजय की नींव भी रखी। जब अमेरिका की खोज नहीं हुई थी उससे पूर्व अमेरिका का दुनिया से कोई सम्बन्ध नहीं था। 16वीं शताब्दी के मध्य तक पुर्तगाली और

स्पेनिश सेनाओं ने साम्राज्यवादी नीति अपनाई। स्पेन ने अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाना आरम्भ कर दिया था तब ही स्पेनिश सेना व अधिकारियों के साथ चेचक के कीटाणु भी अमेरिका पहुँच गये। प्रारम्भ से ही दुनिया से कटे होने के कारण अमेरिका की जनता में चेचक के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हुई थी। परिणामतः चेचक की बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया और पूरे अमेरिका में फैल गई। इससे अमरीकी समुदाय समाप्त होने लगे और स्पेनिश सेना की जीत आसान हो गई।

18वीं शताब्दी तक चीन व भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के आधार स्तम्भ थे। विश्व व्यापार में इन दोनों देशों का दबदबा था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चीन ने 15वीं शताब्दी में दूसरे देशों से सम्बन्ध कम कर लिए तथा दुनिया से कट गया। चीन के घटते व अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के फलस्वरूप विश्व में व्यापार के केन्द्र पश्चिमी देश बनने लगे।

आधुनिककाल में वैश्वीकरण- वर्तमान में भूमण्डलीकरण की शुरुआत 16वीं सदी में औपनिवेशिक काल से मानी जाती है। यह प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के गति एवं अवरोधों के बीच निरन्तर चलती रही तथा इस प्रक्रिया के चलते विश्व व्यापार में घटक देशों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। आर्थिक एकीकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए सन् 1970 के दशक से सकारात्मक प्रयास किये गये। भूमण्डलीकरण या वैश्वीकरण के द्वारा इस काल में अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी बाजार में आशातीत वृद्धि हुई। 1980 के दशक में अनेक विकासशील देशों में आर्थिक संकट आया और इन देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण पाने के लिए उसके द्वारा सुझाये गये स्थानीयकरण एवं ढाँचागत समायोजन कार्यक्रमों को लागू किया।

विश्व अर्थव्यवस्था का उदय- अर्थशास्त्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के तीन प्रकार बताये हैं -

1. पहला प्रवाह व्यापार मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूँ आदि के व्यापार होता था।
2. श्रम दूसरा प्रवाह है जिसमें लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं।
3. तीसरा प्रवाह: पूँजी का होता है, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूरस्थ के क्षेत्रों में निवेश कर दिया जाता है।

उपर्युक्त तीनों तरह के प्रवाह परस्पर एक-दूसरे से जुड़े होने के कारण लोगों के जीवन को प्रभावित किया। कभी-कभी इन कारकों के मध्य मौजूद सम्बन्ध टूट भी जाते हैं। यदि हम इन तीनों प्रवाहों का एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को अधिकांश अच्छी तरह समझ सकते हैं। 18वीं शताब्दी के अन्त में इंग्लैण्ड की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होने लगी थी। इससे वहाँ भोजन, आवास व स्वास्थ्य सेवाओं की मांग में वृद्धि होने लगी। जैसे-जैसे शहरीकरण और औद्योगिकरण होने लगा कृषि उत्पादों की मांग के साथ कीमत भी बढ़ने लगी। परिणामस्वरूप सरकार

ने कॉर्न लॉ कानून का प्रयोग कर मक्का के आयात पर रोक लगा दी। खाद्य पदार्थों में मंहगाई से परेशान व्यापारियों, उद्योगपतियों और आम जनता ने सरकार को कॉर्न लॉ तुरन्त समाप्त करने के लिए मजबूर कर दिया। कॉर्न लॉ की समाप्ति के बाद खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा जिनकी कीमत इंग्लैण्ड में उत्पादित खाद्य पदार्थों से बहुत कम थी। अतः अंग्रेज किसानों की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी क्योंकि वे आयात होने वाले माल की कीमत के बराबर कीमत पर अपना माल नहीं बेच सकते थे। ब्रिटेन में कृषि बन्द हो गई तथा किसान बेरोजगार होकर शहरों या अन्य देशों को पलायन करने लगे।

खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी के बाद इंग्लैण्ड में इनके उपभोग में वृद्धि होने लगी। ब्रिटेन में औद्योगिक विकास के कारण वहाँ के लोगों की आय भी बढ़ने लगी। आय बढ़ने के साथ-साथ आवश्यकताएँ भी बढ़ने लगी। ब्रिटेन की आवश्यकता पूर्ति के लिए अमेरिका, रूस, आस्ट्रेलिया सहित विश्व के हर क्षेत्र में खेती की जाने लगी। कृषि उत्पादक क्षेत्रों से उत्पाद बन्दरगाहों तक पहुँचाने के लिए रेल परिवहन की आवश्यकता पड़ी। नवीन क्षेत्रों में कृषि के लिए दूसरे क्षेत्रों से लोगों को लाकर बसाया गया।

इसी प्रकार के कुछ परिवर्तन हमारे देश में भी हुए। यहाँ अंग्रेजों ने रेगिस्तानी भूमि पर कृषि करने के लिए नहर प्रणाली विकसित की जिससे गेहूँ व कपास की खेती की जा सकें। नहरों से सिचाई वाले क्षेत्रों में पञ्जाब के अन्य भागों से लोगों को लाकर बसाया गया। जिनकी बस्तियों को केनाल कॉलोनी या नहर बस्ती कहा जाता था। 1890 तक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का उदय हो चुका था। इसलिए तकनीक, पूँजी प्रवाह, श्रम विस्थापन आदि में बहुत अधिक परिवर्तन हो गये थे।

रिडरपेस्ट या मवेशी प्लेग- 1890 के दशक में अफ्रीका में रिडरपेस्ट नामक पशु रोग फैला था। अफ्रीका में भूमि की अधिकता थी और वहाँ की जनसंख्या कम थी। लोगों की आजीविका का साधन कृषि और पशुपालन था। परन्तु इस बीमारी के कारण पशुओं की मौतें अधिक हुई, जिससे अफ्रीकी अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इस तरह इस रोग ने युरोपियन को अफ्रीका में अपना उपनिवेश फैलाने में मदद की।

भारत से अनुबन्धित श्रमिकों का जाना- उन्नत सदी में बढ़ते वैश्वीकरण के कारण भारत से अनुबन्ध पर श्रमिकों को विदेश ले जाया जाता था, जिन्हें गिरमिटिया कहा जाता था। इन श्रमिकों को बागानों, खानों, रेलमार्गों, सड़क निर्माण आदि के कार्यों में लगाया जाता था। इन श्रमिकों को कम से कम पाँच वर्ष तक वहाँ कार्य करना पड़ता था, इससे पहले वे स्वदेश नहीं आ सकते थे। ये अधिकतर मजदूर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों के थे। इनको विदेश भेजने का कार्य मालिकों

के एजेंट कमीशन लेकर करते थे। इन श्रमिकों को फिजी, मारिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुयाना आदि देशों में भेजा जाता था। इस अनुबन्ध व्यवस्था को नई दास प्रथा के नाम से भी जाना जाता है।

भारतीय व्यापार, उपनिवेश और वैश्विक व्यवस्था- उन्नत सदी में औद्योगिकीकरण के कारण इंग्लैंड में कपास के उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे भारतीय कपास का निर्यात कम हो गया।

- भारत से उम्दा कॉटन के कपड़े वर्षों से यूरोप निर्यात होता रहे थे। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद स्थानीय उत्पादकों ने ब्रिटिश सरकार को भारत से आने वाले कॉटन के कपड़ों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए बाध्य किया।
- इससे ब्रिटेन में बने कपड़े भारत के बाजारों में भारी मात्रा में आने लगे। 1800 में भारत के निर्यात में 30% हिस्सा कॉटन के कपड़ों का था। 1815 यह गिरकर 15 % हो गया और 1870 आते आते यह 3% ही रह गया। लेकिन 1812 से 1871 तक कच्चे कॉटन का निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गया। इस दौरान निर्यात किए गए सामानों में नील (इंडिगो) में तेजी से बढ़ोतरी हुई।

महामन्दी- इतिहास में महामन्दी या भीषण मन्दी (द ग्रेट डिप्रेशन) के नाम से जानी जाने वाली यह घटना एक विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी थी। यह मन्दी सन् 1929 से शुरू होकर 1939-40 तक जारी रही। विश्व के आधुनिक इतिहास में यह सबसे बड़ी आर्थिक मन्दी थी। इस घटना ने ऐसा कहर मचाया था कि उससे उबरने में विश्व के देशों को कई साल लग गये और इसके व्यापक आर्थिक व राजनीतिक प्रभाव दृष्टि गोचर हुए। जिनकी शीघ्र ही द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में परिणति हुई। हालांकि इस युद्ध ने दुनिया को महामन्दी से उबरने में मदद की। इसी दौर ने इतिहासकारों और फिल्मकारों को भी आकर्षित किया और इस विषय पर कई किताबें लिखी गई तथा अनेक फिल्मों भी बनी जो खूब लोकप्रिय भी हुईं।

अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट का इतना मनोवैज्ञानिक असर पड़ा की वहाँ के लोगों ने अपने खर्चों में दस फीसदी तक की कमी कर दी, जिससे मांग प्रभावित हुई। लोगों ने बैंकों के कर्ज लौटाने बन्द कर दिए जिससे बैंकिंग ढांचा चरमरा गया, कर्ज मिलने बन्द हो गये, लोगों ने बैंकों में जमा पैसा निकालना शुरू कर दिया और इससे कई बैंक दिवालिया होकर बन्द हो गये। 1930 की शुरुआत में अमेरिका में पड़े सूखे की वजह से कृषि भी बर्बाद हो गई। अमेरिका की इस मन्दी ने बाद में अन्य देशों को भी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते यह महामन्दी में बदल गई।

महामन्दी का प्रभाव- महामन्दी के प्रभाव समाज के प्रत्येक वर्ग पर पड़ा। 1929 से 1932 के दौरान औद्योगिक उत्पादन (45%) और भवन निर्माण (80%) में की कमी आई तथा 5 हजार बैंक बन्द हो गये।

महामन्दी और भारत- 1929 से शुरू हुई महामन्दी के समय भारत ब्रिटिश उपनिवेश था। पूरी दुनिया को महामन्दी ने अपनी चपेट में ले लिया था और इससे भारत भी अछूता नहीं रहा। इतिहासकारों का कहना है कि महामन्दी ने भारत के औद्योगिक विकास की गति को बहुत धीमा कर दिया था। यद्यपि शोधकर्ताओं का कहना था कि भारत में उत्पादन पर अधिकांश असर देखने को नहीं मिला, लेकिन जूट उद्योग पर अधिकांश असर पड़ा था। जूट की वैश्विक मांग घटने से कीमतें घट गई थी। वैश्विक बाजार में जब कीमतें गिरने लगीं तो यहाँ भी दाम घटे और आयात-निर्यात घटकर करीब आधा रह गया। महामन्दी काल के दौरान भारत में वैश्विक व्यापार में अधिकांश कमी दर्ज की गई। सन् 1929 से सन् 1932 के दौरान आयात में जहाँ 47% की कमी दर्ज हुई वहीं निर्यात 49% घट गया। 1928-29 से 1933-34 के दौरान समुद्र के जरिए होने वाला एक्सपोर्ट 55.75% घटकर 1.25 अरब का रह गया, जबकि इंपोर्ट 55.51% कम होकर 2.02 अरब रुपये पर सिमट गया।

सन् 1930 की महामन्दी का भारत में सबसे अधिकांश असर किसानों और काश्तकारों, रेलवे पर देखने को मिला। ऐसे काश्तकार जो वैश्विक बाजार के लिए उत्पादन करते थे, वे बुरी तरह से प्रभावित हुए और उन पर देनदारियाँ बढ़ गईं। आयात और निर्यात में कमी होने से रेलवे की कमाई भी कम गई। महामन्दी के दौरान ही भारत ने कीमती धातु अर्थात् सोने का एक्सपोर्ट करना शुरू किया था। इसकी शुरूआत में ब्रिटेन को तो अपनी आर्थिक दशा सुधारने में मदद मिली लेकिन भारत के किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। किसान अपनी जमीन बचाने के लिए सोने-चाँदी के जेवर बेच रहे थे। मुम्बई बन्दरगाह पर रोजाना 1600 औंस सोना पहुँचता, जिसे ब्रिटेन भेजा जाता था। सन् 1930 की महामन्दी भारतीय शहरवासियों के लिए अधिकांश पीडादायक नहीं थी।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स का मानना था कि भारत से सोने के निर्यात ने भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने में बहुत मदद की थी। भले ही सभी देशों की अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे पटरी पर आ गई थी लेकिन लोगों के दिमाग पर जो बुरा असर पड़ा, वह जल्दी खत्म होने वाला नहीं था।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

- भूमण्डलीकरण का आरम्भ..... माना जाती है।

अ. 15 वीं शताब्दी में	ब. 16 वीं शताब्दी में
स. 17 वीं शताब्दी में	द. 18 वीं शताब्दी में

2. महामन्दी के क्या प्रभाव पड़े ?
3. महामन्दी के दौरान भारत के वैश्विक व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. विश्व अर्थव्यवस्था के उदय को समझाए।
2. महामन्दी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा ?

परियोजना-

1. अपने आस-पास के रहने वाले उन लोगों से मिलो, जो अप्रवासी भारतीय परिवारों से जुड़े हों और उनसे यह जाने कि ये लोग भारत से बाहर कब, कहाँ, क्यों और कैसे गये ?



अध्याय - 8


स्वतन्त्रोत्तर भारत के 50 वर्ष

इस अध्याय में- देश का विभाजन, देशी रियासतों का एकीकरण, संविधान का निर्माण, देश में प्रथम आम चुनाव, राज्यों का पुनर्गठन, फ्रान्सिसी व पुर्तगाली क्षेत्रों की स्वतन्त्रता, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन, हरित क्रान्ति, आपातकाल का समय, भारत की वैज्ञानिक उन्नति, भारत की विदेश नीति, भारत का पड़ोसी और विश्व के देशों से सम्बन्ध ।

भारत को 15 अगस्त, 1947 ई. को अंग्रेजों से स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। इस दिन के लिए भारतीयों को सैकड़ों साल तक संघर्ष करना पड़ा था। भारत पर अंग्रेजों ने 190 वर्षों तक शासन किया। स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए अनेक देशभक्तों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। भारत की स्वतन्त्रता के साथ ही देश में साम्प्रदायिक विभाजन भी हुआ। वर्ष 1932 में 'कम्यूनल अवॉर्ड' की घोषणा विभिन्न समुदायों को सन्तुष्ट करने के लिये की गई। इससे सांप्रदायिक राजनीति को और अधिक बढ़ावा मिला। वर्ष 1947 में भारत का विभाजन स्वतन्त्रता के बाद हुआ परन्तु इसका आधार तैयार करने में जहाँ सामाजिक, राजनीतिक कारण मुख्य रूप से उत्तरदायी थे तो वहीं सांप्रदायिक कारण भी समानांतर विद्यमान थे। अंत में यही साम्प्रदायिकता भारत के विभाजन का कारण बना। विभाजन के कारण, वर्तमान समय में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएँ भारत के साथ-साथ विश्व स्तर पर भी देखी जा रही हैं। धर्म, राजनीति, क्षेत्रवाद, नस्लीयता या फिर किसी भी आधार पर होने वाली सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिये आवश्यक है कि हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास करें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी एवं सच्ची निष्ठा के साथ करें। यदि हम ऐसा करने में सफल हो पाते हैं, तो निश्चित रूप से न केवल देश में बल्कि विश्व स्तर पर सद्भावना की स्थिति स्थायी होगी क्योंकि सांप्रदायिकता का मुकाबला एकता एवं सद्भाव से ही किया जा सकता है। इन चुनौतियों और अन्य समस्याओं के बाद भी स्वतन्त्र भारत ने कई उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के पाँच दशक के इतिहास का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है-
देश का विभाजन- भारत की स्वतन्त्रता के साथ ही देश का विभाजन होने के कारण उत्तर-पश्चिमी सीमान्त क्षेत्र, पश्चिमी पञ्जाब, सिन्ध, बलूचिस्तान और पूर्वी बङ्गाल को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण किया गया। भारत की तरफ से मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा नये बने पाकिस्तान में जाना था। वहीं

पाकिस्तान क्षेत्र के हिस्से से अधिकतर हिन्दुओं, सिक्खों व अन्य को भारत में आना था। दुनिया के इतिहास में, इतने कम समय में यह सबसे बड़ा विस्थापन था। यह विस्थापन मुख्यतः रेलगाड़ियों, सैनिक गाड़ियों पैदल जत्थों द्वारा हुआ। हमारा वर्षों का शान्तिपूर्ण साथ अब साम्प्रदायिक घृणा में बदल



मानचित्र- 8.1 भारत का विभाजन

चुका था। इसलिए चारों तरफ हिंसा, आगजनी व बलात्कार की घटनाएँ हो रही थी। दोनों देशों से लाखों की संख्या में शरणार्थी आ रहे थे। अतः भारत में आने वाले लोगों को पहले अस्थाई शिविरों में ठहराया गया और फिर धीरे-धीरे उनके स्थाई पुनर्वास की व्यवस्था की गई।

देशी रियासतों का एकीकरण- भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार 15 अगस्त, 1947 ई. को समाप्त हो गया था। लगभग 565 देशी रियासतें अब भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकती थी या स्वतन्त्र रह सकती थी। इस दौरान भारत सरकार के प्रथम गृह मंत्री 'लौह पुरुष' सरदार वल्लभभाई पटेल थे। उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में बड़ी सूझ-बूझ से काम लिया। पटेल ने अधिकतर रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए सहमत कर लिया था। केवल हैदराबाद, जूनागढ़ व कश्मीर की रियासतें ही भारत में सम्मिलित होनी बाकी थी। सरदार पटेल ने हैदराबाद व जूनागढ़ को वहाँ की जनता की राय के आधार पर भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया। जम्मू-कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह अपनी रियासत को स्वतन्त्र रखना चाहते थे। परन्तु 22 अक्टूबर 1947 ई. को पाकिस्तानी सेना तथा कबायलियों ने मिलकर जम्मू-कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान के आक्रमण से त्रस्त महाराजा हरि सिंह ने भारतीय संघ में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अब भारतीय सेना ने मोर्चा सम्भालते हुए कश्मीर घाटी से आक्रान्ताओं को पीछे हटने पर विवश कर दिया। कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू, लार्ड माउण्टबेटन के आग्रह पर कश्मीर की समस्या को सन् 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गये। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक आयोग का गठन कर दोनों देशों में युद्ध विराम करवा दिया। परिणाम स्वरूप आज भी जम्मू-कश्मीर का एक-तिहाई भाग पाकिस्तान के पास ही है, जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर (POK) कहते हैं। तत्कालीन परिस्थितियों में कश्मीर के लिए भारतीय संविधान में अस्थाई तौर पर धारा 370 जोड़ दी गई। इसके अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।

क्या आप जानते हैं-

- भारतीय संसद द्वारा जम्मू-कश्मीर को धारा 370 के तहत मिला विशेष राज्य का दर्जा 31 अक्टूबर, 2019 ई. को समाप्त कर दिया गया है।

संविधान का निर्माण- भारत का संविधान बनाने के लिए एक 'संविधान सभा' का गठन किया गया। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इसकी पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 ई. को हुई। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने बाद में इस संविधान सभा के स्थाई अध्यक्ष का कार्यभार सम्भाला। संविधान सभा द्वारा संविधान

के निर्माण के लिये कुल 22 समितियों का गठन किया गया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में

संविधान-

- किसी भी देश का शासन चलाने के लिए नियम व कानूनों का दस्तावेज संविधान कहलाता है।

एक सात सदस्यीय प्रारूप समिति बनाई गयी। इस समिति को संविधान के प्रारूप को तैयार करने का कार्य दिया गया। संविधान के निर्माण के लिये बहुत से देशों के संविधानों पर विधि विशेषज्ञों तथा बुद्धिजीवियों ने विचार विमर्श किया।

अन्ततः 26 नवम्बर 1949 ई. को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। इस संविधान को बनने में 2 साल, 11 महीने तथा 18 दिन लगे। इसे 26 जनवरी 1950 ई. को लागू किया गया। प्रत्येक वर्ष यह दिन भारत में 'गणतन्त्र दिवस' के रूप में मनाया जाता है। हमारे संविधान को बनाने का मूल आधार जनता की भावना थी। इस कारण संविधान की प्रस्तावना भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा जनतान्त्रिक गणराज्य घोषित करती है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतान्त्रिक देश का सबसे लम्बा लिखित संविधान है।

देश में प्रथम आम चुनाव- भारत के पहले आम चुनाव 1951-52 ई. के दौरान हुए। इस चुनाव में लगभग 17 करोड़ 30 लाख मतदाताओं ने भाग लिया। इस चुनाव में लोकसभा की कुल 489 सीटें थी तथा 14 राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्थानीय दलों ने चुनाव में भाग लिया। सम्भवतः यह विश्व में पहला चुनाव था जिसमें इतनी बड़ी संख्या में जनता ने सहभागिता की। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने इस चुनाव में भारी प्राप्त की। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले लोकतान्त्रिक संघ से निर्वाचित प्रधानमंत्री बने।

क्या आप जानते हैं-

- हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा (251 पृष्ठों का संविधान) हाथों से लिखा गया संविधान है जिसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम लिखा हुआ है और अन्तिम पृष्ठ पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और उनके दादा का नाम अंकित है। क्योंकि इसी शर्त पर उन्होंने संविधान को लिखे जाने की जिम्मेदारी ली थी और उसके बदले में उन्होंने पारिश्रमिक के रूप में ₹1 भी नहीं लिया।

राज्यों का पुनर्गठन- पुनर्गठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यवस्था का दुबारा या फिर से गठन या पुनर्निर्माण किया जाता है। देश में भाषा व भौगोलिकता के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता थी। 1953 ई. में राज्य पुनर्गठन आयोग का कार्य भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन करने का

अनुरोध था। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नवम्बर 1956 ई. में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया। इसके द्वारा भारत देश में भाषा के आधार पर 14 राज्यों एवं 6 केन्द्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था की गई। हिन्दी को भारत के कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में मान्यता दी गयी। इसके साथ ही अंग्रेजी को बड़े स्तर पर सरकारी कार्यालयों में प्रयोग किया जाता रहा। राज्यों के पुनर्गठन ने भारत की एकता को कमजोर नहीं किया बल्कि सम्पूर्ण रूप से देखा जाए तो मजबूत ही किया है परन्तु यह विभिन्न राज्यों के मध्य सभी विवादों और समस्याओं का समाधान नहीं कर पाया। विभिन्न राज्यों के बीच सीमा विवाद, भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्या के साथ-साथ नदी जल बँटवारे की समस्या जैसे प्रश्न अभी भी अनसुलझे पड़े हैं।

फ्रान्सिसी व पुर्तगाली क्षेत्रों की स्वतन्त्रता- भारत की स्वतन्त्रता के बाद भी कुछ क्षेत्रों पर फ्रांस व पुर्तगाल का अधिकार बना हुआ था। पाण्डिचेरी, माही, कालीकट, यानम, चन्द्रनगर जैसे स्थान फ्रांसीसियों के अधिकारमें था। फ्रान्सिसी सरकार ने ये सभी क्षेत्र 1954 ई. में भारत को वापिस लौटा दिये। जबकि गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली जैसे स्थानों पर पुर्तगालियों का अधिकार था। पुर्तगाली इन क्षेत्रों को वापिस नहीं लौटाना चाहते थे। लेकिन अंततः भारतीय सेना ने 1961 ई. में पुर्तगालियों को भारत से खदेड़ दिया। जिसे **ऑपरेशन विजय** नाम दिया गया। फलस्वरूप गोवा के पुर्तगाली गवर्नर ने बिना किसी शर्त के समर्पण कर दिया। इस तरह 1961 के अन्त में गोवा का भी भारत में विलय हो गया।

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के बहुत से देश विचारधारा के आधार पर दो विरोधी गुटों में बट गए। इन गुटों में से एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ का गुट था। अमेरिका के नेतृत्व में बने गुट को 'पश्चिमी ब्लाक' और सोवियत संघ के नेतृत्व में बने गुट को 'पूर्वी ब्लाक' कहा गया। आर्थिक-तकनीकी सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत ने दोनों गुटों से समान मित्रता रखने का प्रयास किया। स्वतन्त्र विदेश नीति सञ्चालन की इच्छा के कारण भी भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई है। हमारी विदेश नीति 'किसी भी गुट में सम्मिलित न होकर सही को सही और गलत को गलते' कहने पर आधारित रही है। भारत के लिये गुटनिरपेक्षता का आन्दोलन वैश्विक शांति तथा विकासशील देशों का समाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास का प्रतीक रहा है।

हरित क्रान्ति- देश के विभाजन के साथ ही बहुत सी उपजाऊ भूमि पाकिस्तान के पास चली गई। 1960 ई. के दशक में भारत-चीन युद्ध, भारत-पाकिस्तान युद्ध और सूखे ने हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। इस कारण भारत में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। परिणामस्वरूप किसानों के लिये नई कृषि

नीति की घोषणा की गई। भारत में हरित क्रान्ति के जनक एम. एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रान्ति 1960 के दशक में शुरू हुई एक अवधि थी, जिसके दौरान भारत में कृषि को आधुनिक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित कर दिया गया था, जैसे कि उच्च उपज वाली किस्म के बीज, मशीनीकृत कृषि उपकरण, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग करके आधुनिक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित किया गया था। इस कृषि नीति के माध्यम से किसानों को बिजली, सिंचाई एवं सस्ते ऋण देने की व्यवस्था की गयी। परिणामस्वरूप 1970 ई. के दशक की शुरुआत तक आते-आते देश में गेहूँ, चावल व मक्का की खेती में अढ़ाई गुणा तक वृद्धि हो गई। इस दौर में कृषि उत्पादन में हुई तीव्र वृद्धि को ही 'हरित क्रान्ति' कहा जाता है।

हरित क्रान्ति : यह कृषि उत्पादन से सम्बन्धित है।

पीली क्रान्ति : यह तिलहन उत्पादन से सम्बन्धित है।

नीली क्रान्ति : यह मत्स्य पालन से सम्बन्धित है।

श्वेत क्रान्ति : यह दुग्ध उत्पादन से सम्बन्धित है।

आपातकाल का समय- देश के आन्तरिक व बाहरी संकट के कारण (आपातकाल) केंद्र व राज्य सरकारों की सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती हैं। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। तत्कालीन राष्ट्रपति फ़ख़रुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गाँधी के कहने पर भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी। स्वतन्त्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतान्त्रिक काल था। स्वतन्त्रता के बाद 1975 ई. में भारत ने सबसे बड़े राजनीतिक संकट का अनुभव किया। 1971 ई. में चुनी गई इंदिरा गाँधी की सरकार 'गरीबी हटाओ' के नारे के साथ सत्ता पर अधिकार किया था। सरकार बनने के एक वर्ष के अन्दर ही दिसम्बर 1971 ई. में भारत-पाक युद्ध व बाङ्गलादेश का निर्माण हुआ एवं अन्य समस्या जैसे मन्दी, बेरोजगारी, गरीबी, खाद्य पदार्थों की कमी, बाङ्गलादेशी शरणार्थियों की समस्या, सूखा तथा मानसून की असफलता से जनता में असंतोष बढ़ने लगा। राष्ट्रव्यापी हड़तालों व छात्र आन्दोलनों के कारण देश में कानून व्यवस्था की स्थिति निरन्तर बिगड़ती जा रही थी। इस कारण 1974 ई. तक आते-आते इंदिरा गाँधी की सरकार से जनता का एक बड़ा हिस्सा रुष्ट हो चुका था। 12 जून 1975 ई. को इलाहबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गये निर्णय में इंदिरा गाँधी को चुनावों में अनुचित आचरण का दोषी करार दिया। जिससे वे किसी भी पद पर नहीं रह सकती थी। इस दौरान

लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गाँधी की सरकार के खिलाफ सत्याग्रह व अहिंसक आन्दोलन कर रहे थे। उन्होंने देश में उपजे राजनीतिक संकट व न्यायालय द्वारा दिए गये निर्णय के आधार पर पद से त्यागपत्र देने का दबाव बनाया। इंदिरा गाँधी ने स्वयं को चारों ओर से राजनीतिक संकट घिरता देख, 25 जून, 1975 ई. को अपनी सत्ता बचाने के लिये आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल लगने के तुरंत बाद प्रेस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। सरकार के विरुद्ध आन्दोलन में सम्मिलित जयप्रकाश नारायण व अन्य विपक्षी नेताओं जैसे मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, चरण सिंह, चन्द्रशेखर तथा असंख्य छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी प्रतिबन्ध लगाकर उसके प्रमुख कार्यकर्त्ताओं के साथ एक लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान-

- अनेक संवैधानिक संशोधनों द्वारा संसद को निष्प्रभावी बना दिया गया।
- जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें थी, उनमें से अधिकांश को बर्खास्त कर दिया गया।
- परिवार नियोजन (नसबंदी) कार्यक्रम को भी सख्ती से लागू किया।

उपर्युक्त स्थिति में आपातकाल के दौरान जनता ने तीव्र विरोध जारी रखा, जिसके फलस्वरूप तत्कालीन सरकार को 21 मार्च, 1977 ई. को आपातकाल समाप्त करने को मजबूर होना पड़ा। इसी साल देश में आम चुनाव हुए जिसमें गैर-कांग्रेसी दलों की पहली गठबन्धन सरकार बनी।

भारत की वैज्ञानिक उन्नति- हमारे भारत को विकास के मार्ग पर लाने में वैज्ञानिकों की अहम भूमिका रही है। भारत ने 1951 ई. में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा प्राकृतिक संसाधनों से सम्बन्धित मन्त्रालय स्थापित कर दिया गया था। इसरो, बार्क एवं आई.आई.टी. जैसी संस्थाओं के अन्तर्गत हुये अनुसंधान कार्यों के कारण भारत वैज्ञानिक उन्नति को और अग्रसर हुआ। होमी जहाँगीर भाभा, विक्रम साराभाई, डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, कस्तूरीरङ्गन इत्यादि वैज्ञानिकों के अत्यधिक प्रयास से भारत पृथिवी, नाग, अग्नि, आकाश, ब्रह्मोस इत्यादि मिसाइलों का निर्माण कर सका।

भारत ने 1974 ई. एवं 1998 ई. में पोखरण (राजस्थान) से परमाणु परीक्षण कर स्वयं को परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र बनाया। भारत को विश्व



चित्र 8.1 डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

में एक बड़ी सैन्य शक्ति बनाने के लिये हमारे वैज्ञानिकों की महती भूमिका रही है। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम विश्व में 'मिसाइल मैन' के नाम से जाने जाते हैं। भारत ने आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी इत्यादि सैटेलाइट भेजकर अन्तरिक्ष तकनीक में नाम कमाया। आज भारत अन्य देशों के भी सैटेलाइट अन्तरिक्ष में भेजने में सक्षम है।

भारत की विदेश नीति- हमारे आज के विश्व को राष्ट्रों का परिवार कहा जाता है। सात महाद्वीपों में लगभग 198 संप्रभु राज्य हैं, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है जिसका अर्थ आन्तरिक और बाहरी दोनों मामलों में सर्वोच्च है। हमें, एक स्वतन्त्र देश के रूप में, सभी विदेशी राज्यों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने होंगे। विशेष रूप से, एशिया में पड़ोसी देशों के साथ हमारे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध अच्छे होने चाहिए। लेकिन, साथ ही देश की विभिन्न स्तर जैसे सीमा सुरक्षा, विदेशी व्यापार, आर्थिक लाभ, देश की प्रतिष्ठा आदि को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक रक्षा करनी होगी। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख स्तंभ- पञ्चशील, गुट निरपेक्षता, स्वतन्त्र विदेश नीति सञ्चालन, विकासशील देशों से एकजुटता, राष्ट्रीय तथा वैश्विक हित प्राप्ति के लक्ष्य आदि रहे हैं। भारत के सात पड़ोसी देश इस प्रकार हैं- चीन और पाकिस्तान को छोड़कर अन्य देशों जैसे भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव, इण्डोनेशिया, श्रीलङ्का और बाङ्गलादेश के साथ अच्छे सम्बन्ध हैं। आइए हम अपने राष्ट्र परिवार के कुछ देशों के साथ भारत के सम्बन्धों पर एक नजर डालें।

भारत का पड़ोसी और विश्व के देशों से सम्बन्ध-

पाकिस्तान से सम्बन्ध- 1947 में भारत के विभाजन के कारण पाकिस्तान का निर्माण हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक समानता, सांस्कृतिक एकरूपता, भौगोलिक निकटता व आर्थिक समरूपता के अवसर मौजूद हैं। लेकिन आज भी भारत-पाकिस्तान सम्बंध स्पर्धा, तनाव, संघर्ष और युद्ध के दायरे से बाहर नहीं निकल पाए हैं। हमारी भौगोलिक निकटता और साझी सांस्कृतिक विरासत है। हमने कई सदियों का साझा इतिहास साझा किया है। भारत पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्ती का इच्छुक है। लेकिन सैन्य तानाशाही और राजनीतिक अस्थिरता के कारण पाकिस्तान ने भारत के साथ अच्छे सम्बन्ध नहीं बनाए हैं। वर्ष 1947-48, 1965, 1971 और फिर 1999 (कारगिल युद्ध) में भारत-पाक युद्ध हुए। इन सभी युद्धों में भारत विजयी हुआ। कश्मीर समस्या और आतंकवाद प्रमुख मुद्दे हैं जिन्हें अच्छे सम्बन्ध बनाने के लिए प्रभावी ढंग से हल किया जाना है। कश्मीर का करीब एक तिहाई

हिस्सा अभी पाकिस्तान से स्वतन्त्र होना शेष है। भारत और पाकिस्तान के बीच दीर्घकालिक शान्ति समाधान तैयार किया जाना अभी शेष है।

चीन से सम्बन्ध- चीन भारत का बड़ा पड़ोसी देश है जो कि विश्व राजनीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने का इच्छुक है। भारत पहला गैर-साम्यवादी देश था जिसने 1 जनवरी, 1950 ई. को साम्यवादी चीन को मान्यता दी। प्रधानमंत्री नेहरू ने सुरक्षा परिषद् में साम्यवादी चीन को स्थाई स्थान दिलाने के लिये कई बार प्रयास किए। विस्तारवादी प्रवृत्ति के चीन ने 20 अक्टूबर, 1962 ई. को भारत पर ही भयंकर आक्रमण कर दिया। भारत को इस युद्ध में जान-माल की भारी क्षति उठानी पड़ी। तब से लेकर आज तक भारत-चीन सम्बन्ध तनाव और अविश्वास पर आधारित रहे हैं।

नेपाल तथा भूटान से सम्बन्ध- भारत और नेपाल के मध्य बड़े लम्बे समय से गहरे सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध रहे हैं। दोनों के मध्य खुली सीमा विश्वास का प्रतीक रही है। इसी प्रकार हिमालय स्थित अन्य देश भूटान से भी भारत के पतिष्ठ सम्बन्ध रहे हैं। 1949 ई. की सन्धि ने दोनों देशों के मध्य चिरस्थायी मित्रता स्थापित कर दी। इन दोनों देशों में भारत के भावनात्मक सम्बन्ध हिन्दू तथा बौद्ध धर्म के कारण जुड़ाव से भी हैं। भूटान और नेपाल की भौगोलिक स्थिति भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है।

श्रीलङ्का से सम्बन्ध- श्रीलङ्का, हिन्द महासागर में स्थित भारत का निकटतम पड़ोसी देश है। भारत व श्रीलङ्का के मध्य ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक सम्पर्क रहे हैं। स्वतन्त्रता के बाद दोनों देशों के बीच श्रीलङ्का स्थित तमिलों को लेकर मतभेद रहे। 1987 ई. में भारत द्वारा शान्ति सेना भेजे जाने से तनाव अवश्य बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच कुछ मतभेदों होने के बाद भी सम्बन्ध अच्छे हैं।

बाङ्गलादेश से सम्बन्ध- बाङ्गलादेश को 1947 ई. से 1971 ई. तक पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। 6 दिसम्बर, 1971 ई. को बाङ्गलादेश को मान्यता देने वाला भारत पहला देश था। भाषा और सांस्कृतिक जुड़ाव के कारण प्रारम्भ से ही दोनों देशों के मध्य घनिष्ठ मित्रता एवं परस्पर सहयोग का वातावरण रहा। हालांकि सैनिक शासकों के शासनकाल तथा बढ़ती धार्मिक कट्टरता के कारण सम्बन्धों में तनाव की स्थिति रही है। भारत हमेशा से बाङ्गलादेश को तकनीक, विज्ञान तथा उद्योग आदि क्षेत्रों में सहयोग करता रहा है।

म्यांमार से सम्बन्ध- म्यांमार को भौगोलिक स्थिति के कारण इसे दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। भारत और म्यांमार की 1643 कि.मी. के लगभग सीमाएँ आपस में लगती हैं। म्यांमार के अधिकतर लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और इस दृष्टि से भारत-म्यांमार में सांस्कृतिक निकटता है। पड़ोसी देश होने के कारण भारत के लिए म्यांमार का आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक महत्त्व भी है। कुछ एक अपवादों को छोड़कर भारत-म्यांमार के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण रहे हैं।

भारत और यू.एस.ए.- एक लोकतान्त्रिक प्रणाली के रूप में भारत और यू.एस.ए. दोनों बड़े राष्ट्र हैं। हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध वर्तमान विश्व राजनीति में भी महत्त्वपूर्ण हैं। 1947 से लेकर अब तक हमारे आपसी सम्बन्धों में राष्ट्रीय हितों के आधार पर अनेक बार तेजी से बदलाव आए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पञ्चवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हमारे आर्थिक विकास के लिए आर्थिक रूप से हमारी मदद की है। 1962 में चीनी आक्रमण के समय में अमेरिका के समर्थन ने भारत को मजबूती प्रदान की परन्तु बाद में अमेरिका के नीति निर्माताओं ने भारत-पाक युद्धों में पाकिस्तान की मदद की इसके साथ ही आतंकवाद को रोकने के लिए हमारी एक समान चिन्ता है। विदेश व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अन्तरिक्ष और शिक्षा के क्षेत्र में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य अच्छे सम्बन्ध हैं। दोनों राष्ट्र विश्व शान्ति के सिद्धान्तों और संयुक्त राष्ट्र संघ के समर्थन से बन्धे हैं। भारत अपने डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी के अध्यक्षों की विदेश नीति के रुझानों पर कड़ी नजर रख कर यू.एस.ए. के प्रति अपनी नीति तैयार करता है।

भारत और रूस- शीत युद्ध के दौरान, भारत और सोवियत संघ के बीच एक मजबूत सामरिक, सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक सम्बन्ध थे। सोवियत संघ के पतन के बाद, रूस को भारत के साथ अपने घनिष्ठ सम्बन्धों की विरासत मिली, जिसके परिणामस्वरूप दोनों देशों ने एक विशेष सामरिक सम्बन्ध साझा किए। किन्तु एक साम्यवादी देश, सोवियत संघ ने 1962 में चीन की आक्रामकता की निन्दा की। 1961 में गोवा की मुक्ति के दौरान सोवियत रूस ने भारत का समर्थन किया। 1966 में, रूस की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान द्वारा ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और सोवियत रूस के साथ 20 साल की सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किये थे। रूस ने भारत को उद्योग और वाणिज्य के विकास के लिए बहुत सहायता देता है। UNO की सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए रूस, भारतीय दावे का समर्थन कर रहा है।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. संविधान सभा में कुल सदस्य.....थे।
अ. 382 ब. 380 स. 381 द. 389
2. पीली क्रान्ति जातासम्बन्धित है।
अ. तिलहन ब. मत्स्य स. दूध द. उपर्युक्त सभी
3. भारत-पाक युद्ध का कारगिल युद्ध में हुआ था।
अ. 1969 में ब. 1989 में स. 1999 में द. 1979 में
4. 1930 की महामन्दी का भारत में सर्वाधिक प्रभाव.....देखने को मिला था।
अ. व्यापारियों पर ब. श्रमिकों पर
स. वेतन भोगियों पर द. किसानों और किरतकारों पर

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. भारत में हरित क्रान्ति के जनक..... को कहा जाता है। (एम.एस.स्वामीनाथन/नेहरू जी)
2. भारत के पड़ोसी देशों की संख्या है। (9 / 7)
3. भारत-चीन युद्ध हुआ था। (1969 /1962)

सत्य/असत्य बताइए-

1. 'मिसाइल मैन' के नाम से प्रसिद्ध वैज्ञानिक कस्तूरीरङ्गन जी को जाना जाता है। (सत्य/असत्य)
2. भारत में 21 महिने का आपातकाल घोषित था। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. भारत में आपातकाल क. 1962
2. भारत और चीन का युद्ध ख. 1998
3. परमाणु परिक्षण ग. 1975

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. भारत कब स्वतन्त्र हुआ ?
2. राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई ?
3. भारत के "लौह पुरुष" कौन थे ?
4. भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा ?

5. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई ?
6. भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति कब अपनाई ?
7. योजना आयोग की स्थापना कब हुई ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. संविधान सभा का क्या कार्य होता है ?
2. भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताएं ?
3. भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के क्या कारण हैं ?
4. गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था ?
5. हरित क्रान्ति' से क्या अभिप्राय है ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर और कैसे हुआ ?
2. इंदिरा गाँधी ने 1975 ई. में आपातकाल क्यों लागू किया ?
3. भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या योगदान रहा है ?
4. भारत के आर्थिक नियोजन पर प्रकाश डालें ?
5. भारत और अमरीका के बीच लोकतान्त्रिक सम्बन्ध कैसे हैं ? व्याख्या कीजिए।
6. रूस के साथ भारत के सम्बन्धों की व्याख्या कीजिए।

परियोजना-

1. भारत का एक मानचित्र बनाइए और पड़ोसी देशों का पता लगाइए।



अध्याय- 9

लोकतन्त्र

इस अध्याय में- लोकतन्त्र का अर्थ, परिभाषाएँ, लोकतन्त्र के प्रकार, लोकतन्त्र एवं जनता, भारत के लोकतन्त्र में राजनीति दल एवं दबाव समूह, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह में अन्तर, लोकतन्त्र की विशेषताएँ, लोकतन्त्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ, लोकतन्त्र की प्राचीनता।

लोकतन्त्र का अर्थ- लोकतन्त्र, अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी (Democracy) का हिंदी अनुवाद है। Democracy ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस (Demos) तथा क्रेषिया (Kratia) के योग से बना है। जहाँ डेमोस का अर्थ- जनता से लिया जाता है तथा क्रेषिया का अर्थ होता है- शक्ति या शासन। अर्थात् लोकतन्त्र का अर्थ हुआ- जनता का शासन। लोकतन्त्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं या अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। लोकतन्त्र को सभी प्रकार की शासन पद्धतियों में अच्छा माना गया है, क्योंकि इसमें किसी न किसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता होती है।

परिभाषाएँ- विद्वानों ने लोकतन्त्र की अनेक परिभाषाएँ दी हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं-


1. डायसी के अनुसार लोकतन्त्र वह शासन व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है।
2. लोकतन्त्र को परिभाषित करते हुए अब्राहम लिंकन ने कहा है कि " लोकतन्त्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। " इसे यदि और स्पष्ट किया जाए तो इसका अर्थ होगा- जनता की सरकार अर्थात् जनता की ओर से सरकार, जनता के लिए सरकार अर्थात् जनहित के लिए कार्य करने वाली सरकार जनता के द्वारा सरकार अर्थात् प्रतिनिधिमूलक सरकार (जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि)।
3. लार्ड ब्राइस के अनुसार लोकतन्त्र शासन का वह रूप है, जिसमें राज्य की शासन शक्ति, कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं अपितु संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती हैं।
4. राधाकृष्णन के अनुसार सही अर्थ में लोकतन्त्र समाज का स्वशासन सबसे कम शासित होना, सबसे अच्छे ढंग से शासित होना है।

उपर्युक्त परिभाषाओं से समझ सकते हैं कि लोकतन्त्र शासन में मुख्य भागीदारी जनता की होती है। लोकतन्त्र की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन मानी जाती है।

लोकतन्त्र के प्रकार- शासन प्रणाली के आधार पर लोकतन्त्र दो प्रकार का होता है-

प्रत्यक्ष लोकतन्त्र- लोकतन्त्र की इस शासन प्रणाली जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। वह नीति संबंधी फैसले लेती है एवं कानून बनाती है साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करती है।

प्रत्यक्ष लोकतन्त्र केवल छोटे एवं कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही सम्भव है। पौराणिक मतानुसार जनता ने राजा



चित्र- 9.1 लोकतन्त्र का खण्ड आरेख

वेणु को शासन सत्ता से पदच्युत करके

पृथु को राजा बनाया था। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि प्राचीनकाल में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र था। वर्तमान में संपूर्ण विश्व के भारत में पञ्चायत राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रामसभाओं में तथा स्विट्जरलैण्ड के कुछ राज्यों (प्रान्तों) में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की व्यवस्था है।

अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतन्त्र- अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र वह शासन प्रणाली है, जिसमें जनता निश्चित अवधि के लिए अपने प्रतिनिधि चुनती है, जो व्यवस्थापिका का गठन करती हैं और कानूनों का निर्माण करते हैं। वर्तमान में प्रायः सभी लोकतान्त्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतन्त्र ही पाया जाता है।

लोकतन्त्र एवं जनता- लोकतन्त्र में आदर्श सरकार तभी सम्भव है, जब नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों। जनता को अपने देश या क्षेत्र की समुचित जानकारी होगी तभी वे सही निर्णय ले सकेंगे। इसलिये जनता को समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सार्वजनिक सभाओं तथा अन्य साधनों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। लोकतन्त्र में प्रत्येक नागरिक जागरूक और साक्षर होना चाहिए ताकि वह अपने मत का उचित प्रयोग कर सके। जनता को सरकार के क्रिया-कलापों पर विचार-विमर्श और आलोचना करने का अधिकार होता है। उन्हें सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध करने का भी अधिकार है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र है क्योंकि यहाँ जनता अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करके लोकतन्त्र में भेजती है।

अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र में सभी राजनीतिक दल चुनाव में अपने-अपने (स्त्री या पुरुष) प्रत्याशियों को खड़े करते हैं। राजनीतिक दलों की लोकतन्त्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे जनता और सरकार

के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। वे जनमत का निर्माण भी करते हैं। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है। भारतीय संविधान में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक नागरिक को लिङ्ग, वर्ग, जाति, पंथ के भेदभाव के बिना मत देने का अधिकार प्राप्त है। इसे हम सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहते हैं। जो राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त करता है वहीं सरकार बनाता है। जो दल अल्पमत में होता है, वह प्रतिपक्ष दल का कार्य करता है। हमारे देश में कुछ नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते। जिसका मुख्य कारण है जागरूकता की कमी और शिक्षा का अभाव। कुछ नागरिक यह सोचते हैं कि- 'मुझे इससे क्या लाभ होगा?' वे यह अनुभव नहीं करते कि चुनाव में मतदान करना उनका अधिकार ही नहीं अपितु कर्तव्य भी है।

जब किसी देश में दो से दो अधिक दल चुनाव लड़ते हों और वे एकल या दूसरे दलों से गठबन्धन करके सरकार बनाते हैं, तो उसे बहुदलीय शासन प्रणाली कहते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक राजनीतिक दल चुनाव लड़ने पर सत्ता में आने के लिए आपस में समझौता कर सत्ता में पक्ष या विपक्ष के रूप में सहभाग करते हैं तो इसे गठबन्धन या मोर्चा कहा जाता है। भारत में प्रमुख रूप से तीन गठबन्धन हैं- राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन (भाजपा एवं सहयोगी दल), संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (कांग्रेस एवं सहयोगी दल) और वाम मोर्चा (माकपा, भाकपा आदि कम्युनिस्ट दल) आदि। भारत के लोकतन्त्र में राजनीति दल एवं दबाव समूह- राजनीतिक दलों मुख्य लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना होता है। राजनीतिक दल चुनाव में अपने-अपने प्रत्याशियों को जीताकर एक मजबूत व स्थायी सरकार का निर्माण करते हैं। जो सम्पूर्ण राज्य/राष्ट्र के लिए उत्तरदायी होती है। तथा दबाव समूह गैर लाभकारी और स्वयंसेवी संगठन होते हैं, जो कारण और नोटिस के आधार पर स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं। ये अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार और औद्योगिक निर्माताओं की नीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। दबाव समूह लोकतान्त्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग होता है और ये सभी प्रकार की शासन व्यवस्था में पाये जाते हैं।

भारत में दबाव समूह- भारत में कई प्रकार के दबाव समूह हैं, जिनमें मुख्य निम्न हैं-

व्यापार समूह- व्यापार समूह भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रभावशाली और संगठित दबाव समूहों में से एक हैं। इनमें भारतीय उद्योग परिसंघ (CII), भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महा संघ (फिक्की), वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल (एसोचैम) आदि हैं।

ट्रेड यूनियन (व्यापार संघ)- ट्रेड यूनियन मजदूरों और श्रमिकों की मांगों पर ध्यान देती हैं। इन्हें श्रम समूह भी कहा जाता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन (एटक), सेन्टर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू), HMS आदि प्रमुख हैं।

कृषि समूह- ये समूह भारत के किसान समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनकी भलाई के लिए कार्य करते हैं। जैसे- भारतीय किसान संघ, हिन्द किसान पञ्चायत आदि। इसके अतिरिक्त भारत में मेडिकल एसोसिएशन आफ इंडिया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP), भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI), मारवाडी एसोसिएशन, हरिजन सेवक संघ, गाँधीवादी पर्यावरणवादी आदि दबाव समूह हैं।

राजनीतिक दल एवं दबाव समूह में अन्तर- राजनीतिक दल एवं दबाव समूह में निम्न अन्तर हैं-

सारणी 9.1

क्र.	राजनीतिक दल	दबाव समूह
1.	राजनीतिक दल औपचारिक पंजीकृत संगठन होते हैं।	दबाव समूह औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार के संगठन हो सकते हैं।
2.	राजनीतिक दल चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त कर अपने सिद्धान्तों को क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं।	दबाव समूह प्रत्यक्षतः चुनाव नहीं लड़ते हैं।
3.	एक व्यक्ति एक ही राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है।	एक व्यक्ति अनेक दबाव समूहों का सदस्य हो सकता है।
4.	राजनीतिक दलों में विचारधारा का महत्त्व अधिक होता है।	दबाव समूह में विचारधारा का महत्त्व अपेक्षाकृत कम होता है।
5.	राजनीतिक दल लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली की विशेषता है।	दबाव समूह सभी शासन प्रणालियों में पाये जाते हैं।

लोकतन्त्र की विशेषताएँ - लोकतन्त्र की विशेषताएँ निम्नानुसार हैं -

1. एक लोकतान्त्रिक देश में प्रत्येक वयस्क नागरिक को एक वोट देने का अधिकार है और प्रत्येक वोट का समान महत्त्व है। कोई भी नागरिक किसी भी जाति, धर्म, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि का हो वह किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ सकता है जिसका अर्थ यह है कि सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है।
2. एक लोकतान्त्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों एवं नागरिक अधिकारों के दायरे में रहते हुए शासन करती है।
3. लोकतान्त्रिक देशों में शासकों का चयन जनता करती है जो सभी महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हैं।

4. इसमें स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव होते हैं। चुनाव लोगों के सामने वर्तमान शासकों को बदलने का एक विकल्प एवं अच्छा अवसर प्रदान करते हैं।
5. चुनाव के पहले और बाद में भी विपक्षी दलों को स्वतन्त्र रूप से काम करते रहने की अनुमति है।
6. इसमें अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता होती है और लोग मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं।
7. ऐसी सरकारें राजनैतिक समानता के मौलिक सिद्धान्त पर आधारित होते हैं।
8. लोकतन्त्र समस्त व्यवस्थाएँ को बनाए रखने के लिये स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायपालिका होती है।

लोकतन्त्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ- लोकतन्त्र को विश्व की सभी शासन व्यवस्था में श्रेष्ठ माना गया है तथापि लोकतन्त्र को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर उन समस्याओं को चुनौती कहते हैं। भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति और उसके बाद में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में विकास सम्बन्धी बहुत कार्य किए, परन्तु फिर भी हम विकास की गति को तीव्र नहीं कर पाए, क्योंकि विकास मार्ग में अनेक चुनौतियाँ हैं- साम्प्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं के कारण हम विकास कार्य में खर्च होने वाली राशि को पूरा-पूरा विकास कार्यों पर खर्च नहीं कर पा रहे हैं। इन समस्याओं से परस्पर अविश्वास और मतभेदों बढ़ने के कारण सामाजिक शान्ति व्यवस्था भंग हो रही है। लोकतन्त्र तथा मानवता के विरुद्ध आतंकवाद आज विश्वव्यापी समस्या बन गया है।

लोकतन्त्र की समस्याओं को दूर करने उपाय-

1. साक्षरता दर को शतप्रतिशत करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा निरन्तर योजनाएँ एवं कार्यक्रम जारी किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 को 29 जुलाई, 2020 में जारी किया है।
2. स्थानीय स्वशासन लोकतन्त्र की सफलता के लिए पञ्चायती राज की स्थापना और भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन को ठोस रूप देने का प्रावधान है।
3. नागरिकों में राजनीतिक सजगता लाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। सञ्चार के विभिन्न साधनों द्वारा उन्हें राजनीतिक रूप से सचेत किया जा रहा है।
4. बेरोजगारों को रोजगार के नए-नए अवसर दिए जा रहे हैं।
5. सरकार द्वारा लोकतन्त्र में व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए निम्न उपाय अपनाये जा सकते हैं।

लोकतन्त्र की प्राचीनता- हमारे लोकतन्त्र को किस तरह का होना चाहिए, निम्न वैदिक मन्त्र पुष्पाञ्जलि (ऋग्वेद परिशिष्ट) में बताया गया है। ॐ स्वस्ति, साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं। समन्तपर्यायीस्यात् सार्वभौमः सार्वायुषः आन्तादापरार्धात्। पृथीव्यै समुद्रपर्यं

ताया एकराळिति। मन्त्र का भावार्थ- हमारा राज्य सर्व कल्याणकारी राज्य हो। हमारा राज्य सर्व उपभोग्य वस्तुओं से परिपूर्ण हो। यहां लोकराज्य हो। हमारा राज्य आसक्तिरहित, लोभरहित हो। ऐसे परमश्रेष्ठ महाराज्य पर हमारी अधिसत्ता हो। हमारा राज्य क्षितिज की सीमा तक सुरक्षित रहें। समुद्र तक फैली पृथिवी पर हमारा दीर्घायु अखंड राज्य हो। हमारा राज्य सृष्टि के अन्त तक सुरक्षित रहें।

भारतीय दृष्टि से लोकतन्त्र या गणतन्त्र कोई नूतन अवधारणा नहीं है। वैदिक वाङ्मय एवं परवर्ती साहित्यों में गणराज्य, सार्वभौम शासन व्यवस्था एवं निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुलाने जैसी अवधारणाओं का उल्लेख आया है, जो वर्तमान लोकतान्त्रिक अवधारणा को बल प्रदान करती है।

भारत में प्राचीन काल से सुदृढ लोकतान्त्रिक व्यवस्था विद्यमान थी। हमारे वैदिक वाङ्मय, सिद्धों, अभिलेखों, विदेशी यात्रियों एवं विद्वानों के वर्णन में इसके प्रमाण हैं। वैदिक वाङ्मय में भी वर्तमान की तरह शासक एवं शासन के अन्य पदाधिकारियों के लिए निर्वाचन प्रणाली थी। वैदिक वाङ्मय और चाणक्य के अर्थशास्त्र में चुनाव पद्धति के साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीन समय में परिषदों का निर्माण किया गया था जो वर्तमान संसदीय प्रणाली का मिलता-जुलता प्रतिरूप था। इन परिषदों के द्वारा शासन का सञ्चालन किया जाता था तथा इनमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व होता था इसलिए इनमें सदस्य संख्या अधिक होती थी। उदाहरण के लिए तत्कालीन सबसे प्रसिद्ध गणराज्य लिच्छवि गणराज्य की केंद्रीय परिषद में 7707 सदस्य थे। वर्तमान की तरह परिषदों के अधिवेशन नियमित रूप से होते थे। निर्णय करने से पहले उन पर चर्चा होती थी। निर्णयों में बहुमत की प्रक्रिया अपनाई जाती थी, जिसे भूयिसिक्किम कहा जाता था। कुछ निर्णयों में सर्वसम्मति आवश्यक थी और कई बार मतदान प्रक्रिया के द्वारा निर्णय होते थे। उस समय में वोट को छन्द कहते थे। चुनाव प्रक्रिया सञ्चालन के लिए शलाकाग्राहक नामक एक अधिकारी होता था। वैदिक वाङ्मय में तीन प्रकार के मतदान का वर्णन मिलता है।

1. **गूढक (गुप्त मतदान)**- इसमें वर्तमान की तरह पत्र के द्वारा मत दिया जाता था। इसमें मतदान कर्ता का पता नहीं चलता था।
2. **विवृतक (प्रत्यक्ष मतदान)**- इस प्रक्रिया में व्यक्ति खुले आम घोषणा करके अपने मत को प्रकट करता था।
3. **सङ्कर्णजल्पक**- इस प्रक्रिया में मतदानकर्ता शलाकाग्राहक के कान में चुपके से अपना मत बताता था।

इन तीनों में से कोई भी एक प्रक्रिया अपनाने के लिए सदस्य स्वतन्त्र थे। शलाकाग्राहक कर्तव्य परायणता एवं ईमानदारी से इन मतों का लेखा-जोखा रखता था। इसके अतिरिक्त सुव्यवस्थित शासन के सञ्चालन हेतु विभिन्न मन्त्रालयों का गठन किया जाता था। जिसमें गुणवान एवं योग्य व्यक्तियों को इन

मन्त्रालयों के लिए चुना जाता था। यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रन्थों में इन्हें रत्नि कहा गया है। इनके अतिरिक्त मन्त्रालयों के गठन का उल्लेख अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, शुक्रनीति, महाभारत, आदि में प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार मन्त्रिमंडल में 6 सदस्य होते थे। मनुस्मृति के अनुसार इनमें सदस्य संख्या 7-8 होती थी। उपर्युक्त तथ्यों से प्रकट होता है कि प्राचीन काल से ही हमारे देश में गौरवशाली लोकतन्त्रीय परम्परा थी।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

- डेमोस (Demos) का अर्थ.....होता है।
अ. शासन ब. राजा स. लोकतन्त्र द. जनता
- वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र..... है।
अ. भारत में ब. स्विट्जरलैण्ड में स. इंग्लैण्ड में द. अमेरिका में
- लोकतन्त्र की सबसे सर्वश्रेष्ठ परिभाषा मानी गई है।
अ. लार्ड ब्राइस ब. राधाकृष्णन् स. डायसी द. इनमें से कोई नहीं
- निम्न में से लोकतन्त्र के प्रति जागरूक होने के लिये प्रत्येक नागरिक..... प्रयोग करता है।
अ. समाचार पत्र ब. रेडियो स. टेलीविजन द. उपर्युक्त सभी
- भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार के लियेकी आयु निर्धारित है।
अ. 18 वर्ष ब. 17 वर्ष स. 19 वर्ष द. 16 वर्ष

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

- प्रत्यक्ष लोकतन्त्र शासन में की भागिदारी होती है। (जनता/निर्वाचित प्रतिनिधि)
- लोकतन्त्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् है (राजनीति दल/दबाव समूह)
- व्यापार समूह कादबाव समूह है। (भारतीय उद्योग संघ/हरिजन सेवक संघ)

सत्य/असत्य बताइए-

- जाति एवं धर्म के आधार पर मतदान लोकतन्त्र को कमजोर बनाता है। (सत्य/असत्य)
- लोकतन्त्र में जनता सर्वेसर्वा होती है। (सत्य/असत्य)
- सम्पूर्ण राज्य एवं राष्ट्र का उत्तरदायी दबाव समूह होता है। (सत्य/असत्य)

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

- लोकतन्त्र किसे कहते हैं?
- लोकतन्त्र की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किनकी मानी जाती है? परिभाषा लिखिए।
- अप्रत्यक्ष को लोकतन्त्र किसे कहते हैं।
- प्राचीन भारत में चुनाव अधिकारी को क्या कहा जाता था ?

5. लोकतन्त्र में प्रत्येक नागरिक को साक्षर होना क्यों होना चाहिए ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. लोकतन्त्र की सफलता के लिये आवश्यक शर्तें कौन सी हैं ?
2. लोकतन्त्र आर्थिक असमानता को कैसे कम करता है?
3. लोकतन्त्र की चुनौतियों से निपटने के उपाय लिखिए।
4. राजनीति दल से क्या तात्पर्य है ? स्पष्ट कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. लोकतन्त्र का क्या अर्थ है ? लोकतन्त्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
2. लोकतन्त्र में राजनीति दल एवं दबाव समूह किस तरह से कार्य करते हैं।
3. लोकतन्त्र को भिन्न-भिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? वर्णन कीजिए।
4. लोकतन्त्र की समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है।

परियोजना-

1. वैदिक वाङ्मय में से लोकतन्त्र या गणराज्य के विषय में संकेत देने वाले मन्त्रों को संकलन कीजिए।

महर्षि साण्डीपनि

राज्याधिपति

यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्



अध्याय – 10

भारतीय संविधान

(संघवाद, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य)

इस अध्याय में- वैदिक वाङ्मय में वर्णित अन्य शासन-प्रणालियाँ, संघवाद का अर्थ, भारत में संघवाद, निष्पक्ष व स्वतन्त्र न्यायपालिका, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, संसदीय शासन प्रणाली, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अन्तर, मूल कर्तव्य।

भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के समय राज्यों एवं नागरिकों की सत्ता में अधिकतम भागीदारी एवं अधिकारों को सुनिश्चित करने एवं लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए के लिए संविधान में संघवाद, मूल अधिकार, नीति-निर्देशक तत्व आदि को समाहित कर आगे चलकर मूल कर्तव्यों को जोड़ा। इस अध्याय के अन्तर्गत हम इन बिन्दुओं का अध्ययन करेंगे।

वैदिक वाङ्मय में वर्णित अन्य शासन-प्रणालियाँ- वैदिक वाङ्मय के अन्तर्गत ऐतरेय ब्राह्मण में विविध शासन प्रणालियों का वर्णन है जिनके कई प्रावधान का प्रयोग हमारे भारत की संघीय शासन प्रणाली के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद के रूप में लिये गये हैं। साम्राज्याय, भौज्याय, स्वाराज्याय, वैराज्याय, पारमेष्ठ्याय, राज्याय महाराज्याय, आधिपत्याय, स्वावश्याय, आतिष्ठाय अभिषिञ्चति। ऐतरेय ब्राह्मण(8.4.18) ऐतरेय ब्राह्मण की अष्टम पञ्चिका में विविध शासन प्रणालियों का व्यापक वर्णन प्राप्त होता है। साथ ही इनके शासकों के नाम भी दिए गए हैं। प्राच्यां दिशि ये के च प्राच्यानां राजानाः साम्राज्यायैव तेऽभिषिच्यन्ते इत्यादि ऐतरेय ब्राह्मण (8/3/14) यह भी उल्लेख है कि शासन प्रणालियाँ कहाँ प्रचलित थीं। ये प्रणालियाँ निम्न हैं-

1. **साम्राज्य-** इस प्रणाली के शासक को 'सम्राट' कहते थे। यह पूर्व दिशा के राज्यों (मगध, कलिङ्ग, वज्र आदि) में प्रचलित थी। सम्राट एक छत्र शासक होता था।
2. **भौज्य-** इस प्रणाली के शासक को 'भोज' कहते थे। यह प्रणाली दक्षिण दिशा के सत्वत् (यादव) राज्यों में प्रचलित थी। अन्धक और वृष्णि यादव-गणराज्य इसी श्रेणी में आते हैं। इस शासन-प्रणाली में जनहित और लोक-कल्याण की भावना अधिक रहती थी, अतः यह पद्धति अधिक लोकप्रिय हुई।

3. **स्वराज्य-** इस प्रणाली के शासक को 'स्वराट्' कहते थे। यह प्रणाली पश्चिम दिशा के (सुराष्ट्र, कच्छ, सौवीर आदि) राज्यों में प्रचलित थी। यह स्वराज्य या स्वशासित (Self-ruling) प्रणाली है। राजा स्वतन्त्र रूप से शासन करता है।
4. **वैराज्य-** इस प्रणाली के शासक को 'विराट' कहते थे। यह प्रणाली हिमालय के उत्तरी भाग उत्तर कुरु, उत्तर मद्र आदि राज्यों में प्रचलित थी। यह शासन प्रणाली जनतन्त्रात्मक या संघ शासन-प्रणाली है। इसमें प्रशासन का उत्तरदायित्व व्यक्ति पर न होकर समूह पर होता है।
5. **पारमेष्ठ्य-** इस प्रणाली के शासक को 'परमेष्ठी' कहते थे। महाभारत शान्तिपर्व और सभापर्व में इसका विस्तार से वर्णन हुआ है। यह गणतन्त्र-पद्धति है। इसकी मुख्य विशेषता है- प्रजा में शान्ति-व्यवस्था की स्थापना। इसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त होता है। गणमुख्य की योग्यता और गुणों के आधार पर होता है।
6. **राज्य-** इस प्रणाली में राज्य का उच्चतम शासक 'राजा' होता था। यह प्रणाली मध्यदेश में कुरु, पञ्चाल, उशीनर आदि राज्यों में प्रचलित थी। राजा की सहायता के लिए मन्त्रियों की परिषद् होती थी। शासनतन्त्र के सञ्चालन के लिए विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति होती थी।
7. **महाराज्य-** इस प्रणाली के प्रशासक को 'महाराज' कहते थे। यह राज्य पद्धति का उच्चतर रूप है। किसी प्रबल पर विजय प्राप्त करने पर उसे 'महाराज' उपाधि दी जाती थी।
8. **आधिपत्य-** इस प्रणाली से प्रशासक को 'अधिपति' कहते थे। इसी को 'समन्तपर्यायी' कहा गया है। वह पड़ोसी जनपदों को अपने वश में कर लेता था तथा उनसे कर वसूल करता था। **स हि ज्येष्ठः श्रेष्ठो राजाऽधिपतिः।** (छान्दोग्य उपनिषद् 5.2.6) में इस प्रणाली को श्रेष्ठ बताया है।
9. **सार्वभौम-** इस प्रणाली के प्रशासक को 'एकराट्' कहते थे। **सार्वभौमा..... एकराट्।** ऐतरेय ब्राह्मण (8.15) में इसका उल्लेख है। यह सम्पूर्ण भूमि का राजा होता था। इस प्रणाली को 'सार्वभौम प्रभुत्व' नाम दिया गया है।

संघवाद का अर्थ- संघवाद अंग्रेजी के फेडरलिज्म (Federalism) का हिन्दी रूपान्तरण है। Federalism शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द Foedus से हुई है जिसका अर्थ है एक प्रकार का समझौता या अनुबन्ध। इस प्रकार संघवाद का अर्थ हुआ- शासन की वह व्यवस्था जिसमें केन्द्र (संघ) और संघ की इकाइयों के बीच सत्ता का बंटवारा (अनुबन्ध द्वारा) किया गया हो। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं- एक केन्द्रीय सरकार, जो राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों पर कानून बनाती है और देश की शासन व्यवस्था को संचालित करती है। दूसरी राज्य या प्रान्तीय सरकारें होती हैं, जिनका कार्य पुलिस व प्रशासन सहित दैनिक कामकाज के विषय होते हैं। सत्ता के दोनों स्तरों

की सरकारें अपने-अपने स्तर पर स्वतन्त्र होकर अपना कार्य करती हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम-से-कम दो स्तर मौजूद हैं- पहला केंद्रीय स्तर पर और दूसरा स्थानीय या राज्तीय स्तर पर।

पहली प्रक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका है जबकि दूसरी प्रक्रिया का भारत। वर्तमान में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस तथा भारत जैसे देश सफल संघीय देश माने जाते हैं।

एकात्मक शासन- एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और शेष इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रान्तीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। लेकिन संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ विशेष करने का आदेश नहीं दे सकती है। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती हैं। ये दोनों ही सरकारें अपने-अपने स्तर पर जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं।

भारत में संघवाद- भारतीय संविधान में संघ के लिए अंग्रेजी भाषा में Union शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत के संदर्भ में संघवाद को केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों के मध्य अधिकारों के वितरण के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे सत्ता का विकेन्द्रीकरण कहा जाता है। प्रत्येक स्तर की सरकार अपने अधिकार एवं शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करती हैं। भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा से लिया गया है। भारतीय संघ व्यवस्था में संविधान द्वारा क्षेत्र के आधार पर शक्तियों का जो विभाजन या केन्द्रीकरण किया जाता है, उस दृष्टि से दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएँ होती हैं- एकात्मक शासन और संघात्मक शासन। भारत जनसंख्या एवं क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक विशाल और विविधताओं से भरा हुआ है इसलिए भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाना स्वाभाविक था। संविधान में अनुच्छेद-1 (एक) में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ (Union) होगा। लेकिन संविधान निर्माता संघात्मक शासन को अपनाते हुए भी भारतीय संघ व्यवस्था की कमजोरियों को दूर करने के लिए उत्सुक इसी कारण भारत के संघात्मक शासन में एकात्मक शासन के कुछ लक्षणों को अपना लिया गया है वास्तव में भारतीय संविधान में संघात्मक शासन के लक्षण प्रमुख रूप से और एकात्मक शासन के लक्षण गौण रूप से विद्यमान हैं। वर्तमान में 2022 भारत में 28 राज्य व 8 केन्द्रशासित प्रदेश हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं-

1. **दोहरी शासन प्रणाली-** भारत में संघ और राज्य दोनों में अलग सरकारें होती हैं। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मन्त्रिपरिषद् तथा जनप्रतिनिधियों की व्यवस्थापिका (संसद)

है। इसी प्रकार राज्यों में भी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है। जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मन्त्रिपरिषद् तथा जनप्रतिनिधियों की विधानसभा है। यह व्यवस्था दोहरी शासन प्रणाली कहलाती है। राज्यपाल, प्रत्येक राज्य में भारतीय संघीय व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग है।

2. **शक्तियों का स्पष्ट विभाजन-** भारत में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। उसके अनुसार संघ एवं राज्य सरकारों को सौंपे गये विषयों पर कानून बनाती हैं एवं प्रशासन करती है। संविधान की सातवीं अनुसूची के अन्तर्गत अनुच्छेद 246 में केन्द्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के माध्यम से किया गया है जो इस प्रकार हैं-

क. **संघ सूची-** इसे केन्द्रीय सूची भी कहते हैं। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्त्व के विषय होते हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केन्द्र सरकार ही होता है। संविधान लागू होने के समय इस सूची में 97 विषय थे परन्तु वर्तमान में इसमें 100 विषय सम्मिलित हैं। जैसे- रेल, वित्त, रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, सञ्चार, डाक, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, जनगणना, मुद्रा आदि।

ख. **राज्य सूची-** राज्य सूची में स्थानीय महत्त्व के विषय होते हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। राज्य सूची में संविधान लागू होने के समय 66 विषय थे परन्तु वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। जैसे- पुलिस, स्थानीय शासन, जेल, कृषि, सिंचाई, पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य आदि।

ग. **समवर्ती सूची-** समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों को ही प्रदान किया गया है अर्थात् इस सूची के विषयों पर केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं। परन्तु दोनों सरकारों के मध्य मतभेद होने की स्थिति में केन्द्र सरकार का कानून ही मान्य होगा। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे परन्तु वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। जैसे- न्याय का प्रशासन, शिक्षा, विद्युत, उद्योग, वन एवं पर्यावरण, मजदूर संघ, विवाह-विधि आदि।

उपर्युक्त तीनों सूचियों के अतिरिक्त शेष बचे विषयों को **अवशिष्ट सूची** में सम्मिलित किया गया है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार को दिया गया है।

3. **संविधान के लिखित स्वरूप की सर्वोच्चता-** भारतीय संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान का लेखबद्ध होना आवश्यक है। संविधान देश का आधारभूत एवं सर्वोच्च कानून होता है। इस प्रणाली में संघीय एवं प्रान्तीय सरकारें संविधान की व्यवस्थाओं का पालन करती हैं। संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को कठोर बनाया गया है।

निष्पक्ष व स्वतन्त्र न्यायपालिका- भारतीय संघात्मक शासन न्यायपालिका की स्वतन्त्रता एवं सर्वोच्चता आवश्यक है। इसलिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है। संविधान के प्रतिकूल बनाए गए कानूनों एवं लिए गए निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्वतन्त्रता बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रावधान संविधान में किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124-147 एवं 214-237 तक संघ और राज्यों के लिए न्यायपालिका का उपबन्ध किया गया है।

द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका- संघात्मक शासन व्यवस्था में भारतीय व्यवस्थापिका (संसद) के दो सदन हैं-जिसमें लोकसभा (निम्न सदन) जनता का प्रतिनिधित्व करता है एवं राज्य सभा (उच्च सदन) राज्यों



चित्र- 10.1 मूल अधिकारों का खण्ड आरेख

का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य सभा में राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। इसमें राज्यों के प्रतिनिधि को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं जबकि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।

संसदीय शासन प्रणाली- संघीय शासन व्यवस्था के अन्तर्गत हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, क्योंकि उत्तरदायित्व के मामले में संसदीय शासन प्रणाली अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर है। संसदीय शासन प्रणाली में शासन का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है तथा कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। परन्तु वास्तव में राष्ट्रपति की शक्तियों का उपयोग कार्यपालिका अर्थात् मन्त्रिपरिषद् के द्वारा किया जाता है। इसमें कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के बीच समन्वय भी बना रहता है।

मूल अधिकार- अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास एवं गरिमा के लिये आवश्यक है जिन्हें देश के संविधान में अंकित किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय जिनकी सुरक्षा करता है, **मौलिक अधिकार** कहलाते हैं। हमारे संविधान में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिये गए हैं। संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद-12 में मूल अधिकारों को परिभाषित

किया गया है। अनुच्छेद-13 में मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण वाली विधियाँ दी गई हैं। मूल रूप से कुल सात (7) मौलिक अधिकार प्रदान किये गये थे लेकिन 44 वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बनाने के कारण वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं।

1. **समानता का अधिकार-** अनुच्छेद 14-18 में समानता के अधिकारों का उल्लेख है। संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समान माना गया है तथा सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। राज्य अर्थात् सरकार किसी भी व्यक्ति से धर्म, नस्ल, जाति, लिङ्ग, रङ्ग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। सरकारी पदों पर नियुक्ति के बारे में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किये गए हैं। अस्पृश्यता का अन्त कर उसे दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है और केवल सैनिक वीरता व विद्या कौशल के लिए सम्मान रूप में परमवीर चक्र, महावीर चक्र, भारत रत्न, पद्म सम्मान आदि दिए जा सकते हैं। समानता का अधिकार हमारे लिए नया नहीं है। हमारे वैदिक वाङ्मय में उल्लेख है कि आत्मवत् सर्वभूतेषु अर्थात् संसार के सभी जीवों को अपने समान माना गया है।

2. **स्वतन्त्रता का अधिकार-** अनुच्छेद 19-22 तक स्वतन्त्रता का अधिकार वर्णित है। देश के सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की, शान्तिपूर्ण व बिना शस्त्रों के सम्मेलन करने, संगठन बनाने, भारत में घूमने-फिरने और निवास करने तथा कोई भी व्यवसाय, नौकरी-उद्योग आदि आजीविका की स्वतन्त्रता प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त स्वतन्त्रता कि एक सीमा है, जब तक दूसरे लोगों की स्वतन्त्रता में किसी तरह की बाधा नहीं पहुँचे। मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 21 में है, जो प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता अर्थात् जीवन का अधिकार प्रदान करता है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21-(क) में जीवन के अधिकार में शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित करते हुए कहा गया है कि राज्य छः वर्ष से चौदह वर्ष (6-14 वर्ष) तक की आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा।

यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो पुलिस का कर्तव्य है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घण्टे के ही अन्दर न्यायालय में पेश करें। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दण्डित नहीं किया जा सकता है।

स्वतन्त्रता के अधिकार का स्थगन- संविधान के अनुच्छेद 19 में दिए गए स्वतन्त्रता के अधिकार बाहरी आक्रमण या आन्तरिक शांति भंग होने की स्थिति राष्ट्रपति के आदेश से स्थगित किए जा सकते हैं परन्तु इसमें अनुच्छेद 20 एवं 21 के स्वतन्त्रता के संरक्षण अधिकार स्थगित नहीं होते।

3. **शोषण के विरुद्ध अधिकार-** अनुच्छेद-23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है। इसके अनुसार मानव के दुर्व्यवहार, बेगार प्रथा और बलपूर्वक श्रम पर रोक लगाई गई है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खान या अन्य खतरनाक कार्यों में लगाने पर रोक लगाकर बालश्रम का अन्त कर दिया गया है।
4. **धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार-** अनुच्छेद-25-28 में नागरिकों की धार्मिक स्वतन्त्रता का उल्लेख है। सभी नागरिक अपने अंतःकरण के अनुसार किसी धर्म को मानने उसका आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है लेकिन लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर इस पर प्रतिबन्ध भी लगाया जा सकता है। ध्यान रहें कि यह किसी के धर्मान्तरण का अधिकार भी प्रदान नहीं करता है। इसके साथ-साथ सभी धार्मिक सम्प्रदाय अपनी संस्थाओं जैसे- मंदिर, मठ, दरगाह, गुरुद्वारा आदि की स्थापना करके सम्पत्ति अर्जित कर उसका प्रबन्धन करने का अधिकार है यह सभी कानून के अनुसार होना चाहिये। भारतीय संविधान में यह प्रावधान भी है कि सरकार की सहायता से पोषित किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है।
5. **संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार-** अनुच्छेद-29-30 में संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार का उल्लेख है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने एवं अपनी संस्कृति की रक्षा का भी अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाये रखने का अधिकार है साथ ही धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और सञ्चालन का अधिकार है।
6. **संवैधानिक उपचारों का अधिकार-** अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख है। यह वह साधन है, जो मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों के संरक्षण के लिये न्यायालय में जा सकता है। न्यायालय ऐसे कानूनों को रद्द कर सकता है, जो मौलिक अधिकारों की अवहेलना करते हैं। इस तरह मूल अधिकारों को लागू कराने की संविधान में समुचित व्यवस्था भी है। न्यायालय में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए पाँच तरह के प्रादेश या रिट जारी करता है- बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण रिट। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के महत्त्व को बताते हुए डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय व आत्मा कहा है। मूल अधिकारों के उचित प्रबन्धन, पालन आदि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 33, 34, 35 में है।

नीति निर्देशक तत्व- भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और न्याय प्रदान करने के लिये नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। नीति निर्देशक तत्व संविधान निर्माताओं द्वारा केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों को नीतियों के निर्धारण के लिये दिये गये दिशा निर्देश हैं। ये शासन प्रशासन के समस्त अधिकारियों हेतु व्यवहार के मार्ग दर्शक सिद्धांत भी है। इनके अनुसार ही सभी कार्य सम्पन्न हो यह अपेक्षा की गई है, परन्तु इनके अनुसार कार्य न होने पर नागरिक न्यायालय में अपील नहीं कर सकते, जैसा वह मौलिक अधिकारों के सन्दर्भ में कर सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व सरकार के कर्तव्य माने गये हैं। नीति निर्देशक तत्व भारत में सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति को साकार करने का सपना है। भारतीय संविधान में ये तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गये हैं। अनुच्छेद 36-51 तक इनका उल्लेख है। इनके अनुसार कार्यपालिका और विधायिका को अपने अधिकारों का प्रयोग करना होता है। इन्हें न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं है अर्थात्- नीति निर्देशक तत्व के विषयों का अनुपालन हेतु न्यायालय प्रक्रिया नहीं हो सकती किन्तु नीति निर्देशक तत्व आश्रय पर कानून बनने पर उन उपबन्धों के अनुपालन पर न्यायालय प्रक्रिया हो सकती है।

मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अन्तर- मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में महत्वपूर्ण अन्तर निम्नलिखित हैं-

1. मौलिक अधिकारों में कानूनी शक्ति होती है। नीति निर्देशक तत्वों में जनमत की शक्ति होती है। यदि शासन के किसी कानून से नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय उसकी रक्षा के लिये उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध यदि कोई कानून बनता है, तो न्यायालय उसे अवैध घोषित नहीं कर सकता। परन्तु जनमत का भय होने से इन सिद्धान्तों की अवहेलना राज्य आसानी से नहीं कर सकता।
2. मौलिक अधिकारों की व्यवस्था निषेधात्मक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है। दूसरे शब्दों में मौलिक अधिकार सरकार को कुछ कार्य करने से रोकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सरकार को अपने कर्तव्य को पूरा करने का निर्देश देते हैं।
3. मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतन्त्र की स्थापना है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य आर्थिक सामाजिक लोकतन्त्र की स्थापना है।
4. मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सरकार के कर्तव्य हैं। ये सरकार के नीति निर्माण एवं व्यवहार के लिये दिये गए निर्देश हैं।

मूल कर्तव्य- जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय मौलिक कर्तव्यों का समावेश नहीं था। केवल मूल अधिकारों की व्याख्या होने से नागरिक अपने अधिकारों के लिये तो जागरूक हो गए, परन्तु कर्तव्यों

के प्रति उदासीन रहे। इस कमी के पूरा करने के लिये 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51-क में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिये गये हैं। प्रारम्भ में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी परन्तु 2002 के 86 वें संविधान संशोधन द्वारा इनकी संख्या 11 हो गई। अनुच्छेद 51- (क) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि-

1. वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय चिह्न, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें।
2. स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोये रखे और उनका पालन करें।
3. भारत की सम्प्रभूता, एकता और अखण्डता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें।
4. देश की रक्षा करें एवं आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
5. भारत के सभी लोगो में समरसता और समान भावत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से ऊपर हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है।
6. हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अन्तर्गत तालाब, झील, नदी, पर्वत, वन और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्द्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
9. सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहें।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सकें।
11. माता-पिता और संरक्षक का यह कर्तव्य है कि वह अपने छः वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

सारांश- भारत में लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था है। इसलिए भारत के नागरिक प्रत्यक्ष मताधिकार का उपयोग करके अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। इसके उपरान्त चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा सरकार का चुनाव किया जाता है। फिर चुनी हुई सरकार अनेक कार्य करती है। जैसे- शासन चलाना, नवीन कानून बनाना, पुराने कानूनों में संशोधन करना आदि है। लोकतन्त्र में राजनैतिक शक्ति का स्रोत जनता होती है यह लोकतन्त्र का आधारभूत सिद्धांत है। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था में समाज के विभिन्न समूहों

और मतों को उचित सम्मान मिलता है। जन नीतियों का निर्माण करते समय नागरिकों का ध्यान रखा जाता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि राजनैतिक सत्ता में अधिक से अधिक नागरिकों की साझेदारी होनी चाहिए।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

- वर्तमान में भारत में..... हैं।
 अ. 29 राज्य व 7 केन्द्रशासित प्रदेश ब. 28 राज्य व 9 केन्द्रशासित प्रदेश
 स. 28 राज्य व 8 केन्द्रशासित प्रदेश द. 29 राज्य व 9 केन्द्रशासित प्रदेश
- समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार..... है।
 अ. केन्द्र सरकार को ब. राज्य सरकारों को
 स. केन्द्र व राज्य सरकारों को द. किसी को नहीं
- भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं।
 अ. 5 ब. 6 स. 7 द. 8
- मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में..... को जोड़ा गया।
 अ. 1976 ब. 1978 स. 1975 द. 1977
- लोकतन्त्र में राजनैतिक शक्ति का स्रोत..... होती है।
 अ. संसद ब. विधान सभा स. जनता द. सरकार

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

- लोकसभा को सदन कहा जाता है। (उच्च/निम्न)
- मौलिक अधिकारों में से के अधिकार को हटा दिया गया है। (सम्पत्ति/समानता)
- संविधान में मौलिक कर्तव्य भाग में जोड़ा गया। (4 / 7)

सत्य/असत्य बताइए-

- भारत में लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था है। (सत्य/असत्य)
- नीति-निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36-51 में उल्लेखित है। (सत्य/असत्य)
- भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

- | | |
|-----------------|---|
| 1. संघ सूची | क. उद्योग, विद्युत, वन एवं पर्यावरण आदि |
| 2. राज्य सूची | ख. रेल, वित्त, रक्षा आदि |
| 3. समवर्ती सूची | ग. कृषि, स्थानीय शासन, चिकित्सा आदि |

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. संघवाद से आप क्या समझते हैं?
2. भारतीय संघीय व्यवस्था के कोई दो लक्षण बताइए।
3. लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण किसे कहते हैं?
4. मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है ?
5. मूल कर्तव्य से आप समझते हैं ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. संघीय व्यवस्था की विशेषताएँ लिखिए?
2. भारत में सत्ता का विकेन्द्रीकरण कैसे किया गया है ?
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन कीजिए।
4. धार्मिक स्वतन्त्रता से आप क्या समझते हैं ?
5. सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है?
6. मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्वों में क्या अन्तर है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. संघवाद क्या है ? भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए।
2. भारतीय नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए।
3. भारत में सत्ता की साझेदारी को समझाइए।

परियोजना-

1. यदि आपके आस-पास किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप उसे क्या सलाह देंगे।

अध्याय-11

भारत में लोक कल्याणकारी योजनाएँ

इस अध्याय में- लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, शिक्षा, प्रसाद योजना, स्वदेश दर्शन योजना, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आवास, रोजगार, श्रम कानून, पेंशन एवं बीमा योजनाएँ, प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजना, लोक कल्याण एवं सरकार की जिम्मेदारी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005।

भारत में नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्तिओं को ध्यान रखते हुए आवश्यक सामाजिक समर्थन के साथ मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाना लोक कल्याण कहलाता है। लोक कल्याणकारी राज्य से आशय है कि राज्य के सभी नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति को समानता प्रदान कर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। लोक कल्याणकारी राज्य का सर्वोच्च ध्येय जन सेवा होता है, इसे समाज सेवा भी कहते हैं। इन सामाजिक सेवाओं के कई रूप होते हैं। जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, रोजगार, विधवा व वृद्धावस्था पेंशन आदि। इन सेवाओं का मुख्य उद्देश्य जनता को सभी प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध करवाकर, नागरिकों तक पहुँचाना होता है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद लोकतान्त्रिक भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई। संविधान ने सरकार को यह जिम्मेदारी दी है कि वह ऐसे कार्यक्रम और योजनाएँ संचालित करें, जिनसे आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक न्याय स्थापित हो। भारतीय संविधान के भाग चार में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सरकार की इन जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है, जिनसे लोक कल्याण हों और सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि वह इन दायित्वों का निर्वहन करें। इसके लिए केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों ने अनेक ऐसे कानून बनाए और कार्यक्रम संचालित किए हैं, जिनका उद्देश्य लोक कल्याण रहा है। भोजन, आवास, चिकित्सा, शिक्षा व रोजगार से सम्बन्धित ऐसी अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इस अध्याय हम प्रमुख योजनाओं का अध्ययन में करेंगे।

प्राचीन भारत में राम राज्य की जिस अवधारणा का उल्लेख मिलता है, वह लोक कल्याण की भावना पर आधारित थी। हमारे वैदिक वाङ्मय में तो प्रजा के सुख को राजा का सुख माना गया है। वैदिक मनीषियों ने अपने चिन्तन में लोक कल्याण का आधार ज्ञान को बताया है, जो सभी के लिए आवश्यक है- ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च। (यजु. 26/2) लोक कल्याण का

दूसरा ध्येय आरोग्य और सौमनस्य है- यथा नः सर्वमिज्जगद् अयक्ष्मं सुमना असत्। (यजु. 16/4) इस मन्त्र में ऋषि की कामना है कि समस्त संसार स्वस्थ, प्रसन्नचित और सौमनस्य युक्त हों।

लोक कल्याणकारी कार्यक्रम- सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाएँ दो प्रकार की होती हैं- प्रथम वे योजनाएँ जो सामान्य नागरिकों के लिए होती हैं तथा दूसरी वे जो वर्ग विशेष के उत्थान एवं समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए होती हैं। जैसे- निर्धन रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन वाले वर्गों के लिए योजनाएँ। हमारे देश में केन्द्र सरकार व राज्य सरकारें दोनों ही इस प्रकार के कार्यक्रम संचालित कर रही हैं। जिनमें से प्रमुख निम्न हैं-

शिक्षा- व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा का महत्त्व सर्वाधिक है। सरकार ने शिक्षा को एक मूल अधिकार (2002 में) का दर्जा दिया और निःशुल्क के साथ अनिवार्य रूप से बाल शिक्षा का अधिकार (2010 में) कानून बनाया गया है। जिसके अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बालकों के लिए निःशुल्क, अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और दिव्यांग वर्ग के विद्यार्थियों, अनाथ विद्यार्थियों तथा अन्य प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाती हैं। कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को 'मिड-डे-मील' योजना के अन्तर्गत दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। केन्द्र सरकार के द्वारा देश के सभी जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय (1986 में) और बालिका शिक्षा के लिए कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय (2004) की स्थापना की गई है। केन्द्र सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आरम्भ किया है इस योजना के अन्तर्गत स्कूलों तथा कॉलेजों में होने वाली शिक्षा की नीति तैयार की जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जी ई आर के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा। अन्तर्गत सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी में काफी सारे मुख्य बदलाव किए हैं पहले 10+2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था परंतु अब नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। जिसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी और 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा होगी। National Education Policy 2020 का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रदान की जाने वाली शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाना है। इस योजना से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा और विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। शिक्षा के क्षेत्र में भारत के प्रधानमन्त्री जी के द्वारा पीएम श्री योजना- 2022 को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से पूरे भारत में 14500 पुराने स्कूलों को सुन्दर ढांचे, मजबूत और आकर्षक कर अपग्रेड किया जायेगा। इन स्कूलों में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेल और आधुनिक अवसंरचना पर विशेष ध्यान जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आधार



चित्र- 11.1 महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा संचालित राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, उज्जैन, (म.प्र.)

पर बने प्रोग्राम ऑफ एक्शन-1992 कार्य प्रणाली के तहत वैदिक शिक्षा के अन्तर्गत वेद के प्रचार-प्रसार अधिकार दिया गया है। भारतीय ज्ञान परम्परा के आधार वेदों में उपलब्ध पारम्परिक ज्ञान को संरक्षित एवं संवर्धित एवं प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से 1987 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान नामक संस्था के उज्जैन स्थानान्तरण के बाद इसका नाम महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान कर दिया गया।

प्रसाद योजना- भारत सरकार ने पर्यटन मन्त्रालय के तहत वर्ष 2014-2015 में पीआरएएसएडी (प्रसाद) योजना शुरू की थी। प्रसाद योजना का पूर्ण रूप 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान' है। यह योजना धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने के लिए पूरे भारत में तीर्थ स्थलों को विकसित करने और पहचान करने पर केन्द्रित है। इसका उद्देश्य एक सम्पूर्ण धार्मिक पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए तीर्थ स्थलों को प्राथमिकता, नियोजित और संधारणीय तरीके से एकीकृत करना है। घरेलू पर्यटन का विकास बहुतहद तक तीर्थ पर्यटन पर निर्भर करता है। तीर्थ पर्यटन की क्षमता का दोहन करने के लिए सरकार द्वारा अन्य हितधारकों के सहयोग के साथ-साथ चयनित तीर्थ स्थलों के समग्र विकास की आवश्यकता थी। प्रसाद योजना का उद्देश्य भारत में धार्मिक पर्यटन के विकास और संवर्धन का मार्ग प्रशस्त करना है।

स्वदेश दर्शन योजना- स्वदेश दर्शन योजना विषयगत पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के उद्देश्य से पर्यटन और संस्कृति मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में शुरू की गई एक केन्द्रीय क्षेत्र की

योजना है। इस योजना का उद्देश्य भारत में पर्यटन की क्षमता को बढ़ावा देना, विकसित करना और उसका दोहन करना है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत, पर्यटन मन्त्रालय सर्किट के अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को केन्द्रीय वित्तीय सहायता- सीएफए प्रदान करता है। इस योजना की परिकल्पना स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इण्डिया, मेक इन इण्डिया आदि जैसे अन्य योजनाओं के साथ सामञ्जस्य बिठाने के लिए की गई है, जिसमें पर्यटन क्षेत्र को रोजगार सृजन, आर्थिक विकास के लिए प्रेरक शक्ति, विभिन्न क्षेत्रों के साथ तालमेल बनाने ताकि पर्यटन को अपनी क्षमता का एहसास हो सके, के लिए एक प्रमुख इंजन के रूप में स्थान दिया गया है।

खाद्य सुरक्षा- स्वतन्त्रता के अधिकार के अन्तर्गत जीवन जीने के लिये नागरिकों को सम्मान पूर्वक दो वक्त का भोजन भी प्राप्त हों। इसको ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार द्वारा संसद में पारित 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम' 2013 दिनांक 10 सितम्बर 2013 को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन-चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौषणिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अन्तर्गत राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण जनता एवं 50% शहरी जनता को लाभ पहुँचाने का प्रावधान है। पात्र व्यक्ति चावल/ गेहूँ/मोटे अनाज क्रमशः 3/ 2/1 रूपए प्रति किलोग्राम के राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह प्राप्त करने का अधिकार है। हाल ही में अन्त्योदय अन्न योजना परिवार, जिसमें निर्धनतम व्यक्ति सम्मिलित हैं। जिसे 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह प्राप्त करते रहेंगे।

इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के लिए पौषणिक सहायता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम से कम 6000 रूपए का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी अधिकार हैं। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे भी निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार भोजन प्राप्त करने के अधिकार हैं। अधिकारी को खाद्यान्नों अथवा भोजन की आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में लाभार्थी खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करेंगे। इस अधिनियम में जिला और राज्य स्तरों पर शिकायतों से निपटने के लिये तन्त्र के गठन का भी प्रावधान है साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी इस अधिनियम में अलग से प्रावधान किए गए हैं।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा- भारत में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की दृष्टि से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (वर्ष 2005 में प्रारम्भ) और राष्ट्रीय शहरी

स्वास्थ्य मिशन (वर्ष 2013 में प्रारम्भ) को मिलाकर आरम्भ किया गया था। इस मिशन का मुख्य कार्यक्रम सम्बन्धी घटकों में 'ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रजनन-मातृ-नवजात-बाल और किशोर स्वास्थ्य (RMNCH+A) तथा संचारी एवं गैर-संचारी रोगों के लिये स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना' विषय सम्मिलित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की सहायता में से सम्बन्धित मुफ्त सेवाओं का प्रावधान है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन न्यायसंगत, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच की परिकल्पना है जो लोगों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी है। उक्त मिशन द्वारा दी जा रही प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ -

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK)
- निःशुल्क दवाओं और निःशुल्क निदान सेवा पहल
- प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम
- सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन ढाँचे का कार्यान्वयन।
- मोबाइल चिकित्सा इकाइयों (MMUs) और टेली-परामर्श सेवाओं को भी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार करने हेतु लागू किया जा रहा है।
- आयुष्मान भारत।
- प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत योजना) (AB-PMJAY)

उपर्युक्त स्वास्थ्य सम्बन्धित सेवाओं से आज वर्तमान में कई लोगों को चिकित्सा प्राप्त हो रही है।

आवास- मानव के जीवन निर्वाह के लिए आवास मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। सरकार का निश्चय है कि आने वाले समय में कोई भी परिवार आवासहीन नहीं रहें। इसके लिए अनेक योजनाएँ आरम्भ की गई हैं। जैसे- प्रधानमन्त्री आवास योजना और इन्दिरा आवास योजना। प्रधानमन्त्री आवास योजना केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, इस योजना का उद्देश्य 2022 तक कमजोर आय वर्ग के लोगों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को घर उपलब्ध कराना है। इसके लिए सरकार 20 लाख घरों का निर्माण करवाएगी, जिनमें 18 लाख घर झुग्गी-झोपड़ी वाले क्षेत्र में शेष 2 लाख शहरों के गरीब क्षेत्र में किए जायेंगे। अर्थात् घर खरीदने के लिए होम लोन पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी अधिकतम 2.67 लाख रुपये तक हो सकती है। प्रधानमन्त्री आवास योजना (PMAY) 25 जून 2015 से पूरे देश में शुरू की गई थी। पूर्व में इन्दिरा आवास योजना के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास हेतु भूखण्ड व आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती थी, इसे अब प्रधानमन्त्री

आवास योजना में समायोजित कर दिया गया है। केन्द्र सरकार के अतिरिक्त कई राज्य सरकारों ने भी अपने राज्य सस्ते आवास उपलब्ध करवाने के लिए अनेक योजनाएँ चल रही हैं।

रोजगार- नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं- मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना आदि। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2006 (मनरेगा) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत अकुशल श्रमिक द्वारा रोजगार की माँग करने पर उसके घर से 5 कि.मी. की दूरी तक न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी सरकार द्वारा प्रदान की गई है। पन्द्रह (15) दिनों में रोजगार उपलब्ध न होने पर उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। इस योजना के द्वारा रोजगार के साथ-साथ ही क्षेत्रीय विकास के अनेक कार्य भी सम्पन्न हो रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा संचालित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है जिसका मुख्य लक्ष्य गरीबों को स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है। इसके अतिरिक्त प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना (PMKVY) भी भारत सरकार की रोजगार उपलब्ध करवाने की एक योजना है जिसे जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत 2020 तक एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई थी। इस योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार प्रदान करवाना है जो कम पढ़े लिखे हों या बीच में ही स्कूल छोड़ देते हों।

श्रम कानून- मजदूरों एवं कामगारों को शोषण से बचाने के लिए उनके काम के घण्टे एवं न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई है। उन्हें साप्ताहिक अवकाश का अधिकार भी दिया गया है। समान कार्य के लिए समान मजदूरी का भी प्रावधान किया गया है। उनके श्रम सम्बन्धित विवादों के समाधान के लिए श्रम कानून बनाए गए हैं।

पेंशन एवं बीमा योजनाएँ- वृद्धजन, विधवा, दिव्यांगजन, एकल महिला, विशेष योग्यजन व अन्य चयनित जरूरतमन्दों को सरकार द्वारा हर महीने पेंशन प्रदान कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। सरकार द्वारा नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा एवं दुर्घटना-बीमा द्वारा भी सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना मई 2015 में शुरू की गई है। इस योजना में केवल 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम दिया जाता है और आकस्मिक मृत्यु या दिव्यांगता पर 2 लाख रुपये तक बीमा लाभ मिलता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सस्ती कीमत पर आम लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बीमित का बैंक में

खाता होना अनिवार्य है। किसानों की फसलों के लिए फसल-बीमा और पशुओं के लिए पशुधन-बीमा भी प्रदान किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, इस योजना का उद्देश्य है कि जो छोटे एवं सीमान्त किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर (4.9 एकड़) से कम भूमि है उनको आर्थिक सहायता प्रदान करती है। एवं सभी पात्र किसानों की आर्थिक जरूरतों को पूर्ण करने हेतु फसलों की खरीदी के साथ उच्चतम फसल और सही पैदावार को सुनिश्चित करना। इस योजना के तहत 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रत्येक पात्र किसान को तीन किशतों में भुगतान किया जाता है। 1 दिसम्बर, 2018 से यह योजना लागू की गई।

लोक कल्याण एवं सरकार की जिम्मेदारी- लोक कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो तथा योजना के अन्तर्गत आने वाले लोगों को योजना से लाभान्वित हो, इसके लिए यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि नागरिक भारत सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रति सजग रहें तथा लोक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सम्बन्धी सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हों। अतः सरकार ने लोक सेवाओं को लोगों तक पहुँचाने और प्रशासन को संवेदनशील, जिम्मेदारी और पारदर्शी बनाने के लिए निम्न अधिनियम पारित किये हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005- प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिये, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे सम्बंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये अधिनियम में प्रावधान बताये गये हैं। किसी भी लोकतान्त्रिक देश में सरकार की नीतियों एवं कार्य विषयक जानकारी करना नागरिकों का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पूरे देश में 12 अक्टूबर 2005 से लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी नागरिक सरकार की नीति, योजना, कार्य एवं लेन-देन से सम्बन्धित रिकार्ड की तथ्यगत सूचना सरकार के सम्बन्धित विभाग से माँग सकता है। किसी भी सरकारी व सार्वजनिक कार्यालय से सम्बन्धित कोई भी सूचना, निश्चित समय में सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया बड़ी सरल है। इसके लिए सादे कागज पर प्रार्थना पत्र लिखकर उसमें चाही गई सूचना का विवरण देकर उसे सम्बन्धित कार्यालय या विभाग के सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। इसके

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी (मनरेगा) में न्यूनतम कितने दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है?
2. सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया?
3. समान कार्य के लिए समान मजदूरी का प्रावधान कौन-कौन से कानून में किया गया है?
4. सरकार द्वारा लोक कल्याण का चल रही कोई पाँच योजनाओं के नाम लीखिए।
5. वेदों में उपलब्ध पारम्परिक ज्ञान को संरक्षित एवं संवर्धित एवं प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से किस संस्था का गठन हुआ।

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं ?
2. सरकार द्वारा किन-किन लोगों को पेंशन दी जा रही है?
3. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कोई तीन विशेषताएँ लिखिए।
4. प्रसाद योजना के बारे स्पष्ट समझाए।
5. स्वदेश दर्शन योजना के बारे में आप क्या जानते हैं? इस योजना के क्या उद्देश्य हैं।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. केन्द्र सरकार की किन्हीं दो लोक कल्याणकारी योजनाओं का वर्णन कीजिए।
2. सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 का वर्णन कीजिए।
3. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्या उद्देश्य हैं ? भारत में खाद्यान से सम्बन्धित कौन सी योजना चल रही है।
4. भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिये कौन-कौन सी योजना चल रही है?

परियोजना-

1. प्रिय विद्यार्थियों ! आपके क्षेत्र में केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा संचालित योजनाओं की सूची बनाइये



वेदभूषण पञ्चम वर्ष
अर्थशास्त्र खण्ड

अध्याय-12

भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एवं उसकी अधः संरचना

इस अध्याय में- अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों से राष्ट्रीय आय, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन, उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्त्व, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का महत्त्व, अर्थव्यवस्था के विकास की अधः संरचना, परिवहन, परिवहन संसाधन, स्थल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, सञ्चार, बैंकिंग, बीमा एवं वित्त, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, व्यापार एवं पर्यटन।

प्यारे विद्यार्थियों ! आपने दैनिक जीवन में आसपास के कई लोगों को जीवनयापन करने के लिए प्रायः विभिन्न प्रकार गतिविधियाँ करते हुए देखा होगा। कोई खेती करता है, तो कोई कारखाने में लगा रहता है या व्यापार करता है। इन गतिविधियों से ही उसे आय प्राप्त होती है। अतः अर्थव्यवस्था को ठीक से समझने के लिए यह आवश्यक है कि उनका अध्ययन किया जा जिनमें देश की जनशक्ति कार्यरत है।

इन गतिविधियाँ में कुछ वस्तुओं का उत्पादन करती है तो कुछ सेवाओं का सृजन करती है। ये गतिविधियाँ हमारे चारों तरफ हर समय सम्पादित होती रहती हैं। इन गतिविधियों को कुछ महत्त्वपूर्ण मापदण्डों के आधार पर विभिन्न समूहों में विभाजित कर सकते हैं। इन समूहों को ही अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहते हैं। अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक गतिविधियों को कुछ महत्त्वपूर्ण मापदण्डों के आधार पर तीन समूहों में विभाजित कर सकते हैं। इन समूहों को ही अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहते हैं।

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र- अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र- प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक



चित्र- 12.1 पशुपालन

क्षेत्र- प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित गतिविधियों की प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक

क्षेत्र की गतिविधियों कहा जाता है। यह क्षेत्र मुख्यतः कृषि पर आधारित होता है इसलिए प्राथमिक क्षेत्र



चित्र- 12.2 चीनी मिल

को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए कृषि को लिया जा सकता है। फसलों को उपजाने के लिए मुख्यतः प्राकृतिक कारकों, जैसे मिट्टी, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः कृषि उपज एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसमें कृषि, पशुपालन, मुर्गीपालन, खनन, मत्स्य

पालन, डेयरी आदि क्रियाकलाप होते हैं। इन क्रियाकलापों से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वे प्राथमिक उत्पाद कहलाते हैं।

द्वितीयक क्षेत्र- अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें गतिविधियों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का विनिर्माण द्वारा रूपान्तरण किया जाता है। इसलिए इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। उदाहरण के लिये लोहे से मशीन बनाना या कपास से कपड़ा बनाना आदि। यह प्राथमिक गतिविधियों के बाद अगला चरण है। इस क्षेत्र में वस्तुएँ प्रत्यक्ष रूप प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं, वरन उन्हें मानवीय क्रियाओं के द्वारा निर्मित किया जाता है। ये क्रियाएँ किसी कारखाने या घर में हो सकती हैं। चूँकि यह क्षेत्र क्रमशः सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अन्य उदाहरण- सीमेंट उद्योग, वस्त्र उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, वाहन उद्योग आदि हैं।

तृतीयक क्षेत्र- इस क्षेत्र की गतिविधियाँ प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र से भिन्न होती हैं। तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियाँ स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, वरन उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती है। उदाहरणार्थ- प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं फुटकर बाजारों में बेचने के लिए रेल का ट्रक द्वारा परिवहन करने की आवश्यकता पड़ती है। उद्योगों से बने हुए माल को रखने के लिए गोदामों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार परिवहन, भण्डारण, सञ्चार, बैंक, व्यापार आदि से सम्बन्धित गतिविधियाँ तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। इन गतिविधियों के विस्तार से ही आर्थिक विकास को गति मिलती है। चूँकि, तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों से वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन होता है, अतः इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है।

अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों से राष्ट्रीय आय- एक देश की राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की गणना के लिये उस देश के प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों को आधार माना जाता है। इसके लिये सबसे पहले इन तीनों क्षेत्रों से प्राप्त उत्पादन के मौद्रिक मूल्य की गणना की जाती है। तदुपरान्त इन अलग-अलग क्षेत्रों से प्राप्त मौद्रिक मूल्य को जोड़ा जाता है। इस प्रकार देश का सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) या राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। आर्थिक विकास के साथ-साथ जहाँ प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों से प्राप्त आय में वृद्धि होती है, वहीं इनके तुलनात्मक योगदान में भी परिवर्तन होता है। यह देखा गया है कि जैसे-जैसे किसी देश में आर्थिक विकास होता है, वैसे-वैसे कुल राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्रमशः कम होता जाता है, तथा तृतीयक या सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है।

अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन- प्रायः यह देखा गया है कि अधिकांश विकसित देशों में विकास की प्रारम्भिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्र ही सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। जैसे-जैसे किसी देश में आर्थिक विकास होता है, वैसे-वैसे कुल राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्रमशः कम होता जाता है, जो लोग पहले कृषि करते थे उनमें से बहुत से लोग कारखानों में कार्य करने लगे। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का उपयोग होने के कारण कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्र सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया परन्तु 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्र से तृतीयक की ओर परिवर्तन हुआ है। तथा तृतीयक या सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता है। भारत की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत कुल सकल घरेलू उत्पाद में 7.3% (2020-21) गिरावट दर्ज की गई। परन्तु अर्थशास्त्रियों वर्ष 2021-22 में 9.3% बढ़ने का अनुमान लगाया है तथा वर्ष 2022-23 में यह विकास दर 8 - 8.50% हो सकती है।

उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्त्व- पिछले 5 दशकों में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है। परन्तु सबसे अधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीयक क्षेत्र को पीछे ढकेलते हुए सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आया है। भारत में तृतीयक क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण कारणों में अनेक बुनियादी सेवाएँ बैंक, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, आदि हैं। विकासशील देशों में इन सेवाओं का प्रबन्धन सरकार द्वारा किया जाता है। कृषि एवं उद्योगों के विकास से व्यापार, परिवहन, भण्डारण जैसी सेवाओं का विकास होने से तृतीयक क्षेत्र का महत्त्व बढ़ा है।

भारत में यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है फिर भी रोजगार में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का स्थानांतरण नहीं होने का

कारण है द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का पर्याप्त सर्जन नहीं होना। इसका परिणाम यह हुआ कि देश में लगभग आधे लोग प्राथमिक क्षेत्र विशेषतः कृषि - क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जिसका सकल घरेलू उत्पाद में 15% से भी कम योगदान है। शेष बचे आधे लोग द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में संलग्न हैं। जिनका सकल घरेलू उत्पाद में 85% से अधिक योगदान है।

संगठित क्षेत्र- वह क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत हो तथा जिसमें सरकारी नियमों एवं कानूनों की पालना की जाती हों उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। संगठित क्षेत्र में नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को एक नियुक्ति पत्र दिया जाता है जिसमें कर्मचारी के मासिक वेतन-भत्तों एवं सेवा शर्तों के अतिरिक्त भविष्य निधि, साप्ताहिक अवकाश, चिकित्सकीय अवकाश व महिला कर्मचारियों को 6 माह का प्रसूति अवकाश आदि भी प्राप्त होता है।

असंगठित क्षेत्र- वह क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होता है तथा जिसमें सरकारी नियमों व कानूनों की पालना नहीं की जाती हो उसे असंगठित क्षेत्र कहते हैं। असंगठित क्षेत्र में सेवा नियमों की पालना होने से कर्मचारी को रोजगार की सुरक्षा नहीं मिलती है। इस क्षेत्र में कर्मचारियों का मानसिक व आर्थिक शोषण भी होता है। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त अन्य कोई लाभ नहीं मिलता है।

सेवा क्षेत्र का महत्त्व


अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का महत्त्व- उत्पादन के तीनों क्षेत्र राष्ट्रीय आय के सृजन में योगदान करते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का योगदान बहुत कम था किन्तु आय एवं रोजगार दोनों ही दृष्टिकोणों से आज वर्तमान में परिस्थितियाँ बदल गई हैं। आर्थिक विकास के साथ-साथ ही अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का महत्त्व भी बढ़ गया है। रोजगार और आय के घटक के रूप में अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के महत्त्व को निम्न बिन्दुओं से समझा जा सकता है-

1. रोजगार में वृद्धि
2. बाजार का विस्तार
3. सन्तुलित आर्थिक विकास
4. राष्ट्रीय आय में योगदान
5. उत्पादन में वृद्धि
6. कृषि उपज की सुरक्षा एवं कृषि का विकास
7. देश की सुरक्षा
8. विदेशी मुद्रा की प्राप्ति

अर्थव्यवस्था के विकास की अधः संरचना- अधः संरचना या आधारभूत संरचना, जैसा कि नाम स्पष्ट है, यह उत्पादन के प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों के आर्थिक विकास हेतु आधार प्रदान करती है। किसी भी देश की प्रगति कृषि एवं उद्योगों के विकास पर निर्भर है। किन्तु स्वयं कृषि उत्पादन के लिये ऊर्जा, वित्त, परिवहन आदि साधनों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार उद्योगों में उत्पादन के लिये मशीनरी, प्रबन्ध, ऊर्जा, बैंक, बीमा, परिवहन आदि साधनों की आवश्यकता होती है। ये सभी सुविधाएँ एवं सेवाएँ

सम्मिलित रूप से अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना कहलाती है। दूसरे शब्दों में, अधः संरचना से अभिप्राय उन सुविधाओं, क्रियाओं तथा सेवाओं से है, जो उत्पादन के अन्य क्षेत्रों के सञ्चालन तथा विकास एवं दैनिक जीवन में सहायक होती हैं। आर्थिक विकास की अधः संरचना के प्रमुख अङ्ग निम्न हैं-

1. **ऊर्जा (Power)**- किसी भी देश का आर्थिक विकास उपलब्ध ऊर्जा के साधनों पर निर्भर करता है। क्योंकि कृषि, उद्योग, खनिज, परिवहन आदि सभी क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं, जैसे- विद्युत, कोयला, प्राकृतिक एवं गैस आदि।
2. **परिवहन (Transportation)**- वैदिक वाङ्मय में सर्वप्रथम परिवहन के साधनों में रथ का प्रयोग होता जिसका संदर्भ निम्नलिखित मन्त्र में मिलता है- दिशश्चतस्रोऽश्वतर्योऽदिवरथस्य पुरोडाआशाः शफा अन्तरिक्षमुद्भिः। द्यावापृथिवी पक्षसी ऋतवोऽभीशवोऽन्तर्देशाः किंकरा वाक्परिरथ्यम् ॥ (अथर्व. 8.8.22) उपर्युक्त मन्त्र में राजा परीक्षित के रथ में 20 ऊँटों के जोतने के साथ रथ में अश्वतरी (खच्चर) के जोतने का भी वर्णन है। वेदों में रथ के प्रत्येक अङ्ग (पहिया, नाभि आदि) का विस्तृत वर्णन मिलता है। परिवहन के साधनों में रथ मुख्य था। यह रथ- परिवहन, क्रीडा और युद्ध तीनों में प्रयुक्त होता था।



किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में परिवहन का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। परिवहन का महत्त्व आर्थिक एवं सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों से होता है। वस्तुतः परिवहन उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ने की कड़ी का काम करता है। परिवहन के अनेक साधन होते हैं, जैसे बैलगाड़ी, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, पानी का जहाज, रेल, हवाई जहाज आदि।

परिवहन संसाधन- भारत में परिवहन का विकास प्रारम्भ में मुख्य रूप से व्यापारिक एवं प्रशासनिक सुविधाओं के दृष्टिकोण से किया गया था। किन्तु, स्वतन्त्रता के बाद पञ्चवर्षीय योजनाओं के दौरान परिवहन का विस्तार सम्पूर्ण आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर किया गया। संक्षेप में, देश में परिवहन के साधनों के विकास को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है-

स्थल परिवहन- स्थल परिवहन को सड़क परिवहन, रेल परिवहन एवं पाइपलाइन परिवहन में विभाजित किया जा सकता है।

सड़क परिवहन- भारत में सड़कों का विशेष महत्त्व है। चूँकि भारत एक गाँवों का देश है, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की दृष्टि से सड़कों का महत्त्वपूर्ण स्थान

है। पूर्व में अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएँ क्रियान्वित हुईं जिनमें स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण थी जिसके अन्तर्गत भारत सरकार ने देश के चार महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई) को जोड़ने वाली 6 लेन महाराज मार्गों की सड़क परियोजना 2012 में पूर्ण हुई वर्तमान में भारतमाला परियोजना (Bharatmala Project 2015) एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। इसके तहत नए राजमार्ग के अलावा उन परियोजनाओं को भी पूरा किया जाएगा जो अब तक अधूरे हैं। इसमें सीमा और अन्तर्राष्ट्रीय संयोजकता वाले विकास परियोजना को सम्मिलित किया गया है। बन्दरगाहों और सड़क, राष्ट्रीय गलियारों (नेशनल कॉरिडोर्स) को ज्यादा बेहतर बनाना और राष्ट्रीय गलियारों को विकसित करना भी इस परियोजना में शामिल है। इसके अलावा पिछड़े क्षेत्रों, धार्मिक और पर्यटक स्थल को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गङ्गोत्री के बीच संयोजकता बेहतर की जाएगी। सड़क परिवहन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। देश में सड़क परिवहन देश के कुल परिवहन का 87.4% है।

भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है-

राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highways)- राष्ट्रीय राजमार्ग देश के प्रमुख शहरों को जोड़ते हैं। इनका निर्माण व रख रखाव केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्गों को 6 लेन में परिवर्तित किया जा रहा है। भारत का सबसे लम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से कन्याकुमारी (दूरी 2389 किमी) है और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47 ए विलिङ्गटन आईलैंड से कोची (दूरी 6 किमी) है। वर्तमान (2021) में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 221 एवं उनकी कुल लम्बाई 1,64,000 किमी है।

सारणी 12.1

भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग

राष्ट्रीय राजमार्ग	कहाँ से कहाँ तक	राष्ट्रीय राजमार्ग	कहाँ से कहाँ तक
1	दिल्ली से अमृतसर	7	वाराणसी से कन्याकुमारी
2	दिल्ली से कोलकाता	8	दिल्ली से मुंबई
3	आगरा से मुंबई	17	पानवेल से इड्डापल्ली
4	थाने से मुंबई	24	दिल्ली से लखनऊ
5	बहरागोडा से चेन्नई	47 ए	विलिङ्गटन आईलैंड से कोचीन
6	कोलकाता से हजीरा	1ए	जालन्धर से ऊरी

राज्य राजमार्ग (State Highways)- राज्यों के आन्तरिक क्षेत्र की वे सड़कें, जो राज्य की राजधानी, जिला मुख्यालयों, महत्त्वपूर्ण शहरों को आपस में तथा राष्ट्रीय राजमार्गों व पड़ोसी राज्यों से जुड़ने वाले मुख्य राजमार्गों से जोड़ता है, **राज्य राजमार्ग** कहलाता है। राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशों में इनके निर्माण तथा रखरखाव की जिम्मेदारी राज्यों के सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) की होती है। सर्वाधिक राज्य मार्गों की लम्बाई में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है।

मुख्य जिला सड़कें (जिला मार्ग)- मुख्य जिला सड़कें (MDR) जिले की विभिन्न तहसीलों तथा कस्बों को जिला मुख्यालय से अथवा आपस में जोड़ती है। इन सड़कों के निर्माण व रखरखाव का दायित्व जिला परिषद का होता है।

अन्य सड़कें- इस वर्ग में वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ती हैं। इस परियोजना का

सारणी 12.2		
क्र.	रेल लाइन	पटरियों के मध्य दूरी (मी. में)
1.	बड़ी लाइन (ब्रॉडगेज)	1.676
2.	छोटी लाइन (मीटर गेज)	1.000
3.	संकरी लाइन (नैरोगेज)	0.762

लक्ष्य देश के प्रत्येक गाँव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 25 दिसम्बर, 2000 को

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना घोषित की गई थी।

सीमान्त सड़कें- सीमांत (सीमावर्ती) सड़कों का निर्माण और रखरखाव भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। सीमा सड़क संगठन का गठन 1960 में किया गया जिसका कार्य उत्तर और उत्तरी-पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्त्व की सड़कों का विकास करना था। इन सड़कों के विकास से सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क परिवहन के विकास से भारत में आर्थिक विकास तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धी तैयारियों को बल (सहयोग) मिला है।

रेल परिवहन- भारत में माल एवं सवारी की दुलाई के लिए परिवहन का सबसे सुविधाजनक साधन रेलवे है। रेलवे का शुभारम्भ सन् 1853 में हुआ था जब प्रथम रेल बम्बई से थाने तक चलाई गई। इसके बाद देश में रेल मार्गों का चहुँमुखी विकास हुआ। भारत में पहली विद्युतीकृत रेल लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में सन् 1925 में मुम्बई से कुर्ला के बीच चलाई गई जिसका नाम **डेक्कन क्वीन** था। भारत में तीन प्रकार की रेल लाइन विद्यमान हैं जिनका नामकरण पटरियों के मध्य दूरी के आधार पर किया गया है।

भारतीय रेलवे को प्रशासनिक दृष्टि से 17 जोन और 73 मण्डलों में विभाजित किया गया है। 65,808 किमी कुल लम्बाई के साथ भारतीय रेलवे एशिया की सबसे बड़ी एवं विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। भारत में पश्चिमी तटीय क्षेत्रों को जोड़ने के लिए महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के

मंगलौर तक रेलमार्ग बिछाया गया है जिसे **कोंकण रेलवे** कहा है। यह रेलमार्ग महाराष्ट्र में एक पर्वतीय रेल सुरङ्ग कारबुडे से गुजरता है। यह भारत की दूसरी सबसे लम्बी रेल सुरङ्ग है। भारत की सबसे बड़ी रेल सुरङ्ग **पीर-पंजाल** (कश्मीर) है। रेलों के विकास के कारण आज हम चारों दिशाओं में उत्तर (जम्मू) से दक्षिण (रामेश्वरम) और पूर्व (न्यूजलपायी गुडी) से पश्चिम (द्वारका) की यात्रा कर सकते हैं।

पाइपलाइन परिवहन- भारत में पाइपलाइन परिवहन का एक नया साधन है। इसका उपयोग कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद तथा प्राकृतिक गैस शोधनशालाओं तथा उर्वरक कारखानों व ताप विद्युत ग्रहों तक पहुँचाने में किया जाता है। देश में पाइपलाइन परिवहन के तीन मार्ग निम्न हैं-

1. ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर (उ.प्र.) तक।
2. गुजरात में सलावा से विरम गाँव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पञ्जाब में जालंधर तक। इसकी अन्य शाखा बड़ोदरा से निकट कोयली को चक्शु व अन्य स्थानों से मिलाती है।
3. हजीरा (गुजरात) को जगदीशपुर (उ. प्र.) से जोड़ती है। यह पाइपलाइन विजयपुर (म.प्र.) से होकर जाती है। इसकी शाखाएँ राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर बराला व अन्य स्थानों पर हैं।

जल परिवहन- भारत की जल परिवहन प्रणाली दो प्रकार की है, प्रथम आन्तरिक जल परिवहन और द्वितीय तटीय एवं सामुद्रिक जल परिवहन। आन्तरिक जल परिवहन गहरी नदियों एवं नहरों में होता है और इसमें नाव तथा स्टीमरों का प्रयोग होता है। भारत का समुद्रतट लगभग 7600 किलोमीटर लम्बा है और इस पर 13 बड़े एवं 187 छोटे व मध्यम बन्दरगाह(बन्दरगाहों पर समुद्री जहाजों के रुकने, ईंधन लेने तथा सामान उतारने-चढ़ाने का कार्य किया जाता है।) है। भारत का मुख्य विदेशी व्यापार बड़े बन्दरगाहों के द्वारा होता है। वर्तमान में देश में लगभग 14,500 किलोमीटर लम्बा अन्तः स्थलीय नौसञ्चालन जलमार्ग है। भारत में कुल नौ संचालक जलमार्ग में से केवल 5685 कि.मी. मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है-

भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा कराये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में 10 नदी मार्ग ऐसे हैं जहाँ वर्षभर पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहता है। ऐसे नदी मार्गों को ही जल राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।

सी-प्लेन सेवा योजना - सी प्लेन पानी और जमीन दोनों से ही उड़ान भर सकता है। सी प्लेन को पानी और जमीन दोनों में ही लैंड भी कराया जा सकता है 31 अक्टूबर सन् 2017 को प्रधानमन्त्री ने साबरमती

रीवर फ्रन्ट (अहमदाबाद) से स्टेच्यु आफ यूनिटि (केवडिया) तक 200 किमी में सी-प्लेन सेवा शुरू की है, जो पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। इस योजना को देश के अन्य क्षेत्रों में भी लागू करने की योजना है।



चित्र- 12.4 भारत के हवाई मार्ग व हवाई अड्डे

वायु परिवहन- वायु परिवहन सबसे तेज गति तथा प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इस तीव्रगामी साधन का महत्त्व भारत जैसे भौतिक दृष्टि से विविधता पूर्ण तथा विशाल देश में स्वतः स्पष्ट है, वायु परिवहन देश के दुर्गम भागों को जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत में वायु परिवहन का प्रारम्भ सन् 1911 में हुआ, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम डाक सेवा का परिवहन किया गया। सन् 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया अन्तरराष्ट्रीय वायु सेवाएँ उपलब्ध कराती है जबकि इंडियन एयरलाइन्स तथा कई निजी एयरलाइन्स घरेलू विमान सेवाएँ उपलब्ध कराती है। भारत में अन्तरराष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण देश के चार बड़े हवाई अड्डों- दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता व चेन्नई का प्रबन्धन करता है। आज हम 6 घन्टे में हवाई परिवहन के द्वारा देश के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम भागों में जा सकते हैं।

3. सञ्चार (Communication)- भारत में सञ्चार व्यवस्था में बड़ी है। सर्वप्रथम देश में सञ्चार सेवा की शुरुआत सन् 1837 में हुई। किन्तु इन सेवाओं का विस्तार स्वच्छता के बाद ही हुआ है। वर्ष 1991 से प्रारम्भ हुए आर्थिक सुधारों ने दूर सञ्चार सेवाओं में क्रान्तिकारी परिवर्तन किए। निजी क्षेत्र की भागीदारी ने इस क्षेत्र को अभूतपूर्व विस्तार दिया। आधुनिक सञ्चार के साधनों में मुख्यतः मोबाइल फोन, टेलीफोन, इन्टरनेट, ट्वीटर वाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, दूरदर्शन, कम्प्यूटर, लैपटॉप, ई-मेल आदि हैं जिन्हें हम सोशल मीडिया के नाम से जाना जानते हैं।

4. बैंकिंग, बीमा एवं वित्त (Banking, Insurance & Finance) : तीव्र आर्थिक विकास के लिए बैंक, बीमा एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं का महत्त्वपूर्ण स्थान है। कारण यह है कि ये संस्थाएँ अर्थव्यवस्था से बचतों को एकत्रित करके निवेश हेतु उद्यमियों को उपलब्ध कराती हैं। इससे आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होता है और परिणामस्वरूप आय, रोजगार एवं विकास की गति में वृद्धि होती है।

5. शिक्षा एवं स्वास्थ्य (Education and Health): विकसित देशों का अनुभव यह दर्शाता है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक अधः संरचना के अभाव में आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। परन्तु यह देखा गया है कि पिछड़े एवं विकासशील देशों में संसाधनों के अभाव के कारण शिक्षा, प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य आदि पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। भारत में भी इन सुविधाओं का विस्तार स्वच्छता के बाद पञ्चवर्षीय योजनाओं के दौरान हुआ है।

6. व्यापार एवं पर्यटन (Trade and Tourism): वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी की ही अर्थव्यवस्था भारत से बड़ी है। अनिश्चितताओं से युक्त विश्व में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 6-6.5% की वृद्धि करते के साथ ही भारत वर्ष 2029 तक तीसरी सबसे

2. तृतीयक क्षेत्र के कोई दो उदाहरण दीजिए।
3. प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ ?
4. भारत की प्रथम विद्युतकृत रेल का क्या नाम था?
5. सबसे तीव्र गति का परिवहन का साधन कौन-सा है?
6. समुद्र पर किसी भी देश का तट रेखा कितनी मील दूरी तक अधिकार होता है।
7. सञ्चार के प्रमुख साधन कौन-कौन से हैं?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. द्वितीयक क्षेत्र को समझाइए
2. भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र क्यों महत्त्वपूर्ण है ?
3. संगठित व असंगठित क्षेत्र में क्या अन्तर है?
4. रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन का महत्त्व बढ़ने के कोई पाँच कारण बताइए।
5. अधः संरचना के प्रकारों का वर्णन कीजिए है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. अर्थव्यवस्था के क्षेत्र किसे कहते हैं ? तीनों क्षेत्रों का वर्णन कीजिए।
2. भारत में सड़कों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? वर्णन कीजिए।
3. अधः संरचना का अर्थ स्पष्ट करते हुए, उससे अंगों के विषय को संक्षेप में व्याख्या करें।

परियोजना-

1. भारत के प्रमुख बन्दरगाहों तथा इनसे से आयात-निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं की सूची बनाइये।
2. आपके राज्य के पास में कौन-कौन से बन्दरगाह है ?

अध्याय-13

विकास और उपभोक्ता जागरूकता

इस अध्याय में- राष्ट्रीय विकास, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना, राष्ट्रीय आय, आय और अन्य मापदण्ड, विकास की धारणीयता, उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता आन्दोलन, उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता के कर्तव्य, प्रमुख प्रमाणक चिह्न।

वैदिक बटुकों! किसी भी समाज, देश व विश्व में कोई भी सकारात्मक परिवर्तन जो प्रकृति और मानव दोनों को उन्नति की ओर ले जाता है, उसे विकास कहते हैं। समाज वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, नीति नियोजकों द्वारा विकास शब्द का प्रयोग विशेष रूप से अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद प्रयोग किया गया। इससे विकसित व विकासशील देशों के बीच अन्तर भी प्रकट होने लगे। वास्तव में विकास एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, जो सकारात्मक परिवर्तन की ओर ले जाती है। इस अध्याय में हम विकास के साथ उपभोक्ता जागरूकता के बारे में अध्ययन करेंगे।

राष्ट्रीय विकास- राष्ट्रीय विकास का अर्थ है कि किसी देश के नागरिकों की स्वास्थ्य सुविधाएँ, सामाजिक सुविधाएँ, शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय आदि में सुधार होना है। जिन देशों में उपर्युक्त सुविधाएँ उच्च स्तर पर हों तो, उन्हें विकसित देश कहा जाता है और जिन देशों में उक्त सुविधाएँ निम्न स्तर पर होती हैं उन्हें अविकसित देश कहा जाता है।

विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना- विकास की दृष्टि से देशों या राज्यों की तुलना करने के लिए उनकी आय प्रमुख घटक है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों की अपेक्षा अधिक विकसित समझा जाता है। यदि व्यक्ति की आय अधिक है तो वह आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीद सकने में सक्षम होता है। देशों की तुलना करने के लिए देश की कुल आय उपयुक्त माप नहीं है क्योंकि सभी देशों की जनसंख्या अलग-अलग होती है। इसलिए देशों या राज्यों के मध्य प्रति व्यक्ति आय को तुलना हेतु मापदण्ड माना गया है।

राष्ट्रीय आय- राष्ट्रीय आय एक वित्त वर्ष में उस देश द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। राष्ट्रीय आय देश के उत्पादन के सभी साधनों की आय का योग होती है न की देश के व्यक्तियों की आय का। राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था की आर्थिक निष्पादकता का मौद्रिक माप है।

भारत में राष्ट्रीय आय की गणना- स्वतन्त्रता से पहले भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कोई सरकारी संस्था नहीं थी। औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना सन् 1868 में श्री दादा

भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। स्वतन्त्रता के बाद 1955 ई. में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (Central Statistical Organization- CSO) को राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य सौंप दिया गया। सन् 1955 से CSO भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कर रहा है। भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।

प्रति व्यक्ति आय- जब किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या द्वारा विभाजित किया जाए तो यह प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। देशों या राज्यों के मध्य तुलना हेतु प्रति व्यक्ति आय को मापदण्ड माना गया है। वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय लगभग 93,973 रुपये है।

$$\text{प्रति व्यक्ति आय} = \frac{\text{राष्ट्रीय आय}}{\text{जनसंख्या}}$$

आय और अन्य मापदण्ड- विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति आय मापदण्ड का उपयोग करते हैं। इससे यह पता नहीं चलता कि यह आय लोगों में किस तरह वितरित है। दो देशों की प्रति व्यक्ति आय समान होने पर भी एक देश दूसरे से अच्छा हो सकता है। इससे देश के आर्थिक विकास का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कई अन्य कारक विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे शिशु मृत्यु दर, साक्षरता, स्वास्थ्य सुविधाएँ, आदि को महत्त्व नहीं दिया जाता है। विकास को मापने का सबसे सरल युक्ति औसत आय को माना गया है। विश्व बैंक देशों को औसत आय के आधार पर विकसित, विकासशील तथा अविकसित वर्ग में रखता है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की विकास दर को घटाकर 7.5 फीसदी कर दिया है। लेकिन, इस बात पर जोर दिया है कि भारत की विकास दर शीर्ष पर बनी रहेगी। बढ़ती मुद्रास्फीति, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और महामारी से सेवाओं की खपत की रिकवरी में उछाल की भरपाई करने वाले भू-राजनीतिक तनाव के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

सार्वजनिक सुविधाएँ- ऐसी सुविधाएँ जो सभी के लिए उपलब्ध होती हैं, सार्वजनिक सुविधाएँ कहलाती हैं। जैसे- यातायात के साधन, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, गार्डन, बैंक आदि।

विकास की धारणीयता- धारणीयता से हमारा अभिप्राय एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया को धारण करना है जो भविष्य की नस्ल की उत्पादकता को हानि पहुँचाए बिना ही वर्तमान नस्ल की आवश्यकताओं की संतुष्टि को बनाए रखे। विकास उच्च स्तर पर भावी पीढ़ी के लिए भी बना रहें, इसे विकास की धारणीयता कहते हैं। धारणीयता का विषय विकास के लिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना विकास अधूरा है। जब तक देश में बेरोजगारी, गरीबी, धन व आय की असमानताएँ समाप्त नहीं होतीं तथा आर्थिक वृद्धि के साथ-

साथ पर्यावरण संरक्षित नहीं रहता तब तक सही अर्थों में विकास नहीं हो सकता। ऐसा विकास तभी सम्भव है जब हम संसाधनों का दोहन के बदले में उनका विवेकपूर्ण उपयोग करें। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की दृष्टि से देखा जाए तो जल एक नवीकरणीय संसाधन है परन्तु देश के कई हिस्सों में भूमिगत जल के अतिदोहन के कारण गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। अतः हमें संसाधनों के अति दोहन से बचना चाहिए।

उपभोक्ता जागरूकता- जब भी कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता की संतुष्टि हेतु अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदता है उसी समय से वस्तु उसकी भागीदारी बाजार में हो जाती है। इस प्रकार एक उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो बाजार खरीदता है। उत्पादक हर सम्भव तरीके से अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं के पक्ष को भूलकर उनका शोषण करते हैं या क्रेता के मूल्य के अनुसार वस्तु या सेवा से लाभ/सुविधा प्राप्त नहीं होती है तब इस स्थिति को **उपभोक्ता शोषण** कहा जाता है।

उदाहरण के लिये- कम वजन तौलना, अधिक कीमत वसूलना, मिलावटी एवं दोषपूर्ण वस्तुएँ बेचना, भ्रमित विज्ञापन देकर उपभोक्ताओं को गुमराह करना आदि। इस प्रकार उपभोक्ता बाजार में ठगा न जा सके इसके लिए उसे जागरूक बनाना आवश्यक है। इस प्रकार उपभोक्ता जागरूकता से आशय उपभोक्ता को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने से है।

उपभोक्ता शोषण के प्रकार- उपभोक्ता का शोषण कई प्रकार से किया जाता रहा है। शोषण को दो वर्गों में बांटा गया है- माल या वस्तु के रूप में शोषण और सेवा के रूप में शोषण। माल या वस्तु के रूप में उपभोक्ता का शोषण से आशय वस्तु के तौल, मात्रा, वजन तथा माप में कमी, बताई गई किस्म का न होना तथा अशुद्धता या मिलावट आदि से है। सेवा के रूप में उपभोक्ता का शोषण से तात्पर्य सेवा शर्तों के अनुसार समय पर गुणवत्ता युक्त संतोषजनक रूप से सेवा प्रदान नहीं करना, सेवा का असुरक्षित व दोषयुक्त होना, सुविधा/लाभ के स्थान पर हानि पहुँचाना तथा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षति पहुँचाना आदि हैं।

उपभोक्ता के शोषण के कारण- उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण जिनमें अज्ञानता, वस्तुओं से सम्बन्धित लिखित व अलिखित पूर्ण जानकारी का अभाव होना, एकाधिकार, बाजार के प्रति उपभोक्ताओं की उदासीनता, टेली मार्केटिंग, आकर्षक एवं भ्रामक विज्ञापन के बाद वस्तुओं की पैकिंग पर लिखित प्रचार पर विश्वास कर लेना, उपभोक्ताओं का अशिक्षित असंगठित एवं संतोष की भावना होना, वस्तु या सेवा की शुद्धता तथा मानक पर ध्यान दिए बिना क्रय करना इत्यादि ।

उपभोक्ता शोषण का निदान- एक उपभोक्ता के रूप में शोषण से बचने के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं-

- सरकार ने उपभोक्ताओं के संरक्षण के अनेक कानून उन कानून एवं अधिकारों की समुचित उपभोक्ता शिक्षा एवं जागरूकता होना चाहिए। बाजार में से हमेशा मानकीकृत वस्तुएँ ही खरीदना चाहिए। आई.एस.आई., एगमार्क एवं हॉलमार्क वाले चिह्नों की वस्तुएँ मानकीकृत होती हैं। किसी वस्तु को खरीदने के साथ ही उसका कैश मेमो लेना बहुत आवश्यक है। इससे वस्तु के खराब निकलने या घटिया होने अथवा निर्धारित समय के पूर्व हो खराब हो जाने की स्थिति में कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
- विज्ञापनों के बहकावे में न आकर पूर्ण जाँच के बाद वस्तुएँ खरीदना चाहिए। उत्पादक एवं विक्रेता के विरुद्ध सामूहिक रूप से शिकायत कर शोषण से बचा जा सकता है। वस्तु के खरीदने के पूर्व खराब होने की तिथि देखकर खरीदना चाहिए।

उपभोक्ता आन्दोलन- उपभोक्ता आन्दोलन का प्रारम्भ उपभोक्ताओं के असन्तोष के कारण हुआ है। उपभोक्ताओं में असन्तोष के अनेक कारण थे, जैसे खाद्य पदार्थों की कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट आदि। इन समस्याओं से निपटने के लिए सर्वप्रथम सन् 1955 में 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' पारित किया गया। वस्तुओं की नाप-तौल को व्यवस्थित करने के लिए सन् 1976 में 'बाट एवं माप मानक अधिनियम' पारित किया गया। बाद में सन् 1986 में भारत सरकार द्वारा 'उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम' पारित किया गया। तदुपरान्त 20 जुलाई, 2020 को 'नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम' 2019 को लागू किया गया जो उपभोक्ताओं को सशक्त बनायेगा और इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों व उपभोक्ता संरक्षण परिषदों, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों, मध्यस्थता, उत्पाद दायित्व तथा मिलावटी/ नकली सामान वाले उत्पादों के निर्माण या बिक्री के लिए सजा जैसे प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा। नया अधिनियम पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की तुलना में तीव्रता से और कम समय में कार्यों का निपटान करेगा। पुराना अधिनियम न्याय हेतु सिंगल-प्वाइंट पहुँच के कारण ज्यादा समय लेता था। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न स्तरों पर जागृति शिविरों का भी आयोजन किया जाता है। 24 दिसम्बर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

उपभोक्ता के अधिकार- उपभोक्ता के अधिकार एवं कर्तव्य उपभोक्ताओं को बाजार से अच्छी वस्तु एवं सेवाएँ क्रय करने का अधिकार है। विक्रेता या उत्पादक उसे किसी भी प्रकार से धोखा न दे सके, इसके लिए उसे कानून द्वारा संरक्षण दिया गया है। सामान्यतः उपभोक्ता को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं।

- सुरक्षा का अधिकार
- सूचना का अधिकार

- चयन का अधिकार
- क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार
- उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार

उपभोक्ता के कर्तव्य- शासन के प्रयासों के अतिरिक्त, उपभोक्ता को स्वयं भी कुछ कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का पालन करना चाहिए। उपभोक्ता को शोषण या हानि से बचने के लिए वस्तु (माल) या सेवा क्रय करते समय/भाड़े (किराये) पर लेते समय अपने निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करना होगा-

1. क्रय की गई वस्तु/सेवा के मूल्यों के भुगतान की रसीद/बिल/क्रय संविदा आदि का विवरण आवश्यक रूप से प्राप्त कर एवं उन्हें सम्भाल कर रखना।
2. वस्तु की पूर्ति के अनुसार ही उपभोग में वृद्धि या कमी करना।
3. उपभोक्ता संरक्षक नियमों की जानकारी रखना।
4. कालाबाजारी एवं तस्करी को हतोत्साहित करना।
5. वास्तविक समस्या की शिकायत अवश्य करना चाहिये चाहे वस्तु कितने ही कम से कम मूल्य की क्यों न हो। इससे विक्रेताओं की धोखा देने की प्रवृत्ति कम होती है।
6. आई.एस.आई., एफ.पी.ओ., एगमार्क एवं वूलमार्क जैसे चिह्नों को देखकर वस्तुएँ खरीदना।

प्रमुख प्रमाणक चिह्न- भारत सरकार ने कुछ ऐसी संस्थाओं का गठन किया है जो वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रमाणित करती हैं।

आई. एस. आई. (भारतीय मानक संस्थान)- यह चिह्न वस्तु की श्रेष्ठ गुणवत्ता एवं मानदण्ड होने पर उस वस्तु पर लगाने की अनुमति दी जाती है। इसकी स्थापना 6 जनवरी 1947 को हुई थी। 1 जनवरी 1987 को इसका नाम बदल कर भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) कर दिया था।

एगमार्क- एगमार्क का पूरा नाम अग्रीकल्चर मार्केटिंग है। इसका चिह्न अच्छी गुणवत्ता वाले कृषि और खाद्य उत्पादों पर भारतीय विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

एफ. पी. ओ. (Farmer Product Organization)- यह किसानों का समूह होता है तथा यह ऐसे किसानों को रजिस्टर्ड करता है जो कृषि पर आधारित गतिविधि चलाते हैं।

हॉलमार्क- हॉलमार्क सोने, चांदी व अन्य बहुमूल्य धातुओं पर लगाया जाने वाला मानक चिह्न है, जो उस धातु की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। यह भारत मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किया जाता है।

कृषि उत्पादों के लिए एगमार्क एवं औद्योगिक तथा उपभोक्ता वस्तुओं के लिए आई.एस.आई. चिह्न दिया गया है। इसी प्रकार ऊन एवं ऊनी वस्त्रों की गुणवत्ता के लिए वूलमार्क एवं स्वर्ण आभूषणों के लिए हॉलमार्क के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। इसके अतिरिक्त आई. एस. ओ. (International

Organization of Standardization) एक विश्व स्तरीय गैर सरकारी संगठन है। जो उत्पाद या सेवाएँ ग्राहक व नियामक की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तथा निरन्तर सुधार को प्रदर्शित करते हैं। वर्तमान में इसका विश्व 164 देशों में नेटवर्क है। धोखाधड़ी से बचने के लिए उपभोक्ताओं को इन चिह्नों वाली वस्तुएँ ही खरीदना चाहिए।

भारत जैसे विकासशील देश में उपभोक्ताओं को शोषण से उपभोक्ता विवाद निवारण से निपटने के लिये राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर एवं जिला स्तर व्यवस्था की गयी है। सरकार के साथ-साथ स्वयंसेवी संगठनों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने कि दिशा में ये संस्थाएँ महत्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि उपभोक्ता स्वयं अपने अधिकारों को समझे और उपभोक्ता आन्दोलन रक्त स्थान में अपना सक्रिय योगदान देने के लिए आगे आए।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

- निम्नलिखित में से सार्वजनिक सुविधा..... में सम्मिलित है।
अ. स्कूल ब. अस्पताल स. गार्डन द. उपर्युक्त सभी
- भारत में राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना.....ने की थी।
अ. दादा भाई नौरोजी ब. लाल बहादुर शास्त्री स. फिण्डले शिराज द. CSO
- भारत में वित्त वर्ष.....प्रारम्भ होता है।
अ. 1 जनवरी से ब. 1 अप्रैल से स. 1 जुलाई से द. 1 अक्टूबर से
- भारत में उपभोक्ता दिवस..... को मनाया जाता है।
अ. 24 अक्टूबर ब. 24 नवम्बर स. 24 अगस्त द. 24 दिसम्बर
- उपभोक्ता विवाद निवारण की व्यवस्था.....की गई है।
अ. जिला स्तर पर ब. राज्य स्तर पर स. राष्ट्रीय स्तर पर द. उपर्युक्त सभी

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

- राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को मनाया जाता है। (15 मार्च/24 अक्टूबर)
- राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना द्वारा की गई। (दादा भाई नौराजी/मनमोहन सिंह)
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में लागू हुआ। (1986/1991)
- नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में लागू हुआ। (1986/2019)

सत्य/असत्य बताइए-

- भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। (सत्य/असत्य)
- नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 2020 में लागू किया था। (सत्य/असत्य)

3. वे वस्तुएँ जिस आई.एस.आई. चिह्न होता है मानकीकृत मानी जाती है। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

- | | |
|--------------|--------------------|
| 1. आई.एस.आई. | क. धातुओं पर चिह्न |
| 2. एफ.पी.ओ. | ख. किसानों का समूह |
| 3. हालमार्क | ग. खाद्य उत्पाद |

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. राष्ट्रीय विकास से आप क्या समझते हैं ?
2. राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है ?
3. उपभोक्ता किसे कहते हैं ? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है ?
4. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद द्वारा कब पारित किया गया ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब हुई ? राष्ट्रीय आय से प्रति व्यक्ति की आय कैसे ज्ञात की जाती है।
2. उपभोक्ता के कौन-कौन से अधिकार हैं।
3. विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं?
4. उपभोक्ता शोषण के कोई पाँच कारण बताइए।
5. उपभोक्ता आन्दोलन से आप क्या जानते हैं।
6. वस्तुओं पर उपलब्ध प्रमुख मानक चिह्न से आप क्या समझते हैं ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. विकास का अर्थ बताते हुए क्षेत्र और राज्यों में विकास की तुलनात्मक स्थिति का वर्णन कीजिए।
2. उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता एवं महत्त्व बताइए।
3. उत्पादक एवं व्यापारी उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार करते हैं? स्पष्ट कीजिए ?
4. उपभोक्ता के अधिकार एवं कर्तव्य की स्पष्ट विवेचना कीजिए।

परियोजना-

1. छात्र अपने विद्यालय में उपभोक्ता जागरूक सप्ताह का आयोजन कर उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी विशेषज्ञ को आमन्त्रित करें।

अध्याय-14

भारत में वैश्वीकरण और वित्तीय प्रणाली

इस अध्याय में- वैश्वीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण, अन्तर्देशीय उत्पादन, बहुराष्ट्रीय कम्पनी, आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, परिणाम, वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याएँ, मुद्रा, वैदिक वाङ्मय में मुद्रा, मुद्रा का विकास क्रम, मुद्रा के कार्य, विनिमय का माध्यम, वित्तीय प्रणाली, प्रमुख वित्तीय संस्थाएँ, साख, भारत में औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्र में साख।

प्यारे बटुकों! भारत अपने ज्ञान-विज्ञान, दर्शन तथा अतिसम्पन्न अर्थव्यवस्था के कारण विश्वविख्यात रहा है। दो हजार वर्ष पहले विश्व के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी. का लगभग 32.9% हिस्सा भारत का था तथा इसकी जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17% थी। अति प्राचीन काल से ही भारत में निर्मित सामान विश्व के विभिन्न भागों में दूर-दूर तक निर्यात किए जाते थे। अतः 'वैश्वीकरण' की सङ्कल्पना भारत के लिए कोई नयी बात नहीं है, 'वसुधैव कुटुम्बकम्' (पूरी धरती ही अपना परिवार है) का विचार यहाँ अनादि काल से प्रचलित है।

वैश्वीकरण- विश्व के सभी बाजारों के एकजुट होकर कार्य करने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण (globalisation or globalization) कहते हैं। वैश्वीकरण के माध्यम से पूरे विश्व के लोग एकजुट होकर कार्य करते हैं। इसके अन्तर्गत सभी व्यापारियों की क्रियाओं का अन्तर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है। वैश्वीकरण के माध्यम से संपूर्ण विश्व में बाजार शक्तियाँ स्वतन्त्र रूप से कार्यरत हो जाती हैं। एक या कई देश आपस में व्यापार करते हैं और तकनीकी को साझा करते हैं। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का विस्तार उनकी राजनैतिक सीमाओं के बाहर होता है। अतः वैश्वीकरण से आर्थिक खुलेपन तथा देशों के बीच आर्थिक निर्भरता में वृद्धि होती है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वर्तमान में विभिन्न देशों के बीच सेवाओं में निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान हो रहा है। सूचना एवं सञ्चार-प्रौद्योगिकी के विकास ने वैश्वीकरण को तीव्र गति प्रदान की है। इससे विश्व के अधिकांश भाग (देश) एक-दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक सम्पर्क में आये हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण- एक देश या क्षेत्र की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, व्यापार, उपभोग आदि क्रियाओं से जुड़ा तन्त्र अर्थव्यवस्था कहलाता है। उपनिवेशकाल में अंग्रेजों ने भारतीय

कृषि, उद्योग, व्यापार आदि को अपूरणीय क्षति पहुँचाई थी इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति निम्न हो गई थी। स्वतन्त्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती इसे विकास के मार्ग पर तीव्र गति से आगे बढ़ाने की थी इसके लिए 1950 के दशक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति तथा विकास का मार्ग निर्धारित किया। 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों (उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण) ने भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य को निर्धारित करने में विशेष भूमिका निभाई है।

अन्तर्देशीय उत्पादन – देश की सीमाओं के अन्दर होने वाले उत्पादन को अन्तरदेशीय उत्पादन कहा जाता है। 1950 के दशक तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अन्दर ही सीमित था। कच्चा माल, खाद्य पदार्थ एवं तैयार उत्पादों का ही अन्य देशों में आयात-निर्यात होता था। व्यापार, दूरस्थ के देशों को आपस में जोड़ने का साधन था।

बहुराष्ट्रीय कम्पनी- बहुराष्ट्रीय कम्पनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियन्त्रण व स्वामित्व रखती है। अपने देश के अतिरिक्त एक या एक से अधिक देशों में वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन को नियन्त्रित करने वाली कम्पनी को बहुराष्ट्रीय कम्पनी कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को जिन क्षेत्रों में सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन मिल सकते हैं, उन क्षेत्रों में ये कम्पनियाँ अपनी निर्माण ईकाइयाँ एवं कार्यालय स्थापित करती हैं। विश्व स्तर पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ लाभ कमाने के उद्देश्य से भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में किये गये व्यय को निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा अपने देश के अतिरिक्त दूसरे देश में किए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं।

आर्थिक सुधार- स्वतन्त्रता पश्चात हमारे देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढाँचे तथा नियोजित विकास की नीति को अपनाया था। राजकोषीय असन्तुलन, अर्थव्यवस्था की दोषपूर्ण संरचना तथा भुगतान संतुलन के संकट की स्थितियों को सुधारने के लिए भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति का तात्पर्य भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिये 1991 में अपनाई गई नीतियों से है। नई आर्थिक नीति के उपायों को स्थिरीकरण उपाय तथा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम में बाँटकर देखा जा सकता है। अर्थव्यवस्था में त्वरित सुधारों के लिये स्थिरीकरण उपायों को अमल में लाया गया। इसके तहत रुपए के विनिमय दर का अवमूल्यन करना, आईएमएफ से उधार लेना, कीमत में स्थिरीकरण तथा मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाने जैसे उपायों पर बल दिया गया। वर्तमान में आर्थिक समिक्षा 2021-22 के अनुसार 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर 8.0-8.5 प्रतिशत होने का अनुमान है साथ ही विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के अनुसार भारत 2021-24 के दौरान विश्व की प्रमुख तीव्रगामी अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

उदारीकरण- सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबन्धों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। उदारीकरण में वे सभी क्रियाएँ सम्मिलित हैं, जिनके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुँचाने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियन्त्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है। 1990 ई से पहले अपनायी गयी विकास नीति में सरकार की भूमिका अर्थव्यवस्था के नियन्त्रण तथा उत्पादन की थी। सरकार द्वारा 1991 ई. में घोषित नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था में अवांछित नियन्त्रणों तथा प्रतिबन्धों को समाप्त करने के लिए कई उपाय किये गये।

निजीकरण- सार्वजनिक क्षेत्रों की कम्पनियों को चरणाबद्ध तरीके से निजी क्षेत्र में बेचना निजीकरण कहलाता है। इसके अन्तर्गत अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को अधिक अवसर प्रदान कर सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका कम की जाती है। भारत में निजीकरण हेतु 1991-92 में विनिवेश कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। निजीकरण से सरकार को राजकोषीय अनुशासन स्थापित करने में सहायता मिली। राजकोषीय अनुशासन का तात्पर्य सरकार की उन नीतियों तथा प्रयासों से है जो सरकारी घाटे तथा सरकारी ऋणों के भार को कम करने हेतु अपनाये जाते हैं।

परिणाम- वैश्वीकरण का भारतीयों के जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इसके परिणामों को हम निम्न प्रकार समझा जा सकता है-

1. वैश्वीकरण से उपभोक्ताओं को वस्तुओं के एक से अधिक विकल्प उपलब्ध हुए हैं इससे वे गुणवत्ता युक्त एवं सस्ती वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं।
2. वैश्वीकरण के कारण भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने निवेश में वृद्धि की है। इससे यहाँ नवीन रोजगार उत्पन्न हुए हैं।
3. वैश्वीकरण के कारण बढ़ी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से अनेक भारतीय कम्पनियों को लाभ हुआ। इन कम्पनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके अपने उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाया है।
4. वैश्वीकरण ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाली कम्पनियों के लिए नवीन अवसरों का सृजन किया है।

वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याएँ- वैश्वीकरण से भारत में लाभ के साथ अनेक समस्याएँ भी पैदा हुई हैं। ये समस्याएँ निम्नलिखित हैं-

1. **छोटे उत्पादकों पर प्रभाव-** विदेश में उत्पादित माल से प्रतियोगिता करने में छोटे उद्योग सक्षम नहीं हैं। परिणामस्वरूप अनेक छोटे उद्योग बन्द हो गए हैं। बैटरी, संधारित, प्लास्टिक, खिलौने, टायर, डेयरी उत्पादों एवं खाद्य तेल के उद्योगों की स्थिति अत्यधिक खराब है।

2. रोजगार में अनिश्चितता- श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। कारखाने के मालिक लागत को कम करने के उद्देश्य से श्रमिकों को अब अस्थायी रोजगार प्रदान करते हैं, ताकि उन्हें वर्ष भर वेतन नहीं देना पड़े। इसके साथ ही वैश्वीकरण के का मिले लाभ में श्रमिकों को न्यायसंगत हिस्सा नहीं दिया जा रहा है।

3. सभी लोगों को लाभ नहीं- वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और सम्पन्न लोगों ने वैश्वीकरण से

मिले नये अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। इसके विपरीत समाज का कमजोर एवं गरीब वर्ग वैश्वीकरण के लाभों से दूर है।

4. क्षेत्रीय विषमताएँ- वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमताएँ बढ़ी है। जिस प्रकार वैश्वीकरण से विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों को अधिक लाभ मिला है।

अतः वास्तविकता यह है कि वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था पर अच्छे एवं बुरे दोनों प्रभाव पड़े है।

मुद्रा- वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के सामान्य स्वीकृति प्राप्त साधन को मुद्रा कहते हैं। भुगतान के साधन या विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य स्वीकृति, मुद्रा का एक विशेष गुण है।

वैदिक वाङ्मय में मुद्रा- वैदिक वाङ्मय में मुद्रा के अनेक रूपों का वर्णन मिलता है। सभ्यता के विकास के प्रारम्भ में वैदिक युगीन समाज में गाय को वस्तु विनिमय का माध्यम माना जाता था। कालान्तर में भारत में कौड़ी, धेला आदि मुद्राओं का प्रचलन भी भारत में रहा है। वैदिक वाङ्मय में स्वर्ण मुद्रा के रूप निष्क के सिक्कों का उल्लेख है। निष्क धातु से आभूषण भी बनते थे। ऋग्वेद में निष्कधारी पुरुष को



चित्र- 14.1 प्राचीन भारतीय सिक्के

विश्व व्यापार संगठन (W.T.O.)

- विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है, यह विश्व व्यापार को आसान बनाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम बनाता है। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के 164 देश सदस्य हैं। विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। विश्व व्यापार संगठन (W.T.O.) का मुख्यालय जिनेवा (स्विट्जरलैण्ड) में है।

निष्कग्रीव कहा गया है- निष्कग्रीवः

(5/19/3)। अथर्ववेद में रुक्म

नामक सिक्के का उल्लेख है- रुक्मवक्षसः

(6/22/2)। शतपथ ब्राह्मण में स्वर्ण


को शतमान कहा गया है- तस्य त्रीणि

शतमानानि हिरण्यानि दक्षिणा।

(8/2/3/2) सायण ने अपने भाष्य

में शतमान को सौ रत्ती सोने का सिक्का माना है। उस समय चाँदी के सिक्के को कार्षापण या पण कहा जाता था- इसकी तौल 32 रत्ती की थी- (तैत्तिरीय ब्राह्मण (1/3/7) व (वासुदेव शरण अग्रवाल पाणिनिकालीन भारतवर्ष पृष्ठ 256-260)। उस समय भारत की आर्थिक स्थिति समृद्ध होने के कारण यहाँ मुद्रा के रूप में सोने चाँदी आदि के सिक्कों का प्रचलन था, जो सम्भवतः गुप्तकाल या वर्धन वंश तक रहा होगा। इसके बाद भारत पर विदेशी आक्रमण होने लगे और धीरे-धीरे भारतीय मुद्रा में अनेक परिवर्तनों (तांबे, लोहे, पीतल आदि) के विभिन्न रूपों से गुजरती हुई औपनिवेशिक शासन में वर्तमान स्वरूप में पहुँची है।

मुद्रा का विकास क्रम- समय के साथ-साथ धातु मुद्रा की कठिनाईयाँ सामने आने लगीं। जिसके फलस्वरूप बैंकिंग व्यवस्था के साथ-साथ पत्र मुद्रा का विकास हुआ। पत्र मुद्रा का विस्तार अनेक रूपों में हुआ, जैसे- लिखित प्रमाण पत्र, प्रतिनिधि कागजी मुद्रा, परिवर्तनीय कागजी मुद्रा, अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा आदि। केन्द्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंक के विस्तार के साथ-साथ चैक, हुण्डी, ड्राफ्ट के रूप में साख मुद्राओं का विकास हुआ। वर्तमान में क्रेडिट एवं ए.टी.एम कार्ड के रूप में प्लास्टिक मुद्रा का भी



अत्यधिक चलन में है। आइये मुद्रा के विकास क्रम को निम्न चार्ट द्वारा भी समझने का प्रयास करते हैं।
मुद्रा के कार्य- वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय-विक्रय मुद्रा के माध्यम से होता है। मूल्य का मापन वर्तमान में प्रत्येक वस्तु एवं सेवा का मूल्य मुद्रा में ही मापा जाता है। बाजार में सभी वस्तुओं का मूल्य मुद्रा में ही व्यक्त किया जाता है। मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता से भेजा जा सकता है। अतः क्रयशक्ति का हस्तान्तरण आसान हुआ है। किसी स्थान से वस्तुएँ खरीदने की स्थिति में उनके मूल्य का भुगतान मुद्रा द्वारा या बैंक ड्राफ्ट, चेक, मनीआर्डर आदि के द्वारा किया जाता है। मनुष्य स्वभाव से भावी विपत्तियों से निपटने के लिए बचत करता है। मुद्रा के माध्यम से बचत करके भविष्य के लिए रखना सरल हो गया है। अतः क्रय शक्ति का संचय किया जा सकता है।

विनिमय का माध्यम- अर्थशास्त्र जगत में विनिमय से आशय वस्तुओं की लेन-देन से है। मुद्रा के प्रचलन से पूर्व विनिमय का माध्यम वस्तुएँ ही हुआ करती थीं। जिसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। उदाहरण के लिए सब्जियों के बदले अनाज देना आदि है। वस्तु के बदले मुद्रा देने को मुद्रा विनिमय कहा जाता है। मुद्रा विनिमय में मुद्रा मध्यवर्ती भूमिका अदा करती है और आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। इसलिए मुद्रा को **विनिमय का माध्यम** कहा जाता है।

करेंसी- कागज के नोट एवं सिक्के (करेंसी) मुद्रा के आधुनिक रूपों में सम्मिलित है। **भारतीय रुपया** भारत की मुद्रा है। जिसे भारत के केन्द्रीय बैंक **भारतीय रिजर्व बैंक** द्वारा जारी किया जाता है। हमारे देश के कानून के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त कानून रुपये का विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग करने की वैधता भी प्रदान करता है। हमारे देश में कोई भी व्यक्ति लेनदेन में कानूनी रूप से रुपयों को अस्वीकार नहीं कर सकता। एक भारतीय रुपया 100 पैसे के बराबर होता है। '₹' यह प्रतीक डी. उदय कुमार द्वारा तैयार किया गया है। इस प्रतीक की डिजाइन देवनागरी लिपी के र और अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े R जैसी है, जिसमें ऊपर दो आड़ी रेखाएँ हैं। भारत में सरकार द्वारा केवल एक रुपये का नोट जारी किया जाता है।

वित्तीय प्रणाली- एक वित्तीय प्रणाली में धन का लेन-देन करने वाली संस्थाओं या व्यक्तियों को वित्तीय संस्थाएँ कहा जाता है। लोगों के पास अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद अधिशेष राशि बचत कहलाती है। प्रायः लोग इन रुपयों को बैंक में अपना खाता खुलवाकर जमा करा देते हैं। ये रुपये बैंक में सुरक्षित रहते हैं साथ ही बैंक इन जमा रुपयों पर ब्याज भी देती है इसके विपरित बैंक जो ऋण प्रदान करती है, उस ऋण पर ब्याज भी लेते हैं। चूँकि बैंकों में जमा धन को मांग के द्वारा ही निकाला जा सकता है इसलिए इस जमा को मांग-जमा कहा जाता है। बैंक नकद/मांग पत्र/चैक/नेट बैंकिंग आदि से भुगतान की सुविधा भी प्रदान करते हैं। चैक एक ऐसा कागज है, जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चैक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक विशेष राशि का भुगतान करने का के रूप में देता है। चैक द्वारा बिना नकद का उपयोग किये सीधा भुगतान हो जाता है। वर्तमान में प्रौद्योगिकी विकास के कारण बैंकों द्वारा मुद्रा जमा और निकासी आदि को सुविधाजनक बनाने के लिए नागरिक हितों को ध्यान रखकर अनेक कार्य किए गये। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

नेट बैंकिंग- वह बैंकिंग प्रणाली जिसमें इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली द्वारा बैंक की वेबसाइट के माध्यम वित्तीय लेन-देन की सुविधा ग्राहकों को प्रदान की जाती है, उसे नेट बैंकिंग कहते हैं। इसमें ग्राहक घर बैठे ही अपने मोबाईल, कम्प्यूटर आदि द्वारा बैंक सुविधा का लाभ ले सकता है।

एटीएम- ATM अंग्रेजी भाषा के शब्द Automated Teller Machine का संक्षिप्त रूप है। जो वर्तमान में बैंकिंग कार्य के लिए अत्याधिक प्रचलित हो गया है। यह कार्ड प्लास्टिक का बना होता है और इसमें धातु की एक चिप लगी रहती है, जिस पर बैंक एकाउन्ट से सम्बन्धित सभी विवरण दर्ज रहते हैं। वास्तविकता यह है कि ए.टी.एम. ने बैंकिंग कार्य को बहुत अधिक सरल एवं सुविधाजनक बना दिया है। **क्रेडिट कार्ड** ऐसा कार्ड होता है जिसके माध्यम से धारक इस वचनबद्धता के साथ वस्तुएँ और सेवाएँ खरीद सकता है कि बाद में वह इन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का भुगतान अपने बैंक को करेगा। बैंक इस कार्ड की राशि और उसकी समय सीमा पहले ही निर्धारित कर देता है। यह कार्ड बैंक खाते से जुड़ा हुआ नहीं होता है। बैंक इसे ग्राहक की साख पर निर्धारित करता है।

वर्तमान में बैंको ने ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं को अत्यन्त ही सरल और सुरक्षित बनाने के लिए डीजिटल बैंकिंग सेवा शुरू की है। इसके अन्तर्गत ग्राहक अपने मोबाईल से यूपीआई, बैंकिंग एप्स, विभिन्न नीजि एप्स (पेटीएम, फोन पे, गूगल पे आदि) फास्ट टेग (टोल टेक्स अदा करने के लिए वाहनों पर लगाया जाने वाला बार कोड) आदि के द्वारा सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं।

प्रमुख वित्तीय संस्थाएँ- भारत में कार्यरत सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की प्रमुख वित्तीय संस्थाएँ निम्न हैं। वित्तीय संस्थाओं में बैंक, बीमा कम्पनियाँ, साहूकार, जमींदार, स्व सहायता समूह आते हैं।

बैंकों के प्रकार- भारत की प्रमुख बैंक इस प्रकार हैं- वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक, औद्योगिक बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, कृषि बैंक, कृषि सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामिण बैंक, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामिण विकास बैंक, रिजर्व बैंक, अन्ताराष्ट्रीय बैंक ।

उपर्युक्त बैंक के अलग-अलग कार्य हैं ये उक्त बैंक अपने-अपने ग्राहक को विभिन्न प्रकार से सुविधाएँ एवं योजनाओं का लाभ प्रदान करती है।

साख- साख शब्द का अर्थ है, वस्तुओं के हस्तान्तरण के कारण उत्पन्न भुगतान प्राप्त करने का अधिकार या भुगतान करने के दायित्व का निपटारा मांग पर या एक निश्चित समय के बाद करने की एक Specific method है। आर्थिक प्रक्रिया में ऋण देने वाला तथा ऋण लेने वाला दो अलग पक्ष होते हैं। उनके बीच एक सेतु की आवश्यकता होती है जो इन दोनों पक्षों को जोड़ सकें। यह भूमिका वित्तीय मध्यस्थ निभाते है। वित्तीय मध्यस्थ वे संस्थान तथा फर्म है जो वित्तीय बाजार में जमाकर्ता तथा उधार लेने वालों के बीच एक सेतु या मध्यस्थ का कार्य करते है। ये संस्थान उन व्यक्तियों से धन प्राप्त करते हैं, जो अपनी आमदनी से कम खर्च करते है अर्थात् बचत करते है तथा उन व्यक्तियों एवं संस्थाओं को साख उपलब्ध कराते है जिन्हें उत्पादन या उपभोग हेतु धन की आवश्यकता होती है। साख एक प्रकार का विनिमय

कार्य है, जिसमें कोई ऋणदाता किसी ऋणी को वर्तमान में कुछ वस्तुएँ या मुद्रा इस विश्वास पर प्रदान करता है कि कुछ समय बाद वह उसे वापस कर देगा।

भारत में औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्र में साख- बैंक, सहकारी समिति, देशी बैंकर, स्वयं सहायता समूह आदि संस्थाएँ औपचारिक क्षेत्र में साख प्रदान करती हैं। औपचारिक क्षेत्र में साख प्रदान करने वाली संस्थाएँ भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत होती हैं। इनका नियन्त्रण तथा निर्देशन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। औपचारिक क्षेत्र में निर्धारित ब्याज दर पर ही साख प्रदान की जाती है।



चित्र- 14.2 स्वयं सहायता समूह

अनौपचारिक क्षेत्र में ऋण देने वालों पर कोई नियन्त्रण नहीं होता है। और ये मनचाही दरों से ब्याज लेते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में सेठ, साहूकार, जमींदार आदि ऋण प्रदान करते हैं। ये लोग अपनी नीजि पूँजी को ऋण के रूप में देते हैं और ये लोग इस पूँजी पर ऊँची दर से ब्याज लेते हैं। अतः छोटे दुकानदारों, व्यापारियों एवं किसानों को बैंकों एवं सहकारी समितियों द्वारा सस्ता एवं सामर्थ्य के अनुकूल ऋण लेना चाहिए।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

- बहु राष्ट्रीय कम्पनियाँ सामान्यतः कारखाना..... लगाती हैं।
 अ. बाजार के नजदीक
 स. जहाँ शिक्षित युवा उपलब्ध हो
 ब. जहाँ सस्ता श्रम उपलब्ध हो
 द. उपर्युक्त सभी
- विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय.....में है।
 अ. जिनेवा
 ब. नई दिल्ली
 स. रोम
 द. लन्दन
- निम्न में से.....विनिमय का माध्यम है।
 अ. मुद्रा
 ब. साख
 स. धातु
 द. कागज

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. निजीकरण से आप क्या समझते हैं ? समझाइए।
2. बहुराष्ट्रीय कम्पनी किसे कहते हैं ? उदाहरण दीजिए।
3. विश्व व्यापार संगठन के बारे में आप क्या जानते हैं?
4. मुद्रा के कार्य लिखिए।
5. वित्तीय प्रणाली से क्या तात्पर्य है ? वर्तमान में कौन-कौन सी प्रौद्योगिकी से वित्तीय प्रणाली को सुविधाजनक बनाया जा रहा है।
6. ए.टी.एम. कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड में क्या अन्तर है ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. भारत में वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े ? वैश्वीकरण से कौन-कौन सी समस्याएँ उत्पन्न हुई ।
2. भारतीय अर्थव्यवस्था के संकट के कौन-सी आर्थिक नीति अपनाई स्पष्ट विवेचना करें।
3. औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्र में सार्व को समझाइए।
4. मुद्रा के विकास पर एक लेख लिखिए।

परियोजना-

1. आपके द्वारा दैनिक जीवन में कौन-कौन सी उपयोगी वस्तुएँ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा उत्पादित हैं, सूची बनाइये।
2. आपके घर में डीजिटल बैंकिंग के अन्तर्गत कौन-कौन सी सुविधाएँ अपनाई जाती है।

अध्याय - 15

भारत की वर्तमान समस्याएँ एवं निदान के प्रयास

इस अध्याय में- भारत की प्रमुख समस्याएँ, जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी, गरीबी (निर्धनता), आतंकवाद, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद, मादक पदार्थों का सेवन।

स्वतन्त्रता के उपरान्त भारत का यद्यपि चहुँमुखी विकास हुआ है, तथापि हम उतनी तेजी से विकसित नहीं हो पाए हैं, जितनी तेजी से जापान, कोरिया, जर्मनी जैसे देश विकसित हुए जबकि भारत आज भी विकासशील देश है। इसका मूल कारण है कि हम कुछ ऐसी मूलभूत समस्याओं से घिरे हुआ हैं। इस अध्याय में हम भारत की प्रमुख समस्याओं एवं उनके निराकरण के उपाय के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।

वैदिक वाङ्मय में बताई गई शिक्षा पद्धति को अपनाकर वर्तमान की समस्याओं का निवारण सम्भव है क्योंकि हमारी वैदिक शिक्षा का उद्देश्य है - शिष्य का सर्वांगीण विकास। बृहस्पते सवितर्वर्धयैनं ज्योतयैनं महते सौभगाय। संशितं चित्संतरं सं शिशाधि विश्व एनमनु मदन्तु देवाः॥ (अथर्व. 7.16.1) अर्थात् शिष्य की ज्ञान-ज्योति को प्रबुद्ध करना, उसे प्रखर से प्रखर बनाना और उसके जीवन को सर्वथा सौभाग्यशाली बनाना। शं सरस्वती सह धीभिरस्तु। (अथर्व. 19.11.2) भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपनिपेदुरग्रे। (अथर्व. 19.41.1) अर्थात् शिष्य को विद्या के साथ ही व्युत्पत्ति (सुमति, विवेक) का भी समन्वय हो, अतः कहा गया है कि सरस्वती के साथ धी (विवेक) भी हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वेद ने दो साधन बनाए हैं- तप (कठोर अनुशासन, Discipline) और दीक्षा (समर्पण, Dedication)। कठोर अनुशासन और आत्म समर्पण ही इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि वैदिक शिक्षा-पद्धति में संयम और चरित्र को बहुत महत्त्व दिया गया है। गुरु और शिष्य दोनों के लिए यह अनिवार्य गुण बताया गया है।

भारत की प्रमुख समस्याएँ- भारत की वर्तमान प्रमुख समस्याओं में प्रमुख समस्या जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी, गरीबी, आतंकवाद, साम्प्रदायिकता, भ्रष्टाचार, जातिवाद, क्षेत्रवाद, मादक पदार्थों का सेवन आदि हैं।

1. **जनसंख्या विस्फोट-** जब किसी देश में जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र होती है कि देश में उपलब्ध संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पायें, इस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। 1951 में भारत की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी, जो 2021 में 139 करोड़ होने की सम्भावना है। यह

विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.3 % है और कुल क्षेत्रफल का 2.4 % है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। आज जनसंख्या वृद्धि के कारण वस्त्र, आवास, भोजन, पेयजल आदि की समस्यायें विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तरप्रदेश व सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है तथा सर्वाधिक वृद्धि दर मेघालय (27.95%) हुई। भारत की लगभग आधी जनसंख्या उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बङ्गाल एवं आंध्रप्रदेश में निवास करती है।

जनसंख्या विस्फोट के कारण- जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख कारण संयुक्त परिवार प्रथा, बाल विवाह, कृषि पर निर्भरता, शिक्षा का अभाव, उष्ण जलवायु, घटती मृत्यु दर आदि हैं।

जनसंख्या विस्फोट रोकने के उपाय- भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करने का सबसे कारगर उपाय जन्म दर का घटाना है। इसके लिए सरकार को विवाह की आयु में वृद्धि, संतानोत्पत्ति की सीमा निर्धारण, परिवार नियोजन और मनोरंजन के साधनों का विकास करना चाहिए साथ ही एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान शिक्षा का प्रसार करना चाहिए।

2. **बेरोजगारी-** जब कोई व्यक्ति कार्य करने के योग्य एवं इच्छुक हो लेकिन वर्तमान प्रचलित मजदूरी की दर पर उसे काम नहीं मिलता है, तो उस व्यक्ति को बेरोजगार एवं इस स्थिति को **बेरोजगारी** कहा जाता है। बेरोजगारी कई प्रकार की होती है जैसे- खुली बेरोजगारी, छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी आदि।

बेरोजगारी के कारण- भारत में बेरोजगारी के अनेक कारण हैं जैसे- रोजगारपरक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का अभाव, बढ़ती जनसंख्या तथा श्रम शक्ति, अनुपयुक्त तकनीक, कृषि का पिछड़ापन, रोजगार विहीन आर्थिक विकास, दोषपूर्ण नियोजन, उद्योगों में मशीनीकरण, रोजगार मार्गदर्शन का अभाव आदि।

बेरोजगारी दूर करने के उपाय- बेरोजगारी दूर करने के प्रमुख उपायों में जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण करना चाहिए। शिक्षा को रोजगारपरक बनाया जाए। अकुशल श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के लिए जगह-जगह प्रशिक्षण केन्द्र खोलने चाहिए। ग्रामीण रोजगार योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। कृषि में नई तकनीकों का उपयोग करना चाहिए।

3. **गरीबी (निर्धनता)-** गरीबी एक व्यापक अवधारणा है। प्रायः धन - सम्पदा के अभाव को गरीबी कहा जाता है। आर्थिक दृष्टि से उस व्यक्ति को गरीब या गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है जिसकी आय का स्तर कम होने पर व्यक्ति अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है।

गरीबी के आकलन के लिए विभिन्न देशों में मान्य पारिभाषिक व्यवस्था का प्रयोग किया गया है। भारत में गरीबी एक मूलभूत आर्थिक एवं सामाजिक समस्या है। गरीबी दो प्रकार की होती है- निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी वह स्थिति है, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता। निरपेक्ष गरीबी अविकसित राष्ट्रों में पायी जाती है। भारत में गरीबी का आशय, निरपेक्ष गरीबी से ही होता है। समाज या राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के बीच आय या धन और उपभोग- व्यय के वितरण में सापेक्षिक असमानताओं का माप, सापेक्ष गरीबी कहलाती है। यह विकसित राष्ट्रों में पायी जाती है।

भारत में गरीबी के मापन हेतु प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1868 ई. में किया था। सी. रङ्गराजन समिति ने वर्ष 2011-12 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय तथा शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा माना है। इस आधार पर वर्ष 2020-21 में भारत में गरीबी 22 % थी।

गरीबी के कारण- भारत में गरीबी के प्रमुख कारण- सामाजिक आयोजनों में अपव्यय, जनसंख्या वृद्धि, कृषि में परम्परागत तकनीक का उपयोग, उद्योगों का मशीनीकरण आदि हैं।

गरीबी निवारण के उपाय- भारत में गरीबी निवारण के लिए सभी वर्गों में शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, जनसंख्या पर नियन्त्रण, सरकारी योजनाओं का लाभ सभी वर्गों को समान रूप से मिलना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और सामाजिक कुप्रथाओं पर प्रतिबन्ध होना चाहिए।

4. **आतंकवाद-** जब किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा अपनी अनुचित मांगों की पूर्ति के लिए व्यापक स्तर पर हिंसा व अशांति पर आधारित नकारात्मक प्रयास किया जाता है, तो उसे आतंकवाद कहा जाता है। आतंकवाद एक विखण्डनकारी प्रवृत्ति है। वर्तमान में आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है। आतंकवादी अनैतिक गतिविधियाँ करके विश्व में हिंसा व भय का माहौल बनाते हैं। भारत में कुछ विदेशी और कट्टरपंथी ताकतें और अलगाववादी लोग आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहे हैं। भारत में आतंकवाद तीन रूपों में दिखाई देता है- साम्प्रदायिक, नक्सली और जातीय आतंकवाद।

आतंकवाद का परिणाम- आतंकवाद के कारण नागरिकों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाती है, आर्थिक विकास का अवरुद्ध होना, जन-धन की हानि होना तथा अघोषित युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है।

आतंकवाद के निराकरण के उपाय : सम्पूर्ण राष्ट्रों द्वारा उचित नैतिक शिक्षा दी जाए। बाहरी शक्तियों का कठोरता से दमन किया जाए। आतंकवाद से लड़ने के लिये सरकार अपने देश की जनता को

जागरूकता की भावना पैदा करें। सीमाओं पर कठोर नियन्त्रण कर एवं राजनैतिक एकता के द्वारा आतंकवाद जैसी समस्या से निपटा जा सकता है।

5. **भ्रष्टाचार-** जब कोई व्यक्ति या संगठन अपने निर्धारित कानूनी दायरे से बाहर जाकर अनुचित ढंग से किसी व्यक्ति अथवा संगठन को लाभ पहुँचाये तथा बदले में धन अथवा सुविधाएँ प्राप्त कर सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुँचाये तो उसे **भ्रष्टाचार** कहते हैं और वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, जमाखोरी, मिलावट करना, कम नाप तोल करना जानबूझकर अपने कर्तव्य की अवहेलना करना आदि भ्रष्टाचार के रूप हैं। भ्रष्टाचार के अधिकांश मामले खरीद, अनुदान, निर्माण, लाइसेन्स, परमिट आवंटन, ऋण, नियुक्ति, स्थानान्तरण आदि क्षेत्रों से सम्बन्धित होते हैं।

भ्रष्टाचार के कारण- भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण व्यक्ति की नैतिकता का पतन और अतिभौतिकवादी होना, कठोर कानूनों का अभाव, आर्थिक असमानता में वृद्धि आदि हैं।

भ्रष्टाचार रोकने के उपाय- भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए कड़े कानूनों निर्माण, सरकारी निर्णयों, प्रक्रियाओं एवं गतिविधियों में पारदर्शिता होनी चाहिए और ईमानदार लोकसेवकों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए।

6. **साम्प्रदायिकता-** भारतीय परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिकता पर दृष्टिपात करें तो यह आधुनिक राजनीति के उद्भव का ही परिणाम है। हालाँकि इससे पूर्व भी भारतीय इतिहास में हमें ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं जो साम्प्रदायिकता की भावना को बढ़ावा देते हैं लेकिन वे सब घटनाएँ अपवाद स्वरूप ही रही हैं। उनका प्रभाव समाज एवं राजनीति पर व्यापक स्तर पर नहीं दिखता। वर्तमान सन्दर्भ में साम्प्रदायिकता का मुद्दा न केवल भारत में अपितु विश्व स्तर पर भी चिन्ता का विषय बना हुआ है। जब राष्ट्र हित को भुलाकर किसी पन्थ या सम्प्रदाय विशेष के प्रति निष्ठा रखकर उस सम्प्रदाय के लोग उसके विस्तार के लिये कार्य करते हैं तथा अन्य पंथों एवं सम्प्रदायों के प्रति घृणा भाव रख उन्हें हानि पहुँचाते हैं तो ऐसी स्थिति को **साम्प्रदायिकता** कहते हैं। इससे द्वेषभाव, हिंसा और पारस्परिक अविश्वास का वातावरण निर्मित होता है। साम्प्रदायिकता मानवता और राष्ट्रीय एकता के लिये गम्भीर अभिशाप है।

साम्प्रदायिकता के कारण- स्वतन्त्रता के पूर्व से ही साम्प्रदायिकता भारत की एक कठिन समस्या रही है। इसके प्रमुख कारणों में ब्रिटिश सरकार की नीति, स्वार्थी राजनेताओं द्वारा विविध सम्प्रदायों की अनुचित मागों को स्वीकार कर लेना, भारत में होने वाली हर छोटी घटना को कुछ देशों द्वारा तूल

देकर प्रचारित व प्रसारित करना, सरकार की उदासीनता और विभिन्न सम्प्रदायों में पृथक्करण की भावना का होना आदि हैं।

परिणाम- साम्प्रदायिकता के कारण राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को खतरा, राजनीतिक अस्थिरता, समाज में आपसी द्वेष एवं अविश्वास उत्पन्न होता है। साम्प्रदायिक दंगों से जन-धन की हानि होती है। साम्प्रदायिक दंगों में सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान होता है, जिससे देश का विकास अवरूद्ध होता है। साम्प्रदायिकता के कारण ही भारत का विभाजन हुआ था।

साम्प्रदायिकता को दूर करने के उपाय- साम्प्रदायिकता सम्पूर्ण मानव जाति के लिए अभिशाप है। शिक्षा में प्रारम्भ से ही नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को जोड़ना चाहिए। सरकार को कानून बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वे समान रूप से सभी नागरिकों पर लागू हों। धर्म के आधार पर उम्मीदवार का चुनाव नहीं करना चाहिए और सरकार को हमेशा सभी धर्मों को समभाव से देखते हुए किसी पंथ विशेष को संरक्षण नहीं देना चाहिए।

7. **क्षेत्रवाद-** स्थानीय निवासियों द्वारा संघ या राज्य की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष या प्रान्त से लगाव व उसके विकास के प्रयास क्षेत्रवाद की श्रेणी में आते हैं। क्षेत्रवाद का उद्देश्य अपने संकीर्ण क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति करना होता है। इसमें क्षेत्र विशेष के लोग आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक शक्तियों की अन्य क्षेत्रों से अधिक मांग करते हैं। जो किसी भी देश की एकता व अखण्डता के लिए बड़ा खतरा बन जाती है।

भारत में क्षेत्रवाद के उदय के कारक- भारत में क्षेत्रवाद के उदय के विभिन्न कारण हैं जैसे- प्रकृति प्रदत्त भिन्नताएँ व असमानताएँ, प्रशासन द्वारा संसाधनों के समान वितरण का अभाव या प्रशासनिक भेदभाव, केन्द्रीय निवेश व विकास सम्बन्धी भिन्नता, ऐतिहासिक व राजनीतिक कारण, सांस्कृतिक विविधताएँ, भाषायी विविधताएँ, धार्मिक विविधताएँ, आर्थिक पिछड़ापन आदि हैं।

क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम- क्षेत्रवाद कारण राष्ट्र को अनेक दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। जैसे- क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बलवती होने की प्रक्रिया में राष्ट्र की एकता व अखण्डता को गौण हो जाती है और अलगाववाद का भाव पनपने से राष्ट्रीय अस्मिता को चुनौती मिलती है। क्षेत्रवाद के कारण भारत में भाषा, धर्म, संस्कृति, प्राकृतिक व भौगोलिक भिन्नता के आधार पर समय-समय नवीन राज्यों की माँग उठती रही है। भाषायी आधार पर सबसे पहले 1 अक्टूबर 1953 को आन्ध्रप्रदेश राज्य का गठन किया गया। भाषायी आधार पर राज्यों की माँग को पूरा करने के लिए वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। परिणामतः क्षेत्रीय राज्यों का गठन हुआ और क्षेत्रीय

राजनीति को बढ़ावा मिला। इससे भारत का विकास उस गति से नहीं हुआ, जिस गति से होना चाहिए। क्षेत्रवाद के कारण देश में अलगाववाद (अलग रहने की प्रक्रिया) की भावना को बढ़ावा मिला है।

क्षेत्रवाद को रोकने के उपाय- क्षेत्रवाद को रोकने के लिए सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह क्षेत्रों के समान विकास हेतु नीति निर्माण के समय राजनीतिक भेदभाव किए बिना संतुलित व समदर्शी नीति निर्माण करें। क्षेत्रीय भिन्नताओं में कमी लाने के लिए पिछड़े व अविकसित क्षेत्रों में सिंचाई, बिजली, यातायात व सञ्चार के आधारभूत साधनों के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रशासनिक दृष्टि से छोटे राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। भाषायी एवं सांस्कृतिक विविधता को राष्ट्र की एकता की ताकत बनाना चाहिए। हमें अपने व्यक्तिगत हितों को ध्यान न देकर देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता का सम्मान करना चाहिये।

8. **मादक पदार्थों का सेवन-** ऐसे पदार्थ जिनके सेवन से मस्तिष्क शिथिल हो जाये, रक्त का सञ्चार तेज हो जाये और उत्तेजना से क्षणिक आनन्द की अनुभूति हो उन्हें मादक पदार्थ कहते हैं। नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति स्वयं पर नियन्त्रण नहीं रख पाता है। वर्तमान में मादक पदार्थों का सेवन अधिक मात्रा में किया जाने लगा है। मादक पदार्थों का उत्पादन विश्व के कुछ ही देशों में होता है परन्तु उपयोग सम्पूर्ण विश्व में होता है। ऊँची कीमतों पर इनकी तस्करी होती है। शराब, तम्बाकू, गांजा, भांग, अफीम, चरस, कोकीन, मारफीन, हेरोइन आदि मादक पदार्थ हैं।

मादक पदार्थों का प्रभाव- मादक पदार्थों के सेवन से व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक कार्य क्षमता घट जाती है और आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और विकास अवरुद्ध हो जाता है। मादक पदार्थों की तस्करी अवैध क्रिया-कलाप होते हैं, जिससे समाज और देश में अशान्ति की स्थिति उत्पन्न हो जाने से कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है।

मादक पदार्थों के सेवन पर रोकथाम के उपाय: मादक पदार्थों के सेवन से होने वाली हानियों को हमारी प्राथमिक शिक्षा से ही जोड़ दिया जाना चाहिए। इससे भावी नागरिकों को इनके सेवन से बचाया जा सकेगा। सरकार को इन पदार्थों की तस्करी पर रोक लगानी चाहिए और अपराधियों को कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिए। इन पदार्थों के बुरे प्रभाव से अवगत कराने के लिए समाज में चेतना जाग्रत करनी चाहिए।

भारत में उपर्युक्त प्रमुख समस्याओं के साथ कई अन्य समस्या भी हैं यदि इन समस्याओं पर नियन्त्रण कर ले तो निश्चित रूप से भारत, दुनिया के किसी भी विकसित राष्ट्र के बराबरी ही नहीं करेगा अपितु उससे आगे बढ़कर समृद्ध हो जाएगा।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में.....स्थान है।
अ. प्रथम ब. द्वितीय स. तृतीय द. चतुर्थ
2. निम्न में सेभारत की प्रमुख समस्या हैं।
अ. भ्रष्टाचार ब. बेरोजगारी स. आतंकवाद द. उपर्युक्त सभी
3. भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य..... हैं।
अ. उत्तरप्रदेश ब. सिक्किम स. राजस्थान द. पश्चिम बङ्गाल
4. भारत में गरीबी मापन हेतु प्रथम प्रयास.....किया।
अ. दादा भाई नौरोजी ने ब. सुभाषचन्द्र बोस ने
स. नरेन्द्र मोदी ने द. जवाहर लाल नेहरू ने
5. भारत में आतंकवाद का रूप..... है।
अ. साम्प्रदायिक आतंकवाद ब. जातीय आतंकवाद
स. नक्सली आतंकवाद द. उपर्युक्त सभी

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. भारत की जनसंख्या 1951 में थी। (36 करोड़/56 करोड़)
2. जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का स्थान पर है। (दूसरा/तीसरा)
3. भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। (सिक्किम/बिहार)

सत्य/असत्य बताइए-

1. लोगों का किसी विशेष क्षेत्र/राज्य से लगाव क्षेत्रवाद है। (सत्य/असत्य)
2. साम्प्रदायिकता मानवता के लिए अच्छी है। (सत्य/असत्य)
3. शिक्षा में नैतिक व आध्यात्मिक मूल्य आवश्यक है। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. सर्वाधिक आबादी वाला राज्य क. सिक्किम
2. न्यूनतम आबादी वाला राज्य ख. राजस्थान
3. सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य ग. उत्तर प्रदेश

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है?
2. बेरोजगारी के कोई दो कारण बताइए।
3. गरीबी कितने प्रकार की होती है ?
4. भारत में विश्व की कितनी % जनसंख्या निवास करती है ?
5. साम्प्रदायिकता क्या है ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. मादक पदार्थों के सेवन के क्या प्रभाव पड़ते हैं।
2. जनसंख्या विस्फोट रोकने के उपाय बताइए।
3. निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं ? गरीबी के कोई दो कारण बताइए।
4. क्षेत्रवाद का अर्थ व परिणाम बताइए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. भ्रष्टाचार किसे कहते हैं ? भ्रष्टाचार के कारण, परिणाम व रोकने के उपाय बताइए।
2. साम्प्रदायिकता किसे कहते हैं ? साम्प्रदायिकता के कारण, परिणाम व उपाय बताइए।
3. जनसंख्या विस्फोट के कारण व परिणाम बताइए।

परियोजना-

1. अपने क्षेत्र में व्याप्त किसी समस्या कारण व उसके निराकरण के उपायों पर प्रकाश डालिए।

वेद भूषण परीक्षा /Vedabhusan Exam

वेद भूषण पञ्चम वर्ष /पूर्वमध्यमा- II -कक्षा /दसवीं

आदर्श प्रश्न पत्र /Model Question Paper

विषय सामाजिक विज्ञान -

सेट -A

- सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है।
- सभी प्रश्न के उत्तर पेपर में यथास्थान पर ही लिखें।
- इस प्रश्न पत्र में कुल 42 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न के सामने निर्धारित अंक दिये गये हैं।
- उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम 40% अंक निर्धारित हैं।
- It is mandatory to attempt all questions compulsorily.
- Write down the answers at the appropriate places provided
- This question paper contains 42 questions Marks for each question is shown on the side.
- The minimum passing marks is 40 %.

सूचना -एन एवं वैदिक ज्ञान परम्परा के आधार पर तैयार किया गया आदर्श .टी.आर.ई.सी.प्रश्नपत्र
बहु विकल्पीय प्रश्न- 1×10 =10

1. निम्न में से..... प्राकृतिक संसाधन है।
अ. जल ब. भूमि स. वन द. उपर्युक्त सभी
2. पर्यावरण मन्त्रालय के अनुसार भारत में कुल भू-भाग का वन होना चाहिए।
अ. 50% ब. 75% स. 66% द. 33%
3. निम्नलिखित में से.....अलौह धातु है।
अ. टंगस्टन ब. कोबाल्ट स. लौहा द. चाँदी
4. निम्नलिखित में सेखनिज आधारित है।
अ. सूती वस्त्र उद्योग ब. सीमेन्ट उद्योग स. चीनी उद्योग द. कागज उद्योग
5. इंग्लैण्ड में कारखाने की सबसे पहले शुरुआत..... हुई थी।
अ. 1860 के दशक में ब. 1790 के दशक में
स. 1640 के दशक में द. 1730 के दशक में
6. निम्न में से गाँधी जी द्वारा किया गया..... आन्दोलन है।
अ. भारत छोड़ो आन्दोलन ब. असहयोग आन्दोलन
स. सविनय अवज्ञा आन्दोलन द. उपर्युक्त सभी

7. भूमण्डलीकरण का आरम्भ.....से माना जाता है।
अ. 15 वीं शताब्दी ब. 16 वीं शताब्दी स. 17 वीं शताब्दी द. 18 वीं शताब्दी

8. संविधान सभा में कुल सदस्य.....थे।

अ. 382 ब. 380 स. 381 द. 389

9. डेमोस (Demos) का अर्थ.....होता है।

अ. शासन ब. राजा स. लोकतन्त्र द. जनता

10. निम्नलिखित में से सार्वजनिक सुविधा..... में सम्मिलित है।

अ. स्कूल ब. अस्पताल स. गार्डन द. उपर्युक्त सभी

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

2 × 5 = 10

11. भारत की सबसे महत्वपूर्ण मृदा है। (जलोढ/रेगुर)

12. मानस राष्ट्रीय उद्यान में है। (मिजोरम/असम)

13. जलियाँवाला बाग में है। (लुधियाना/अमृतसर)

14. लोकसभा को सदन कहा जाता है। (उच्च/निम्न)

15. राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को मनाया जाता है। (15 मार्च/24 अक्टूबर)

सत्य-बताइए असत्य/

2 × 5 = 10

16. विद्युत अनवीकरणीय संसाधन है।

सत्य/असत्य

17. उपन्यास, साहित्य का एक आधुनिक रूप है।

सत्य/असत्य

18. भारत में वायु परिवहन का प्रारम्भ 1911 ई. में हुई थी।

सत्य/असत्य

19. सूचना का अधिकार 2005 से लागू हुआ।

सत्य/असत्य

20. शिक्षा में नैतिक व आध्यात्मिक मूल्य आवश्यक है।

सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

2 × 5 = 10

21. अभ्रक (क) झारखण्ड

22. ताँबा (ख) आन्ध्र प्रदेश

23. कोयला (ग) राजस्थान

24. पेरियार उद्यान (घ) उत्तराखण्ड

25. जिम कार्बेट उद्यान (ड.) केरल

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

2 × 10 = 20

26. संसाधन किसे कहते हैं ?

27. मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है ?

28. ज्वारीय वन किन-किन क्षेत्रों में पाये जाते हैं ?

29. पाण्डुलिपि किसे कहते हैं ?

30. जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड की घटना कब हुआ थी ?
31. लोकतन्त्र किसे कहते हैं ?
32. भारतीय संघीय व्यवस्था के कोई दो लक्षण बताइए।
33. भारत की तट रेखा कितनी लम्बी है?
34. उपभोक्ता किसे कहते हैं ?
35. बेरोजगारी के कोई दो कारण बताइए।

लघु उत्तरीय प्रश्न-

4 × 5 = 20

36. धात्विक खनिज किसे कहते हैं ? सोदाहरण समझाइए।
37. विनिर्माण के महत्व का उल्लेख कीजिए।
38. दाण्डी यात्रा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।
39. लोकतन्त्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
40. उपभोक्ता अधिकारों का उल्लेख कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

10 × 2 = 20

41. खनिज किसे कहते हैं तथा कितने प्रकार के होते हैं ? वर्णन कीजिए।
42. भारत में वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े ? वैश्वीकरण से कौन-कौन सी समस्याएँ उत्पन्न हुईं।



वेद भूषण परीक्षा /Vedabhusan Exam

वेद भूषण पञ्चम वर्ष /पूर्वमध्यमा- II -कक्षा /दसवीं

आदर्श प्रश्न पत्र /Model Question Paper

विषय सामाजिक विज्ञान -

सेट - B

सूचना -एन एवं वैदिक ज्ञान परम्परा के आधार पर तैयार किया गया आदर्श .टी.आर.ई.सी.प्रश्नपत्र

बहु विकल्पीय प्रश्न- 1×10 =10

1. निम्न में सेभूमि निम्नीकरण का कारण है।
अ. खनन
ब. अत्यधिक पशुचारण
स. मृदा अपरदन
द. ये सभी
2. भारत में लौह अयस्क सर्वाधिक.....राज्य में पाया जाता है।
अ. ओडिसा
ब. कर्नाटक
स. राजस्थान
द. उत्तराखण्ड
3. वे जातियाँ जिनके लुप्त होने का खतरा हो कहलाती हैं -
अ. दुर्लभ जातियाँ
ब. सुभेद्य जातियाँ
स. सामान्य जातियाँ
द. संकटग्रस्त जातियाँ
4. भारत में सर्वप्रथम कोयलासे प्राप्त किया।
अ. रानीगंज से
ब. सिंहभूमि से
स. हजारी बाग से
द. राँची से
5. सबसे पहले औद्योगीकरण का प्रभावपड़ा था।
अ. कपड़ा उद्योग पर
ब. चमड़ा उद्योग पर
स. लौह उद्योग पर
द. काँच उद्योग पर
6. गाँधी जी ने 'करो या मरो' का नारा..... दिया था।
अ. नमक यात्रा में
ब. सविनय अवज्ञा आन्दोलन में
स. भारत छोड़ो आन्दोलन में
द. असहयोग आन्दोलन में
7. वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र.....में है।
अ. भारत
ब. स्विट्जरलैण्ड
स. इंग्लैण्ड
द. अमेरिका

8. आयुष्मान भारत योजना का दूसरा नाम..... है।

अ. अन्त्योदय योजना

ब. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

स. मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

द. इन्दिरा आवास योजना

9. तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है।

अ. कृषि क्षेत्र

ब. विनिर्माण क्षेत्र

स. सेवा क्षेत्र

द. सहायक क्षेत्र

10. भारत में राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना..... ने की थी।

अ. दादा भाई नौरोजी

ब. लाल बहादुर शास्त्री

स. फिण्डले शिराज

द. CSO

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

2 × 5 = 10

11. जिन संसाधनों पर राष्ट्र का स्वामित्व है, वे..... संसाधन कहलाते हैं। (सामुदायिक/राष्ट्रीय)

12. मेनचेस्टर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। (वस्त्र/सीमेंट)

13. रॉलट एक्ट कानून की अध्यक्षता में बना। (सिडनी रॉलट/जॉर्ज रॉलट)

14. आधुनिक भारत का निर्माता को कहा जाता है। (सरदार पटेल/डॉ. अम्बेडकर)

15. महामन्दी से लगभग बैंक बन्द हो गए। (5 हजार/8 हजार)

सत्य/असत्य बताइए-

2 × 5 = 10

16. बाघ को 1975 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया।

(सत्य/असत्य)

17. एन्थ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छी किस्म का कोयला है।

(सत्य/असत्य)

18. औद्योगीकरण से रोजगार के अवसरों में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ।

(सत्य/असत्य)

19. नीति-निर्देशक तत्त्व अनुच्छेद 36-51 में उल्लेखित है।

(सत्य/असत्य)

20. राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय मुंबई में है।

(सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

2 × 5 = 10

21. भारत में आपातकाल

क. 1962

22. भारत और चीन का युद्ध

ख. 1998

23. परमाणु परिक्षण

ग. 1975

24. भारत, उपनिवेश था

घ. 1942

25. भारत छोड़ो आन्दोलन

ङ. ब्रिटेन

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न-

$2 \times 10 = 20$

26. भारत का कितना % क्षेत्र मैदानी है ?
27. खनिज किसे कहते हैं ?
28. देश की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई है ?
29. बाल श्रम को रोकने के लिए कौन-कौन से कानून बने थे ?
30. बङ्गाल विभाजन कब और क्यों किया गया था ?
31. केनाल कॉलोनी (नहरी बस्ती) किसे कहा जाता था ?
32. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई ?
33. लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण किसे कहते हैं?
34. भारत की तट रेखा कितनी लम्बी है ।
35. भारत की प्रथम विद्युतकृत रेल का क्या नाम था?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

$4 \times 5 = 20$

36. काली मृदा की क्या-क्या विशेषताएँ हैं?
37. कोयला कितने प्रकार का होता है? संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
38. 1929 ई. की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था ?
39. राष्ट्रीय एकीकरण से क्या अभिप्राय है ?
40. भारत के किन्हीं पाँच अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम लिखिए ।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

$10 \times 2 = 20$

41. लोकतन्त्र का क्या अर्थ है? लोकतन्त्र की विशेषताओं का वर्णन करो ।
42. भ्रष्टाचार किसे कहते हैं ? भ्रष्टाचार के कारण, परिणाम व रोकने के उपाय बताइए ।

वेद भूषण परीक्षा /Vedabhusan Exam

वेद भूषण पञ्चम वर्ष /पूर्वमध्यमा- II -कक्षा /दसवीं

आदर्श प्रश्न पत्र /Model Question Paper

विषय सामाजिक विज्ञान -

सेट - c

सूचना- एन.सी.ई.आर.टी. एवं वैदिक ज्ञान परम्परा के आधार पर तैयार किया गया आदर्श प्रश्नपत्र
बहु विकल्पीय प्रश्न-

- बाघ परियोजना (प्रोजेक्ट टाइगर) की शुरूआत गई थी।
अ. 1990 में
स. 1950 में
ब. 1947 में
द. 1973 में
- निम्न में से..... गैर परम्परागत ऊर्जा संसाधन है।
अ. विद्युत
ब. प्राकृतिक गैस
स. पवन ऊर्जा
द. कोयला
- एशिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग..... है।
अ. रसायन उद्योग
स. लौह-इस्पात उद्योग
ब. पटसन उद्योग
द. उपरोक्त में से कोई नहीं
- अमेरिका में चेचक का कीटाणु..... पहुँचा था।
अ. दवा के द्वारा
स. व्यापारियों के द्वारा
ब. हवा के द्वारा
द. स्पेनिश सैनिकों एवं अधिकारियों के द्वारा
- पीली क्रान्ति जातासम्बन्धित है।
अ. तिलहन
ब. मत्स्य
स. दूध
द. उपर्युक्त सभी
- भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार के लियेकी आयु निर्धारित है।
अ. 18 वर्ष
ब. 17 वर्ष
स. 19 वर्ष
द. 16 वर्ष
- मौलिक कर्त्तव्यों को भारतीय संविधान में..... को जोड़ा गया।
अ. 1976
ब. 1978
स. 1975
द. 1977
- एशिया में भारतीय रेलवे का..... स्थान है।
अ. प्रथम
ब. द्वितीय
स. तृतीय
द. चतुर्थ

9. भारत की मुद्रा..... है।

अ. डॉलर

ब. टका

स. पौण्ड

द. भारतीय रुपया

10. भारत में आतंकवाद का रूप..... है।

अ. साम्प्रदायिक आतंकवाद

ब. जातीय आतंकवाद

स. नक्सली आतंकवाद

द. उपर्युक्त सभी

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

2 × 5 = 10

11. सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान..... स्थित है। (राजस्थान/हरियाणा)

12. प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में स्थित है। (तारापुर/पोकरण)

13. चीन से पश्चिमी देशों को से सिल्क निर्यात होता था। (मखमल मार्ग/रेशम मार्ग)

14. भारत में हरित क्रान्ति के जनक..... को कहा जाता है। (एम.एस.स्वामीनाथन/नेहरू जी)

15. प्रत्यक्ष लोकतन्त्र शासन में की भागिदारी होती है। (जनता/निर्वाचित प्रतिनिधि)

सत्य-बताइए असत्य/

2 × 5 = 10

16. भारत में वन्य प्राणियों की लगभग 75000 प्रजातियां पायी जाती है।

(सत्य/असत्य)

17. बायोगैस गोबर, पेड़-पौधों की पत्तियों, कृषि अपशिष्ट से बनाई जाती है।

(सत्य/असत्य)

18. राउरकेला इस्पात कारखाना गुजरात में है।

(सत्य/असत्य)

19. भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा सात मौलिक अधिकार प्राप्त हैं।

(सत्य/असत्य)

20. नीति-निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36-51 में उल्लेखित है।

(सत्य/असत्य)

सही-कीजिए मिलान जोड़ी-

2 × 5 = 10

21. असहयोग आन्दोलन

(क) 2000 ई.

22. भारत छोड़ो आन्दोलन

(ख) 1931 ई.

23. सविनय अवज्ञा आन्दोलन

(ग) 1920 ई.

24. इरविन समझौता किया

(घ) 1930 ई.

25. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

(ड.) 1942 ई.

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

2 × 10 = 20

26. मरुस्थलीय मृदा कहाँ-कहाँ पायी जाती है ?

27. वनस्पति किसे कहते हैं ?
28. उद्योग किसे कहते हैं ?
29. पहला प्रिन्टिंग प्रेस भारत में कब और कहाँ लगाया गया था ?
30. राष्ट्रवाद किसे कहते हैं ?
31. राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई ?
32. अप्रत्यक्ष को लोकतन्त्र किसे कहते हैं।
33. सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया?
34. सबसे तीव्र गति का परिवहन का साधन कौन-सा है?
35. राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

$4 \times 5 = 20$

36. काली मिट्टी की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए ?
37. विनिर्माण के महत्व का उल्लेख कीजिए।
38. संविधान सभा का क्या कार्य होता है ?
39. लोकतन्त्र की सफलता के लिये आवश्यक शर्तें कौन सी हैं ?
40. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कोई तीन विशेषताएँ लिखिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

$10 \times 2 = 20$

41. अर्थव्यवस्था के क्षेत्र किसे कहते हैं ? तीनों क्षेत्रों का वर्णन कीजिए।
42. उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता एवं महत्त्व बताईए।

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (म.प्र.)

(शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार)

द्वारा सञ्चालित एवं प्रस्तावित राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (म.प्र.)

(शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार)

वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण, पो. ऑ. जवासिया, उज्जैन - ४५६००६ (म.प्र.)

Phone : (0734) 2502266, 2502254, E-mail : msrvvpujn@gmail.com, website - www.msrvvp.ac.in